

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2023 सत्र

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग में कार्यरत मजदूरों की लम्बित मजदूरी का भुगतान [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (*क्र. 198) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चाम्पा वन मंडल के अंतर्गत 1 जनवरी, 2021 से 15 फरवरी 2023 तक किस-किस वन परिक्षेत्र के किन-किन कार्यों में मजदूरों का मजदूरी भुगतान किस कारण से लंबित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : चाम्पा वनमंडल के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2023 तक किसी भी परिक्षेत्र में मजदूरों का मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है।

प्रदेश में टायगर रिजर्व क्षेत्र [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (*क्र. 825) श्री अरुण वोरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने टायगर रिजर्व क्षेत्र हैं? इन टायगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? पिछले 03 वर्षों में प्रदेश में बाघों के संरक्षण में कुल कितनी राशि खर्च की गई? (ख) प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में कुल कितने बाघों की संख्या थी? (ग) प्रदेश में वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने बाघों की मौत हुई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में कुल 03 टायगर रिजर्व क्षेत्र है। इन टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 5555.627 वर्ग कि.मी है। पिछले 03 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में प्रदेश में बाघों के संरक्षण में राशि रू. 183.77 करोड़ खर्च की गई है। (ख) अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के अनुसार प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 19 थी। (ग) प्रदेश में वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 02 बाघों की मौत हुई है।

धरसीवा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. (*क्र. 990) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 -21 एवं 2021 -22 में कितने निर्माण कार्य कराए गए? इनमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं, कितने निर्माण कार्य के गुणवत्ताहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : धरसीवा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य तथा उनमें पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। निर्माण कार्यों के गुणवत्ताहीन होने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (*क्र. 920) श्री धनेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में विगत 03 वर्षों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कितने-कितने लागत के कार्य स्वीकृत किये गये है ? (ख) प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत एवं किस-किस ग्राम के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, तथा किस-किस गांव में कार्य प्रगति पर है? टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन की कार्य प्रगति की जानकारी देवें ? (ग) किस-किस ग्राम में अभी तक कार्य बंद पड़ा है एवं किन कारणों से, कृपया पूरी जानकारी प्रदान करें? (घ) कितने ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य होना अभी तक शेष है? कब तक स्वीकृत की जावेगी जानकारी प्रदान करें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत विगत 03 वर्षों में ग्रामवार स्वीकृत कार्यों की लागत सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत जिन ग्रामों के कार्यों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, कार्य प्रगति पर है, टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन की कार्य प्रगति की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) ग्रामवार कार्य बंद के कारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) 13 ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य प्रारंभ होना अभी शेष है। समस्त ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य स्वीकृत है।

बिलासपुर जिले के जल जीवन मिशन अंतर्गत जारी निविदायें
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. (*क्र. 292) श्री शैलेश पांडे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पिछले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन द्वारा बिलासपुर जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है ? कितनी-कितनी राशि का कितना टेंडर किस-किस संस्था को दिया गया है ? अभी तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : पिछले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन द्वारा बिलासपुर जिले को रू. 107.88 करोड राशि की आहरण सीमा जारी की गई है। ठेकेदार/संस्थावार दिए गए टेंडर की राशि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। अभी तक 28 योजना के कार्य पूर्ण है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में संचालित क्रेशर
[खनिज साधन]

6. (*क्र. 978) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 - 22 से 31.01.2023 की अवधि में कुल कितने क्रेशर संचालित हैं ? इनमें से कितने वैध एवं कितने अवैध रूप से संचालित हैं ? विकासखंडवार नाम सहित सूची देवें। (ख) उन क्रेशरों के द्वारा शासन को कब-कब व कितनी-कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है तथा कितना शेष है ? (ग) अवैध उत्खनन या रायल्टी में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक कुल 06 क्रेशर वैध रूप से संचालित है। जिसमें से 01 क्रेशर उत्खननपट्टा क्षेत्र के भीतर एवं 05 क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) भण्डारण स्थल पर स्थापित क्रेशर से कोई रायल्टी प्राप्त नहीं होती है। अपितु क्रेशरयुक्त उत्खननपट्टा से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रायल्टी राशि 15 लाख 03 हजार 200 रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) में रायल्टी राशि 11 लाख 19 हजार 200 रूपये प्राप्त हुआ है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन या रायल्टी में गड़बड़ी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

कमल विहार में प्लाट आबंटन
[आवास एवं पर्यावरण]

7. (*क्र. 998) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कमल विहार रायपुर सेक्टर 7 में एम.जी. रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को शिफ्ट करने हेतु व्यापारियों को प्लाट आबंटन किया गया है ? यदि हां तो कब, किस-किस प्रक्रिया से, कितने व्यापारियों को कितने-कितने वर्गफुट का प्लाट, किस-किस दर पर आबंटित किया गया है? **(ख)** क्या "क" से संबंधित भूखण्ड (प्लाट) को बड़े से छोटे भूखण्ड (प्लाट) करने हेतु ले आउट में कोई संशोधन किया गया था, यदि हां तो, इसका प्रस्ताव शासन को कब भेजा गया, कब शासन से स्वीकृति मिली, आदेश की प्रति भी उपलब्ध करावें ? **(ग)** कंडिका "क" से संबंधित भूखण्ड के लिए विज्ञापन कब-कब प्रकाशित किया गया था ? कितनी निविदा/ऑफर प्राप्त हुई, क्या क्या दर प्राप्त हुई व उस कमर्शियल प्लाट के आबंटन के समय वहाँ बाजार दर क्या थी? **(घ)** क्या कंडिका "क" से संबंधित भूखण्ड के एकमुश्त भुगतान पर भी कोई छूट दी गई थी ? यदि हां तो कितनी व कुल कितनी राशि की छूट दी गई ? **(ङ.)** क्या कंडिका "क" से संबंधित भूखण्ड छूटों के साथ फ्री होल्ड के तहत दिया गया है, यदि हां तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) (ग) (घ) (ङ.)** प्रश्नांश "क" के तारतम्य में जानकारी निरंक है।

तेंदूपत्ता गोदाम निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (*क्र. 1030) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विभाग बस्तर वनमण्डल अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए गोदामों का निर्माण कर रहा है ? यदि हां तो इससे संबंधित वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक स्वीकृत व अब तक व्यय की गई राशि के संबंध में बतावें ? **(ख)** क्या इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच व खर्च की गई राशि के अनुपात में निर्माण होने की स्थिति की जांच की गई है ? कृपया बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी नहीं, गोदामों का निर्माण छ.ग.राज्य लघु वनोपज के द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

| स्वीकृत राशि (रू. लाख में) | व्यय राशि (रू. लाख में) |
|----------------------------|-------------------------|
| 877.78 | 670.02 |

(ख) जी हाँ ।

बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. (*क्र. 982) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित किये गये हैं, कितने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है एवं कितने का निर्माण हेतु कार्यदिश जारी किया गया है, बतायें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" से संबंधित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के निविदा आमंत्रण में ठेकेदार के पात्रता निर्धारण हेतु पृथक-पृथक मापदण्ड हैं ? यदि हां तो इसके लिए उत्तरदायी एवं दोषी कौन है, बतायें ? **(ग)** समूह जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21 समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गयी है, 16 की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। निर्माण हेतु किसी भी समूह जल प्रदाय योजना का कार्यदिश जारी नहीं किया गया है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** केन्द्र शासन द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हेण्डपंप सुधार
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. (*क्र. 452) श्री गुलाब कमरो : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत कितने हेण्डपंप खराब हैं ? (ख) खराब हेण्डपंप की मरम्मत हेतु वर्ष 2022 से जनवरी, 2023 तक सामग्री विकासखण्ड स्तर पर कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ? (ग) भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में हेण्डपंप मैकेनिक की संख्या बढ़ाने एवं छः माह से जो हेण्डपंप खराब है, उनके सुधार के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत अंतर्गत 108 हेण्डपंप खराब है, जो सुधार प्रक्रिया में है। (ख) खराब हेण्डपम्पों की मरम्मत हेतु वर्ष 2022 से जनवरी, 2023 तक सामग्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित उपखण्ड के भंडारगृह में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दी गई है। (ग) विधानसभा क्षेत्रवार हेण्डपंप मैकेनिक की पदस्थापना नहीं की जाती है। अतः भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मैकेनिक की संख्या बढ़ाये जाने की कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। 06 माह से कोई भी सुधार योग्य हेण्डपंप खराब नहीं है। अतः उनके सुधार के लिए कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नियम।
[सामान्य प्रशासन]

11. (*क्र. 1044) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय विभागों में तृतीय वर्ग, एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में क्या नियम, प्रावधान है, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के नियम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी लागू हैं ? यदि हां तो पूर्व में शिक्षाकर्मियों के परिवारों को इस नियम का लाभ दिया जा रहा है कि नहीं, जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी 'पुस्तकालय में रखे प्रपत्र' अनुसार है। (ख) जी हां। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 के प्रावधान लागू हैं। उक्त नियम शासकीय कर्मचारियों के संबंध में लागू है। शिक्षाकर्मियों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता।

वन विभाग के सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण कार्य की अनुमति
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

12. (*क्र. 941) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला कबीरधाम अंतर्गत वनांचलों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो कि वन भूमि क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जहां आबादी निवास करती है, क्या ऐसे वन क्षेत्रों की भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनों में जैसे सड़क, खेल मैदान, आवासी कॉलोनी, शमशान, अस्पताल आदि बनवाने के लिए राजस्व मद में दर्ज किए जाने अथवा स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो जानकारी प्रदान करें ? यदि नहीं तो ऐसे वन भूमि में निर्माण कार्यों के लिए सरकार की योजना क्या है, बतायें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जिला सरगुजा में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों से की गई राजस्व वसूली
[परिवहन]

13. (*क्र. 947) डॉ. प्रीतम राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 तक की अवधि में जिला सरगुजा में परिवहन विभाग द्वारा कितने हलके एवं व्यावसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार परिवहन विभाग के द्वारा हलके एवं भारी वाहनों से पंजीयन एवं रोड टेक्स के लिए किन-किन स्थानों पर कब-कब औचक निरीक्षण किया गया है तथा उनसे कितनी राजस्व राशि की वसूली की गई है? **(ग)** क्या कहीं अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में जिला सरगुजा में विभाग द्वारा कुल 4191 हलके एवं व्यावसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार। कुल राशि रूपये 9,76,000/- की राजस्व वसूली की गई है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

बलौदा-बाजार-भाटापारा जिला में रेत उत्खनन एवं भंडारण की प्रदत्त अनुमति
[खनिज साधन]

14. (*क्र. 989) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बलौदाबाजार- भाटापारा जिला में 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में कहाँ-कहाँ रेत उत्खनन किया जा रहा है ? संचालित रेत खदान कितनी अवधि हेतु, किन-किन को प्रदान की गयी है ? वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2023 तक जिले में रेत उत्खनन से प्राप्त रायल्टी की वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** क्या बलौदाबाजार-भाटापारा जिला में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 तक खनिज विभाग द्वारा रेत भंडारण की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ तो कितने व्यक्ति फर्म या संस्था को प्रदान की गयी है? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के रेत भंडारण की अनुमति किस दर पर एवं कितनी अवधि हेतु प्रदान की गयी ? क्या भंडारण स्थल से शासन को कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में 10 रेत उत्खनिपट्टा संचालित है। संचालित रेत खदान की अवधि सहित पट्टेदार की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रायल्टी राशि रूपयें 1 करोड़ 37 लाख 5 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक रूपयें 1 करोड़ 38 लाख 50 हजार रायल्टी राशि प्राप्त हुई है। **(ख)** जी हाँ। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2023 तक रेत के कुल 10 भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये है। विस्तृत जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु कोई दर निर्धारित नहीं किया जाता है। अपितु नियमानुसार आवेदन शुल्क लिया जाकर स्वीकृति प्रदान की जाती है। रेत भण्डारण अनुज्ञापत्र की अवधि की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** के कॉलम 08 अनुसार है। रेत भंडारण स्थल से शासन को आवेदन शुल्क एवं वार्षिक शुल्क के रूप में राजस्व राशि की प्राप्ति होती है। प्राप्त आवेदन शुल्क एवं वार्षिक शुल्क की तिथिवार जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** के कॉलम 10 से 12 अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

जिला बस्तर अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की अद्यतन स्थिति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. (*क्र. 1034) श्री राजमन बेजाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक कितने ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल सुविधा का लाभ दिया गया है? विकासखण्डवार बतावें ? दिनांक 31.01.2023 तक कितने ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने निर्माणाधीन हैं एवं कितने ग्राम पंचायतों को स्वीकृति मिलना शेष है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 1.01.2023

तक 13 ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल सुविधा का लाभ दिया गया है। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

| क्र | विकासखण्ड | ग्राम पंचायत |
|------------|-------------|--------------|
| 1 | बकावण्ड | 5 |
| 2 | दरभा | 1 |
| 3 | जगदलपुर | 2 |
| 4 | लोहण्डीगुडा | 2 |
| 5 | तोकापाल | 3 |
| योग | | 13 |

दिनांक 31.01.2023 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 ग्राम पंचायत में कार्य पूर्ण, 187 ग्राम पंचायत में कार्य निर्माणाधीन है एवं प्रशासकीय स्वीकृति मिलना शेष ग्रामों की संख्या निरंक है।

विद्वानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में जीवन मिशन योजना के तहत कार्य की अद्यतन स्थिति [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. (*क्र. 1002) श्री डमरूधर पुजारी : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिद्वानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31.1.2023 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कितने अप्रारम्भ हैं, अपूर्ण एवं अप्रारम्भ कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश 'क' के कार्यों हेतु स्वीकृत राशि में कितना राशि केन्द्रांश एवं कितना राज्यांश है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) बिद्वानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31.01.2023 तक जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत कार्य निम्नानुसार है -

| क्र. योजना का नाम | कार्य की संख्या | लागत (रू.लाखमें) |
|---|-----------------|------------------|
| 1 रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, एकल ग्राम नलजल योजना, सोलर आधारित लघु जलप्रदाय योजना | 372 | 30341.63 |
| 2 फ्लोराईड रिमूवल् प्लांट स्थापना | 40 | 669.62 |
| 3 सुपेबेड़ा बहुग्राम जलप्रदाय योजना | 01 | 1034.32 |
| कुल | 413 | 32045.57 |

स्वीकृत कार्य, स्वीकृति की राशि की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। स्वीकृत कार्यों में 46 पूर्ण, 144 अपूर्ण (प्रगतिरत) एवं 223 अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।(ख) प्रश्नांश 'क' के कार्यों हेतु कुल स्वीकृत राशि रू. 32045.57 लाख में से सामुदायिक अंशदान रू. 1978.97 लाख, रू. 15033.30 लाख केन्द्रांश एवं रू. 15033.30 लाख राशि राज्यांश है।

खैरागढ़ वनमंडल के कम्पार्टमेंट से वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रदाय [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

17. (*क्र. 1018) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दुर्ग वनवृत्त के खैरागढ़ वनमंडल उप परिक्षेत्र डोंगरगढ़ के कम्पार्टमेंट क्रमांक 467 में कौन कौन से गाँव/बस्ती है और वहाँ कितने परिवार निवासरत हैं? क्या विगत 3 वर्ष में उक्त कम्पार्टमेंट से वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है? उक्त कम्पार्टमेंट की वर्तमान भौगोलिक एवं वानस्पतिक स्थिति की जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : दुर्ग वन वृत्त के खैरागढ़ वन मंडल के उप परिक्षेत्र डोंगरगढ़ के कम्पार्टमेंट

क्रमांक 467 में गांव / बस्ती नहीं है तथा कोई परिवार निवासरत नहीं है । विगत तीन वर्ष में उक्त कम्पार्टमेंट में किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान नहीं किया गया है। उक्त कम्पार्टमेंट की भौगोलिक स्थिति सामान्य एवं वानस्पतिक स्थिति मिश्रित प्रकार के वन की श्रेणी में है।

राजनांदगांव वन मण्डल अंतर्गत पौधा रोपण की अद्यतन स्थिति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

18. (*क्र. 1024) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 से 15 फरवरी 2023 तक किन-किन प्रजाति के, कितने - कितने लागत के, कहाँ-कहाँ पर, कितने पौधे रोपित किये गए है ? वर्षवार, परीक्षेत्रवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" में रोपित पौधों में से 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में कितने पौधे जीवित हैं ? वर्षवार, परिक्षेत्रवार, जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी 2023 तक रोपित पौधों की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र- | वर्ष | परिक्षेत्र | रोपित पौधा संख्या |
|------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2021-22 | राजनांदगांव | 2560 |
| 2 | 2021-22 | उत्तर मानपुर | 600 |
| 3 | 2021-22 | दक्षिण मानपुर | 800 |
| | | योग- | 3960 |
| 4 | 2022-23 (15 फरवरी 23 तक) | राजनांदगांव | 950 |
| | | बाघनदी | 148165 |
| 5 | -----" | खुज्जी | 49500 |
| 6 | -----" | चौकी | 22250 |
| 7 | -----" | योग - | 220865 |
| | | कुल योग - | 224825 |
| | | | |

विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है । (ख) कंडिका "क" में रोपित पौधों में से 31 जनवरी 2023 तक जीवित पौधों की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र- | वर्ष | परिक्षेत्र | रोपित पौधा संख्या |
|------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2021-22 | राजनांदगांव | 1740 |
| 2 | 2021-22 | उत्तर मानपुर | 505 |
| 3 | 2021-22 | दक्षिण मानपुर | 644 |
| | | योग- | 2889 |
| 4 | 2022-23 (15 फरवरी 23 तक) | राजनांदगांव | 946 |
| | | बाघनदी | 136415 |
| 5 | -----" | खुज्जी | 48840 |
| 6 | -----" | चौकी | 20820 |
| 7 | -----" | योग - | 207021 |
| | | कुल योग - | 209910 |

विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

रेत उत्खनन एवं भण्डारण की प्रदत्त अनुमति [खनिज साधन]

19. (*क्र. 974) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिला में जनवरी- 2023 की स्थिति में कहां-कहां रेत उत्खनन कार्य किया जा रहा है? संचालित रेत खदान कितनी अवधि हेतु किन-किन को प्रदान की गयी है ? वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2023 तक जिले में रेत उत्खनन से कितनी-कितनी राशि की रायल्टी प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** क्या जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2023 तक खनिज विभाग द्वारा रेत भंडारण की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां तो कितने व्यक्ति फर्म या संस्था को प्रदान की गई ? नाम, स्थान , जारी दिनांक एवं भण्डारण की मात्रा सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के रेत भंडारण की अनुमति किस दर पर एवं कितनी अवधि हेतु प्रदान की गयी ? उक्त भंडारित रेत का विक्रय, किस दर पर किया जा रहा है ? विक्रय दर का निर्धारण किसके द्वारा एवं किस आधार पर किया जाता है ? क्या भंडारण स्थल से शासन को राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कितनी-कितनी ? **(घ)** क्या प्रश्नांकित अवधि में रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कहां-कहां से एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में जनवरी 2023 की स्थिति में 05 रेत उत्खननपट्टा खदान संचालित है। संचालित रेत खदान की अवधि, उत्खननपट्टाधारी की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** अनुसार है। जिला जांजगीर चांपा में रेत उत्खनन से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 01 करोड़ 45 लाख 90 हजार रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) 01 करोड़ 42 लाख 60 हजार 200 रूपये रायल्टी राशि प्राप्त हुई है। **(ख)** जी हाँ। जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2023 तक रेत के कुल 06 अस्थायी भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया था। जिसमें से वर्तमान में 02 भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल सक्ती जिले में स्थित है। जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु कोई दर निर्धारित नहीं है अपितु नियमानुसार आवेदन शुल्क लिया जाकर स्वीकृति प्रदान किया जाता है। अवधि की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** के कॉलम 08 अनुसार है। खनिज नियमों में भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में विक्रय दर निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। रेत भण्डारण स्थल से शासन को स्वीकृत भण्डारण क्षमता के अनुरूप आवेदन शुल्क 12 लाख 04 हजार 300 रूपये तथा वार्षिक शुल्क 75 हजार रूपये प्राप्त हुआ है। **(घ)** जी हाँ। प्रश्नांकित अवधि में रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने की 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। विस्तृत जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-स"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छः"\]](#)

कोयला खदानों का आबंटन व अवैध परिवहन [खनिज साधन]

20. (*क्र. 839) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी 2020 के बाद प्रदेश में कुल कितनी कोयला खदानों को किनको और कब आवंटित किया गया है तथा क्या इसके लिए उत्खनन की स्वीकृति मिली है? कहां-कहां उत्खनन प्रारंभ किया गया है? **(ख)** किन खदानों में केन्द्र से उत्खनन की स्वीकृति मिलने के बाद भी उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ है? **(ग)** प्रदेश में जनवरी 2020 के बाद कब बिना ई परमिट के कोयला परिवहन प्रारंभ किया गया? **(घ)** प्रश्नांक ग के संदर्भ में कितनी मात्रा में कोयले का परिवहन बिना ई परमिट के किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जनवरी, 2020 के बाद भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कुल 08 कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है। जानकारी **"संलग्न प्रपत्र"** अनुसार है। उक्त 08 कोल ब्लॉकों में से 02 कोल ब्लॉक्स यथा गारे पालमा-IV/1 रायगढ़ एवं गारे पालमा-IV/7 रायगढ़ में राज्य शासन द्वारा खनिजपट्टा स्वीकृत किया गया है एवं उत्खनन प्रारंभ किया गया है। **(ख)** निरंक। **(ग)** प्रश्नांश (क) की आवंटित कोल ब्लॉकों में से स्वीकृत खदानों से बिना ई-परमिट के माध्यम से कोयला परिवहन की जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात"\]](#)

महाजेन्को कंपनी के खदान में आने वाली वन भूमि के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

21. (*क्र. 896) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक स्थित महाजेन्को कंपनी (अडानी) के खदान में आने वाले वन भूमि के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कंपनी द्वारा कहां भूमि उपलब्ध करायी गयी है? ग्रामवार, खसरा-रकबा की विस्तृत जानकारी दें? **(ख)** क्या उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि मसादी ग्राम के अंतर्गत आते हैं? यदि हां तो किस नियम के तहत भूमि उपलब्ध करायी गयी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक स्थित महाजेन्को कंपनी के खदान में आने वाले वन भूमि रकबा 214.869 हे. व्यपवर्तन प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नटवरपुर, बंगुरसिया एवं चक्रधरपुर राजस्व ग्राम में भूमि उपलब्ध करायी गई है। ग्रामवार, खसरावार - रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।** **(ख)** ग्राम नटवरपुर, चक्रधरपुर में उपलब्ध करायी गई भूमि मसाहती ग्राम के अंतर्गत आते है। पंजीकृत दान पत्र (प्रतिफल विहीन) के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

धरमजयगढ़ वनमंडल में कैपा मद से प्राप्त राशि व व्यय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (*क्र. 250) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ वन मंडल को कैपा मद से वर्ष 2022-23 में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त राशि में से कितनी - कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिए व्यय की गयी है? **(ख)** निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है, कितने पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** धरमजयगढ़ वनमंडल को कैपा मद से वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि तथा उक्त राशि में से कराये गये कार्यों पर की गयी व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है ।** **(ख)** वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगतिरत है,विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है ।**

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के वन मंडलों में संपादित कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

23. (*क्र. 1028) श्री चंदन कश्यप : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के वन मंडलों में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.02.2023 तक किन-किन जगहों पर कौन-कौन से विभागीय कार्य हुए हैं, उनकी लागत कितनी थी एवं वर्तमान में कितने विभागीय कार्य होने हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है ।** होने वाले विभागीय कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है ।**

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. (*क्र. 1014) श्री विद्यारतन भसीन : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31.1.2023 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? **(ख)** स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कितने अप्रारम्भ हैं, अपूर्ण एवं अप्रारम्भ कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होने के कारण वर्ष 2021 से 31.01.2023 तक जल जीवन मिशन अंतर्गत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में ऑनलाईन की गई ग्राम पंचायतें
[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

25. (*क्र. 1041) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट कम्प्युटर से जोड़कर आनलाईन किया गया है और कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा से आनलाईन नहीं किया गया है, व क्यों ? उन्हें कब जोड़ा जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के 122 ग्राम पंचायतों को "डिजिटल इंडिया" के भारतनेट फेस-2 परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़कर ऑनलाईन किया गया है तथा 17 ग्राम पंचायतों को वन विभाग से "राइट ऑफ वे" (RoW) की अनुमति बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा नहीं गया है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विद्युत उत्पादन एवं खपत**

[ऊर्जा]

1. (क्र. 56) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** माह जनवरी, 2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा उत्पादित तथा उक्त अवधि में अन्य स्रोतों से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राप्त विद्युत की मात्रा क्या थी तथा विद्युत की खपत कितनी थी ? अन्य राज्यों से वर्ष, 2019 में कितना विद्युत क्रय या विक्रय किया जा रहा था तथा किस किस दर पर ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित कंपनियों द्वारा वर्तमान में (जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक) विद्युत आपूर्ति की मात्रा क्या थी तथा खपत कितनी थी ? क्या हम अन्य राज्यों को विद्युत क्रय या विक्रय कर रहे हैं, यदि हां तो प्रति युनिट दर क्या है ? **(ग)** छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के क्या वर्ष 2019 से अब तक कोई विद्युत उत्पादन संयंत्र बंद हुआ है ? यदि हां तो इसके बंद होने के क्या कारण है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** माह जनवरी, 2019 में ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से 1264.76 मिलियन यूनिट तथा अन्य स्रोतों से 1046.92 मिलियन यूनिट (कुल 2311.68 मिलियन यूनिट) विद्युत की मात्रा प्राप्त हुई तथा विद्युत की खपत 2068.58 मिलियन यूनिट थी। अन्य राज्यों से वर्ष 2019 में क्रय की गई विद्युत की मात्रा एवं दर की जानकारी निम्नानुसार है:-

| स.क्र. | राज्य का नाम | सीमावर्ती ग्राम | क्रय की गई विद्युत की मात्रा (मिलियन यूनिट में) | विद्युत क्रय की औसत दर (रूपये प्रति यूनिट) |
|--------|--------------|-----------------|---|--|
| 1 | तेलंगाना | मरईगुडा | 0.35 | 9.77 |
| | | किस्ताराम | 0.41 | 13.68 |
| 2 | मध्यप्रदेश | जनकपुर | 6.03 | 8.96 |

वर्ष 2019 में तेलंगाना राज्य को 2191.11 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय की गई, जिसकी औसत विक्रय दर रूपए 5.07 प्रति यूनिट रही। **(ख)** उत्तरांश 'क' में उल्लेखित कंपनियों द्वारा वर्तमान में (जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक) विद्युत आपूर्ति की मात्रा 4998 मिलियन यूनिट थी तथा खपत 4809 मिलियन यूनिट रही। जी हां, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा सीमावर्ती स्थित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु केवल तेलंगाना राज्य से विद्युत क्रय की जा रही है, जिसकी औसत दर रूपए 8.87 प्रति यूनिट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य राज्यों को विद्युत विक्रय नहीं किया जा रहा है। **(ग)** जी हां, दिसम्बर 2020 को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र बंद हुआ है। संयंत्र को नवीनतम पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुरूप न होने और तकनीकी-वाणिज्यिक कारणों से बंद कर दिया गया है ।

भारत माला एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण करने के लिए राखड़ डालने में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (क्र. 199) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर चाम्पा, कोरबा एवं बिलासपुर जिले में निर्माणाधीन भारत माला एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण करने के लिए राखड़ डालने का काम किस-किस एजेंसी को, कहां-कहां के राखड़ बांध से लाकर दिया गया है ? **(ख)** उपरोक्त एजेंसियों के विरुद्ध में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत किस-किस व्यक्ति द्वारा की गई है? उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नहीं दिया गया है। (ख) पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री उन्नयन विकास प्राधिकरण के पंजीयन एवं विकास कार्यों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

3. (क्र. 398) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा सत्र के दिनांक 2 जनवरी, 2023 के तारांकित प्रश्न 24.(क्र. 77) के परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री उन्नयन विकास प्राधिकरण का पंजीयन क्यों नहीं कराया गया? इस संस्था को विभाग या क्या माना जायेगा? इस संस्था का उद्देश्य क्या है? क्या ऐसे गैर पंजीकृत संस्था को इस प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में क्रमशः 404.00 व 404.00 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा सकती है? यदि हां तो किन नियमों के तहत की गयी? (ख) जब उक्त संस्था पंजीकृत नहीं है तो "मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण निधि नियम 2022" किस प्रक्रिया एवं नियमों के तहत बनाया गया है? (ग) मुख्यमंत्री, अध्यक्ष प्राधिकरण की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में कौन-कौन सदस्य व किस स्तर के अधिकारीगण थे, पदनाम व नाम सहित बतायें तथा उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिये, किस मापदण्ड के आधार पर दर तय की गयी एवं किस प्रक्रिया के तहत, किनके निर्णय उपरांत कार्यों की स्वीकृति दी गयी एवं दिनांक 31.01.2023 तक इस प्राधिकरण में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन दिनांक 27 जून, 2020 मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है, अतः प्राधिकरण का पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है। प्राधिकरण का उद्देश्य **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण निधि नियम, 2020 की कंडिका-5 के तहत प्राधिकरण के लिए राशि/बजट प्रावधान की जा सकती है। (ख) उक्त प्राधिकरण के गठन संबंधी आदेश की कंडिका-7(2) में की गई अपेक्षानुसार "मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण निधि नियम, 2020" मंत्रिपरिषद् आदेश (आयटम क्रमांक-31.11) दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 के तहत बनाया गया है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों के नाम **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 138.5812 करोड़ (अक्षरी रूपये एक सौ अड़तीस करोड़ अनठावन लाख बारह हजार) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं शालाओं के आकस्मिक व्यय हेतु तथा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 अंतर्गत 5747 विद्यार्थियों को राशि रूपये 4.00 करोड़ (अक्षरी रूपये चार करोड़ मात्र) छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 183.4815 करोड़ (अक्षरी रूपये एक सौ तिरासी करोड़ अड़तालीस लाख पन्द्रह हजार) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं शालाओं के आकस्मिक व्यय हेतु तथा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 अंतर्गत 5578 विद्यार्थियों को राशि रूपये 4.00 करोड़ (अक्षरी रूपये चार करोड़ मात्र) छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पात्रतानुसार वेतन भत्ते दिया गया तथा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 गठन के आदेश की कंडिका-5(ix) एवं कंडिका-6 के तहत दी गई है। उक्त कार्यों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात दी गई। दिनांक 31.01.2023 तक इस प्राधिकरण में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्थिति **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

हाथी-मानव द्वंद्व से प्रभावित जन व रोकथाम हेतु संचालित योजनायें

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (क्र. 399) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितने हाथियों की मौत किन-किन कारणों से, कहां-कहां हुई है? इनमें करंट लगने से

मृत्यु होने वाली हाथियों की संख्या कितनी है? करंट से मृत्यु दुर्घटनावश थी या शिकारियों द्वारा नियोजित थी और उसके जिम्मेदार लोगों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही हुयी? वर्षवार अलग-अलग बतायें। **(ख)** उक्त वर्षों में हाथी-मानव द्वंद में कितनी जान माल की हानि हुयी है और उससे क्षतिग्रस्त एवं मौत होने वाले वाले मालिकों/परिजनों को क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी है? वर्षवार बतायें? **(ग)** राज्य सरकार हाथी-मानव द्वंद की रोकथाम हेतु क्या-क्या योजना संचालित कर रही है? उन योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति एवं परिणाम उक्त वर्षवार बतायें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुल 55 हाथियों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है जिसमें 14 विद्युत करंट से, 06 शिकारियों द्वारा नियोजित विद्युत करंट से हुई है। विस्तृत विवरण वित्तीय वर्षवार वनमण्डलवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" में दर्शित है।** **(ख)** उक्त अवधि में हाथी-मानव द्वंद से जान-माल की हानि के कुल 58,581 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें कुल 53,43,39,158/- रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है। विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" में दर्शित है।** **(ग)** राज्य सरकार हाथी-मानव द्वंद की रोकथाम हेतु राज्य योजना हाथी रहवास क्षेत्र का विकास एवं केन्द्रीय योजना प्रोजेक्ट एलीफेंट तथा कैम्पा मद से लेमरू हाथी परियोजना संचालित है। योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति एवं परिणाम का वर्षवार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" में दर्शित है।**

जिला रायगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत आवंटित राशि व कार्यादेश

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. (क्र. 439) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत विगत 3 वर्षों में कितनी राशि का बजट आवंटित हुआ है? इनमें से कितनी राशि के वर्क आर्डर जारी किए गये हैं? **(ख)** क्या जारी किए गए वर्क आर्डर छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हैं? यदि हाँ तो किस आधार पर वर्क आदेश दिया गया है? **(ग)** कितने ग्राम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है, जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी भी जिले को बजट आवंटित नहीं होता है अपितु व्यय के लिए आहरण सीमा जारी की जाती है। रायगढ़ जिले को विगत 03 वर्षों में आहरण सीमा रू. 236.67 करोड़ की जारी किया गया है। विगत 03 वर्षों में रायगढ़ जिले में रू. 574.68 करोड़ के वर्क आर्डर जारी किए गये है। **(ख)** जी हां। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के फ़र्मों को रूचि की अभिव्यक्ति के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत फ़र्म को ऑनलाईन निविदा के आधार पर प्रस्तुत न्यूनतम दर के पात्र निविदाकार को कार्यादेश दिया गया है। **(ग)** विगत 3 वर्षों में रायगढ़ जिले के 1407 ग्राम के लिये रू. 1685.53 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

न्यू स्वागत विहार डूंडा के भूखंड धारियों की समस्या का निराकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 581) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** न्यू स्वागत विहार डूंडा के भूखंड धारियों को राहत प्रदान करने के लिए शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ख)** इन्हें कब तक भूखंड मिलने की सम्भावना है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** न्यू स्वागत विहार डूंडा के प्रभावित भू-खण्ड धारियों के लिए विकास एवं आबंटन की योजना तैयार करने हेतु रायपुर विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। प्रभावित भू-खण्ड धारियों से दावा प्राप्त कर परीक्षण किया जा रहा है। **(ख)** निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण
[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 582) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु रायपुर नगर-निगम में माह फरवरी 2023 तक कितने आवेदन पत्र/ प्रकरण जमा किये गए हैं? **(ख)** इनमें से कितने प्रकरणों में नियमितीकरण कर दिया गया है?

वनमंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** नगर पालिक निगम रायपुर में अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु माह फरवरी 2023 तक 4195 आवेदन पत्र/प्रकरण जमा किए गए हैं। **(ख)** 1782 प्रकरणों का नियमितीकरण कर दिया गया है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक के भलपहरी ग्राम पंचायत में चूना पत्थर खदान की लीज समाप्त होने के बाद भी खनन जारी रहने और खनन से पर्यावरणीय क्षति
[खनिज साधन]

8. (क्र. 604) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक के भलपहरी ग्राम पंचायत में चूना पत्थर खदान को बंद करवाने के लिए ग्रामसभा से पारित प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त खनन से भू- गर्भ को हो रहे नुकसान, जल स्रोतों के सूखने, घरों में पड़ रही दरारों के नुकसान का आंकलन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हाँ तो इस नुकसान को रोकने के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ? **(ख)** क्या उक्त खनन के लिए खसरा नंबर 163 में 1.740 हेक्टेयर में स्थित खदान की लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है ? यदि हाँ तो अप्रैल 2020 से अब तक इस खदान में खनन की अनुमति किस आधार पर दी गयी है ? **(ग)** क्या भलपहरी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव और उक्त खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा इस खदान को बंद करवाया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ। कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लॉक के भलपहरी ग्राम पंचायत में खसरा क्रमांक 163 रकबा 2.023 हेक्टेयर पर चूना पत्थर खदान को बंद करवाने के लिए ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव दिनांक 23.01.2023 को प्राप्त हुआ है। खनन से भू-गर्भ को हो रहे नुकसान, जल स्रोतों के सूखने, घरों में पड़ रही दरारों के नुकसान का आंकलन करने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त जांच हेतु, खनि अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता एवं तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में खनन से जल स्रोत आदि प्रभावित नहीं पाया गया। वर्तमान में भी भू-जल स्तर 17 मीटर से 20 मीटर में पाया गया है। **(ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित उत्खनिपट्टा मेसर्स श्री मिनरल्स को स्वीकृत है, जिसकी अवधि दिनांक 07.01.2002 से 06.01.2032 तक है। इसी खसरा क्रमांक 163 के रकबा 1.740 हेक्टेयर पर एक अन्य खदान श्री श्याम ताम्बोली को स्वीकृत थी, जिसकी अवधि दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हो चुकी है एवं इस खदान में उत्खनन कार्य दिनांक 31.03.2020 से बंद है। **(ग)** क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग के द्वारा दिनांक 17.01.2023 को निरीक्षण किया गया, जिसमें उल्लेख है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचने जैसी स्थिति नहीं पायी गई।

कबीरधाम जिले के चिल्फी स्थित परिवहन जांच चौकी में बिना धर्म कांटे के वाहनों पर होने वाली कार्यवाही
[परिवहन]

9. (क्र. 605) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले के चिल्फी स्थित परिवहन जांच चौकी में वर्तमान में कितने अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं ? पदनाम, और नियुक्ति दिनांक बताएं। **(ख)** परिवहन जांच चौकी चिल्फी में वर्ष 2021 - 2022, 2022 - 2023 में दिनांक 31/01/2023 तक कितनी गाड़ियों पर कार्यवाही हुई है ? कार्यवाही से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? वर्षवार आंकड़े दें। **(ग)** क्या चिल्फी बैरियर में धर्म कांटा लगा है ? यदि नहीं तो बिना धर्म कांटे के किस आधार पर वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है ? चिल्फी बैरियर पर धर्म कांटा कब तक लग जाएगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘अ’ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-‘ब’ अनुसार। (ग) जी नहीं। कार्यवाही मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 एवं 114 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। धर्म कांटे लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

प्रदेश में बिजली उपभोक्ता तथा बिजली दर

[ऊर्जा]

10. (क्र. 618) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने प्रकार की बिजली उपभोक्ता हैं नाम बतावें ? क्या सभी प्रकार की उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ करने की योजना का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो किस प्रकार के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया जा रहा है ? (ख) सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की विगत 04 वर्ष में प्रति यूनिट विद्युत दर में कब-कब व कितनी-कितनी वृद्धि एवं कमी की गई, जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में सप्लाई वोल्टेज के आधार पर दो श्रेणी के उपभोक्ता क्रमशः उच्चदाब श्रेणी एवं निम्नदाब श्रेणी है। प्रयोज्यता के आधार पर उच्चदाब और निम्नदाब उपभोक्ताओं को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

| निम्नदाब | उच्चदाब |
|--|--|
| 1. घरेलू | 1. रेल्वे कर्षण |
| 1. गैर-घरेलू | 2. खदाने (माईस) |
| 2. निम्नदाब कृषि | 3. अन्य औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक समान्य प्रयोजन |
| 3. निम्नदाब कृषि सहवर्ती कार्य | 4. स्टील उद्योग |
| 4. निम्नदाब उद्योग | 5. सिंचाई एवं कृषि सहवर्ती कार्य, सार्वजनिक जलकार्य |
| 5. सार्वजनिक उपयोगिता | 6. घरेलू (उच्चदाब) |
| 6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्यातोन्मुखी वस्त्र उद्योग | 7. स्टार्ट अप पॉवर टैरिफ |
| 7. अस्थाई आपूर्ति | 8. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग |
| | 9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं निर्यातोन्मुखी वस्त्र उद्योग |
| | 10. एचवी पर अस्थाई कनेक्शन |

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये 'बिजली बिल हॉफ योजना' नहीं है। 'बिजली बिल हॉफ योजना' केवल निम्नदाब घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये है। (ख) बिजली उपभोक्ताओं के विगत 04 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार, फिक्स्ड चार्ज तथा दरों में कमी/वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ तथा वेरियेबल कास्ट एडजस्टमेंट (व्हीसीए) के मद में की गयी वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब के अनुसार है।

धमतरी जिले में स्थापित अति उच्चदाब उपकेन्द्र तथा विद्युत खपत एवं प्रतिपूर्ति

[ऊर्जा]

11. (क्र. 619) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धमतरी जिले में अति उच्चदाब उपकेन्द्र किन किन स्थानों पर स्थापित हैं? उनकी क्षमता कितनी हैं? क्या धमतरी जिले में विद्युत खपत विद्युत क्षमता से अधिक है? यदि हां तो क्षमता एवं अनुमानित खपत की जानकारी बतावें? (ख) यदि विद्युत खपत विद्युत क्षमता से अधिक है तो विभाग के द्वारा क्षमता बढ़ाने हेतु क्या नये अतिउच्चदाब केन्द्र शुरू करने की कार्ययोजना है? यदि हां तो किन किन स्थानों में कितनी क्षमता के उपकेन्द्र की स्थापना की योजना है एवं

कब तक स्थापना कर दी जावेगी? क्या जितनी क्षमता है, उतनी मात्रा में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान की जाती है या उपभोक्ताओं को उससे कम विद्युत प्रदान की जाती है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धमतरी जिले में अति उच्चदाब के कुल 05 उपकेन्द्र स्थापित हैं, इसके अलावा 01 नग अति उच्चदाब उपकेन्द्र, चिटौद बालोद जिले में स्थापित है जहाँ से भी धमतरी जिले को भी विद्युत आपूर्ति की जाती है। क्षमतावार विवरण नीचे तालिका में दर्शित है। जी नहीं, जिले में विद्युत की खपत उपकेन्द्रों के स्थापित क्षमता से कम है।

| क्र. | उपकेन्द्र का नाम | स्थान | जिला | स्थापित क्षमता | धिकतम दर्ज विद्युत भार |
|------|--------------------------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| 1 | 440/220 केव्ही उपकेन्द्र | कुरूद | धमतरी | (2x315)=630 एमव्हीए | 468.00 मेगावाट |
| 2 | 132/33 केव्ही उपकेन्द्र | कुरूद | धमतरी | (2x40)=80 एमव्हीए | 38.80 मेगावाट |
| 3 | 132/33 केव्ही उपकेन्द्र | मगरलोड | धमतरी | (2x40)=80 एमव्हीए | 40.00 मेगावाट |
| 4 | 132/33 केव्ही उपकेन्द्र | नगरी | धमतरी | (2x40)=80 एमव्हीए | 34.40 मेगावाट |
| 5 | 132/33 केव्ही उपकेन्द्र | भखारा | धमतरी | (1x40)=40 एमव्हीए | 25.00 मेगावाट |
| 6 | 132/33 केव्ही उपकेन्द्र | चिटौद | बालोद | (2x40)= 80 एमव्हीए | 51.20 मेगावाट |
| योग | | | | 360 एमव्हीए | 189.40 मेगावाट |

(ख) जी नहीं, उपकेन्द्रों में स्थापित क्षमता से जिले में विद्युत की खपत कम है। तथापि भविष्य में भारवृद्धि को ध्यान में रखकर धमतरी जिले के ग्राम-अर्जुनी में 132/33 केव्ही. का 01 नग अति उच्चदाब उपकेन्द्र 2x40 एम.व्ही.ए., क्षमता का स्वीकृत है, जिसके निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सामान्यतया 132/33 केव्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निविदा शर्तों के अनुरूप 18 महीने का समय प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मांग के अनुरूप विद्युत प्रदाय किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में 189.40 मेगावाट (लगभग 3788 एम्पीयर) अधिकतम दर्ज मांग की तुलना में उपकेन्द्रों की स्थापित क्षमता 360 एम.व्ही.ए. (लगभग 6300 एम्पीयर) की है। अतः क्षेत्र में स्थापित पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता क्षेत्र की मांग से अधिक है। स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं को समुचित विद्युत प्रदान की जाती है।

तेलीबांधा एक्सप्रेस वे तथा उसके सर्विस रोड के लिए त्यजन की गई निजी भूमि स्वामियों की भूमि के बदले सर्विस रोड पर रास्ता एवं दोगुना एफ.ए.आर. देने संबंधी
[आवास एवं पर्यावरण]

12. (क्र. 628) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) तेलीबांधा एक्सप्रेस वे तथा उसके सर्विस रोड के लिए त्यजन की गई निजी भूमि स्वामियों की भूमि के बदले कितने भूमि स्वामियों को आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश पर, नगर निगम रायपुर द्वारा सर्विस रोड पर रास्ता एवं निर्माण के लिए दुगना एफ.ए.आर. दिया गया है? (ख) शेष निजी भूमि स्वामियों, जिन्होंने भूमि त्यजन किया है, उन्हें रास्ता एवं निर्माण के लिए दुगना एफ.ए.आर. क्यों नहीं दिया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, तेलीबांधा एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड के लिए निजी भूमि छोड़ने वाले 06 भू-स्वामियों को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की

अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर ने भूमि के क्षेत्रफल के दोगुना एफ.ए.आर. तथा सर्विस रोड़ से आवागमन हेतु रास्ता प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की है। (ख) नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, मार्ग में आने वाले प्रभावितों की भूमि का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर द्वारा सीमांकन व चिन्हांकन किये जाने के पश्चात् नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

जल जीवन मिशन में इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया व निरस्त करने का अधिकार

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. (क्र. 644) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जल जीवन मिशन में इम्पैनलमेंट की क्या प्रक्रिया है, यह कहां से जारी की गई थी, इसके तहत कितनी कंपनियों का इम्पैनलमेंट किया गया? यह किस अवधि के दौरान किया गया तथा उनमें से कितनी कंपनियों का इम्पैनलमेंट निरस्त किया गया तथा निरस्तीकरण का आधार क्या है? विस्तार से बतावें? (ख) यदि इम्पैनलमेंट नियमों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये गये हैं तो इस हेतु जिम्मेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या संचालक जल जीवन मिशन को इम्पैनलमेंट निरस्त करने का अधिकार है? यदि हां तो किस नियम के तहत? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन में रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के माध्यम से इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया की गई है। ई.ओ.आई. जारीकर्ता कार्यालय, चयनित कंपनियों की सूची, अवधि, कंपनियों का इम्पैनलमेंट निरस्त एवं निरस्तीकरण के आधार की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी समिति कार्यवाही हेतु अधिकृत है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निविदा निरस्तीकरण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. (क्र. 645) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 20 इम्पैनल्ल्ड सप्लायर कंपनियों के टेंडर गार्ड लाईन के अनुसार इम्पैनलमेंट नहीं होने से निरस्त कर दिये गये है? यदि हां तो इनने पूर्व में कायदेश प्राप्त होने के बाद जो सामग्री की सप्लाई कर दी है, तद्संबंध में क्या निर्णय लिया गया और इस हेतु कौन जिम्मेदार है? (ख) यदि यह इम्पैनलमेंट नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया गया है तो फिर पूर्व में इम्पैनलमेंट किस नियम के तहत किया गया था और उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

कैम्पा मद से कराए जा रहे कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (क्र. 823) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खैरागढ़ वनमंडल में कैम्पा मद से 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक स्वीकृत पूर्ण/अपूर्ण कार्य तथा अप्रारंभ कार्य एवं राशि का विवरण बताएं। (ख) कार्य पूर्ण होने में विलंब के हेतु कौन उत्तरदायी है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खैरागढ़ वनमंडल में कैम्पा मद से 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक स्वीकृत कार्य एवं राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | वर्ष | स्वीकृत कार्य संख्या | स्वीकृत राशि (लाख में) |
|------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2021-22 | 465 | 2682.76 |
| 2 | 2022-23 (दि. 31.01.2023 तक) | 254 | 975.58 |
| | योग:- | 719 | 3658.34 |

स्वीकृत कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ स्थिति की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है** । (ख) कार्य पूर्ण होने में कोई विलंब नहीं हुआ है। अतः कोई उत्तरदायी नहीं है।

वन मंडल खैरागढ़ के अंतर्गत ग्राम वन प्रबंध समिति द्वारा किये गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (क्र. 829) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वन मंडल, खैरागढ़ अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितने ग्रामों में वन प्रबंध समितियों का गठन किया गया? (ख) उक्त वन प्रबंध समितियों के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी? (ग) आवंटित राशि का उपयोग कितने ग्रामों में, कितने कार्यों के लिए किया गया है? वित्तीय वर्ष अनुसार किये गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराएं।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वनमण्डल खैरागढ़ अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किसी भी ग्राम में वन प्रबंधन समितियों का गठन नहीं किया गया है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में विद्युतीकरण

[ऊर्जा]

17. (क्र. 830) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों में पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है कितना गांव, पारा, मजरा, टोला शेष है? कितने ट्रांसफार्मर चालू हैं तथा कितने नये ट्रांसफार्मर हेतु प्राप्त आवेदन के विरुद्ध कितने नये लगाये गये एवं कितने लंबित है? (ख) विद्युत खम्बों एवं तारों को बदलने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित है? जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक कितने ग्रामों से खराब तारों को बदले जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उक्त अवधि में कितने का निराकरण किया गया और कितने शेष है एवं कब तक निराकरण किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्युतीकृत हो चुके ग्रामों में पूर्ण विद्युतीकरण (गांव, पारा, मजरा-टोला एवं अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण) का कार्य सौभाग्य योजना के तहत किया जा चुका है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 1195 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित है। वर्तमान में सभी ट्रांसफार्मर क्रियाशील है। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हेतु प्राप्त 12 आवेदनों में से 11 स्थान पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। 01 नग ट्रांसफार्मर स्वीकृति हेतु लंबित है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 66 केव्ही के नीचे की लाइनों का जीवनकाल 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 25 वर्ष या उससे अधिक समय से लगी विद्युत लाइनों को बदलने/सुधारने की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्युत लाइनों का एक निश्चित अंतराल पर रखरखाव किया जाता है एवं खराब पायी गई लाइन सामग्री को बदला जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में 41 ग्रामों में खराब तारों को बदले जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राप्त सभी शिकायतों को निराकृत कर दिया गया है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[सामान्य प्रशासन]

18. (क्र. 833) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा मद अंतर्गत कितनी राशि के, कितने कार्यों की स्वीकृति की गई? जिलेवार बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा मद अंतर्गत 10 कार्यों के लिए राशि ₹ 199.86 लाख (अक्षरी एक करोड़ न्यानबे लाख छियासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त समस्त स्वीकृति मुंगेली जिले हेतु दी गई है।

राजनांदगांव जिले में धीरी समूह नल जल योजना में अनियमितता [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. (क्र. 843) डॉ. रमन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिले में धीरी समूह नल जल योजना के लिये कब, किस मद से कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? कब पूर्ण हुई? **(खं)** प्रश्नांश "क" की कार्य एजेंसी कौन सी थी ? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) की योजना शासन द्वारा स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन के अनुसार पूर्ण हुई ? यदि नहीं तो क्यों? कौन दोषी है? **(घ)** क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) योजना में अनियमितता की जांच उच्च अधिकारी व अभियंता से करायी गई? यदि हाँ तो कमेटी में कौन-कौन थे? क्या अनियमितता पाई गई? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** राजनांदगांव जिले में धीरी समूह नल जल योजना की मूल प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20.04.2015 द्वारा लागत रू. 2846.16 लाख तथा संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.02.2016 द्वारा लागत रू. 2877.44 लाख, राज्य बजट में नाबार्ड पोषित योजना मद अंतर्गत जारी की गई है। योजना भौतिक रूप से वर्ष 2019 में पूर्ण हुई है। **(ख)** प्रश्नांश-"क" हेतु योजना के विभिन्न अवयव वार कार्य एजेंसियों के नाम **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** स्वीकृत योजना अनुसार इंटेकवेल का निर्माण धीरी ग्राम में शिवनाथ नदी पर निर्मित धीरी एनीकट के बाएं तट पर किया जाना था, किन्तु व उक्त एनीकट क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थल परिवर्तन की अनुमति मांगी गयी तथा शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त स्थल परिवर्तन किया गया। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हां, प्रश्नांश (क) योजना में शिकायत की जांच कराई गई है। शासन के दिनांक 19.03.2021 के निर्देशानुसार विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर तथा प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 15.12.2021 को गठित जांच समिति जिसमें विभाग के मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र बिलासपुर, अधीक्षण अभियंता, मण्डल बिलासपुर तथा कार्यपालन अभियंता, खण्ड बेमेतरा शामिल थे, के द्वारा प्रश्नांश (क) में लेखित योजना की शिकायत की जांच कराई गई। शासन के निर्देशानुसार की गई जांच में पूर्व प्रस्तावित एनीकट एवं एनीकट स्थल के चयन हेतु तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव की जिम्मेदारी तय की गई है तथा वर्तमान में झोला एनीकट एवं एनीकट स्थल के चयन हेतु तत्समय पदस्थ कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड राजनांदगांव की जिम्मेदारी तय की गई है। तत्संबंध में कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। प्रमुख अभियंता द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रश्नांश (क) योजना की शिकायत के संबंध में दिया गया जांच प्रतिवेदन परीक्षाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

प्रदेश में कार्यरत अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितकरण [सामान्य प्रशासन]

20. (क्र. 883) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कार्यरत अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की संख्या कितनी है, विभागवार उक्त कर्मचारियों की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या विधि एवं विधायी कार्य विभाग से उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अभिमत चाहा गया है? किस दिनांक को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभिमत हेतु पत्र लिखा? क्या अभिमत मिल गया? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है? **(ग)** क्या प्रदेश के अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को अन्य विभागों से मिल गयी है यदि हां तो कब दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें? **(घ)** उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु विगत 3 वर्षों में कितनी समिति, किसकी अध्यक्षता में गठित की गयी, उनकी रिपोर्ट क्या है? यदि रिपोर्ट लंबित है तो उसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। नियमितकरण किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 197, दिनांक 21.05.2019 द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया था। जी हाँ। **(ग)** समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.01.2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है। 47 विभागों से प्राप्त हुई है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16.08.2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नांकित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से चाही गई है। 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है।

(घ) अनियमित कर्मचारियों/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 12-1/2019/1-3, दिनांक 08.03.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए आदेश क्रमांक 12-1/2019/1-3, दिनांक 11.12.2019 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.01.2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है। 47 विभागों से प्राप्त हुई है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16.08.2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है:-

1. विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं?
2. क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं?
3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद-संरचना/भर्ती नियम में स्वीकृत है?
4. क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है?
5. अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है ? 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसानुसार समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत/प्रस्तावित नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. (क्र. 897) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने ग्राम-पंचायतों में अमृत मिशन/अन्य योजना के तहत नल-जल योजना स्वीकृत/प्रस्तावित हैं ? ग्राम पंचायतवार स्वीकृत/प्रस्तावित व राशि सहित विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जाकर योजना संचालित है ? शेष पंचायतों के कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) रायगढ़ विधानसभा के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत 109 ग्राम पंचायतों के 176 ग्रामों में 194 नलजल योजना स्वीकृत है। पंचायतवार स्वीकृत राशि सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार 14 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जाकर योजना संचालित है। पूर्ण एवं शेष पंचायतों के कार्य की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

जांजगीर चांपा जिला मे केम्पा मद से स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (क्र. 919) श्रीमती इंद्र बंजारे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक केम्पा पद से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? कार्य का नाम, लागत राशि, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उक्त कार्यों मे घटिया निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुए ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक केम्पा मद से कराये गये कार्य का नाम, लागत राशि एवं कार्य पूर्ण-अपूर्ण की वर्षवार जानकारी

संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में उक्त कार्यों में घटिया निर्माण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

रायपुर जिलान्तर्गत सामूहिक सौर सुजला सिंचाई योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

[ऊर्जा]

23. (क्र. 922) श्री धनेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले में क्रेडा विभाग द्वारा सामूहिक सौर सुजला सिंचाई योजनान्तर्गत किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? अभी तक किए गये निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दें ? किन-किन गांवों में, किन कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं तथा कब तक कार्य प्रारंभ किये जावेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : रायपुर जिले में सौर सुजला योजना अंतर्गत सामूहिक सिंचाई पम्प की स्थापना नहीं की गई है, अपितु जिले के ग्राम परसुलीडीह, विकासखण्ड अभनपुर में सामुदायिक सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 3,36,00,000/- (शब्दों में- रूपये तीन करोड़ छत्तीस लाख) की स्वीकृति दिनांक 01.04.2021 को प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध इकाई को सोलर पंपों की स्थापना, सिविल कार्य एवं जल वितरण प्रणाली स्थापित करने हेतु आशय पत्र दिनांक 12.07.2021 को जारी किया जा चुका है। वर्तमान में स्ट्रक्चर स्थापना हेतु फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा सम्पवेल का कार्य प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. (क्र. 933) श्री धरम लाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ से दिनांक 31.01.2023 तक कुल कितने नल कनेक्शन लगाये जाने थे व कितने लगाये गए और कितने लगाये जाने शेष हैं ? इस हेतु केन्द्र सरकार से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई व कितनी व्यय की गई व कितनी शेष है? वर्षवार व जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** क्या यह सही है कि आईवा इंजीनियरिंग, एएफएस इंजीनियरिंग एवं ग्लोबल इलेक्ट्रा जैसे 20 से अधिक संस्थाओं/फर्मों का इंटीग्रेटेड शेडल पाईप, जल शुद्धिकरण मशीन एवं कम्पोजिट पाईपस आदि समाग्री प्रदाय करने वाली संस्थाओं/फर्मों के टेन्डर निरस्त किये गए है? यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में किन-किन फर्म/संस्थाओं के टेन्डर/अनुबंध/कार्य आदेश निरस्त किये गए हैं व क्यों? **(ग)** उक्त निरस्त टेन्डर/अनुबंध/कार्य आदेश कितनी राशि के थे, उसमें कितनी राशि के कार्य पूर्ण हो गए हैं ? कितनी राशि का भुगतान किया गया है, कितनी का राशि का भुगतान शेष हैं? इन संस्थाओं/फर्मों में से कितनी फर्म गाईड लाईन अनुसार इम्पेनलमेंट नहीं थी व किन-किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था? प्रावधानवार, फर्मवार एवं राशिवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ से दिनांक 31.01.2023 तक 5008010 नल कनेक्शन लगाये जाने थे व 1868182 लगाये गए और 3139828 लगाये जाने शेष है। वर्षवार व जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। इस हेतु केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई गई राशि व व्यय की गई राशि व शेष राशि की वर्षवार व जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** ख के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

वनांचलो में वन प्रबंधन समितियों को विकास कार्य हेतु प्राप्त राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (क्र. 943) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कबीरधाम जिले में कितनी वन प्रबंधन समिति वर्ष 2021 से दिनांक 31/01/2023 तक संचालित है? **(ख)** प्रश्न "क" के अनुसार संचालित वन प्रबंधन समितियों को विकास कार्य हेतु वन मंडलवार कितनी धनराशि, वित्तीय वर्षवार प्रदान की गयी है, कार्य का नाम, मदवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** जिला कबीरधाम में ग्राम पंचायतों एवं अन्य विभागों द्वारा वन ग्रामों

में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों (बिजली, पानी, सड़क निर्माण) के लिए विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें कितने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है तथा कितने लंबित हैं, प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जा सकेगा, जानकारी प्रदान करेंगे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कवर्धा वनमंडल कवर्धा अंतर्गत वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक कुल 293 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां संचालित है। (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।**

| क्र.वित्तीय वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | प्रदत्त धनराशि (लाख में) |
|------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 2020-21 | - | - | - |
| 2 2021-22 | 10-2406-203-(5641) वन प्रबंधन समितियां # 14.012 सहायक अनुदान | लाभांश राशि | 169.74 |
| 3 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) | 10-2406-(2965) बिगड़े वनों का सुधार | आर.डी.एफ. क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा कार्य | 4.51 |
| | सी.एस.आर. | बोर खनन कार्य | 20.56 |
| | 10-2406-(3531) सहा. प्राकृतिक पुनरोत्पादन | सहा. प्राकृतिक पुनरोत्पादन क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा कार्य | 22.28 |

(ग) कवर्धा वनमंडल कवर्धा अंतर्गत वन ग्राम नहीं है। आवेदन प्राप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" \]](#)

सरगुजा जिला में हितग्राहियों का स्वीकृत ऋण राशि व अनुदान [ग्रामोद्योग]

26. (क्र. 948) डॉ. प्रीतम राम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरगुजा जिले में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक कितने हितग्राहियों को किन-किन योजना के तहत कितना-कितना ऋण, किन-किन व्यवसाय के लिए दिया गया है? उनमें कितना-कितना अनुदान दिया गया है, कितनी अनुदान राशि का भुगतान लंबित है, लंबित होने का क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : सरगुजा जिले में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक कुल 41 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) अंतर्गत राशि रू. 3,33,27,102 ऋण प्रदाय कर राशि रू. 1,13,14485/- का अनुदान दिया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। 04 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (CMEGP) अंतर्गत राशि रू. 6,50,000 ऋण प्रदाय कर राशि रू. 2,27,500/- अनुदान दिया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) के 06 हितग्राहियों को अनुदान राशि रूपये 21,65,000/- लंबित है। लंबित होने का कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई में प्रकरण प्रक्रियाधीन होना है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

बालोद वनमण्डल के अंतर्गत रोपित पौधे [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

27. (क्र. 955) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक बालोद वनमण्डल के अंतर्गत किन-किन मदों से किन-किन स्थानों पर एवं कितने रकबे पर किस प्रजाति के कितने पौधे रोपित गये? वर्षवार, मदवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें? (ख) कण्डिका 'क' में रोपित कितने पौधे दिनांक 15 फरवरी, 2023 की स्थिति में जीवित अवस्था में है? विधान

सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ग) रोपित पौधों के जीवित या मृत होने संबंधी भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया? वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।

जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. (क्र. 956) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से दिनांक 31/01/2023 तक की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, बोर खनन आदि कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? इनमें से कितने कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कितने प्रगति पर हैं, कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने कार्य किन कारणों से अप्रारंभ स्थिति में है? (ख) धीमी गति वाले किन-किन कार्यों की जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गयी? जाँच में कार्य की गति धीमी होने के क्या-क्या कारण सामने आये? कार्य की गति में वृद्धि के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन के तहत ग्रामों में पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, बोर खनन कार्यों की पृथक से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, अपितु ग्राम हेतु स्वीकृत नलजल योजनांतर्गत पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, बोर खनन कार्य सम्मिलित होता है। वर्ष 2021-22 से दिनांक 31/01/2023 तक की अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के समस्त 211 ग्रामों में स्वीकृति प्रदान की गई है। 123 कार्य प्रारंभ, 46 पूर्ण एवं 42 कार्य अप्रारंभ है। अप्रारंभ कार्यों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। (ख) धीमी गति वाले कार्यों की जांच करने वाले अधिकारी, जांच की तिथि, धीमी गति का कारण एवं कार्य की गति वृद्धि के उपाय की कार्यवार/ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

जिला निर्माण समिति के अन्तर्गत विभागों को नोडल/क्रियान्वयन एजेन्सी निर्धारित किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

29. (क्र. 957) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में कोण्डागांव जिला निर्माण समिति के अन्तर्गत किन-किन विभागों को नोडल/क्रियान्वयन एजेन्सी निर्धारित किया गया है ? नोडल/क्रियान्वयन एजेन्सी को किस आधार पर कार्य आबंटित किया जाता है ? ब्यौरा देवें ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार जिला निर्माण समिति के अन्तर्गत उक्त विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं ? प्रश्नांकित तिथि को कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ का विवरण बताएं ? अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य को कब तक पूर्ण कराया जाना था ? कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा ? (ग) क्या कंडिका "क" अनुसार किसी कार्य के लिए शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो किन-किन कार्यों के लिए क्या शिकायत की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी 2023 की स्थिति में कोण्डागांव जिला निर्माण समिति के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव को नोडल अधिकारी आदेशित किया गया है। जिला निर्माण समिति स्वयं क्रियान्वयन एजेन्सी है। ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन एजेन्सी को तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र"** अनुसार है। गोसवारा विवरण निम्नानुसार है :-

कुल कार्य संख्या - 421

पूर्ण - 138

अपूर्ण - 109

अप्रारंभ - 174

समय सीमा बताना संभव नहीं है।

(ग) कंडिका 'क' के अनुसार किसी कार्य के लिये शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है।

खनिज संसाधन न्यास निधि (डीएमएफ फण्ड) के तहत स्वीकृत किए गए कार्य
[खनिज साधन]

30. (क्र. 959) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोण्डागांव जिले में खनिज संसाधन न्यास निधि (डीएमएफ फण्ड) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां स्वीकृत किए गए ? इन कार्यों में किन-किन कार्यों का क्रियान्वयन एजेन्सी जिला निर्माण समिति को बनाया गया ? जिला निर्माण समिति का क्रियान्वयन एजेन्सी कौन सा विभाग था ? किस आधार पर जिला निर्माण समिति को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया ? जिला निर्माण एजेन्सी में मूल्यांकन हेतु किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी ? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में वास्तविक स्थिति का ब्यौरा देवें ? क्या किसी कार्य में शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों में क्या शिकायत प्राप्त हुई ? शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक स्वीकृत कार्यों का नाम, राशि एवं स्थान की जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। इन कार्यों में से जिला निर्माण समिति को जिन कार्यों में क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है, उसकी जानकारी जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है। जिला निर्माण समिति स्वयं क्रियान्वयन एजेन्सी है जिसका नोडल विभाग कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोण्डागांव है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 10-5/2013/1/5, दिनांक 04 जुलाई, 2013 द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को संपादित करने के लिए जिला स्तर पर जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। जिला निर्माण एजेन्सी में मूल्यांकन हेतु कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को जिम्मेदारी दी गई है। **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में 42 कार्य पूर्ण एवं 289 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। किसी भी कार्य में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

बिलासा बाई केंवटीन हवाई अड्डा बिलासपुर में हवाई जहाज नाइट लैंडिंग की सुविधा का प्रारंभ किया जाना
[विमानन]

31. (क्र. 962) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बिलासाबाई केंवटीन हवाई अड्डा बिलासपुर में नाइट लैंडिंग सुविधा दिलाने के लिए शासन द्वारा आवश्यक राशि स्वीकृत की जा चुकी है? **(ख)** यदि हां तो यह कार्य अब तक प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** क्या शासन द्वारा इस वर्ष नाइट लैंडिंग सुविधा प्रारंभ की जाएगी? यदि हां तो कब तक प्रारंभ की जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है। **(ग)** समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हसदेव कोल ब्लॉक को प्रदत्त अनुमति की अद्यतन स्थिति
[खनिज साधन]

32. (क्र. 965) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में पास सर्वसम्मत संकल्प हसदेव क्षेत्र के समस्त कोल ब्लॉक रद्द किये जाने के अनुरूप कार्यवाही की है? यदि हां तो विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** क्या राज्य शासन ने दिनांक 06/04/2022 को जारी परसा कोल ब्लॉक वन, भूमि डायवर्सन की अनुमति और 26/04/ 2022 को जारी पीईकेबी ब्लॉक फेज-2 की वन भूमि डायवर्सन अनुमति रद्द कर दी है? यदि हां तो विस्तृत विवरण देवें और यदि नहीं तो कारण सहित ब्यौरा देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को सर्वसम्मति से स्वीकृत अशासकीय संकल्प "हसदेव क्षेत्र में आबंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जायें" के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-93/2022/12, दिनांक 19.09.2022 के द्वारा अशासकीय संकल्प अनुसार

आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है। **(ख)** छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिनांक 06.04.2022 को जारी परसा कोल ब्लॉक के वन भूमि डायवर्सन की अनुमति और दिनांक 26.04.2022 को जारी पी.ई.के.बी. कोल ब्लॉक फेज-2 की वन भूमि डायवर्सन की अनुमति रद्द नहीं की है। अतः प्रशंसा उपस्थित नहीं होता।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कोलवाशरी

[आवास एवं पर्यावरण]

33. (क्र. 966) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने कोलवाशरी कब से व किसके द्वारा, कहां-कहां संचालित है ? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार कोलवाशरी विस्तार हेतु जनवरी, 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक किन-किन कोलवाशरी के लिए जन सुनवाई करायी गई? इनमें कौन-कौन प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे? जन सुनवाई के पश्चात् उपरोक्तानुसार कोलवाशरी में से किस कोलवाशरी को विस्तार या चालू करने की अनुमति कब व किसके द्वारा किन-किन शर्तों पर दी गई है? **(ग)** क्या प्रशंकित सभी कोलवाशरी को पर्यावरण मंजूरी दी गई है? यदि हां तो कब व किन-किन शर्तों पर दी गई है? जानकारी देवे। **(घ)** क्या प्रशंकित कोलवाशरियों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या इसमें जांच की गयी? यदि हां तो जांच में क्या पाया गया है? जानकारी देवे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 03 कोलवाशरी संचालित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 2,3 एवं 4 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रशंसा "क" में उल्लेखित कोलवाशरी में क्षमता विस्तार हेतु जनसुनवाई नहीं की गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम 5 एवं 6 अनुसार है। (घ) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

प्रदेश में कोयला उत्पादन एवं उत्खनन

[खनिज साधन]

34. (क्र. 975) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कोयला का भंडार, किस-किस जिले में है ? कहां-कहां उत्खनन कार्य किया जा रहा है ? **(ख)** क्या प्रदेश के कुछ खदान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के अधीन हैं? यदि हां तो किस-किस जिले की कौन-कौन सी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में कोयला का भंडार कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में है। उत्खनन कार्य की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

चंद्रपुर विधानसभा श्रेत्रांतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

35. (क्र. 979) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के किन किन ग्रामों में जल प्रदाय हेतु क्या क्या कार्य, कितनी कितनी राशि के स्वीकृति हुए हैं तथा इन स्वीकृत कार्यों से किन-किन ग्रामों में पानी का स्रोत उपलब्ध हो गया है ? विस्तृत जानकारी देवे। **(ख)** प्रश्न "क" में वर्णित योजना से किन-किन ग्रामों में कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं किन-किन ग्रामों में कार्यों का वर्क आर्डर दिया जा चुका है तथा कितने स्वीकृत कार्यों के लिए निविदा नहीं बुलाई गई है? इसके लिए निविदा कब तक बुलाई जावेगी? **(ग)** क्या पेयजल हेतु कई योजनाओं से कार्यों की स्वीकृति के पश्चात भी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या हो रही है? तो उनके निदान हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ? विवरण देवे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023

तक चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जल प्रदाय हेतु पानी टंकी, पाईप लाईन घरेलू नल कनेक्शन एवं सोलर पंप स्थापना के कार्य हेतु राशि रू. 19938.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। इन स्वीकृत कार्यों के ग्रामों में पानी के उपलब्ध स्रोत की स्थिति ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्न 'क' में वर्णित स्वीकृत योजना में निविदा आमंत्रित, कार्यदिश, निविदा आमंत्रण शेष ग्रामों के नाम **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है। (ग) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिला जांजगीर-चांपा के गोठानों में पेयजल के व्यवस्था हेतु नलकूप खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

36. (क्र. 983) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शासन के महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी के अंतर्गत गोठानों में पेयजल व्यवस्था हेतु जिला जांजगीर चाम्पा में वर्ष 2021-22 से 2022-23 में नलकूप खनन का कितना लक्ष्य निर्धारित है? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार दिनांक 10/02/2023 की स्थिति में लक्ष्य के विरुद्ध क्या उपलब्धि रही, बतायें ? (ग) प्रश्नांक "क" अनुसार निर्धारित लक्ष्य क्या इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) शासन के महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी के अंतर्गत गोठानों में पेयजल व्यवस्था हेतु जिला जांजगीर चाम्पा में वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 45 नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार दिनांक 10/02/2023 की स्थिति में लक्ष्य के विरुद्ध 25 नलकूप खनन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश "क" अनुसार निर्धारित लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

रायपुर जिले अंतर्गत उद्योग/ संयंत्र द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन की जांच व कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 991) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर जिला अंतर्गत कौन- कौन से उद्योग/ संयंत्र प्रदूषण उत्सर्जन प्रवृत्ति की श्रेणी में है? (ख) वर्ष 2020 -21 एवं 2021 - 22 में किन-किन उद्योगों/ संयंत्र की पर्यावरणीय नियमों के पालन करने सम्बन्धी जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई? जाँच में किन-किन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करना पाया गया? (ग) कंडिका "ख" के अनुसार उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या प्रावधान है? नियमानुसार उद्योगों संयंत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले के अंतर्गत प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। (ग) उद्योगों के निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत नोटिस एवं उत्पादन बंद/विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी करने के प्रावधान हैं। कंडिका "ख" के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

जल जीवन मिशन से प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

38. (क्र. 1000) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल जीवन मिशन के लिए अब तक कितनी राशि केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, वर्षवार जानकारी दें। कुल कितने गावों में, कितने कनेक्शन कब तक दिया जाना था, बतावें ? (ख) 20 फरवरी 2023 तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है, कितने गांव में हुआ है ? कितने गावों में लाईन बिछा कर पानी देना प्रारंभ हो गया है? क्या टेंडर प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, यदि हाँ तो कितने जिलों में कितने टेंडरों में। इन शिकायतों पर क्या

कार्यवाही की गई है? क्या टेंडरों के समय में अंतिम दिन/अंतिम समय कोई वृद्धि भी की गई है ? यदि हाँ तो कितने टेंडरों में किन-किन जिलों में ? **(ग)** क्या कार्ययोजना के विपरीत नियम विरुद्ध खरीदी की भी शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ व कितनी की खरीदी की ? क्या भुगतान भी किया गया ? क्या जांच की गई, कोई दोषी पाया गया, ? क्या कोई कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों ? **(घ)** क्या कोई निविदा भी निरस्त की गई है? यदि हाँ तो कितनी व कितने राशि की ? जिलावार जानकारी देवे, अनुसूचित घोषित क्षेत्रों में कितने परिवारों को अभी तक कनेक्शन दिया गया व कुल कितने परिवार हैं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन के लिये अब तक केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई राशि की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। कुल 19661 गांवों में 5008010 कनेक्शन सितम्बर वर्ष 2023 तक दिया जाना लक्षित है। **(ख)** 20 फरवरी 2023 तक प्रदेश अंतर्गत 38.64 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है, 10909 गांवों में हुआ है। 4429 गांवों में पाईप लाईन बिछाकर पानी देना प्रारंभ हो गया है। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। जी हाँ। 02 जिलों में 10 टेंडरों में। बिलासपुर जिले में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता को निलंबित कर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हाँ। 379 टेंडरों में। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ । जिलेवार जानकारी व की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार है। **(घ)** जी हाँ । 3944 निविदा, राशि रु. 3407.70 करोड़ की। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई** अनुसार है। अनुसूचित घोषित क्षेत्रों में 793613 परिवारों को अभी तक कनेक्शन दिया गया है व कुल 2618939 परिवार है। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-फ** अनुसार है।

विद्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भेंट मुलाकात दौरा कार्यक्रम में की गई घोषणायें

[सामान्य प्रशासन]

39. (क्र. 1003) श्री डमरूधर पुजारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बिद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ? यदि हां तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्या-क्या घोषणाएं की गयी हैं ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार घोषणाओं में दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में कितने घोषणाएं पूर्ण, कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हां। बिद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें की गई घोषणाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में 41 घोषणाएं अपूर्ण हैं। उक्त अपूर्ण घोषणाओं के पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

नया रायपुर विकास प्राधिकरण, अटल नगर, में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

40. (क्र. 1015) श्री विद्यारतन भसीन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नया रायपुर विकास प्राधिकरण, अटल नगर, में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों के कौन-कौन से अधिकारी, किस-किस पद पर, कब-कब से, किस-किस पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं एवं उनका वेतन भत्ता प्रतिमाह कितना-कितना है एवं क्या-क्या अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है ? प्रतिनियुक्त अधिकारियों की अवधि कब-कब एवं कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई गई है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां नियमानुसार हैं ? क्या प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? यदि हां तो कब-कब ? यदि नहीं तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? **(ग)** कब तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग की पदस्थापना में वापस कर दिया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम-2,3,4,5,6,7 एवं 8** के अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम-9** अनुसार है। **(ग)** दिनांक 09.03.2023 द्वारा मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। [\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

**कटघोरा वनमंडल के एतमानगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत पोड़ी में अवैध वृक्षों की कटाई की प्राप्त शिकायत पर
कार्यवाही**
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

41. (क्र. 1019) श्री दलेश्वर साह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बिलासपुर वनवृत के कटघोरा वनमंडल के एतमानगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत पोड़ी में 1 जनवरी, 2021 से 15 फरवरी 2023 तक अवैध वृक्षों की कटाई के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायत की किस किस स्तर पर जाँच की गयी है, जाँच में क्या पाया गया और दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी है? अवैध कटाई से शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई? जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां, 03 शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों की जाँच श्री संजय कुमार ओझा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर द्वारा की जा रही है। शिकायतों की जाँच प्रक्रियाधीन है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]

42. (क्र. 1029) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 01.02.2023 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नारायणपुर विधानसभा प्रवास के दौरान कितने तथा कौन-कौन से कार्यों की घोषणा की गई ? **(ख)** उक्त में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अपूर्ण है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण होंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 01.02.2023 तक नारायणपुर विधानसभा प्रवास के दौरान कुल 45 घोषणाएं की गई, उक्त घोषणाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उक्त घोषणाओं में से 22 कार्य पूर्ण हैं एवं 23 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

**बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित शासकीय आवास गृहों की अद्यतन
स्थिति**
[आवास एवं पर्यावरण]

43. (क्र. 1031) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कार्य एजेंसी छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल के द्वारा वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक पूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण स्थिति बंद व अप्रारंभ कार्यों की संख्यात्मक जानकारी देंगे ? **(ख)** इन कार्यों की स्वीकृति कब प्राप्त हुई व इसे पूर्ण करने की समय-सीमा क्या तय की गई थी ? कृपया बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** विषयांकित अवधि में बस्तर संभागान्तर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा स्वीकृत शासकीय आवास गृहों की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला बस्तर अंतर्गत गोठान निर्माण
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

44. (क्र. 1036) श्री राजमन बेंजाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बस्तर अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक कितने पंचायतों में गोठानों का निर्माण किया गया है? विकासखण्डवार बतावें? दिनांक 31-01-2023 तक स्वीकृत गोठानों की अद्यतन स्थिति क्या है एवं गोठानों में कौन-कौन से कार्य वन विभाग के द्वारा कराये जा रहे हैं? पंचायतवार एवं विकासखण्डवार बतावें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जिला बस्तर अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक गौठान का निर्माण नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व अंतर्गत तालाब निर्माण और छिंद उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आबंटन एवं स्वीकृति
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

45. (क्र. 1038) श्री अमितेश शुक्ल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व अंतर्गत तालाब निर्माण और छिंद उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति एवं आबंटन प्रदान किया गया है ? प्राप्त राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी-कितनी राशि शेष है ? मद्दर विस्तृत विवरण देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के तहत कितने सथानों पर, कितनी राशि के, कितने कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? कार्यवार विस्तृत विवरण देवें ? **(ग)** कंडिका "क" के तहत तालाब निर्माण और छिंद उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण एवं तालाब गहरीकरण कार्य में मजदूरों के माध्यम से कार्य लिए जाने के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या, शासन निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? नहीं, तो क्यों ? **(घ)** क्या यह सही है कि कंडिका "क" के तहत कराए गए कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है ? हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। **(ख)** कंडिका 'क' के तहत 248 स्थानों पर कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं राशि 3,32,93,724 रूपये का भुगतान किया गया है तथा 7 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। **(ग)** छिंदघांस उन्मूलन/तालाब निर्माण के संबंध में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर द्वारा पत्र पृ.क्रमांक/व.प्रा./बजट/15/2690 दिनांक 05.10.2015 जारी किया गया है। कैम्पा मद अंतर्गत स्वीकृत कार्य हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/कैम्पा/नि.स./130/2018 / 2230 दिनांक 16.11.2018 एवं क्रमांक/नस्ती क्र-01/कैम्पा. 02/3587 दिनांक 18.08.2020 के माध्यम से निर्देश जारी किया गया है। कार्य के संपादन में उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। **(घ)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा निर्मित सड़कें
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

46. (क्र. 1042) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उदंती सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र मे वर्ष 2021-2022 से दिनांक 31.01.2023 तक वन विभाग द्वारा कहां-कहां कितनी लंबाई का सड़क निर्माण, किस-किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है ? **(ख)** यदि उक्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है, तो उक्त क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए आवागमन की क्या सुविधाएं है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उदंती सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2023 तक कैम्पा मद अंतर्गत 10 ग्रामों में 25.30 कि.मी.वन मार्ग मिट्टी मुरूम उन्नयन कार्यों की स्वीकृति दी गई है। जिसका विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। **(ख)** उपरोक्तानुसार 10 ग्रामों के मार्गों का उन्नयन कार्य स्वीकृत हैं सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र में निवासरत परिवारों के आवागमन हेतु पूर्व से मिट्टी मुरूम सड़कें निर्मित है, जिससे उक्त क्षेत्र में निवासरत परिवार बारहमासी आवागमन करते है। आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष वनमार्ग मरम्मत कार्य कराया जाता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि पंप कनेक्शन ।

[ऊर्जा]

47. (क्र. 1046) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से 31.01.23 किसानों के कृषि कार्य हेतु कितने विद्युत पंप कनेक्शन लंबित हैं, जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत लंबित कृषि पंप कनेक्शन का कब तक निराकरण किया जाएगा , जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में कृषि पंपों के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु वर्ष 2021-22 के 1,128 एवं वर्ष 2022-23 के 468 कुल 1,596 कृषि पंप के कार्य विद्युत लाईन विस्तार हेतु लंबित है। प्रश्नाधीन अवधि में दिनांक 31.01.2023 तक अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु निरंक आवेदन लंबित है। **(ख)** उत्तरांश "क" के कुल लंबित 1,596 पंप कनेक्शन में से 83 पंप वर्ष 2022-23 के पंप ऊर्जाकरण के लक्ष्य में शामिल है। जिनका कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। शेष 1,513 (1,596-83) लंबित पंप कनेक्शन के लाईन विस्तार कार्य आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पूर्ण किये जाने के प्रयास है।

सारंगढ़ विधानसभा के अंतर्गत गोमर्डा अभ्यारण के प्रभावित किसान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

48. (क्र. 1049) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन्य प्राणी गोमर्डा अभ्यारण के 28 गांव के किसानों के 7 हजार 495 एकड़ निजी जमीन मध्यप्रदेश शासन के समय 18/ 10 /1996 से क्रय -विक्रय एवं पंजीयन पर रोक लगायी गयी है? यदि हाँ तो कब तक उक्त 28 गांव के निजी जमीन के क्रय -विक्रय पर रोक हटाई जावेगी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि "वन्य प्राणी अभ्यारण्य, गोमर्डा" के विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित होने के कारण, उसमें या उस पर अधिकारों का अर्जन विधि द्वारा (उक्त अधिनियम की धारा 20 में विनिर्दिष्ट अधिकारों को छोड़कर) निषिद्ध है । अतः निजी भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक हटाने के लिए कोई सक्षम नहीं है ।

राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

49. (क्र. 1052) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2021 -22 एवं 2022-2023 में 31.01.2023 तक राजनांदगांव जिले के कितने ग्रामों में, किस-किस योजना से जल प्रदाय हेतु कितनी कितनी राशि स्वीकृत हुई है तथा इन स्वीकृत कार्यों से किस-किस गांव में पानी का स्रोत उपलब्ध हो गया है ? विकासखंड वार, ग्राम वार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** प्रश्नांश "क" में वर्णित योजना से कितने ग्रामों के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं कितने ग्रामों में कार्यों का वर्क आर्डर दिया जा चुका है तथा कितने स्वीकृत कार्यों के लिए निविदा नहीं बुलाई गई है, इसके लिए निविदा कब तक बुलाई जाएगी ? **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार वर्क आर्डर जारी किए गए कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं कितने ग्रामों का कार्य पूर्ण, कितने में अधूरा है व किस स्थिति में है ? कब तक पूर्ण किया जाना है, जानकारी उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक राजनांदगांव जिले के ग्रामों में योजना की स्वीकृत राशि तथा इन स्वीकृत कार्यों से गांव में पानी का स्रोत हो गये है कि विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।** **(ख)** प्रश्नांश 'क' में वर्णित योजनांतर्गत निविदा आमंत्रित, वर्क आर्डर जारी, निविदा नहीं बुलायी गयी है एवं निविदा

कब तक बुलायी जाएगी की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है । (ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार वर्क ऑर्डर जारी ग्रामों में कार्य प्रारंभ, कार्य पूर्ण, कार्य अधूरा की स्थिति की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।**

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिक परिवारों को प्राप्त छात्रवृत्ति**
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (क्र. 200) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर वन वृत्त के चाम्पा वन मंडल अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिक परिवारों के कितने मेधावी छात्राओं को, कितनी छात्रवृत्ति पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 06/02/2023 तक वितरित की गई हैं ? कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बिलासपुर वन वृत्त के जिला यूनियन जांजगीर-चाम्पा में तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिक परिवारों के मेधावी छात्राओं को पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 06/02/2023 तक वितरित की गई छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वित्तीय वर्ष | छात्राओं की संख्या | वितरित राशि |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 01 | 02 | 03 |
| 2020-21 | 14 | 38,500.00 |
| 2021-22 | 07 | 21,000.00 |
| 2022-23 (दिनांक 06.02.2023) तक | 05 | 14,000.00 |
| योग:- | 26 | 73,500.00 |

अद्यतन स्थिति में कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है ।

नगर पालिक निगम, धमतरी के द्वारा अवैध निर्माण का नियमितीकरण एवं भवन अनुज्ञा
[आवास एवं पर्यावरण]

2. (क्र. 265) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि नगर पालिक निगम, धमतरी के द्वारा अवैध निर्माण का नियमितीकरण किया जा रहा है? यदि हां तो किस प्रकार के भवनों के नियमितीकरण करने का नियम है? **(ख)** अब तक नियमितीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? अब तक कुल कितने आवेदकों का नियमितीकरण किया गया ? प्राप्त आवेदन में कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाये गये? **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु किस दिनांक से किस दिनांक तक आवेदन करने का प्रावधान है? क्या पूर्णतः जिसने भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य किया है या जिसने भवन अनुज्ञा नहीं ली है, दोनों का नियमितीकरण करने का प्रावधान है? **(घ)** नियमितीकरण हेतु निगम के द्वारा क्या शुल्क निर्धारित किया गया है? क्या पूर्व में शुल्क निर्धारण में परिवर्तन किया गया है, यदि हां तो कारण बतावें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी हां। आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निम्नलिखित विषयों का नियमितीकरण करने का नियम है - (1) पार्श्व खुला स्थान, (2)तलक्षेत्र अनुपात, (3) भूमि उपयोग में परिवर्तन परंतु अनधिकृत विकास आवासीय उपयोग हेतु किया गया है तब विकसित फर्शीक्षेत्र के आधार पर नियमितीकरण किया जाएगा, (4) पार्किंग, (5) पहुंच मार्ग की चौड़ाई । **(ख)** नियमितीकरण हेतु 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक किये गये नियमितीकरण की संख्या निरंक है।कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पात्रता एवं अपात्रता का निर्धारण किया जावेगा अभी प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। **(ग)** योजना के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु

नियम के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष के भीतर तक आवेदन करने का प्रावधान है। जी हां। (घ)जी नहीं। निगम के द्वारा कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बिलासपुर स्थित उद्योगों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (क्र. 293) श्री शैलेश पांडे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर में स्थापित उद्योगों में कितने उद्योग ऐसे हैं, जो जलवायु परिवर्तन को अधिक प्रभावित करते हैं? क्या उक्त उद्योगों का विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है ?जलवायु परिवर्तन के मानकों का पालन क्या इन उद्योग द्वारा किया जा रहा है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बिलासपुर जिले में स्थापित 09 स्पंज आयरन प्लांट तथा 01 कोयला आधारित पॉवर प्लांट के चिमनी से मुख्य रूप से कार्बन डाईआक्साईड गैस का उत्सर्जन, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि (ग्रीन हाउस गैस प्रभाव) होने का एक कारक होने के कारण जलवायु परिवर्तन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जी हाँ, उक्त उद्योगों का विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है। भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त प्रकार के उद्योगों से कार्बन डाईआक्साईड गैस उत्सर्जन के मानक वर्तमान में निर्धारित नहीं है। अतः पालन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बिलासपुर में स्वीकृत और खनित बोर

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (क्र. 294) श्री शैलेश पांडे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पिछले 2 वित्तीय वर्ष में बिलासपुर जिले के लिए कितने बोर स्वीकृत किए गए थे और कितने बोर खनन किए गए, कृपया जानकारी प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : पिछले दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में बिलासपुर जिले में 545 नलकूप (बोर) खनन कार्य स्वीकृत किये गये थे। 541 नलकूप (बोर) खनित किए गए।

प्रदेश में अवैध निर्माणों का नियमितिकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (क्र. 352) श्री अरुण वोरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में अवैध निर्माणों के नियमितिकरण के कुल कितने प्रकरण जनवरी 2023 तक प्राप्त हुए हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** इनमें से कितने प्रकरण आवासीय क्षेत्र एवं कितने गैर आवासीय क्षेत्रों के हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(ग)** जनवरी, 2023 तक जुर्माने की कुल कितनी राशि सरकारी खजाने में जमा की गई? जिलेवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रदेश में अवैध निर्माणों के नियमितिकरण के कुल 7358 प्रकरण जनवरी 2023 तक प्राप्त हुए हैं। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 6 अनुसार** है। **(ख)** इनमें से 5587 प्रकरण आवासीय क्षेत्र एवं 1771 गैर आवासीय क्षेत्रों के हैं। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 4 एवं 5 अनुसार** है। **(ग)** जनवरी, 2023 तक जुर्माने की कुल रूपये 47760274 राशि सरकारी खजाने में जमा की गई। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 9 अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

बिजली दर में बढ़ोतरी एवं बिजली बिल हॉफ से लाभान्वित उपभोक्ता

[ऊर्जा]

6. (क्र. 401) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2020 से दिनांक 7.2.2023 की स्थिति में कब-कब, कितनी-कितनी बिजली बिल की दरों को, बढ़ाया गया? यूनिट अनुसार दर को अलग-अलग बतायें? **(ख)** बिजली बिल हॉफ योजना के तहत किस मापदण्ड के आधार पर उन उपभोक्ताओं

काे लाभ दिया जाना था? तथा उस मापदण्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितने-कितने उपभोक्ता थे? उनमें से कितने उपभोक्ताओं के, कितनी राशि का बिजली बिल हॉफ किया गया एवं कितने उपभोक्ताओं की, कितनी राशि शेष रह गयी? वर्षवार अलग-अलग बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 07.02.2023 तक विद्युत देयक में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार, फिक्स्ड चार्ज तथा दरों में कमी/वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ तथा वेरियेबल कास्ट एडजस्टमेंट (व्हीसीए) के मद में की गयी वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) 'बिजली बिल हॉफ' योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके विरुद्ध दो माह से अधिक अवधि का बिजली बिल बकाया न हो, इस योजना के पात्र है। वर्षवार ऐसे उपभोक्ताओं का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:- (राशि रूपये करोड़ में)

| वर्ष | कुल घरेलू उपभोक्ता | लाभार्थी उपभोक्ताओं की संख्या | दी गई कुल छूट की राशि | वंचित उपभोक्ताओं की संख्या | वंचित उपभोक्ताओं को छूट प्रदान नहीं किये जाने पर शेष राशि |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 2020-21 | 4744593 | 3963620 | 841.98 | 780973 | 67.79 |
| 2021-22 | 4802897 | 4116193 | 870.67 | 686704 | 64.41 |
| (दिसम्बर 2022 तक) | 4861211 | 4220620 | 765.58 | 640591 | 68.74 |

जिला रायगढ़ में किसानों के स्थायी पंप कनेक्शन के लंबित प्रकरण [ऊर्जा]

7. (क्र. 440) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में किसानों के स्थायी पंप कनेक्शन के 31 जनवरी 2023 तक कितने प्रकरण लंबित हैं तथा लंबित प्रकरणों को कब तक पूर्ण किया जाएगा ? (ख) इसके लिए विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हो तो जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु कृषि पंपों के औपचारिकतापूर्ण 1878 आवेदन लंबित हैं। औपचारिकतापूर्ण लंबित 1,878 कार्यों में से वर्ष 2022-23 के लक्ष्य 630 पंपों में से 479 पंपों के विद्युत लाईन विस्तार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। लक्ष्य में से शेष 151 (630-479) पंपों के कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। अतिशेष 1727 (1878-151) पंपों के कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगामी वर्षों में आवेदनों की वरिष्ठता क्रमानुसार पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं। (ख) वर्ष 2022-23 हेतु रायगढ़ जिले में पंप ऊर्जाकरण हेतु 630 पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रायगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 में कुल 630 नग कृषि पंपों में से 479 कृषि पंपों के कार्यपूर्ण किये गये हैं। शेष 151 पंपों का विद्युतीकरण कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

प्रदेश में वन रक्षक की भर्ती [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 441) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वन रक्षक के कितने पद नवीन भर्ती हेतु स्वीकृत कर विज्ञापन जारी किये गये हैं, कब तक भर्ती पूर्ण कर लिए जाएँगे ? वन मंडलवार रिक्त पदों की जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वित्त विभाग से दिनांक 29.09.2021 को वनरक्षक के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई है। वनमण्डलवार रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में संलग्न है।** समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

रायल्टी पर्ची से राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

9. (क्र. 458) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर चाम्पा जिले में कहां-कहां पर वर्ष 2022 व 2023 में दिनांक 06/02/2023 तक किस-किस एजेंसी को मिट्टी और मुरूम खनन के लिए रायल्टी पर्ची जारी की गई हैं ? उपरोक्त समयावधि में राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जांजगीर-चांपा जिले में मिट्टी/मुरूम के खनन की अनुमति किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को नहीं दी गयी है। अपितु प्रशांथीन अवधि में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 59 के तहत तालाब/खेत के निर्माण/गहरीकरण/समतलीकरण से प्राप्त होने वाली खनिज मिट्टी/मुरूम को विभिन्न व्यक्ति/एजेंसी को अभिवहन पारपत्र के माध्यम से खनिज परिवहन की अनुमति दिया गया है। विस्तृत जानकारी **"संलग्न प्रपत्र"** अनुसार है। जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022 में खनिज मिट्टी/मुरूम के परिवहन से खनिज विभाग को रूपये 01 करोड़ 55 लाख 65 हजार रायल्टी राशि एवं वर्ष 2023 (दिनांक 06.02.2023 तक) रूपये 26 लाख 50 हजार रायल्टी राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

ग्राम पंचायत धनगांव मे सी0सी0 रोड निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति के विपरीत अधिक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाना

[खनिज साधन]

10. (क्र. 490) श्री ननकी राम कंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कोरबा जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनगांव में सी0सी0 रोड निर्माण हेतु जिला खनिज न्यास मद से वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है? **(ख)** क्या यह सही है कि उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति 9.32 लाख रूपये है और प्रशासकीय स्वीकृति 15.00 लाख रूपये दी गई थी, और तीन माह बाद संशोधन आदेश जारी कर 15.00 लाख के स्थान पर 9.32 लाख रूपये किया गया ? यदि हां तो परीक्षण अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य का कार्य आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही उप अभियंता के द्वारा लेआउट दिया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य पहले से निर्मित हो चुका है और बाद में उसे स्वीकृति दी गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। उक्त संबंध में संबंधित परीक्षण अधिकारी को चेतावनी जारी किया गया है। **(ग)** जी नहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोरबा द्वारा उक्त निर्माण का कार्य जारी किया गया है किन्तु उप अभियंता के द्वारा लेआउट नहीं किया गया है तथा स्वीकृति के पहले निर्माण कार्य नहीं किया गया था।

किसानों की कर्ज व सिंचाई कर की माफी

[वित्त]

11. (क्र. 539) श्री अरुण वीरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में पिछले 03 वर्षों में कुल कितने किसानों की कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया है? **(ख)** इसी अवधि में किसानों के सिंचाई कर की कितनी राशि माफ की गई है? इसी अवधि में निजी कंपनियों द्वारा कुल कितने किसानों की अधिग्रहित भूमि वापस की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में पिछले 03 वर्षों में कर्ज माफ नहीं किया गया है। **(ख)** पिछले 03 वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक) में प्रदेश में सिंचाई जल कर की राशि रूपये 64.66 करोड़ किसानों के

हित में माफ की गई है। इसी अवधि में निजी कंपनियों द्वारा कोई भी अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस नहीं की गई है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश भर में दिए गए नल कनेक्शन तथा बजट आबंटन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. (क्र. 558) डॉ. रमन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश में कुल कितने गांवों को स्वच्छ पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए गए हैं? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** इस योजना हेतु, योजना के प्रारंभ से अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि आबंटित की गई है, वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में कुल कितने गांवों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है एवं कुल कितने गांवों में कार्य शेष है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 10938 गांवों में स्वच्छ पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए गए हैं। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** योजना हेतु योजना के प्रारंभ से अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य द्वारा राशि आबंटन की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में कुल 1360 गांवों में नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है एवं कुल 18301 गांवों में कार्य पूर्ण होना शेष है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के सम्बन्ध में जानकारी

[वित्त]

13. (क्र. 580) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार क्या पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के संबंध में छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश की सहमति आवश्यक है ? क्या इस धारा को विलोपित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है ? **(ख)** उपरोक्त 'क' के लिए दोनों राज्यों के मध्य दायित्व-अनुपात कितना है ? क्या इस अनुपात में छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को दिये जाने वाली राशि से काफी अधिक राशि मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए देना पड़ता है ? **(ग)** क्या केन्द्र सरकार के द्वारा धारा 49 के विलोपन के संबंध में कोई निर्देश अथवा आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हाँ तो क्या उसका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 एवं छठी अनुसूची तथा धारा 2(ज) में पेंशन दायित्व का प्रभाजन संबंधी प्रावधान है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केन्द्रीय शासन के अधिनियम में कोई संशोधन/विलोपन केन्द्रीय शासन द्वारा ही किया जा सकता है। **(ख)** मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के धारा 49 सहपठित छठवीं अनुसूची एवं धारा-2(ज) के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य जनसंख्या के अनुपात 485.7:176.2 (74:26) में प्रभाजन होता है। मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 25/202/2000/पी.डब्ल्यू सी/चार दिनांक 30.10.2000 के द्वारा पेंशनरी दायित्वों के विभाजन के संबंध में जारी किये गये निर्देश के अनुसार दिनांक 31.10.2000 तक सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन जनसंख्या के अनुपात अर्थात् 74:26 में किया जायेगा। दिनांक 01.11.2000 अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशनरी दायित्व का विभाजन करने हेतु एकीकृत मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गयी सेवा के लिए पेंशनरी दायित्व का विभाजन जनसंख्या के अनुपात में तथा उसके पश्चात् की गयी सेवा जिस राज्य में की गयी है, उसी पर भारित होगा। अतः किसी प्रकार के अतिरिक्त दायित्व वहन करने की स्थिति निर्मित नहीं होती है। **(ग)** धारा 49 के विलोपन के संबंध में कोई निर्देश अथवा आदेश जारी नहीं किये गये हैं, अतः प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता है।

धमतरी जिले में डी.एम.एफ की प्राप्त राशि व प्रशासकीय स्वीकृति
[खनिज साधन]

14. (क्र. 613) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में 31 मार्च 2019 की वित्तीय वर्ष में डी.एम.एफ की राशि शेष थी ? उक्त तिथि को कितने स्वीकृत कार्यों का भुगतान शेष था ? 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक डी.एम.एफ से कितनी राशि प्राप्त हुई वर्षवार, जानकारी देवें ? उक्त अवधि में कितने कार्यों की कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई ? विधानसभावार कार्यों की संख्या एवं कुल राशि की वर्षवार जानकारी देवें ? **(ख)** 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक डी.एम.एफ की शासी परिषद की बैठक कब-कब हुई ? उक्त बैठक में कितने कार्यों की कितनी राशि की स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया गया था वर्षवार जानकारी देवें ? उक्त अवधि में ऐसे कितने कार्य, कितनी राशि के हैं, जिनका शासी परिषद की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा से कार्य की स्वीकृति जारी की गई थी, वर्षवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हां। धमतरी जिले में 31 मार्च, 2019 की वित्तीय वर्ष में डी.एम.एफ की राशि शेष थी। उक्त तिथि को 15 स्वीकृत कार्यों का भुगतान शेष था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 27.39 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 (30 जनवरी, 2023 तक) 13.55 करोड़ रूपये डी.एम.एफ में प्राप्त हुई। उक्त अवधि में 284 कार्यों की 44.88 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, विधानसभावार स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं राशि की वर्षवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक डी.एम.एफ की शासी परिषद की सम्पन्न बैठकों की तिथि एवं उक्त बैठकों में अनुमोदित कार्यों की संख्या, राशि एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं राशि की वर्षवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

जलजीवन मिशन योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. (क्र. 621) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जलजीवन मिशन योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक पानी टंकी एवं पाईप लाईन विस्तार सहित इस योजना के क्रियान्वयन में किन-किन कार्यों में, कितनी राशि व्यय की गई? कार्य का नाम एवं क्रियान्वयन संस्था, स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी वर्षवार प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : धमतरी जिले में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रू. 4032.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक राशि रू.10012.07 लाख रेट्रोफिटिंग, सिंगल विलेज एवं सोलर आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यय किया गया, जिसमें पानी टंकी एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य में व्यय शामिल है। कार्य का नाम, क्रियान्वयन संस्था, योजना की स्वीकृत राशि एवं योजना में व्यय राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है ।

तेलीबांधा एक्सप्रेस वे तथा उसके सर्विस रोड के लिए त्यजन की गई निजी भूमि के बदले सर्विस रोड पर रास्ता एवं दोगुना एफ.ए.आर. दिया जाना
[आवास एवं पर्यावरण]

16. (क्र. 626) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** तेलीबांधा एक्सप्रेस वे तथा उसके सर्विस रोड के लिए त्यजन की गई निजी भूमि स्वामियों की भूमि के बदले नगर निगम द्वारा कितने भूमि स्वामियों को सर्विस रोड पर रास्ता एवं निर्माण के लिए दोगुना एफ.ए.आर. दिया गया है? **(ख)** शेष निजी भूमि स्वामियों, जिन्होंने भूमि त्यजन किया है, उन्हें रास्ता एवं निर्माण के लिए दोगुना एफ.ए.आर. क्यों नहीं दिया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, तेलीबांधा एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड के लिए निजी भूमि छोड़ने वाले 06 भू-स्वामियों को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर ने भूमि के क्षेत्रफल के दोगुना एफ.ए.आर. तथा सर्विस रोड से आवागमन हेतु रास्ता प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की है। **(ख)** नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त जानकारी

अनुसार, मार्ग में आने वाले प्रभावितों की भूमि का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर द्वारा सीमांकन व चिन्हांकन किये जाने के पश्चात् नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

जल जीवन मिशन इम्पैलमेंट निरस्त किया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. (क्र. 643) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जल जीवन मिशन अंतर्गत कंपनियों के इम्पैलमेंट निरस्त करने का अधिकार नियमों के तहत किसे है? प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संचालक जल जीवन मिशन, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अथवा भार साधक मंत्री में से किसे है? (ख) यदि संचालक, जल जीवन मिशन को नियमों के तहत इम्पैलमेंट निरस्त करने का अधिकार नहीं है तो नियम विरुद्ध निर्णय लेने के लिए संचालक जल जीवन मिशन के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत कंपनियों के इम्पैलमेंट स्वीकृतकर्ता, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (कार्यकारिणी समिति) है, एवं स्वीकृतकर्ता को इम्पैलमेंट निरस्त करने का अधिकार है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर नगर-निगम क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. (क्र. 646) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में जल जीवन मिशन किस तिथि से आरंभ हुआ तथा इसे कब तक पूर्ण करना है? इसमें कितने घरों में नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य था? दिनांक 31.01.2023 तक कितने घरों तक पानी पहुंच पाया है? (ख) जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? कितने कार्य एजेंसी को नोटिस जारी किया गया, कितने कार्यदेश निरस्त किये गये? (ग) इस योजना को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इस कार्य की किस स्तर पर मानीटरिंग की जाती है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में जल जीवन मिशन क्रियान्वित नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा

[सामान्य प्रशासन]

19. (क्र. 827) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 एवं 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कौन-कौन सी परीक्षाएं कब-कब आयोजित की गईं? इनमें से कितनी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए? कितने के परिणाम शेष हैं? शेष परिणाम कब तक घोषित किए जाएंगे? (ख) इन भर्ती परीक्षाओं में कुल कितने लाख परीक्षार्थी शामिल हुए?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2021 एवं 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 34 परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें से कुल 28 परीक्षाओं के परिणाम जारी किये जा चुके हैं, तथा 6 परीक्षाओं के परिणाम जारी किया जाना शेष है। परीक्षा परिणाम हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **विस्तृत जानकारी संलग्न 'प्रपत्र' अनुसार है।** (ख) इन भर्ती परीक्षाओं में कुल 4,94,533 (चार लाख चैरानवे हजार पांच सौ तैंतीस) परीक्षार्थी शामिल हुए हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

महासमुंद जिले में निकल और क्रोमियम धातुओं की खदानों की नीलामी
[खनिज साधन]

20. (क्र. 828) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-महासमुंद जिले में निकल और क्रोमियम धातुओं की खदान किन-किन क्षेत्रों में है? इन खदानों की ऑनलाईन नीलामी कब हुई एवं नीलामी की गई खदानें किस कंपनी ने, किस दर से प्राप्त की?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : महासमुंद जिले में निकल और क्रोमियम धातुओं की कोई खदान वर्तमान में नहीं है। अपितु महासमुंद जिले के केलवारडबरी क्षेत्र में निकल, क्रोमियम एवं एसोसिएटेड पीजीई खनिजों के पूर्वक्षण सह खनिपट्टा (कंपोजिट लायसेंस) हेतु दिनांक 22.12.2022 को संपन्न ई-नीलामी में मेसर्स वेदान्ता लिमिटेड को 4.15 प्रतिशत दर पर प्रीफर्ड बिडर घोषित किया गया है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सौर सुजला योजना के प्राप्त आवेदनों का निराकरण
[ऊर्जा]

21. (क्र. 831) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक सौर सुजला योजना अंतर्गत कितने किसानों से आवेदन प्राप्त हुये है? **(ख)** कितने किसानों को, कितनी राशि का लाभ दिया गया एवं कितने प्रकरण लंबित है? लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी विकासखण्डवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक सौर सुजला योजना अंतर्गत 335 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए है। **(ख)** 227 किसानों को रूपये 7.11626 करोड़ (शब्दों में-सात करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार छह सौ रूपये) की अनुदान राशि का लाभ दिया गया है। कुल 108 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों को सौर सुजला योजना के आगामी चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में शामिल कर कार्यवाही की जावेगी। विकासखण्डवार लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | विकासखण्ड | वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक किसानों से प्राप्त कुल आवेदन | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | स्थापित पम्पों की संख्या | लंबित प्रकरणों की संख्या |
|------------|-----------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | मुंगेली | 271 | 175 | 175 | 96 |
| 2 | पथरिया | 64 | 52 | 52 | 12 |
| योग | | 335 | 227 | 227 | 108 |

बुनकर समितियों को प्रदत्त अनुदान
[ग्रामोद्योग]

22. (क्र. 832) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में दिनांक 31.01.2023 तक कुल कितनी बुनकर समितियां हैं? कितनी समिति क्रियाशील है एवं कितनी समिति अक्रियाशील हैं? वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति में किन-किन बुनकर सहकारी समितियों को शासन द्वारा कितना अनुदान दिया गया तथा इनके मापदण्ड के क्या आधार हैं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : प्रदेश में दिनांक 31.01.2023 तक कुल 386 बुनकर सहकारी समितियां हैं। 331 समिति क्रियाशील एवं 55 समिति अक्रियाशील है। वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में बुनकर समितियों को दिये गये अनुदान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है तथा मापदण्ड के आधार की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

सरकार द्वारा लिया गया ऋण व ब्याज भुगतान
[वित्त]

23. (क्र. 849) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 15 दिसंबर, 2018 तक कुल कितना ऋण प्रदेश सरकार ने लिया था? **(ख)** दिनांक 15 दिसंबर, 2018 के बाद से प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 में 1 फरवरी तक कितना ऋण किन-किन एजेंसियों से लिया है? **(ग)** उक्त ऋण की राशि को किन किन मद, योजनाओं, कार्यक्रम में व्यय किया गया? **(घ)** 15 दिसंबर, 2018 के पश्चात प्रतिवर्ष कितने की ब्याज अदायगी राज्य पर भारित है? सरकार ने उक्त अवधि में कितनी राशि का ब्याज के रूप में भुगतान किया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** महालेखाकार कार्यालय से अनंतिम लेखों की जानकारी मासिक रूप से प्राप्त होती है। 1 नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अवशेष ऋण के रूप में ₹4,686 करोड़ प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात् दिसंबर 2018 तक राज्य शासन द्वारा ₹51,044 करोड़ का कुल ऋण लिया गया था। **(ख)** 1 दिसंबर 2018 से वर्षवार विभिन्न संस्थाओं से लिये गये ऋण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ग)** राज्य शासन द्वारा ऋण सामान्यतः पूंजीगत व्ययों की पूर्ति हेतु लिया जाता है। चूंकि ऋण राज्य के समग्र संसाधनों का भाग होता है एवं ऋण से व्यय हेतु बजट में योजनाओं की One to one mapping नहीं की जाती है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** 1 दिसंबर 2018 से जनवरी 2023 तक प्रतिवर्ष भारित तथा भुगतान की गई ब्याज राशि का विवरण "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

प्रदेश में विद्युत उत्पादन व आपूर्ति
[ऊर्जा]

24. (क्र. 850) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** माह जनवरी, 2023 से 15 फरवरी, 2023 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा उत्पादित तथा उक्त अवधि में अन्य स्रोतों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राप्त विद्युत की मात्रा कितनी थी ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर है? यदि हां तो कितना? इस अंतर को पूरा करने के लिए कितनी बिजली क्रय की जा रही है? **(ग)** प्रदेश में 1 जनवरी, 2021 से प्रतिवर्ष विद्युत क्रय में कितनी राशि व्यय करना पड़ रहा है? क्या पिछले दो वर्षों से प्रदेश में विद्युत कटौती की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** माह जनवरी, 2023 से 15 फरवरी 2023 तक ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी से 2091 मिलियन यूनिट तथा अन्य स्रोतों से 2907 मिलियन यूनिट कुल 4998 मिलियन यूनिट विद्युत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राप्त हुई। **(ख)** जी हां, उत्तरांश "क" में उल्लेखित अवधि में प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग और आपूर्ति में अंतर है। मांग एवं आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिये बिजली क्रय की जानकारी निम्नानुसार है:-

| माह | अधिकतम अनरिस्ट्रीक्टेड मांग (मेगावाट में) | अधिकतम अनरिस्ट्रीक्टेड मांग के समय आपूर्ति (मेगावाट में) | मांग एवं आपूर्ति में अंतर (मेगावाट में) | विद्युत क्रय की मात्रा (मिलियन यूनिट में) |
|----------------|---|--|---|---|
| जनवरी-23 | 5206 | 5172 | 134 | 30.74 |
| 15 फरवरी-23 तक | 5276 | 4978 | 296 | 29.21 |

(ग) प्रदेश में विद्युत क्रय के विरुद्ध वर्ष 2021 में राशि रूपये 13,960 करोड़ 37 लाख एवं वर्ष 2022 में राशि रूपये 15,642 करोड़ 18 लाख व्यय करना पडा। जी नहीं, पिछले दो वर्षों में नियमित विद्युत कटौती नहीं की गई है किन्तु मांग एवं आपूर्ति में अत्यधिक अंतर होने पर पारेषण प्रणाली को सुरक्षित रखने हेतु कभी- कभी उच्चतम मांग की अवधि में थोड़े अंतराल के लिए आकस्मिक विद्युत कटौती की गई है।

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में नलजल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. (क्र. 854) श्री अनूप नाग : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत कुल कितनी नलजल योजना संचालित एवं निर्माणाधीन हैं ? इसमें से कितनी बंद है एवं बंद होने के क्या कारण हैं? (ख) निर्माणाधीन नलजल योजनाओं के कार्य कब तक पूर्ण होंगे ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत कुल 49 नलजल योजना संचालित हैं एवं 16 नलजल योजना जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन है। संचालित योजना में से 09 योजना बंद है, जिसमें से 04 योजना पाईप क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद, 03 सोर्स भर पट जाने के कारण बंद तथा 02 योजना ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत देयक भुगतान नहीं किये जाने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने के कारण बंद है। (ख) निर्माणाधीन नलजल योजनाओं के कार्य को सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में विद्युतीकरण

[ऊर्जा]

26. (क्र. 855) श्री अनूप नाग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत ग्राम हिरनपाल ,मानकोट एवं सरगीकोट में विद्युतीकरण नहीं हो पाने के क्या कारण हैं? (ख) उक्त ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत ग्राम हिरनपाल (सेंसस कोड-448169) ग्राम पंचायत कोतगुड़ तथा ग्राम मानकोट (सेंसस कोड-448175) ग्राम पंचायत मातला-अ का आश्रित ग्राम है। ग्राम हिरनपाल एवं मानकोट का पहुंच मार्ग अत्यंत दुर्गम, वनबाधित एवं ऊंचे पहाड़ पर स्थित होने के कारण उक्त ग्राम ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं हो पाया है। वर्तमान में ग्राम हिरनपाल एवं मानकोट सौर ऊर्जा के गैरपरंपरागत स्त्रोत (ऑफ ग्रिड) के माध्यम से विद्युतीकृत है। ग्राम सरगीकोट (सेंसस कोड-448425) ग्राम पंचायत चारगांव का आश्रित ग्राम है जो कि ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत है। ग्राम सरगीकोट का लाटापारा अत्यंत वनआच्छादित एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सौर ऊर्जा के गैरपरंपरागत स्त्रोत (ऑफ ग्रिड) के माध्यम से विद्युतीकृत है। (ख) उत्तरांश "क" के दोनों ग्रामों हिरनपाल एवं मानकोट तथा सरगीकोट के लाटापारा सौर ऊर्जा के गैरपरंपरागत स्त्रोत (ऑफ ग्रिड) के माध्यम से विद्युतीकृत है। वर्तमान में ऐसे ग्रामों को विद्युत के परंपरागत स्त्रोत (ग्रिड) से विद्युतीकरण की कोई योजना संचालित नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत सिंचाई पम्प कनेक्शन

[ऊर्जा]

27. (क्र. 862) श्री अनूप नाग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति में सिंचाई पम्प हेतु स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन सम्बन्धित कितने आवेदन पत्र निराकरण हेतु लंबित हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवे? कब तक निराकृत किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में सिंचाई पम्पों के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 951 एवं अस्थायी कनेक्शन के निरंक आवेदन लंबित थे। स्थायी/अस्थायी कृषि पम्पों के लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत लाईन के विस्तार कार्य के लिए लंबित 951 नग आवेदनों में से 194 नग आवेदन, वर्ष 2022-23 के लक्ष्य में

शामिल है जिसका विस्तार कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। शेष 757 (951-194) नग पम्पों का विस्तार कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर वरीयता क्रम के अनुसार किये जाने के प्रयास है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस"]

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में वृक्षारोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

28. (क्र. 864) श्री अनूप नाग : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वनमण्डल भानुप्रतापपुर पूर्व एवं वनमण्डल भानुप्रतापपुर पश्चिम अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न मद अन्तर्गत कितने पौधे का कितने हेक्टेयर में रोपण किया गया? कितनी-कितनी लागत व्यय की गई? परिक्षेत्रवार जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

कैम्पा मद में प्राप्त राशि तथा खर्च संबंधित

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

29. (क्र. 885) श्री शिवरतन शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 2021-22 से कैम्पा मद में राज्य सरकार को सत्र 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है? कैम्पा की राशि से विभाग कौन-कौन से कार्य करा सकता है? **(ख)** प्राप्त कैम्पा की राशि अन्य किस-किस मद में खर्च की गयी, जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** 2021-22 से कैम्पा मद में राज्य सरकार को सत्र 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वित्तीय वर्ष | राज्य सरकार के ब्याज धारित लोक खातों में जमा राशि (रू.करोड़) |
|----------------------------|--|
| 2021-22 | 207.50 |
| 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) | 0.00 |

कैम्पा की राशि से विभाग द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 के धारा (6) के तहत अनिवार्य कार्य से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दाण्डिक क्षतिपूर्ति, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान एवं अन्य स्थल विशेष कार्य तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही.) की राशि से वृक्षारोपण, सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य, वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, वन एवं वन्यप्राणी से संबंधित अधोसंरचना विकास, वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन, काष्ठ एवं अन्य वनोत्पाद की बचत हेतु उपकरण इत्यादि कार्य कराये जा सकते हैं। **(ख)** प्राप्त कैम्पा की राशि अन्य किसी भी मद में खर्च नहीं की गई है, अतः जिलावार जानकारी निरंक है।

रायगढ़ जिले में हवाई यात्रा संचालन हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

[विमानन]

30. (क्र. 907) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिला में हवाई यात्रा संचालन हेतु एरो ड्रम/हवाई पट्टी के लिए किस स्थान को चिह्नंकित किया गया है? इस हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी है? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के कितने किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है? कितने लंबित हैं ? लंबित होने के क्या कारण हैं? जानकारी देवे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** रायगढ़ जिला में हवाई यात्रा संचालन हेतु एयरपोर्ट विकास के लिए कोण्डातराई

हवाई पट्टी को चिन्हांकित किया गया था। एयरपोर्ट विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व राज्य शासन के मध्य दिनांक 23.07.2013 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 2015 में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई थी किन्तु भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही होने के कारण भू-अर्जन प्रकरण 2016 में व्यपगत हो जाने से एयरपोर्ट विकास की कार्यवाही बाधित हो गई। (ख) निरंक। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के अंतर्गत कृषि पंपो के लिए लंबित विद्युत कनेक्शन [ऊर्जा]

31. (क्र. 916) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.1.2023 तक कृषि पंपो के लिए विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने को स्थाई/अस्थायी कनेक्शन दिया गया है और कितने आवेदन लंबित हैं, जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नाधीन अवधि में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पंपो के लिए स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 59 एवं अस्थायी हेतु 401 इस प्रकार कुल 460 आवेदन प्राप्त हुए। अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 401 कृषकों को अस्थायी कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 59 आवेदकों में से 13 आवेदकों को कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है एवं शेष 46 (59-13) लंबित में से विद्युत विस्तार कार्य हेतु 28 तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण 18 आवेदन लंबित हैं। वर्ष 2021-22 के लक्ष्य में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुल 41 नग कृषकों का विस्तार कार्य पूर्ण कर कनेक्शन प्रदाय किया गया है। पामगढ़ विधानसभा के औपचारिकतापूर्ण लंबित 28 आवेदन जांजगीर-चांपा जिले हेतु वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य में शामिल नहीं है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की घोषणा का क्रियान्वयन [सामान्य प्रशासन]

32. (क्र. 917) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विगत दो वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु किन- किन निर्माण कार्यों की घोषणा कि गई थी ? घोषणा अनुसार किन-किन कार्यों की स्वीकृति की गयी है व किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : विगत दो वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु की गई निर्माण कार्यों की घोषणाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। उक्त घोषणाओं में स्वीकृत एवं अस्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सोलर उर्जा से पेयजल योजना की स्वीकृति [ऊर्जा]

33. (क्र. 923) श्री धनेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्रेडा विभाग द्वारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक के किस-किस ग्रामों में सौर उर्जा से पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कृपया लागत सहित पूरी जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश " क " के उत्तर में वर्णित ग्रामों में से किस-किस ग्रामों की योजना बंद है तथा क्यों एवं कब तक प्रारंभ की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** क्रेडा विभाग द्वारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31 जनवरी 2023 तक 14 ग्रामों में पेयजल हेतु 21 नग सोलर पंपों की स्थापना की गई है। लागत सहित पूरी जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर में वर्णित 14 ग्रामों में स्थापित सभी 21 नग सोलर ड्यूल पंप पूर्णतः कार्यशील है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

एनपीएस एवं ओपीएस पेंशन योजना की अद्यतन स्थिति [वित्त]

34. (क्र. 932) श्री धरम लाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है, तथा इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं ? क्या प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने इस योजना में प्रावधानों की अस्पष्टता/भ्रांति या अन्य मुद्दों/कमियों को लेकर आवेदन दिए हैं ? यदि हाँ तो उनमें प्रमुख तथ्य क्या थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** दिनांक 10.02.2023 की स्थिति में कितने एनपीएस कर्मचारी और अधिकारी के द्वारा ओपीएस पेंशन योजना के लिए सहमति दी गई है तथा कितने कर्मचारी और अधिकारी द्वारा एनपीएस में बने रहने की सहमति दी गई है और कितने कर्मचारी और अधिकारी द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है? **(ग)** ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित/जीवित रखने हेतु एनपीएस में क्या प्रावधान है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** 1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 के द्वारा दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त राज्य के सभी शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से प्रारंभ की गयी है। 2. पुरानी पेंशन योजना यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए पेंशन, उपदान तथा पेंशन सारांशीकरण का तथा शासकीय सेवक की मृत्यु पर परिवार पेंशन, उपदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। 3. प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी संगठन से इस योजना के प्रावधानों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है:-**(अ)** छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा पुरानी पेंशन योजना/नवीन पेंशन योजना के विकल्प चयन में भ्रांति उत्पन्न होने एवं विकल्प चयन हेतु निर्धारित तिथि में एक माह की वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। **(ब)** छ.ग. शालेय शिक्षक संघ के द्वारा पेंशन के लिए सेवा की गणना कब से की जायेगी इसके प्रावधान स्पष्ट न होने का लेख करते हुए विकल्प भरने की प्रक्रिया स्थगित करने का अनुरोध किया है। 3**(अ)** एवं 3**(ब)** में की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-**(अ)** ओपीएस योजना लागू किये जाने के उपरांत ओपीएस/एनपीएस चयन में आ रही भ्रांतियों के निराकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 6-4/2019/1-8 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन के द्वारा दिनांक 09.02.2023, 13.02.2023 एवं 14.02.2023 को मंत्रालय में एवं 09.02.2023 को विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लिए इन्द्रावती भवन स्थित ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त जिला मुख्यालयों में एवं आवश्यक होने पर जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है वहां उनके कार्यालयों में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य शासन द्वारा वित्त निर्देश 09/2023 के माध्यम से विकल्प भरने की समय-सीमा में वृद्धि कर दिनांक 05.03.2023 निर्धारित किया है। **(ब)** शालेय शिक्षक संघ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें उनके द्वारा सेवा की गणना कब से की जायेगी की अस्पष्टता के संबंध में पेंशन नियम के प्रावधानों में स्पष्ट है कि उनकी सेवा जिस दिनांक से वे शासकीय सेवा में संविलयित हुए हैं उसी दिनांक से उनकी सेवाओं की गणना पेंशन हेतु की जायेगी। **(ख)** दिनांक 10.02.2023 की स्थिति में 857 एनपीएस कर्मचारी और अधिकारी के द्वारा ओपीएस पेंशन योजना के लिए सहमति दी गई है तथा 01 कर्मचारी और अधिकारी द्वारा एनपीएस में बने रहने की सहमति दी गई और 309197 कर्मचारी और अधिकारी द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। **(ग)** ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित/जीवित रखने के संबंध में पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम में खाते अप्रचलित होने संबंधी प्रावधान नहीं है।

उपभोक्ताओं के बिजली बिल में धारित शुल्क [ऊर्जा]

35. (क्र. 934) श्री धरम लाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक विद्युत विभाग द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में किस-किस प्रकार के चार्ज/शुल्क/टैरिफ में कितनी-कितनी वृद्धि कब-कब की गई है और इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** प्रदेश में बिजली बिल पर कितनी यूनिट के लिए निःशुल्क विद्युत कितने

उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है? कंडिका क अवधि में कुल कितनी राशि की छूट उपभोक्ताओं को दी गई है? वर्षवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जनवरी-2021 से दिनांक 31.01.2023 तक बिजली उपभोक्ताओं के विद्युत देयक में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार, फिक्स्ड चार्ज तथा दरों में कमी/वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ तथा वेरियेबल कास्ट एडजस्टमेंट (व्हीसीए) के मद में की गयी वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब तथा विद्युत शुल्क में वृद्धि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। टैरिफ तथा वेरियेबल कास्ट एडजस्टमेंट (व्हीसीए) में वृद्धि होने से जनवरी 2021 (टैरिफ परिवर्तन अगस्त 2021 से लागू) से दिसंबर 2021 तक कुल राजस्व में वृद्धि राशि रूपए 374.05 करोड़, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल राजस्व में वृद्धि राशि रूपए 645.81 करोड़ तथा विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक विद्युत शुल्क के राजस्व में राशि रूपए 117.96 करोड़ की वृद्धि हुई। (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में बिजली बिल पर बी.पी.एल. श्रेणी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषि पम्प उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण खपत पर एवं 3 अश्व शक्ति तक कृषि पम्प को 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से अधिक 5 अश्व शक्ति तक 7500 यूनिट प्रतिवर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाती है। वर्षवार 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की स्थिति में उपभोक्ताओं की संख्या एवं छूट की राशि पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।

उद्योगों में वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट का निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 935) श्री धरम लाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में उद्योगों में वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट के संबंध में क्या नियम/नीति हैं? **(ख)** दिनांक 31/01/2023 की स्थिति में रायपुर व बिलासपुर संभाग के जिलों में किन-किन उद्योग द्वारा कितना वृक्षारोपण किया जाना था, कितना किया गया, कितना जीवित है व कितना किया जाना शेष है तथा किन उद्योगों के द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किया गया है? **(ग)** 2 जनवरी, 2023 के प्रश्न क्रमांक 47 में किन-किन उद्योगों के द्वारा ग्रीन बेल्ट एवं वृक्षारोपण नहीं करने की जानकारी दी गई है, उन पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में वृहद् / मध्यम श्रेणी के उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी की जाने वाली सम्मति में उद्योग के कुल क्षेत्र का न्यूनतम 33 प्रतिशत (एक-तिहाई क्षेत्रफल) क्षेत्र में तथा खदानों में चिन्हित स्थलों पर वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने की शर्त पर दी जाती है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** दिनांक 02 जनवरी 2023 के प्रश्न क्रमांक 47 में उद्योग मेसर्स विकास मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, ग्राम-बरतोरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किये जाने की जानकारी दी गई थी। उक्त उद्योग द्वारा वृक्षारोपण हेतु बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। उद्योग द्वारा शेष वृक्षारोपण की कार्यवाही की जा रही है। अतः इस उद्योग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

37. (क्र. 940) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में ऐसे कई गांव हैं, जो वन भूमि पर बसे हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से गांव बसे हुए हैं ? विवरण दें। **(ख)** कंडिका क में दर्शित वन भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किए जाने का कोई प्रावधान है ? यदि हां तो कब तक परिवर्तन किया जावेगा ? यदि नहीं तो वनवासी ग्रामों के समस्याओं के निराकरण हेतु क्या योजना है बताने की कृपा करेंगे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा निर्मित सड़कें
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

38. (क्र. 945) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 तक वन विभाग द्वारा कहां-कहां कितनी लंबाई की सड़क का निर्माण किस-किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण एवं कितने, किन कारणों से अपूर्ण है अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे? **(ख)** प्रश्न "क" के अनुसार कार्यों में किन-किन कार्यों को लेकर अनियमितता / भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत / जानकारी प्राप्त हुई है व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी 2023 तक वन विभाग द्वारा निम्नानुसार सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है:-

| क्र.वर्ष | योजना का नाम | सड़क की लम्बाई |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 2021-22 (दि. 01.04.2021 से 31.03.2022 तक) | निरंक |
| 2 | दि. 01.04.2022 से 31.01.2023 तक | कैम्पा 13.600 कि.मी |

स्थलवार स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य,पूर्ण/अपूर्ण की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है** । कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। **(ख)** उक्त मार्ग निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतःकार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

सरगुजा जिले में सब स्टेशन निर्माण
[ऊर्जा]

39. (क्र. 949) डॉ. प्रीतम राम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा जिले में जनवरी, 2023 की स्थिति में कितने विद्युत् सब स्टेशन संचालित हैं एवं निर्माण हेतु कितने प्रस्तावित हैं, स्थान के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** कितने सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है कितना लंबित है और कितने पूर्ण हैं कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** सरगुजा जिले में जनवरी 2023 की स्थिति में कुल 32 नग 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन तथा अति उच्चदाब (132/33 के.व्ही.) के 03 नग सब स्टेशन संचालित है एवं 03 नग 33/11 के.व्ही. के नवीन सब स्टेशन तथा 01 नग (400/220/132 के.व्ही.) सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। विद्यमान तथा प्रस्तावित सब स्टेशन की विकासखंडवार, स्थलवार जानकारी क्रमशः **संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख)** उत्तरांश "क" के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्वीकृत सभी 3 सब स्टेशनों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। इनके कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। उत्तरांश "क" के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधीन सरगुजा जिले में वर्तमान में किसी भी नये सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं है, कोई लंबित नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, अतः अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे का प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

जिला सरगुजा में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वृक्षारोपण
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

40. (क्र. 950) डॉ. प्रीतम राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला सरगुजा में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31 जनवरी 2023 की स्थिति में कितने लागत से कितने क्षेत्रफल में कहां-कहाँ पर, वृक्षारोपण किस-किस प्रजाति के वृक्षों का किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | जिला | वित्तीय वर्ष | रोपण स्थल | रोपित क्षेत्रफल (हे.में) | रोपित पौधा संख्या | रोपित प्रजाति | लागत रू.में |
|------|--------|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 01 | | 2021-22 | - | - | - | - | - |
| 02 | सरगुजा | 2022-23 (31 जनवरी 2023 की स्थिति में) | कक्ष क्र. 1845 पोतका, लैंगा परिक्षेत्र | 10.00 | 25000 | सागौन | 4,85,597 |

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के किसानों/उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत सोलर पंप
[ऊर्जा]

41. (क्र. 952) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों/उपभोक्ताओं ने सोलर पंप स्वीकृति हेतु विभाग को आवेदन-पत्र दिये थे? इनमें से कितने उपभोक्ता के लिए सोलर पंप स्वीकृत किये जा चुके हैं? लंबित आवेदन-पत्रों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी, 2023 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के 50 किसानों/ उपभोक्ताओं द्वारा सोलर पंप स्वीकृति हेतु कृषि विभाग के माध्यम से क्रेडा को आवेदन-पत्र दिये गये थे। इनमें से 46 किसानों/उपभोक्ताओं को सोलर पम्प स्वीकृत किया जा चुका है जिसके विरुद्ध 39 सोलर पंप स्थापित किये जा चुके हैं तथा 07 सोलर पंपों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। लंबित 04 आवेदन-पत्रों पर सर्वे कार्य जारी है जिनका निराकरण अप्रैल, 2023 तक कर दिया जावेगा।

निम्न दाब वाले विद्युत लाईन के तारों का संधारण कार्य
[ऊर्जा]

42. (क्र. 953) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विगत 02 वर्षों में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि के निम्न दाब वाले विद्युत लाईन के तारों को बदलने, तारों की क्षमता वृद्धि करने एवं मिडस्पान पोल लगाने आदि का कार्य कहाँ-कहाँ पर किया गया है? किये गये कार्यों का वितरण केन्द्रवार, ग्रामवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि के निम्नदाब वाले विद्युत लाईन के तारों को बदलने का कार्य निरंक, तारों की क्षमता वृद्धि करने के 3.45 किलोमीटर के 07 कार्य एवं 228 स्थानों पर मिडस्पान पोल लगाने के कार्य किये गये हैं। उपरोक्त कार्यों की वितरण केन्द्रवार एवं ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

कोण्डागांव जिले अन्तर्गत सौर सुजला योजना के तहत प्राप्त आवेदन
[ऊर्जा]

43. (क्र. 958) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोण्डागांव जिले अन्तर्गत जनवरी 2021-22से 31 जनवरी, 2023 तक कितनी-कितनी संख्या में सौर सुजला योजना के तहत आवेदन प्राप्त हुए ? कितने-कितने प्रकरणों में कितने क्षमता के पम्प किसानों को प्रदाय किए गए ? माकड़ी व कोण्डागांव विकासखण्ड के हितग्राहियों की वर्षवार, ग्रामवार सूची दी जाए? शेष प्रकरण का ब्यौरा देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार क्या योजना में सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो कितना एवं कनेक्शन हेतु प्रोसेसिंग फीस कितना लिया जाने का प्रावधान है और किसके द्वारा लिया जाता है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत जनवरी 2021-22 से 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त 1237 आवेदन तथा प्रश्नावधि के पूर्व के 1360 आवेदन जिन पर योजना अंतर्गत कार्यवाही प्रश्नावधि में की गई है को जोड़कर कुल 2597 आवेदन सौर सुजला योजना के तहत कृषि विभाग के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2100 प्रकरणों में 03 एच.पी. क्षमता तथा 306 प्रकरणों में 05 एच.पी. क्षमता के कुल 2406 सोलर पम्प किसानों को प्रदाय कर स्थापित किये गये हैं। माकड़ी व कोण्डागांव विकासखण्ड के हितग्राहियों की वर्षवार, ग्रामवार सूची "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ" अनुसार है। शेष लंबित प्रकरणों की संख्या 191 है। लंबित प्रकरणों को सौर सुजला योजना के आगामी चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में शामिल कर कार्यवाही की जावेगी। लंबित प्रकरणों का ब्यौरा "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब" अनुसार है। (ख) जी हां, कंडिका "क" के अनुसार सौर सुजला योजना में सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। हितग्राही द्वारा देय हितग्राही अंशदान तथा सब्सिडी की राशि का वर्गवार तथा क्षमतावार विवरण "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स" अनुसार है। कनेक्शन हेतु रूपये 1/- प्रति वॉट की दर से प्रोसेसिंग फीस लिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार 03 एच. पी. क्षमता के सोलर पंप हेतु रूपये 3000 एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प हेतु रूपये 4800 प्रोसेसिंग फीस लिये जाने का प्रावधान है। सोलर पंप स्थापना हेतु स्थल तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा हितग्राही से प्रोसेसिंग फीस प्राप्त कर क्रेडा में जमा कराया जाता है।

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जन जीवन मिशन योजनान्तर्गत नल कनेक्शन [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

44. (क्र. 961) श्री मोहन मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.01.2023 तक जन जीवन मिशन योजनान्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं की कितने-कितने लागत की किन-किन गावों में स्वीकृति प्रदान की गई? उक्त योजनाओं में कितने-कितने नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? वर्षवार, योजनावार लक्ष्य का ब्यौरा दें। (ख) कंडिका "क" के अनुसार 31 जनवरी 2023 की स्थिति में कितनी योजनाएं पूर्ण हुईं एवं कितनी योजनाएं अपूर्ण हैं? पूर्ण/अपूर्ण योजनाओं में कितने-कितने नल कनेक्शन दिए गए ? वास्तविक स्थिति का ब्यौरा दें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.01.2023 तक जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत 39 रेट्रोफिटिंग 127 एकल ग्राम नलजल योजनाओं हेतु कुल लागत रू. 22339.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, ग्रामवार व लागतवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। उक्त स्वीकृत योजनाओं में कुल 44918 नल कनेक्शन दिये जाने का कार्य लक्षित था वर्षवार लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के अनुसार 31 जनवरी 2023 की स्थिति में कोई भी योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है एवं 166 योजनाएं अपूर्ण है। (अपूर्ण योजनाओं में से 156 प्रगतिरत व 10 योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।) अपूर्ण योजनाओं में 18332 नल कनेक्शन दिये गये हैं, जिसकी जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

परसा कोल ब्लॉक में कोयला खनन की अनुमतियों का रद्द किया जाना [आवास एवं पर्यावरण]

45. (क्र. 964) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने परसा कोल ब्लॉक संचालन हेतु वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत अनुमतियां जारी की हैं, यदि हां तो विस्तृत विवरण दें? (ख) क्या राज्य सरकार विधानसभा में पारित प्रस्ताव कि हसदेव क्षेत्र में कोयला खनन ना हो और अनुमतियों को रद्द किया जाये, के अनुरूप परसा कोल ब्लॉक को जारी अनुमतियां रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां तो यह कब तक रद्द किया जाएगा ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, विस्तृत विवरण दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स राजस्थान राज्य

विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को ग्राम-साल्ही, हरिहरपुर, फतेपुर एवं घाटबर्वा, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) तथा ग्राम-जनार्दनपुर एवं तारा, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में कुल लीज क्षेत्र 1252.447 हेक्टेयर में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति जारी की गई है। **(ख)** छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को सर्वसम्मति से स्वीकृत अशासकीय संकल्प "हसदेव क्षेत्र में सभी कोल ब्लॉक रद्द किये जाये" के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-93/2022/12, दिनांक 19.09.2022 के द्वारा अशासकीय संकल्प अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है।

एच.टी.पी.एस.सी.एस.पी.जी.सी.एल.कोरबा वेस्ट द्वारा सीनोस्फियर का टेंडर विषयक [ऊर्जा]

46. (क्र. 968) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या एच.टी.पी.एस.सी.एस.पी.जी.सी.एल.कोरबा वेस्ट द्वारा सीनोस्फियर का टेंडर SPN NO.CEC/AU&P/HTTPS-KW/W2021/58 निकाला गया था ? यदि हां तो कब और इसका सफल निविदाकार कौन है, नाम बताएं? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार सफल निविदाकार को किन शर्तों पर ठेका दिया गया था ? क्या ठेकेदार ने सभी शर्तों का पालन किया है? **(ग)** दिनांक 31.01.2023 तक क्या ठेकेदार को साइड हैंडओवर करके सीनोस्फियर निकालने का कार्य किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ। हसदेव थर्मल पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा सीनोस्फियर का टेंडर SPN NO.CEC/AU&P/HTTPS-KW/W2021/58 दिनांक 24.12.2021 को निकाला गया था। इसका सफल निविदाकार मेसर्स श्री बांके बिहारी टूडर्स सोनालिया चौक के पास प्रथम तल कामायनी कॉम्प्लेक्स पी.एच. रोड कोरबा है। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार सफल निविदाकार पर अधिरोपित शर्तों का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** हैं। वर्तमान में कार्य प्रक्रियागत हैं। शर्तों के पालन की स्थिति कार्य पूर्णता उपरांत किया जा सकेगा। **(ग)** जी नहीं। ठेकेदार को दिनांक 02.12.2022 को कार्य स्थल हस्तान्तरित किया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करते ही ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रकट करने के फलस्वरूप वर्तमान में सीनोस्फियर संग्रहण का कार्य अवरूद्ध हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

क्रेडा द्वारा सौर सिंचाई पम्प एवं हाई मास्क लाईट क्रय [ऊर्जा]

47. (क्र. 969) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में क्रेडा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2023 तक कुल कितने सौर सिंचाई पम्प व हाई मास्क लाईट का क्रय किस संस्था से, किस दर पर, कुल कितनी राशि का व किस आधार पर किया गया है? इनमें कितने सौर सिंचाई पम्प व हाई मास्क लाईट अनुबंध/क्रय आदेश में दी गई समयावधि के पश्चात् किस संस्था फर्म द्वारा कितने दिनों के उपरांत लगाये गए या प्रदाय किये गए हैं ? विलंब अवधि के लिए क्या कार्यवाही की गई है? दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में कितने सौर सिंचाई पम्प के आवेदन लंबित है? वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने स्थानों पर क्रेडा द्वारा हाई मास्क लाईट स्वीकृत किया गया? स्थान का नाम सहित जानकारी देवें? इनमें से कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण है? यदि अपूर्ण हैं तो क्यों जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में क्रेडा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2023 तक कुल 31613 सौर सिंचाई पम्प व 3095 सोलर हाई मास्क लाईट का क्रय कुल 111 स्थापनाकर्ता इकाईयों (संस्थाओं) से अनुमोदित दरों पर कुल राशि रूपये 1120,34,77,456/- (शब्दों में- ग्यारह सौ बीस करोड़ चौतिस लाख सतत्तर हजार चार सौ छप्पन) की लागत से निविदाओं के आधार पर किया गया है। स्थापनाकर्ता इकाईवार (संस्था) क्रय की जानकारी तथा निविदावार अनुमोदित दरों का विवरण **"संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार** है। इनमें कुल 1052 सौर सिंचाई पम्प व 128 सोलर हाई मास्क लाईट अनुबंध/क्रय आदेश में दी गई समयावधि के पश्चात् 1 से 200 दिवस की विलंब

अवधि से लगाये गए या प्रदाय/स्थापित किये गए है। विलंब अवधि के लिए निविदाओं की नियम व शर्तों के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित कर स्थापनाकर्ता इकाईयों को कार्य का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण **“संलग्न प्रपत्र ब” अनुसार है।** दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में कुल 11912 सौर सिंचाई पम्प के आवेदन लंबित है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | लंबित आवेदनों की संख्या | | रिमार्क |
|------|-------------------------|---|---|
| | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) | |
| 1 | 5125 | 11912 | वित्तीय वर्ष 2021-22 के 5125 लंबित आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में शामिल किया गया है। |

(ख) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 स्थानों पर क्रेडा द्वारा हाई मास्ट लाईट स्वीकृत किया गया है। स्थान के नाम सहित **जानकारी “संलग्न प्रपत्र स” अनुसार है।** इनमें से 09 कार्य पूर्ण तथा 09 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। अपूर्ण कार्यों को दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। अतः शेष प्रश्न उदभुत नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

डीएमएफ फंड के सम्बन्ध में।

[खनिज साधन]

48. (क्र. 972) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 2 वर्षों में डीएमएफ फंड से जारी राशि में से कितनी राशि शासी बोर्ड से स्वीकृति उपरान्त जारी की गई है व कितनी राशि जारी होने के बाद कार्योत्तर स्वीकृति शासी बोर्ड से ली गई है तथा कितनी राशि बिना शासी बोर्ड के स्वीकृति प्राप्त किए जारी की गई है ? जिलेवार जानकारी देंवे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** विगत 02 वर्षों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से जारी राशि में से शासी परिषद से अनुमोदन उपरांत जारी राशि एवं शासी परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति पश्चात जारी राशि की जिलेवार जानकारी **“संलग्न प्रपत्र-अ”** अनुसार है। किसी भी जिले में शासी परिषद के स्वीकृति प्राप्त किए बिना राशि जारी नहीं की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

भू-माफियाओं द्वारा बिना लाईसेंस के प्लॉटिंग पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

49. (क्र. 976) श्री नारायण चंदेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021 - 22 से 15 फरवरी, 2023 तक प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा कहां-कहां एवं कितनी-कितनी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के किए गए अवैध प्लॉटिंग में से कितनी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी ? कितने लोगों पर एफ.आई.आर. की गई है ? **(ग)** क्या अवैध प्लॉटिंग में किसी अधिकारी एवं कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 2, 3 एवं 4 अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 6 एवं 7 अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

कांकेर वन वृत्त के वन मंडलों में लाभांश राशि का उपयोग [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

50. (क्र. 977) श्री नारायण चंदेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या संयुक्त वन प्रबंधन समिति के खाते में जमा लाभांश राशि के उपयोग के संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? यदि हां तो लाभांश राशि का उपयोग किसकी अनुमति पर किन-किन कार्यों में किया जा सकता है ? **(ख)** क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कांकेर वन वृत्त के वनमंडलों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्षेत्र में रोपण हेतु लाभांश राशि से फलदार पौधों का क्रय कर रोपण किया गया है ? यदि हां तो प्रजातिवार क्रय पौधों की संख्या, प्रति पौधावार दर सहित प्रदायकर्ता का नाम बताएं। **(ग)** पौधा खरीदी वन मंडल स्तर पर किया गया अथवा समिति स्तर पर ? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया ? क्या पौधों का भुगतान लंबित है ? यदि हां तो कारण बतावें। **(घ)** खरीदे गये पौधों का रोपण वन क्षेत्र/अन्य क्षेत्र में कहां-कहां किया गया ? स्थलवार रोपित पौधों एवं वर्तमान में जीवित पौधों की जानकारी उपलब्ध करावें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी हाँ । वन प्रबंधन समितियों को प्राप्त कुल लाभांश राशि से निम्नानुसार कार्य कराया जाना प्रावधानित है:- **(अ) आय, रोजगार मूलक कार्य (60 प्रतिशत):-** वनों पर निर्भरता कम करने हेतु आय मूलक गतिविधियाँ - (जैविक खाद उत्पादन, मधु मक्खी पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, हस्तशिल्प कला, चाय बगान एवं अन्य आयमूलक गतिविधियाँ) । **खाद्य प्रसंस्करण** - महुआ लड्डू, मशरूम उत्पादन, सीताफल प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण एवं अन्नू खाद्य प्रसंस्करण । **लघु वनोपज प्रसंस्करण**-ईमली प्रसंस्करण, चिरौंजी प्रसंस्करण, महुआ/गुठली प्रसंस्करण, लाख प्रसंस्करण, सबई रस्सी, दोना पत्त, बांस प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण एवं अन्य लघु वनोपज प्रसंस्करण । वन विकास - स्थानीय फलदार प्रजातियों के बीज संग्रहण एवं बोआई, सीडबाल तैयार करना एवं बोआई, सब्जी बीज खरीदी एवं बोआई तथा औषधी पौधों का रोपण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन । **(ब) अधोसंरचना विकास (10 प्रतिशत):-** गांव में सी.सी.रोड निर्माण, आवागमन सुविधा हेतु रपटा-पुलिया निर्माण, निस्तार हेतु तालाब निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट । **(स) पेयजल सुविधा (10 प्रतिशत):-** हेण्डपंप स्थापना, नल-जल योजना इत्यादि। **(द) सिंचाई विकास(20 प्रतिशत):-** स्टापडेम, उद्वहन सिंचाई(सोलर पंप), डायवर्सन चैनल, एनिकट एवं सिंचाई हेतु नहर नाली निर्माण इत्यादि । समिति की आमसभा में प्रस्ताव पारित होने के उपरांत उचित माध्यम से वन मण्डल में प्राप्त वार्षिक कार्य योजना अभिमत सहित वृत्त कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तथा वृत्त स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त वार्षिक योजना का परीक्षण कर निहित शर्तों के अधीन अनुमोदन कर क्रियान्वयन हेतु वन मण्डल को भेजा जाता है । **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में वन प्रबंधन समिति खाते में जमा लाभांश राशि से पौधा क्रय व रोपण नहीं किया गया है । वर्ष 2021-22 में संबंधित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के प्रस्ताव के आधार पर समिति क्षेत्र में रोपण हेतु लाभांश राशि से नारायणपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं दक्षिण कोंडागांव वन मण्डलों में फलदार पौधा क्रय किया गया है। वन मण्डल/संयुक्त वन प्रबंधन समिति/प्रजातिवार क्रय पौधों की संख्या, प्रति पौधा दर सहित प्रदायकर्ता का विवरण **संलग्न प्रपत्र 'अ' में दर्शित है । (ग)** वर्ष 2021-2022 में समितियों में लाभांश राशि से छ.ग. भण्डार क्रय नियम क्रमांक 4.3.2 के तहत तीन कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर पौधा क्रय किया गया है तत्समय प्रचलित छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.3.3 के अनुसार एक लाख राशि से अधिक सामग्री के लिये लोक विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं बुलाकर पौधा क्रय किया जाना था, परन्तु विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अतः उक्त नियम का उल्लंघन होना पाया गया । क्रय पौधा का भुगतान लंबित नहीं है । **(घ)** दक्षिण कोंडागांव वन मण्डल अंतर्गत वन प्रबंधन समिति स्तर से पौधा क्रय व रोपण कार्य किया गया है जिसका स्थलवार अद्यतन स्थिति में जीवित पौधों का विवरण **संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शित है ।** नारायणपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मण्डल अंतर्गत वन प्रबंधन समिति स्तर से क्रय पौधा हितग्राहियों को वितरण व हितग्राही द्वारा स्वयं पौधा रोपण किया गया है तथा पौधा रोपण हेतु कोई व्यय नहीं किया है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति में जीवित पौधों की गणना नहीं की गई है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस" \]](#)

चंद्रपुर विधानसभा श्रेत्रांतर्गत पानी टंकी निर्माण, पाइप लाइन विस्तार एवं नल कनेक्शन कार्य [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

51. (क्र. 980) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक कुल कितनी पानी टंकी निर्माण पाइप

लाइन विस्तार एवं घरों में नल कनेक्शन हेतु कितने-कितने राशि के कार्य की स्वीकृति मिली है? कार्य व ग्राम वार विवरण दें। (ख) उन स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ है? विवरण दें। (ग) अपूर्ण अथवा अप्रारंभ कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार एवं घरों में नल कनेक्शन हेतु स्वीकृत राशि की कार्य व ग्रामवार विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) उन स्वीकृत कार्यों में 3 कार्य पूर्ण, 91 अपूर्ण एवं 50 कार्य अप्रारंभ है। विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) अपूर्ण अथवा अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करने की संभावित तिथि का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

जिला जांजगीर चाम्पा व सक्ती में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों से की गई राजस्व वसूली [परिवहन]

52. (क्र. 981) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021-2022 से 31.01.2023 तक जिला जांजगीर चाम्पा व सक्ती में परिवहन विभाग द्वारा कितने हल्के एवं व्यवसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है? वर्गीकृत संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार परिवहन विभाग के द्वारा हल्के एवं भारी वाहनों से पंजीयन एवं रोड टैक्स के किन किन स्थानों पर कब कब औचक निरीक्षण किया गया है तथा उनसे कितने राजस्व राशि की वसूली की गई है? स्थान वार जानकारी दें। (ग) क्या कहीं अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण दें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नांकित अवधि में जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में विभाग द्वारा 5898 हल्के एवं 293 व्यावसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है। वर्गीकृत संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- 'ब' अनुसार। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में मीटर रीडिंग व अधिक बिजली बिल संबंधी प्राप्त शिकायतों का निराकरण [ऊर्जा]

53. (क्र. 985) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में मीटर रीडिंग/स्पॉट बिलिंग का कार्य किस-किस एजेंसी/संस्था द्वारा किया जा रहा है, विकासखण्डवार बतायें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार उपरोक्त विद्युत वितरण केन्द्र में 01 जनवरी 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक अधिक विद्युत बिल की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, प्राप्त शिकायतों में कितने का निराकरण किया गया है, कितने लंबित है, विकासखण्डवार बतायें ? (ग) उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत बिल दिये जाने हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है, विकासखण्डवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले एवं सक्ती जिले में मीटर रीडिंग/स्पॉट बिलिंग का कार्य "नवीन मीटर वाचक योजना" के तहत स्वतंत्र मीटर रीडर्स से कराया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में 177 एवं सक्ती जिले में 121 इस प्रकार कुल 298 मीटर रीडर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिलेवार, विकासखण्डवार एवं वितरण केन्द्रवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले एवं सक्ती जिले के विकासखण्डों के विद्युत वितरण केन्द्रों में प्रश्नाधीन अवधि तक अधिक विद्युत बिल की क्रमशः 1,671 एवं 8,368 इस प्रकार कुल 10,039 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है अतएव लंबित शिकायतों की संख्या निरंक है। जिलेवार, विकासखण्डवार एवं वितरण केन्द्रवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत बिल दिये जाने हेतु मीटर रीडर्स जिम्मेदार है। जिला जांजगीर-चांपा में 154 मीटर रीडरों के देयकों में से राशि रूपये 1,03,384/- एवं जिला सक्ती में 114 मीटर रीडरों के देयकों में से राशि रूपये 54,889/- कंपनी के नियमानुसार

कटौती की गयी है तथा जिला जांजगीर चांपा के 3 मीटर रीडर के अनुबंध निरस्त करते हुए कार्य से पृथक किया गया है साथ ही सभी मीटर रीडर को भविष्य में पुनः रीडिंग में लापरवाही होने पर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी गयी है। देयकों से पेनाल्टी राशि कटौती की जिलेवार, विकासखण्डवार एवं वितरण केन्द्रवार विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है** तथा मीटर वाचकों के अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक किये जाने की जानकारी जिलेवार, विकासखण्डवार एवं वितरण केन्द्रवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से करने तथा वेतन निर्धारण विषयक [वित्त]

54. (क्र. 986) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में शासकीय नौकरियों में परिवीक्षा अवधि की सीमा 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष तथा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष क्रमशः 70,80 एवं 90 प्रतिशत वेतन देने का नियम लागू है, यदि हाँ तो कब से लागू है ? परिवीक्षा अवधि एवं वेतन में उक्त संशोधन का क्या कारण है ? **(ख)** क्या प्रश्रंश 'क' के अंतर्गत वेतन में क्रमशः 30, 20 एवं 10 प्रतिशत की 3 वर्षों तक की गयी कटौती की राशि संबंधित अधिकारी /कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके खाता में जमा की जाती है ? यदि नहीं तो उक्त कटौती की गयी राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** हां, यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से लागू है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण शासन के राजस्व प्राप्ति में कमी तथा वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखकर मितव्ययिता एवं वित्तीय संसाधनों में संतुलन स्थापित करने के दृष्टि से उक्त परिवर्तन को लागू किया गया है। **(ख)** परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टापेण्ड के रूप में दिया जाता है तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन में वेतन नियत किये जाने का प्रावधान है। जिससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है, अतः परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर अधिकारी/कर्मचारी की खाते में जमा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रायपुर जिले में सौर सुजला योजना के अंतर्गत प्रदायित कनेक्शन [ऊर्जा]

55. (क्र. 992) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायपुर जिले में सौर सुजला योजना के तहत अप्रैल, 2021 से 15 फ़रवरी 2023 तक कुल कितने किसानों को सोलर पम्प कनेक्शन दिया गया है, एवं इनमे से कितने पम्प चालू हालत में हैं, विकासखंडवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : रायपुर जिले में सौर सुजला योजना के तहत अप्रैल, 2021 से 15 फरवरी, 2023 तक कुल 255 किसानों को सोलर पम्प कनेक्शन दिया गया है जिसमें से 239 पम्प चालू हालत में है। विकासखण्डवार जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है:-

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | स्थापित पम्पों की संख्या | कार्यशील पम्पों की संख्या |
|------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | धरसीवां | 42 | 40 |
| 2 | तिल्दा | 72 | 70 |
| 3 | अभनपुर | 46 | 35 |
| 4 | आरंग | 95 | 94 |
| | योग | 255 | 239 |

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना में निर्मित पानी टंकियां
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. (क्र. 993) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना की कितनी पानी टंकिया संचालित हैं ? इनमें से कितनी उपयोग में है एवं कितनी खराब हैं ? खराब हुई टंकियों को कब तक उपयोग में लाये जाने योग्य बनाया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना की 103 पानी टंकियां संचालित है। सभी 103 पानी टंकियां उपयोग में है एवं कोई भी टंकी खराब नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर जीई रोड का मास्टर प्लान
[आवास एवं पर्यावरण]

57. (क्र. 999) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर में लागू मास्टर प्लान कब बना था व आयुर्वेदिक कॉलेज से रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर मेन गेट तक दोनों तरफ की जमीन मास्टर प्लान में किस मद में दर्ज है ? कब से दर्ज है और क्या इसमें कोई संशोधन भी किया गया था, यदि हां तो कब-कब बतावें ? **(ख)** क्या कंडिका "क" के स्थान पर चौपाटी निर्माण हेतु कोई अनुमति दी गई है, यदि हां तो कब ? क्या चौपाटी निर्माण का कार्य उक्त स्थान पर हुआ है ? यदि हां तो कब, किसकी अनुमति से किस मद से व निर्माण एजेंसी कौन है ? **(ग)** क्या कंडिका "क" के विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसर व शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कॉमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति का प्रावधान है ? यदि नहीं तो बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के कार्य कैसे प्रारंभ हुआ ? क्या विभाग ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां तो क्या क्या ? नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** रायपुर में लागू मास्टर प्लान दिनांक 07.04.2008 से प्रभावशील हुआ था। दोनों तरफ की जमीन मास्टर प्लान में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक मद में वर्ष 2008 से दर्ज है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार यूथ हब-ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है, जो व्यवसायिक नहीं है।

बिंद्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कैम्पा मद से व वन विभाग के अन्य मदों द्वारा कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

58. (क्र. 1004) श्री डमरूधर पुजारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैम्पा मद से व वन विभाग के अन्य मदों से 1 जनवरी 2021 से दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में कुल कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है, इसमें से कितने कार्यों में, कितनी राशि खर्च की गई है और कितनी राशि शेष है ? मदवार बताएं। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के कार्यों में कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैम्पा मद से व वन विभाग के अन्य मदों से 01 जनवरी 2021 से दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में विभिन्न कार्य हेतु प्राप्त राशि व्यय राशि एवं शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. मद | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | शेष राशि (लाख में) |
|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 कैम्पा मद | 3371.38 | 1757.19 | 1612.75 |
| 2 अन्य मद | 2798.38 | 1605.05 | 1190.62 |
| योग:- | 6169.76 | 3362.25 | 2803.37 |

प्राप्त राशि से कराये गये कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।(ख)** प्रश्नांश 'क'के अनुसार पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ कार्यों की संख्या की जानकारी निम्नानुसार है:-

| क्र. | मद | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ |
|------|-----------|-------|--------|----------|
| 1 | कैम्पा मद | 695 | 76 | 19 |
| 2 | अन्य मद | 713 | 404 | 21 |
| | योग:- | 1408 | 480 | 40 |

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावना दर्शाने वाला विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है ।**

बिन्दानवागढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

59. (क्र. 1005) श्री डमरूधर पुजारी : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी नल जल योजना व सामुदायिक जल योजना स्वीकृत, संचालित, पूर्ण, अपूर्ण व बंद हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। **(ख)** सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना कहां पर बनाई जा रही है ? इस योजना के अंतर्गत पानी कहां से प्रदाय किया जाएगा ? क्या उस पानी की जांच कर ली गई है ? यदि हां तो कब ? इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब व कितने राशि की जारी की गई है, कब निविदा हुई है, निर्माणकर्ता एजेंसी कौन है, कितने दिनों में कार्य पूर्ण होना है, कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** बिन्दानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के पूर्व से स्वीकृत, संचालित, पूर्ण, अपूर्ण व बंद नलजल योजनाओं की विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** बिन्दानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत, संचालित, पूर्ण, अपूर्ण व बंद नलजल योजनाओं की विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -ब अनुसार है।** बिन्दानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक जल योजना स्वीकृत नहीं है, अपितु 01 सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत है। **(ख)** सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना सुपेबेड़ा एवं उसके आसपास के 08 ग्राम (सुपेबेड़ा, सेन्दमूड़ा, मोटरापारा, सागौनबाड़ी, खम्हारगुडा, खोखसरा, परेवापाली, थिरलीगुड़ा एवं निष्ठीगुड़ा) की बनाई गई है, जिसमें इंटेकवेल सेन्दमूड़ा घाट एवं जल शुद्धिकरण संयंत्र सुपेबेड़ा में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत तेल नदी से पानी प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। जी हां, पानी की जांच दिनांक 22.11.2019 को की गई है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.08.2021 को राशि रूपये 1034.32 लाख की जारी की गई है। योजना की ऑनलाईन निविदा क्रमांक 132 दिनांक 05.12.2022 को हुई है। निविदा प्रकरण विचाराधीन है। शेषांक प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के क्रियान्वयन संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

60. (क्र. 1016) श्री विद्यारतन भसीन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2018 के जन घोषणा पत्र में प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक/मानसेवी/मानदेय/कलेक्टर दर/श्रमायुक्त दर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित/पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण किए जाने के संबंध में घोषणा की गई है ? यदि हां तो उक्त श्रेणी के कितने कर्मचारी प्रदेश में कार्यरत है ? **(ख)** उनकी नियमितीकरण की कार्यवाही कब कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** नियमितीकरण करने के संबंध में शासन द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** नियमितीकरण के संबंध में विधिवत विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

राजनांदगांव एवं खैरागढ वनमंडल में संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा कृत कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

61. (क्र. 1020) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वर्ष 20201 से 31.1.2023 तक दुर्ग वन वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ वन मंडल में संयुक्त वन प्रबंध समितियों का गठन किया गया है? यदि हां तो किन किन वनपरिक्षेत्र में समिति का गठन किया गया है और कितनी राशि जमा है? जमा राशि से कौन कौन से कार्य किये गये हैं? समिति के नाम सहित व्यय का कार्यवार,राशिवार एवं भुगतान की जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं ।

खैरागढ वनमंडल वन परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव से केम्पा मद से किये गये कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

62. (क्र. 1021) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या खैरागढ वन मंडल, वन परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव के ग्राम कोटनापानी में केम्पा मद से बांध का निर्माण किया गया है? यदि हाँ तो क्या अतिवृष्टि से बांध टूट गया है, बांध के टूटने का क्या कारण है? **(ख)** बांध के पुर्निर्माण के लिए किस किस स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है? किन किन अधिकारी द्वारा उक्त बांध की जाँच या निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में क्या पाया? बांध का कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ख)** "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

63. (क्र. 1023) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना अंतर्गत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में पाइप लाइन विस्तार हेतु कितनी कितनी राशि की स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त राशि के विरुद्ध कितनी कितनी राशि व्यय की गई है ? विकासखंड वार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के तहत कहाँ-कहाँ और कितनी-कितनी राशि के पाइप लाइन विस्तार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? विकास खंड वार जानकारी देवे ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन के तहत नलजल योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रवार पाइप लाइन विस्तार हेतु स्वीकृति जारी नहीं किया जाता है, अपितु ग्रामवार, नलजल योजना वार, प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, जिसमें पाइप लाइन विस्तार कार्य सम्मिलित होता है। विधानसभा क्षेत्रवार आबंटन जारी नहीं होता है, अपितु जिले को जारी राशि आहरण की सीमा में से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध संपादित कार्यों में व्यय किया जाता है। वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी 2023 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइप लाइन विस्तार कार्य की विकासखण्डवार स्वीकृत एवं व्यय राशि **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** कंडिका "क" के पाइप लाइन विस्तार कार्य की राशिवार, पूर्ण एवं अपूर्ण की विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

राजनांदगांव वन मण्डल अंतर्गत निर्माण कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

64. (क्र. 1025) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव वन मण्डल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 15 फरवरी 2023 तक किन-किन मदों में कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी-

कितनी राशि की स्वीकृति की गई है ? परिक्षेत्रवार, वर्ष वार जानकारी देवे ? **(ख)** कंडिका "क" में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं तथा किन-किन कार्यों का सामग्री एवं मजदूरी भुगतान शेष हैं ? परिक्षेत्र वार, वर्ष वार जानकारी देवे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है । **(ख)** कंडिका "क" में स्वीकृत कार्यों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 के कार्य प्रगति पर हैं । प्रगति के अनुरूप श्रमिकों एवं सामग्री का भुगतान किया जा रहा है । भुगतान शेष नहीं है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रेडा विभाग द्वारा किया गया कार्य

[ऊर्जा]

65. (क्र. 1026) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक क्रेडा विभाग द्वारा कहां-कहां पर, कितनी लागत से एवं किस-किस कंपनी द्वारा पानी टंकी सोलर पैनल युक्त का निर्माण कार्य किया जा रहा है ? कितने निर्माण कार्य दिनांक 01/02/2023 तक किस कारण से अधूरे हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक क्रेडा विभाग द्वारा 174 स्थलों पर कुल राशि रू. 20.002 करोड़ (शब्दों में-रूपये बीस करोड़ बीस हजार) की लागत से कुल 09 इकाईयों (कंपनी) के माध्यम से पेयजल हेतु सोलर पंप स्थापना/निर्माण (पानी टंकी सोलर पैनल युक्त) का कार्य किया जा रहा है। स्थलवार **जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है।** दिनांक 01/02/2023 की स्थिति में 21 स्थलों पर सोलर पंप स्थापना/निर्माण का कार्य संयंत्र स्थापना हेतु स्थल अनुपलब्ध होने, पंप स्थापना हेतु उपयुक्त बोरवेल (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु चिन्हांकित) उपलब्ध नहीं होने तथा बोर में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण अधूरे हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" \]](#)

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा कराये गये कार्य

[ऊर्जा]

66. (क्र. 1027) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 01/02/2023 तक किस-किस एजेंसी से प्राप्त कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कराया गया है ? **(ख)** अपूर्ण कार्य एवं निर्माण एजेंसी के नाम सहित जानकारी बताएं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्रेडा विभाग द्वारा पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 01/02/2023 तक कुल राशि रूपये 19 करोड़ 71 लाख 64 हजार रूपये की लागत से 336 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 306 कार्य पूर्ण तथा 30 कार्य अपूर्ण हैं। एजेंसीवार तथा वर्षवार विवरण **"संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है।** **(ख)** अपूर्ण कार्य एवं निर्माण एजेंसी के नाम सहित **जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

जिला बस्तर में चलने वाली राज्य एवं अंतर्राज्यीय यात्री बसों के परिसंचालन में शासकीय नियमों का पालन होना

[परिवहन]

67. (क्र. 1032) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर जिला में इस समय कितने यात्री बसों का परिसंचालन हो रहा है ? कृपया बतावे ? **(ख)** क्या इन यात्री बसों का शासकीय नियमों के

अधीन परिसंचालन होने की जांच की गई है ? यदि हां तो विगत 02 वर्षों में कितने बसों की जांच की गई व इसमें कितनी बसें नियमों के अनुकूल तथा कितने नियमों के विपरीत पायी गयी हैं ? कृपया बतावें ? (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में नियमों के विपरीत पायी गयी कितनी बसों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? कृपया बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर जिला में इस समय 425 यात्री बसों का परिसंचालन हो रहा है। (ख) जी हाँ। विगत 02 वर्षों में 338 बसों की जांच की गई है जिसमें से 173 बसें नियम के अनुकूल एवं 165 बसें नियम के विपरीत पायी गयी है। (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में नियमों के विपरीत पायी गयी 165 यात्री बसों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है

जिला बस्तर अंतर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

68. (क्र. 1033) श्री बघेल लखेश्वर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर अंतर्गत ऐसी कितने शासकीय शैक्षणिक संस्थाएँ व आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है अथवा किन कारणों से बाधित है? (ख) उक्त संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त करने विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही है? (ग) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रतिवर्ष स्वीकृत हेण्डपंप व हेण्डपंप स्थापित की संख्यात्मक जानकारी देंगे?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जिला बस्तर अंतर्गत सभी 2230 शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं 1909 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था है। 2170 शैक्षणिक संस्थाओं एवं 1785 आंगनबाड़ी केन्द्रों में रनिंग वाटर के माध्यम से एवं 60 शैक्षणिक संस्थाओं में तथा 124 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 50 से 100 मीटर के दायरे में हैण्डपंपों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था से पानी की आपूर्ति की जा रही है। (ख) उक्त संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित योजना से नल कनेक्शन दिया जाना है। (ग) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए वर्षवार स्वीकृत हेण्डपंप व स्थापित हेण्डपंप की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

जिला बस्तर अंतर्गत पानी टंकियों का निर्माण [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

69. (क्र. 1035) श्री राजमन बेंजाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक कितने ग्राम पंचायतों में पानी टंकियों का निर्माण किया गया है? विकासखण्डवार बतावें? क्या विकासखण्ड बास्तानार के ग्राम पंचायत कोड़ेनार एवं बास्तानार में पानी टंकी का निर्माण किया गया है ? यदि हाँ तो, इन टंकियों के संचालन नहीं करने का कारण क्या है एवं संचालन कब से प्रारंभ किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 31.01.2023 तक कुल 25 ग्राम पंचायतों में पानी टंकियों का निर्माण किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

| क्र | विकासखण्ड | ग्राम पंचायत की संख्या जहाँ पानी टंकी निर्माण किया गया है |
|------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जगदलपुर | 9 |
| 2 | बस्तर | 7 |
| 3 | बकावण्ड | 6 |
| 4 | दरभा | 3 |
| योग | | 25 |

जी, हॉ! ग्राम बास्तानार की योजना वर्ष 2020-21 से ग्राम पंचायत बास्तानार को हस्तांतरित है, अद्यतन स्थिति में ग्राम पंचायत बास्तानार के पावर पंप खराब होने के कारण योजना एवं टंकी का संचालन नहीं हो रहा है। ग्राम कोड़ेनार की योजना ग्राम पंचायत कोड़ेनार को हस्तांतरित है। योजना के स्रोत की जल आवक क्षमता कम हो जाने के कारण टंकी से जल प्रदाय नहीं हो रहा है। स्रोत में स्थापित पम्प के आस पास सीधे पम्पिंग से जल प्रदाय हो रहा है। स्रोत निर्माण के लिए 01 अतिरिक्त नलकूप खनन किया गया, पर पर्याप्त जल क्षमता प्राप्त नहीं हुई है। उक्त योजनाओं के संचालन की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला बस्तर अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्रदत्त रोजगार
[ग्रामोद्योग]

70. (क्र. 1037) श्री राजमन बेंजाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला बस्तर अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021-2022 से 31.01.2023 तक किन-किन योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया है? हितग्राहियों की जानकारी सहित पंचायतवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

गरियाबंद जिलान्तर्गत विद्युत चोरी के दर्ज प्रकरणों पर कृत कार्यवाही ?
[ऊर्जा]

71. (क्र. 1039) श्री अमितेश शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक विद्युत विभाग द्वारा गरियाबंद जिला के अंतर्गत सघन सतर्कता जांच अभियान अंतर्गत भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के तहत विद्युत चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किए ? (ख) कंडिका "क" के तहत दर्ज प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि जुर्माने के रूप में वसूली की गई ? विस्तृत विवरण दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गरियाबंद जिले अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नाधीन अवधि तक सघन सतर्कता जांच अभियान के द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत 'बिजली की चोरी' के कुल 70 प्रकरण तथा धारा 138 के तहत 'अनुज्ञप्तिधारी की वस्तुओं या संकर्मों में हस्तक्षेप करना' के निरंक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। (ख) उत्तरांश "क" के तहत दर्ज प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध पुलिस थानों में विद्युत चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज की गई तथा स्पेशल कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। सघन सतर्कता जांच अभियान के अंतर्गत राशि रूपए 16,76,988 का डिमांड राशि प्रेषित किया गया एवं राशि रूपए 5,53,301 वसूली की गई। विशेष न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण जुर्माने की राशि निरंक है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

बैंक एवं फाईनेंस कंपनियों को वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया जाना
[परिवहन]

72. (क्र. 1040) श्री अमितेश शुक्ल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022-23 में 31.01.2023 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत कितने-कितने शासकीय अथवा अशासकीय बैंक एवं फाईनेंस कंपनियों को परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापार प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) जारी किया गया है ? (ख) क्या कंडिका "क" के तहत जिन बैंक एवं फाईनेंस कंपनियों को व्यापार प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया गया है, उनके द्वारा भी वाहन क्रय/विक्रय हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? हां, तो क्यों ? तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2022-23 में 31.01.2023 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत 26 शासकीय,

अषासकीय बैंक एवं फायनेंस कंपनियों को परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापार प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) जारी किया गया है। (ख) कंडिका "क" के तहत 11 बैंक एवं फाईनेंस कंपनियों को व्यापार प्रमाण पत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया गया है, उनके द्वारा 155 वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी गई है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 (8) के प्रावधानों के तहत बैंक एवं फाईनेंस कंपनी को ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। अतः जिन 11 बैंक एवं फायनेंस कंपनियों द्वारा 155 वाहनों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी गई है, उनके पंजीयन लंबित रखे गये है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. (क्र. 1043) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड नगरी के कुकरेल क्षेत्र एवं विकासखण्ड मगरलोड के कितने गांवों में पेयजल की समस्या होती है ? उक्त क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड नगरी के कुकरेल क्षेत्र एवं विकासखण्ड मगरलोड के किसी भी ग्राम में पेयजल की समस्या नहीं होती है। उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में बढ़े हुए विद्युत बिल की शिकायतों पर कृत कार्यवाही ।

[ऊर्जा]

74. (क्र. 1045) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में 31.01.2023 तक किस-किस विद्युत वितरण केंद्र में अत्याधिक विद्युत बिल की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा इसका क्या कारण है ? **(ख)** प्रश्नाश "क" अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है, जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक बिजली बिल की वर्ष 2021-2022 में 3,043 एवं वर्ष 2022-2023 में 31.01.2023 तक 1,958 इस प्रकार कुल 5,001 शिकायतें प्राप्त हुईं। त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों की प्राप्त शिकायतों तथा उसके कारणों की वितरण केन्द्रवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 4 से 7 अनुसार है। **(ख)** उत्तरांश "क" अंतर्गत प्राप्त सभी शिकायतें निराकृत कर दी गयी है। शिकायतों पर कृत कार्यवाही का विवरण **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम 8 अनुसार है। गलत विद्युत बिल जारी करने पर कंपनी के नियमानुसार चार मीटर रीडरों के देयकों में से राशि रूपए 2,580 की कटौती की गई है। साथ ही दस मीटर रीडरों को भविष्य में पुनः रीडिंग में लापरवाही करने पर अनुबंध समाप्त होने की चेतावनी दी गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जल आवर्धन योजना के तहत साराडीह बैराज से ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्धीकरण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

75. (क्र. 1050) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल आवर्धन योजना के तहत साराडीह बैराज से पानी लाकर उसे ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्धीकरण कर सारंगढ़ नगर को जलापूर्ति का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? **(ख)** उक्त कार्य की धीमी गति का कारण क्या है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल आवर्धन योजना के

तहत साराडीह बैराज से पानी लाकर उसे ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्धिकरण कर सारंगढ नगर को जलापूर्ति का कार्य पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है।

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण
[आवास एवं पर्यावरण]

76. (क्र. 1189) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि नगर पालिक निगम, धमतरी द्वारा निवेश क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास को नियमित करने संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध/अनियमित/अप्राधिकृत निर्माण को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है ? यदि हां तो कुल कितने अनियमित विकास चिन्हांकित किये गये हैं एवं कितने मकान स्वामियों को नियमितिकरण कराने हेतु नोटिस जारी की गई है? कितने लोगों द्वारा नियमितिकरण हेतु नगर निगम को आवेदन दिया गया ? अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा नियमितिकरण के लिए आवेदन जमा नहीं करने पर क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? क्या नियमितिकरण हेतु आवेदन जमा करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है? यदि हां तो किस दिनांक तक आवेदन जमा किया जा सकता है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां। अनियमित विकास को चिन्हांकित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 650 मकान स्वामियों को नियमितिकरण कराने हेतु नोटिस जारी की गई है। 59 लोगो द्वारा नियमितिकरण हेतु आवेदन नगर निगम में दिया गया है। अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा नियमितिकरण के लिये आवेदन नहीं करने / नियमितिकरण नहीं कराने की स्थिति में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम 2002 में कार्यवाही करने का प्रावधान है। जी हां। 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष तक की अवधि के भीतर नियमितिकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है ।

बिलासपुर नगरनिगम श्रेत्रान्तर्गत मकान / भूमि का नियमितिकरण
[आवास एवं पर्यावरण]

77. (क्र. 1194) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2023 तक मकान / भूमि नियमितिकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? **(ख)** कितने आवेदकों का प्रश्नांश "क" अवधि तक नियमितिकरण हुआ और कितनों का नहीं व क्यों नहीं और कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या समय सीमा निर्धारित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में कुल 544 आवेदन प्राप्त हुए। **(ख)** प्रश्नांश "क" अवधि तक 15 आवेदकों का नियमितिकरण हुआ। 529 आवेदकों का नियमितिकरण नहीं हुआ है। 399 प्रकरणों पर नगर निगम बिलासपुर के इंजीनियरों द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् जिला नियमितिकरण समिति के समक्ष रखा जावेगा। 90 आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है। 40 आवेदकों को डिमांड नोट जारी किया गया, जिसमें से 23 आवेदकों द्वारा भुगतान किया गया। डिमांड नोट की राशि जमा करने के पश्चात् नियमितिकरण की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 990) की जानकारी

प्रपत्र

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | कार्यों की | योजना का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति | | टीप |
|------|-----------|--------------|------------|--|------------------------|--------|-----|
| | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | धरसीवा | पवनी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 2 | धरसीवा | निलजा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 3 | धरसीवा | तरेसर | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 4 | धरसीवा | महुवागांव | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 5 | धरसीवा | मलौद | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 6 | धरसीवा | कुकेरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 7 | धरसीवा | भेरवा | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना | पूर्ण | . | . |
| 8 | धरसीवा | बरतनारा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 9 | धरसीवा | तिवरैया | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 10 | धरसीवा | कपसदा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 11 | धरसीवा | अकोली (मां) | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 12 | धरसीवा | गिधौरी | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 13 | धरसीवा | बरबंदा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 14 | धरसीवा | मटिया | 2 | नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 15 | धरसीवा | लालपुर | 2 | नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 16 | धरसीवा | दौंदेकला | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 17 | धरसीवा | छपोरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 18 | धरसीवा | मांडर | 3 | आवर्धन जलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (योगेन्द्रनगर) | पूर्ण | . | . |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (नेउरडीह) | पूर्ण | . | . |
| 19 | धरसीवा | टेकारी | 2 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (नकटीभाठा) | पूर्ण | . | . |
| 20 | धरसीवा | पिरदा | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना (शुक्लाभाठा) | पूर्ण | . | . |

| क्र. | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | कार्यों की | योजना का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति | | टीप |
|------|-----------|----------------|------------|--|------------------------|--------|----------------|
| | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 21 | धरसीवा | नकटी | 2 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (नयापारा) | पूर्ण | . | . |
| 22 | धरसीवा | तरी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 23 | धरसीवा | जरींदा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 24 | धरसीवा | मंगसा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 25 | धरसीवा | पथरी खुडमुडी | 3 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (खुडमुडी) | पूर्ण | . | . |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (डबरीपारा) | पूर्ण | . | . |
| 26 | धरसीवा | कुरुद/ सिलयारी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 27 | धरसीवा | कुथरेल | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 28 | धरसीवा | रैता | 2 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना (केठवारपारा) | पूर्ण | . | . |
| 29 | धरसीवा | देवरी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 30 | धरसीवा | पंडरभडा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 31 | धरसीवा | मुरी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 32 | धरसीवा | भैसमुडा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 33 | धरसीवा | गोदी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 34 | धरसीवा | मोहदी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 35 | धरसीवा | नगरगांव | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 36 | धरसीवा | टांडा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 37 | धरसीवा | टोर | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 38 | धरसीवा | नेऊरडीह | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 39 | धरसीवा | दोंदेखुद | 2 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| | | | | सोलर पंप पर आधारित योजना | पूर्ण | . | . |
| 40 | धरसीवा | भुरकोनी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 41 | धरसीवा | सांकरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 42 | धरसीवा | गिरौद | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 43 | धरसीवा | कुम्हारी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 44 | धरसीवा | पठारीडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |

| क्र. | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | कार्यों की | योजना का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति | | टीप |
|------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--------|----------------|
| | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 45 | धरसीवा | कन्हैरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 46 | धरसीवा | निमोरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 47 | धरसीवा | बाना | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 48 | धरसीवा | गोमची | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 49 | धरसीवा | बेन्द्री | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 50 | धरसीवा | गुम्मा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 51 | धरसीवा | तेन्दुआ | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 52 | धरसीवा | सकरी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 53 | धरसीवा | तुलसी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 54 | धरसीवा | छेरीखेड़ी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 55 | तिल्दा | पचदेवरी | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना (नयापारा) | पूर्ण | . | . |
| 56 | तिल्दा | पथराकुंडी | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना (नयापारा) | पूर्ण | . | . |
| 57 | तिल्दा | मोतिमपुर खुर्द | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना (नयापारा) | पूर्ण | . | . |
| 58 | तिल्दा | सिर्सी | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 59 | तिल्दा | मांठ | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 60 | तिल्दा | देवगांव | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 61 | तिल्दा | पिकरीडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 62 | तिल्दा | मटियाडीह | 1 | सोलर पंप पर आधारित योजना (नयापारा) | पूर्ण | . | . |
| 63 | तिल्दा | बेल्दारसिवनी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| 64 | तिल्दा | काठिया | 2 | नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 65 | तिल्दा | इल्दा | 2 | आवर्धन जलप्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 66 | तिल्दा | मठी | 2 | नलजल प्रदाय योजना | पूर्ण | . | . |
| | | | | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 67 | तिल्दा | कुम्हारी (नकटी) | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 68 | तिल्दा | परसवानी | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 69 | तिल्दा | भरुवाडीह खुर्द | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 70 | तिल्दा | भरुवाडीह कला | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |

| क्र. | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | कार्यों की | योजना का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति | | टीप |
|------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------|----------------|
| | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 71 | तिल्दा | आलेसुर | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 72 | तिल्दा | छडिया | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 73 | तिल्दा | नहरडीह | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 74 | तिल्दा | बरडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 75 | तिल्दा | केसला | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 76 | तिल्दा | मुड़पार | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 77 | तिल्दा | तिल्दाडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 78 | तिल्दा | मोहरेंगा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 79 | तिल्दा | खौलीडबरी | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 80 | तिल्दा | गैतरा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 81 | तिल्दा | जंजगीरा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 82 | तिल्दा | कोदवा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 83 | तिल्दा | बरतोरी (को) | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 84 | तिल्दा | सोनतरा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 85 | तिल्दा | अमली तालाब | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 86 | तिल्दा | धनसुली | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 87 | तिल्दा | कुरा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 88 | तिल्दा | बंगोली | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 89 | तिल्दा | गनियारी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 90 | तिल्दा | अइसेना | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 91 | तिल्दा | बिठिया | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 92 | तिल्दा | तुलसी (अ) | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 93 | तिल्दा | सुंदरा | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 94 | तिल्दा | बुडेनी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 95 | तिल्दा | भइहा | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 96 | तिल्दा | बुइगहन | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 97 | तिल्दा | नवागांव | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 98 | तिल्दा | केवराडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 99 | तिल्दा | कनकी | 1 | रेक्ट्रोफिटिंग नलजलप्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| 100 | तिल्दा | भेजरीडीह | 1 | एकलग्राम नलजल प्रदाय योजना | . | अपूर्ण | कार्य प्रगतिरत |
| कुल | | | 113 | | 43 | 70 | |



अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क-978) की जानकारी

"प्रपत्र"

| क्र. | उत्खननपट्टाधारी/भण्डारण अनुज्ञापतिधारी का नाम व पता | खदान/क़ेशर ग्राम का नाम | तहसील | विकासखण्ड का नाम | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | अवधि दिनांक | रिमार्क |
|------|--|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री लोकेश चन्द्रा निवासी ग्राम नगझर, तहसील मालखरौदा, जिला सक्ती, (पूर्व जिला जांजगीर-चांपा) छ0ग0 | नगझर | मालखरौदा | मालखरौदा | 164 | 1.538 | 24.03.2006 से 23.03.2036 | उत्खननपट्टा खदान/लीज क्षेत्र के भीतर क़ेशर संचालित है। |
| 2 | श्रीमति सरिता अग्रवाल, पति श्री नटवर अग्रवाल, निवासी ग्राम व तहसील खरसिया, जिला रायगढ़, छ0ग0 | सुखदा | डभरा | डभरा | 1205/2 | 0.242 | 28.03.2018 से 27.03.2023 | भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर क़ेशर संचालित है। |
| 3 | श्री राजकुमार अग्रवाल, आ0 श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, निवासी ग्राम सिरियागढ़, तह0 डभरा, जिला सक्ती (पूर्व जिला जांजगीर चांपा) छ0ग0 | खोंधर | डभरा | डभरा | 1157/1, 1156/1, एवं अन्य | 1.255 | 18.03.2022 से 17.03.2032 | भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर क़ेशर संचालित है। |
| 4 | बाबा परमहंस ग्रामोद्योग प्रो0 श्री बजरंग अग्रवाल, निवासी ग्राम व तहसील खरसिया, जिला रायगढ़, छ0ग0 | कानाकोट | डभरा | डभरा | 393/2 | 0.546 | 19.06.2018 से 18.06.2023 | भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर क़ेशर संचालित है। |
| 5 | मे0 कनिष्कराज स्टोन क़ेशर, प्रो0 श्री यशवंत कुमार चन्द्रा, निवासी ग्राम कवलाझर, तहसील डभरा, जिला सक्ती, (पूर्व जिला जांजगीर चांपा), छ0ग0 | कुसुमझर | डभरा | डभरा | 23, 9/5/9502, 10 | 0.858 | 22.06.2021 से 21.06.2031 | भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर क़ेशर संचालित है। |
| 6 | मेसर्स श्री बजरंग मिनरल्स, प्रो0 श्री दीपक अग्रवाल, निवासी ग्राम व तहसील, जिला रायगढ़, छ0ग0 | कटौद | डभरा | डभरा | 1661/4, 1661/5, 1661/6, 1661/11 | 0.211 | 17.12.2021 से 16.12.2031 | भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर क़ेशर संचालित है। |



 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

परोशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 947) की जानकारी

प्रपत्र

| स. क्र. | वाहन क्रमांक | वाहन का प्रकार | | निरीक्षण दिनांक | निरीक्षण स्थान | प्राप्त शमन शुल्क |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | हल्का वाहन | व्यावसायिक भारी वाहन | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक | | | | | | |
| 1 | UP64AT2448 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 2 | UP70CT7300 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 3 | DL1GC4327 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 4 | UP64BT1639 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 5 | UP62BT1621 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 6 | UP62AT0001 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 7 | UP62AT4141 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 8 | RJ47GA1976 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 9 | UP73A7171 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 10 | UP70HT0255 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 11 | UP64AT4562 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 12 | MP17HH3341 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 13 | HR55W9862 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 14 | UP64AT5231 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 15 | UP64AT2959 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 16 | UP63AT2072 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 17 | UP64H9572 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 18 | UP50AT1083 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 19 | RJ17GA7789 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 20 | RJ02GB8073 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 21 | RJ02GB5100 | | HGV | 03.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 22 | NL01AD2346 | | HGV | 04.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 23 | NL01AC1697 | | HGV | 04.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 24 | NL01AB3290 | | HGV | 04.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 25 | UP70FT8535 | | HGV | 04.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 26 | NL01AE1425 | | HGV | 07.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 27 | NL01N5645 | | HGV | 09.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 28 | RJ02GB6459 | | HGV | 10.04.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 29 | UP78FN3518 | | HGV | 02.05.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 30 | UP63AT8058 | | HGV | 04.08.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 31 | PB12Y9389 | | HGV | 17.08.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 32 | UP67T9804 | | HGV | 02.09.2021 | सरगुजा | 2500 |




अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
संस्कृत मठानली भवन नया रायपुर

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|------------|--------|------|
| 33 | RJ47GA2622 | | HGV | 02.09.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 34 | UP63AT7103 | | HGV | 03.09.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 35 | UP63T3032 | | HGV | 03.09.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 36 | UP70DT3183 | | HGV | 04.09.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 37 | BR06GC9281 | | HGV | 06.09.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 38 | BR24GB2171 | | HGV | 06.09.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 39 | UP73A6636 | | HGV | 08.09.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 40 | UP63AT2414 | | HGV | 01.10.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 41 | WB57C6625 | | HGV | 02.10.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 42 | HR38Z8300 | | HGV | 02.10.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 43 | RJ06GC3778 | | HGV | 03.10.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 44 | OD09K0051 | | HGV | 05.10.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 45 | UP63AT5770 | | HGV | 10.10.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 46 | OD09Q5349 | | HGV | 20.10.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 47 | HR63B3912 | | HGV | 20.10.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 48 | BR24GA9220 | | HGV | 01.11.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 49 | UP78FT6929 | | HGV | 01.11.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 50 | UP66T1334 | | HGV | 02.11.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 51 | UP62BT4894 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 52 | UP53FT1427 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 53 | OD14X5807 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 54 | OD14X5835 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 55 | OD14X5870 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 56 | OD14X5819 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 57 | UP64AT3384 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 58 | UP64AT3528 | | HGV | 01.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 59 | PB65AV9889 | | HGV | 02.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 60 | NL01N7938 | | HGV | 02.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 61 | UP37TK5929 | | HGV | 02.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 62 | PB65AM9437 | | HGV | 03.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 63 | OD15F3594 | | HGV | 03.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 64 | KA39C2615 | | HGV | 03.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 65 | UP64AT3557 | | HGV | 04.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 66 | HR38X6410 | | HGV | 05.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 67 | WB57D1625 | | HGV | 05.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 68 | UP54T7189 | | HGV | 06.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 69 | BR24GV2725 | | HGV | 06.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 70 | UP67AT0926 | | HGV | 06.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 71 | PB13AF8885 | | HGV | 06.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 72 | BR01GC3156 | | HGV | 07.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 73 | NL01G6239 | | HGV | 07.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 74 | BR01GV9247 | | HGV | 09.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 75 | UP14HT8161 | | HGV | 09.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 76 | WB57D3526 | | HGV | 09.12.2021 | सरगुजा | 2500 |

अनुभाग अधिकारी
जनितन विभाग

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|------------|--------|--------|
| 77 | AP04TW3388 | | HGV | 10.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 78 | AP39TA8499 | | HGV | 10.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 79 | UP64AT6460 | | HGV | 10.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 80 | RJ47GA2691 | | HGV | 10.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 81 | PB02DA8099 | | HGV | 11.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 82 | NL01D7115 | | HGV | 11.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 83 | BR10GV7576 | | HGV | 11.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 84 | WB11C6973 | | HGV | 15.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 85 | BR53G1612 | | HGV | 16.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 86 | UP78FM7620 | | HGV | 16.12.2021 | सरगुजा | 2000 |
| 87 | UP70AT0270 | | HGV | 17.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 88 | JH02AB0808 | | HGV | 18.12.2021 | सरगुजा | 2500 |
| 89 | RJ02GB4795 | | HGV | 19.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 90 | RJ02GB5073 | | HGV | 19.12.2021 | सरगुजा | 3000 |
| 91 | UP67T3512 | | HGV | 01.02.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 92 | UP42AT5632 | | HGV | 02.02.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 93 | UP70K8257 | | HGV | 02.02.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 94 | UP67AT0505 | | HGV | 02.02.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 95 | UP65GT8495 | | HGV | 02.02.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 96 | UP63AT4758 | | HGV | 02.02.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 97 | NL01AA7277 | | HGV | 04.02.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 98 | RJ29GA9378 | | HGV | 06.02.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 99 | MP09HH2533 | | HGV | 07.02.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 100 | OD04Q7547 | | HGV | 07.02.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 101 | OD16J4955 | | HGV | 09.02.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 102 | UP32QN0669 | | HGV | 02.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 103 | UP65FT6531 | | HGV | 03.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 104 | UP65GT8448 | | HGV | 03.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 105 | PB05AG1939 | | HGV | 04.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 106 | BR26GA8209 | | HGV | 04.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 107 | UP82T6315 | | HGV | 05.03.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 108 | PB02DL8245 | | HGV | 05.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 109 | UP64AT3864 | | HGV | 05.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 110 | MP09HG9295 | | HGV | 06.03.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 111 | AP39UL1292 | | HGV | 07.03.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 112 | UP33AT7554 | | HGV | 07.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 113 | AP07TM8089 | | HGV | 07.03.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 114 | UP65HT9381 | | HGV | 09.03.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 115 | OD18E5588 | | HGV | 09.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 116 | OD18D7688 | | HGV | 09.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 117 | UP65GT8495 | | HGV | 09.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 118 | OD15J7854 | | HGV | 16.03.2022 | सरगुजा | 3000 |
| योग | | | | | | 298000 |


अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग

| दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| स. क्र. | वाहन क्रमांक | वाहन का प्रकार | | निरीक्षण दिनांक | निरीक्षण स्थान | प्राप्त शमन शुल्क |
| | | हल्का वाहन | व्यावसायिक भारी वाहन | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | UP64AT3286 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 2 | UP78DN5349 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 3 | HR63D2399 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 4 | UP63AT2363 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 5 | UP76K8785 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 6 | UP76K7904 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 7 | RJ06GC8361 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 8 | UP64AT3411 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 9 | RJ02GB5874 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 10 | UP61AT1773 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 11 | RJ26GA4133 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 12 | RJ02GB9063 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 13 | RJ02GB9056 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 14 | UP72T8680 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 15 | AP05TN2979 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 16 | PB65BA4017 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 17 | UP14JT5331 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 18 | RJ29GA9598 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 19 | RJ29GA9599 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 20 | WB41J7568 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 21 | UP52AT2846 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 22 | UP74AT7644 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 23 | UP64AT2413 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 24 | UP70GT9675 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 25 | HR55AE8537 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 26 | NL01AE3323 | | HGV | 01.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 27 | HR38S0552 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 28 | BR01GG9316 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 29 | RJ47GA1247 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 30 | RJ74A0833 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 31 | AP21AZ4239 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 32 | UP50GT1551 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 33 | BR25G9650 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 34 | BR01GC0763 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 35 | BR24GB4826 | | HGV | 02.04.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 36 | BR24GA9447 | | HGV | 03.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 37 | UP53TT0706 | | HGV | 03.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 38 | BR24GB0090 | | HGV | 03.04.2022 | सरगुजा | 2500 |


| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|------------|--------|------|
| 39 | JH03V4760 | | HGV | 03.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 40 | BR04GA9386 | | HGV | 03.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 41 | MH40BG4461 | | HGV | 04.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 42 | UP65GT1212 | | HGV | 04.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 43 | NL01G2765 | | HGV | 04.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 44 | RJ02GB8073 | | HGV | 04.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 45 | UP64AT4031 | | HGV | 04.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 46 | RJ09GC5925 | | HGV | 05.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 47 | UP67AT1328 | | HGV | 06.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 48 | UP70GT9381 | | HGV | 07.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 49 | RJ06GC9043 | | HGV | 07.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 50 | RJ06GC9046 | | HGV | 07.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 51 | UP53ET7311 | | HGV | 07.04.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 52 | UP76K7791 | | HGV | 19.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 53 | BR29GA7103 | | HGV | 20.04.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 54 | UP64AT4084 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 55 | UP70ET4492 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 56 | UP64AT2658 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 57 | UP64BT5556 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 58 | UP63T5231 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 59 | UP64BT4595 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 60 | UP64AT8433 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 61 | UP64AT8432 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 62 | UP64T1100 | | HGV | 01.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 63 | PB11CF9437 | | HGV | 02.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 64 | TN52H5874 | | HGV | 02.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 65 | GJ18AZ4687 | | HGV | 02.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 66 | UP65GT6397 | | HGV | 02.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 67 | JH03X0174 | | HGV | 02.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 68 | RJ02GB5747 | | HGV | 03.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 69 | RJ14GG2130 | | HGV | 03.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 70 | UP54T95320 | | HGV | 04.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 71 | UP53ET3147 | | HGV | 04.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 72 | UP70FT4374 | | HGV | 04.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 73 | UP61AT0077 | | HGV | 04.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 74 | UP70FT9592 | | HGV | 05.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 75 | UP53ET7424 | | HGV | 05.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 76 | UP66T3891 | | HGV | 05.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 77 | AP39UD2299 | | HGV | 06.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 78 | UP62BT2155 | | HGV | 08.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 79 | UP84T6367 | | HGV | 08.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 80 | PB04V9824 | | HGV | 09.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 81 | UP70FT9758 | | HGV | 11.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 82 | BR26GA8972 | | HGV | 11.05.2022 | सरगुजा | 2500 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|------------|--------|------|
| 83 | UP67AT0784 | | HGV | 12.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 84 | UP61AT1439 | | HGV | 13.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 85 | UP65GT2899 | | HGV | 13.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 86 | UP73A6701 | | HGV | 13.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 87 | HR39E5672 | | HGV | 13.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 88 | AP16TF5976 | | HGV | 16.05.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 89 | UP61AT4786 | | HGV | 17.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 90 | UP82AT1134 | | HGV | 18.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 91 | PB11CM8972 | | HGV | 18.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 92 | UP61AT1773 | | HGV | 18.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 93 | UP61AT1674 | | HGV | 19.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 94 | UP50BT7277 | | HGV | 19.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 95 | UP72AT0775 | | HGV | 19.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 96 | RJ0GC9046 | | HGV | 22.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 97 | UP61AT0834 | | HGV | 22.05.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 98 | UP72AT3075 | | HGV | 24.05.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 99 | HR47D5601 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 100 | UP53ET3044 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 101 | TN52K9177 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 102 | UP67T8383 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 103 | AP02TA5279 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 104 | TN28AK4675 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 105 | RJ01GC0721 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 106 | RJ02GB7765 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 107 | HR55V7482 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 108 | AP39TR6696 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 109 | AP39TR3435 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 110 | HR46C6525 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 111 | RJ02GB2512 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 112 | UP14GT9404 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 113 | BR09GA8353 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 114 | BR26GA5251 | | HGV | 01.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 115 | AP16TF3767 | | HGV | 02.06.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 116 | BR09GA6179 | | HGV | 02.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 117 | UP52T6689 | | HGV | 02.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 118 | AP39V5544 | | HGV | 02.06.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 119 | PB10GX8494 | | HGV | 02.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 120 | MP19HA4014 | | HGV | 03.06.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 121 | UP50CT7575 | | HGV | 03.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 122 | GJ12BW3817 | | HGV | 03.06.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 123 | UP64AT3881 | | HGV | 04.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 124 | UP61AT3981 | | HGV | 05.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 125 | JH10CG5383 | | HGV | 07.06.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 126 | TN28BC1413 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2500 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|------------|--------|------|
| 127 | MH40Y1614 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 128 | BR01GH1955 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 129 | UP64AT3777 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 130 | UP64AT3977 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 131 | JH09AL1399 | | HGV | 01.07.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 132 | UP65GT1011 | | HGV | 02.07.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 133 | UP50BT5455 | | HGV | 02.07.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 134 | NL01AD2999 | | HGV | 04.07.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 135 | AP26TD5119 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 136 | TN28BN1428 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 137 | BR02BA2216 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 138 | BR01GF6431 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 139 | UP64AT3384 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 140 | MP65H1480 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 141 | AP39UF5955 | | HGV | 01.08.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 142 | HP694645 | | HGV | 03.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 143 | UP82T3774 | | HGV | 04.08.2022 | सरगुजा | 2000 |
| 144 | UP78GT5298 | | HGV | 06.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 145 | UP64BT2494 | | HGV | 06.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 146 | NL01AE9365 | | HGV | 07.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 147 | UP51AT5118 | | HGV | 07.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 148 | RJ14GJ3521 | | HGV | 07.08.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 149 | RJ52GA8115 | | HGV | 03.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 150 | RJ52GA7665 | | HGV | 03.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 151 | BR03GA4256 | | HGV | 03.09.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 152 | RJ09JC7803 | | HGV | 03.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 153 | OD16K3999 | | HGV | 05.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 154 | TN88E6954 | | HGV | 06.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 155 | UP33AT6306 | | HGV | 07.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 156 | MH40CD7779 | | HGV | 09.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 157 | NL01AF6715 | | HGV | 09.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 158 | RJ02GB4985 | | HGV | 09.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 159 | JH10CK1508 | | HGV | 09.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 160 | UP78GT0266 | | HGV | 13.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 161 | UP70GT1269 | | HGV | 13.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 162 | BR060802 | | HGV | 16.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 163 | HR63D5434 | | HGV | 18.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 164 | NL01AF5205 | | HGV | 26.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 165 | RJ47GA4744 | | HGV | 26.09.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 166 | NL01AA4880 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 167 | RJ14GE1456 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 168 | UP70KT5855 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 169 | HR63C9638 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 170 | RJ29GB0038 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|-----|------------|--------|------|
| 171 | NL01AA4879 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 172 | UP65BT4060 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 173 | UP645BT4112 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 174 | RJ02GC1744 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 175 | RJ02GB4703 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 176 | OD14G5531 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 177 | TN88H5991 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 178 | GJ12AZ4971 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 179 | PB11BN6545 | | HGV | 01.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 180 | UP64AT9963 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 181 | UP64AT9961 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 182 | NL01AE9745 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 183 | RJ02GB5873 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 184 | RJ02GC1711 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 185 | RJ02GB7401 | | HGV | 02.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 186 | UP64AT9964 | | HGV | 03.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 187 | PB08EK1437 | | HGV | 03.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 188 | RJ02GB9056 | | HGV | 03.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 189 | RJ29GA9588 | | HGV | 04.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 190 | UP64BT4836 | | HGV | 06.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 191 | MH37T5567 | | HGV | 08.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 192 | UP53AT7243 | | HGV | 09.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 193 | MH40CT7037 | | HGV | 09.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 194 | BR26GA4444 | | HGV | 12.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 195 | UP15ET2174 | | HGV | 14.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 196 | TN38CC0812 | | HGV | 15.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 197 | HR64A0081 | | HGV | 19.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 198 | PB13AA9945 | | HGV | 20.10.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 199 | UP70KT4644 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 200 | HR46E0539 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 201 | HR63C5323 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 202 | NL01AA4878 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 203 | HR63C2673 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 204 | UP64BT1211 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 205 | UP67AT12199 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 206 | UP64BT5013 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 207 | OD09V4797 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 208 | UP53ET7242 | | HGV | 01.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 209 | UP51AT5118 | | HGV | 02.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 210 | UP78DN0051 | | HGV | 02.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 211 | UP64AT9967 | | HGV | 02.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 212 | RJ42GA4737 | | HGV | 03.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 213 | UP65HT7164 | | HGV | 03.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 214 | UP78DN9246 | | HGV | 03.11.2022 | सरगुजा | 3000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|-----|------------|--------|--------|
| 215 | UP64BT4115 | | HGV | 03.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 216 | RJ02GB25728 | | HGV | 05.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 217 | HR63C5999 | | HGV | 08.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 218 | NL01AF5139 | | HGV | 10.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 219 | UP61BT0681 | | HGV | 14.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 220 | JH095C1253 | | HGV | 17.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 221 | TN28BB7039 | | HGV | 17.11.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 222 | UP54AT7911 | | HGV | 01.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 223 | UP64AT1321 | | HGV | 01.12.2022 | सरगुजा | 2500 |
| 224 | RJ02GB9938 | | HGV | 01.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 225 | UP53ET2831 | | HGV | 01.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 226 | RJ02GB9063 | | HGV | 01.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 227 | BR06G0802 | | HGV | 05.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 228 | OD16K8499 | | HGV | 07.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 229 | NL01AG2514 | | HGV | 12.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 230 | PB06AK9932 | | HGV | 17.12.2022 | सरगुजा | 3000 |
| 231 | PB23T4055 | | HGV | 01.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 232 | RJ32GB5092 | | HGV | 01.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 233 | PB23B8892 | | HGV | 01.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 234 | UP64BT4113 | | HGV | 02.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 235 | UP62Bt7849 | | HGV | 02.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 236 | RJ02GB9061 | | HGV | 03.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 237 | UP63BT2610 | | HGV | 03.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 238 | UP25CT7429 | | HGV | 04.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 239 | RJ05GB7308 | | HGV | 05.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 240 | HR55AN6069 | | HGV | 08.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 241 | HR55AN6830 | | HGV | 08.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 242 | HR39E3025 | | HGV | 08.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 243 | MH40BF3070 | | HGV | 11.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 244 | MH40CD8877 | | HGV | 11.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 245 | HR39E4789 | | HGV | 15.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 246 | RJ02GC7836 | | HGV | 18.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| 247 | UP78HN5314 | | HGV | 18.01.2023 | सरगुजा | 3000 |
| योग | | | | | | 678000 |


 अनुभाम अधिकारी
 परिवहन विभाग
 तालय, महानदी भवन नया रायपुर

परीशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 989) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

| क. | पट्टेदार का नाम व पता | तहसील | गाम | खसरा नंबर | रकबा (हे० में) | स्वीकृत अवधि |
|----|--|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री आशीष कुमार अग्रवाल आत्मज श्री मामचंद अग्रवाल निवासी अग्रसेन नगर, वार्ड कमांक 03, अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा | बलौदाबाजार | सिरियाडीह | 1472 | 5.000 | 18.02.2020 से 17.02.2023 |
| 02 | श्री अमित जैन पिता एम.के. जैन निवासी वार्ड नंबर 40/2 गुप्ता गली मन्नु चौक टिकरापारा बिलासपुर | पलारी | मलपुरी | 502 | 4.000 | 20.8.2020 से 19.8.2023 |
| 03 | श्री ज्ञानदास महंत पिता श्री मिलकु दास महंत निवासी शिवाजी मार्ग कोतवाली बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) | पलारी | मोहान | 293 | 4.900 | 2.6.2020 से 1.6.2023 |
| 04 | श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री रामेश्वर पाण्डेय निवासी वार्ड नगर-19 वृन्दा नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग | पलारी | दतरेंगी | 1512 | 4.900 | 15.06.2020 से 14.06.2023 |
| 05 | श्री टीकम चंद साहू आ. श्री खीकराम साहू निवासी वार्ड नंबर-4 ग्राम छिब्वर्रा भिथोडीह जिला महासमुंद | पलारी | दतान (ख) | 1190 | 4.900 | 25.02.2021 से 24.02.2024 |
| 06 | श्री अभिजीत रोहरा पिता श्री चंद्रपाल रोहरा निवासी मिशन हास्टिपटल रोड, रोहरा ऑटो एजेन्सी के पास जुनीलिन बिलासपुर | पलारी | बम्हनी | 654 | 4.900 | 30.05.2020 से 29.05.2023 |
| 07 | श्री कान्हा कुमार आ. श्री भगवती प्रसाद गुप्ता निवासी बेलतरा तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर | कसडोल | पुटपुरा | 01 का भाग | 4.800 | 05.02.2021 से 04.02.2023 |
| 08 | श्री कान्हा कुमार आ. श्री भगवती प्रसाद गुप्ता निवासी बेलतरा तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर | कसडोल | पैरागुडा | 01 का भाग | 4.900 | 27.05.2020 से 26.5.2023 |
| 09 | मोहम्मद कसीम रजा आ. अब्दूल शकील निवासी हाउस नंबर -25/340 न्यू शांति नगर रोड बिट्टू किराना भंडार पंडरी रायपुर जिला रायपुर | कसडोल | चिचपोल-2 | 01 का भाग | 4.000 | 16.08.2020 से 15.08.2023 |
| 10 | श्री दीपक त्रिपाठी आ. श्री रोमेश त्रिपाठी निवासी ग्राम बेलपान पुरा तहसील बिलासपुर | बलौदाबाजार | सेमरिया | 658/1 | 4.500 | 16.12.2020 से 15.12.2023 |

"प्रपत्र-ब"

| कं. | अनुज्ञापत्रधारी का नाम | ग्राम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) | अनुज्ञप्ति जारी दिनांक | मण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि | मण्डारण क्षमता की मात्रा (टन) | आवेदन शुल्क/ जमा दिनांक | वार्षिक शुल्क (रूपयें में) | वार्षिक शुल्क जमा करने का दिनांक |
|-----|--|----------|-------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | श्री मनोज कुमार साहू पिता श्री कोमल सिंह निवासी भरदा खुर्द बालोद जिला बालोद | हरदी | बलौदा बाजार | 110/6 | 0.405 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 24.05.2023 | 5000 | 58000 22.05.2020 | 5000 | 09.06.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 15.03.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 02 | श्री अंकित सिंह ठाकुर निवासी शांति विहार कालोनी डगनिया रायपुर जिला रायपुर | धौराभाठा | पलारी | 273/14 | 1.618 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 24.05.2023 | 17000 | 178000 09.02.2021 | 5000 | 16.06.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 03.03.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 03 | श्री पराग बड़े निवासी एचआईजी 34 वार्ड नंबर 48 पद्मनापुर दुर्ग जिला दुर्ग | डोंगरा | बलौदा बाजार | 1063 | 0.763 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 24.05.2023 | 25500 | 262500 27.02.2021 | 5000 | 27.02.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 04 | श्री श्यामू यादव पिता श्री दशरथ निवासी गिधपुरी तहसील पलारी | धौराभाठा | पलारी | 127/17 | 0.809 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 24.05.2023 | 10000 | 116000 08.04.2021 | 5000 | 01.03.2023 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 05 | श्री हरविंदर सिंह सिद्धू पिता सुरजीत सिंह निवासी श्रीनगर भिलाई | सेमरिया | पलारी | 248/1 /क | 0.825 | 25.05.2021 | 25.05.2021 से 24.05.2023 | 20000 | 208000 07.05.2021 | 5000 | 28.05.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 26.05.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 06 | ए.डी.एण्ड कंपनी पार्टनर यहया डेबर निवासी मकान नंबर 37/168 डेबर हाउस बैजनाथ पारा रायपुर जिला रायपुर | हरदी | बलौदा बाजार | 110/13 | 0.4450 | 31.05.2021 | 31.05.2021 से 30.05.2023 | 10000 | 108000 07.05.2021 | 5000 | 09.06.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 15.03.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 07 | श्री अभिजीत रोहरा निवासी मिशन हास्टिपल रोड रोहरा ऑटो ऐजेंसी के पास जुनीलिन बिलासपुर जिला बिलासपुर | बम्हनी | पलारी | 567 | 0.462 | 01.06.2021 | 01.06.2021 से 31.05.2023 | 10200 | छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम-2019 के नियम-7 (पांच) के तहत स्वीकृत रेत खदान से 500 मीटर के भीतर होने के कारण छुट। | 5000 | 15.06.2021 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |

| कं. | अनुज्ञापत्रधारी का नाम | ग्राम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) | अनुज्ञप्ति जारी दिनांक | भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि | भण्डारण क्षमता की मात्रा (टन) | आवेदन शुल्क/ जमा दिनांक | वार्षिक शुल्क (रूपयें में) | वार्षिक शुल्क जमा करने का दिनांक |
|-----|---|-----------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | श्री कान्हा कुमार निवासी बेलतरा तहसील रतनपुर जिला बिलासपुर | पैरागुड़ा | कसडोल | 15/12 | 1.7610 | 01.06.2021 | 01.06.2021 से 31.05.2023 | 20000 | 208000 19.05.2021 | 5000 | 24.06.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 20.09.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |
| 09 | एस.बी. करंटरक्शन प्रो शुभम भतपहरी निवासी जुनवानी तहसील पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा | जुनवानी | पलारी | 440,441, 439,443 | 0.938 | 04.05.2022 | 04.05.2022 से 03.05.2024 | 12000 | 128000 25.05.2021 | 10000 | 11.04.2022 |
| 10 | श्री इन्द्रदेव चौधरी निवासी श्रीराम टॉवर टाटीबंद रायपुर जिला रायपुर | सेमरिया | बलौदा बाजार | 180/4 | 0.809 | 04.05.2022 | 04.04.2022 से 03.04.2025 | 5000 | 58000 23.02.2022 | 5000 | 29.03.2022 |
| | | | | | | | | | | 5000 | 01.03.2023 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

परीशद - पांच

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1024) की जानकारी

पृष्ठ-

| सर्वे | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | संयोजित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | संयोजित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में संयोजित पौधों की संख्या |
|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | कसं क्र.548, 549 स्थिति वृक्षारोपण | 1000 | 40023 | 40 | काजू | 10 | 4 |
| | | | | | | जामुन | 320 | 275 |
| | | | | | | नीम | 190 | 182 |
| | | | | | | करज | 300 | 264 |
| | | | | | | अकोसिया | 180 | 155 |
| | | | | | | योग - | 1000 | 880 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | ग्राम पारीखुर्द शमशानघाट | 300 | 46292 | 154 | आंवला | 50 | 35 |
| | | | | | | अर्जुन | 60 | 60 |
| | | | | | | करज | 100 | 78 |
| | | | | | | जामुन | 50 | 39 |
| | | | | | | नीम | 40 | 28 |
| | | | | | | योग - | 300 | 240 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | ग्राम कुसमी मार्ग | 200 | 112125 | 561 | जामुन | 30 | 24 |
| | | | | | | नीम | 23 | 18 |
| | | | | | | आंवला | 55 | 42 |
| | | | | | | अर्जुन | 43 | 37 |
| | | | | | | करज | 49 | 39 |
| | | | | | | योग - | 200 | 180 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | ग्राम पारीखुर्द प्रवेश द्वार | 400 | 190135 | 475 | अर्जुन | 130 | 90 |
| | | | | | | करज | 95 | 73 |
| | | | | | | जामुन | 80 | 62 |
| | | | | | | नीम | 55 | 48 |
| | | | | | | आम | 25 | 18 |
| | | | | | | अमरुद | 15 | 9 |
| | | | | | | योग - | 400 | 300 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | ग्राम देवादा स्कूल के पिछे | 660 | 261213 | 396 | आंवला | 250 | 50 |
| | | | | | | अर्जुन | 225 | 50 |
| | | | | | | करज | 125 | 34 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|---------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | गुलमोहर | 20 | 9 |
| | | | | | | अमरुद | 10 | 4 |
| | | | | | | आम | 30 | 13 |
| | | | | | | योग - | 660 | 160 |
| | | योग - | 2560 | 649788 | | | 2560 | 1740 |
| 2021-22 | उ.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 952 बसेली | 200 | 71355 | 357 | आंवला | 30 | 18 |
| | | | | | | अर्जुन | 70 | 62 |
| | | | | | | काजू | 10 | 10 |
| | | | | | | शीशु | 15 | 15 |
| | | | | | | करंज | 55 | 50 |
| | | | | | | आम | 5 | 5 |
| | | | | | | जामुन | 5 | 5 |
| | | | | | | नीम | 10 | 10 |
| | | | | | | योग - | 200 | 175 |
| 2021-22 | उ.मानपुर | आवर्ती चराई नारंगी दक्षिण सिवनी | 200 | 18969 | 95 | करंज | 75 | 60 |
| | | | | | | जामुन | 15 | 11 |
| | | | | | | नीम | 36 | 28 |
| | | | | | | आंवला | 40 | 32 |
| | | | | | | शीशु | 34 | 29 |
| | | | | | | योग - | 200 | 160 |
| 2021-22 | उ.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 951 खैरकट्टा | 200 | 99415 | 497 | आंवला | 50 | 46 |
| | | | | | | काजू | 15 | 13 |
| | | | | | | करंज | 125 | 103 |
| | | | | | | नीम | 10 | 8 |
| | | | | | | योग - | 200 | 170 |
| | | योग - | 600 | 189739 | | | 600 | 505 |
| 2021-22 | उ.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्र.1008 पिट्टेमेटा | 200 | 77720 | 389 | आंवला | 50 | 45 |
| | | | | | | करंज | 120 | 96 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | जामुन | 10 | 7 |
| | | | | | | नीम | 20 | 14 |
| | | | | | | योग - | 200 | 162 |
| 2021-22 | द.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्रमांक 1036 सरखेड़ा | 200 | 79850 | 399 | करंज | 120 | 89 |
| | | | | | | जामुन | 15 | 11 |
| | | | | | | नीम | 15 | 13 |
| | | | | | | आंवला | 50 | 45 |
| | | | | | | योग - | 200 | 158 |
| 2021-22 | द.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्र.1071 हालेपायली | 200 | 76562 | 383 | आंवला | 50 | 46 |
| | | | | | | करंज | 120 | 99 |
| | | | | | | जामुन | 15 | 13 |
| | | | | | | नीम | 15 | 10 |
| | | | | | | योग - | 200 | 168 |
| 2021-22 | द.मानपुर | आवर्ती चराई कक्ष क्र. 1073 हालेपायली | 200 | 78662 | 393 | आंवला | 50 | 46 |
| | | | | | | करंज | 120 | 90 |
| | | | | | | जामुन | 15 | 10 |
| | | | | | | नीम | 15 | 10 |
| | | | | | | योग - | 200 | 156 |
| | | | | | | | 800 | 644 |
| | | | | | | | 3960 | 2889 |
| 2022-23 (15 फरवरी 23 तक) | राजनांदगाव | योग - योग - 2021-22 कोरिनमाठा ख.नं.171 (कृष्ण कुंज वृक्षारोपण) | 500 | 2033500 | 4067 | आंवला | 100 | 100 |
| | | | | | | आम | 50 | 50 |
| | | | | | | नीम | 50 | 50 |
| | | | | | | पीपल | 25 | 25 |
| | | | | | | जामुन | 50 | 50 |
| | | | | | | बेल | 50 | 50 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|------|-------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | कदम | 50 | 50 |
| | | | | | | कटहल | 30 | 30 |
| | | | | | | सीताफल | 30 | 30 |
| | | | | | | बरगद | 25 | 25 |
| | | | | | | शहतूत | 20 | 20 |
| | | | | | | गंगाईमली | 20 | 20 |
| | | | | | | योग - | 500 | 500 |
| --- | राजनांदगांव | डोंगरगांव ख.नं. 7/1, 7/3 (कृष्ण कुंज वृक्षारोपण) | 250 | 1344600 | 5378 | आंवला | 75 | 75 |
| | | | | | | आम | 20 | 20 |
| | | | | | | नीम | 50 | 50 |
| | | | | | | पीपल | 15 | 15 |
| | | | | | | जामुन | 20 | 20 |
| | | | | | | बेल | 15 | 15 |
| | | | | | | कदम | 40 | 40 |
| | | | | | | बरगद | 15 | 15 |
| | | | | | | योग - | 250 | 250 |
| --- | राजनांदगांव | प्रेस क्लब पनेका रोड | 200 | 166578 | 833 | आंवला | 10 | 10 |
| | | | | | | आम | 15 | 15 |
| | | | | | | ईमली | 10 | 10 |
| | | | | | | करंज | 20 | 20 |
| | | | | | | नीम | 15 | 15 |
| | | | | | | शीशम | 4 | 4 |
| | | | | | | गुलमोहर | 20 | 20 |
| | | | | | | जामुन | 20 | 20 |
| | | | | | | कदम | 6 | 6 |
| | | | | | | अशोक | 30 | 30 |
| | | | | | | सीताफल | 20 | 16 |
| | | | | | | जाम | 30 | 30 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | योग - | 950 | 3544678 | | योग - | 200 | 196 |
| | बाघनदी | । बाधुकनाला 595 | 17468 | 1847822 | 106 | सागौन | 4568 | 4468 |
| | | | | | | बांस | 3500 | 3500 |
| | | | | | | खम्हार | 500 | 450 |
| | | | | | | आंवला | 1400 | 1250 |
| | | | | | | शिशु | 200 | 200 |
| | | | | | | करंज | 1100 | 1100 |
| | | | | | | अर्जुन | 4200 | 4200 |
| | | | | | | जामुन | 2000 | 1951 |
| | | | | | | योग - | 17468 | 17119 |
| | बाघनदी | । भरौटोला 509 | 22000 | 2363820 | 107 | सागौन | 6000 | 5930 |
| | | | | | | बांस | 4500 | 4500 |
| | | | | | | खम्हार | 500 | 500 |
| | | | | | | आंवला | 3800 | 3750 |
| | | | | | | शिशु | 600 | 592 |
| | | | | | | करंज | 600 | 600 |
| | | | | | | अर्जुन | 4300 | 4300 |
| | | | | | | जामुन | 1700 | 1680 |
| | | | | | | योग - | 22000 | 21852 |
| | बाघनदी | । घोघरे पी 653 | 7500 | 1113317 | 148 | सागौन | 1650 | 1497 |
| | | | | | | बांस | 1350 | 1230 |
| | | | | | | खम्हार | 600 | 595 |
| | | | | | | आंवला | 800 | 760 |
| | | | | | | करंज | 1100 | 1090 |
| | | | | | | अर्जुन | 500 | 490 |
| | | | | | | जामुन | 1500 | 1435 |
| | | | | | | योग - | 7500 | 7097 |
| | बाघनदी | । गोरुघाट आरंज 1103 | 3894 | 407368 | 105 | सागौन | 1044 | 1008 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | बांस | 300 | 281 |
| | | | | | | खम्हार | 500 | 478 |
| | | | | | | आंवला | 300 | 269 |
| | | | | | | करंज | 400 | 358 |
| | | | | | | अर्जुन | 700 | 607 |
| | | | | | | जामुन | 650 | 503 |
| | | | | | | योग - | 3894 | 3504 |
| --- | बाघनदी | I गेरुघाट अरंज 1109 | 14883 | 1575336 | 106 | सगौन | 4153 | 3223 |
| | | | | | | बांस | 2050 | 1967 |
| | | | | | | खम्हार | 100 | 89 |
| | | | | | | आंवला | 980 | 908 |
| | | | | | | शिशु | 200 | 186 |
| | | | | | | सीरस | 2000 | 1879 |
| | | | | | | करंज | 1800 | 1300 |
| | | | | | | अर्जुन | 1650 | 1550 |
| | | | | | | जामुन | 1950 | 1548 |
| | | | | | | योग - | 14883 | 12650 |
| --- | बाघनदी | II गेरुघाट पी 633 | 72000 | 8303632 | 115 | सगौन | 19000 | 17893 |
| | | | | | | बांस | 8000 | 7104 |
| | | | | | | खम्हार | 200 | 200 |
| | | | | | | आंवला | 12000 | 10145 |
| | | | | | | सीरस | 4500 | 4106 |
| | | | | | | करंज | 5500 | 5128 |
| | | | | | | अर्जुन | 2000 | 1824 |
| | | | | | | शीराम | 3450 | 3050 |
| | | | | | | गुलमोहर | 350 | 321 |
| | | | | | | जामुन | 5500 | 4576 |
| | | | | | | महेड़ा | 4500 | 4135 |
| | | | | | | केसियासामिया | 4500 | 4115 |

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | स्थल का नाम | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि | प्रति पौधा व्यय राशि | रोपित प्रजाति | प्रजाति पौधों की संख्या | 31 जनवरी 2023 की स्थिति में जीवित पौधों की संख्या |
|------|-------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | बांस | 2000 | 1864 |
| | | | | | | खम्हार | 1500 | 1456 |
| | | | | | | आंवला | 1000 | 918 |
| | | | | | | अर्जुन | 1800 | 1707 |
| | | | | | | शीशम | 1000 | 940 |
| | | | | | | बहेड़ा | 2700 | 2583 |
| | | | | | | योग -- | 11000 | 10450 |
| --- | चौकी | अ.चौकी ख.नं. 489 (कृष्ण कुंज वृक्षारोपण) | 250 | 1083770 | 4335 | आंवला | 75 | 75 |
| | | | | | | आम | 20 | 20 |
| | | | | | | नीम | 50 | 50 |
| | | | | | | पीपल | 15 | 15 |
| | | | | | | जामुन | 20 | 20 |
| | | | | | | बेल | 15 | 15 |
| | | | | | | कदम | 40 | 40 |
| | | | | | | बरगद | 15 | 15 |
| | | | | | | योग -- | 250 | 250 |
| | | योग -- | 22250 | 3454525 | | | 22250 | 20820 |
| | | योग -- 2022-23 (15 फरवरी 2023 तक) | 220865 | 30326914 | | | 220865 | 207021 |
| | | महायोग -- | 224825 | 31479235 | | | 224825 | 209910 |

टीप :- कृष्ण कुंज वृक्षारोपण कार्य अंतर्गत रोपण कार्य, पाईप लाईन बिछाई, गेट निर्माण, पथ-वे निर्माण, बाऊंड्रीवाल, चैन लिंक फेंसिंग आदि कार्य किया गया है ।



 अनुभाग अधिकारी। मुख्य की सिफारिशक,
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 974) की जानकारी


"प्रपत्र-अ"

| क्र | उत्खननपट्टाधारी का नाम एवं पता | ग्राम/ ग्राम पंचायत का नाम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) | अवधि |
|-----|---|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री चित्रकुमार जायसवाल, पिता श्री सुआलाल जायसवाल नि० ग्राम मल्हार जिला बिलासपुर (छ.ग.) | ग्राम गाढापाली (ग्रा. पं. अकलतरी) | जांजगीर | 153/1 | 5.000 | 22.06.2020 से 21.06.2023 |
| 2 | श्रीमती भावना शर्मा पति श्री भरत शर्मा, नि० एल.आई.जी. 76, विभाग 01 दुर्गा चौक के पास, हाऊसिंग बोर्ड बस्ती, सड्डू, रायपुर (छ.ग.) | केराकछार | बलौदा | 879 | 5.000 | 14.07.2020 से 13.07.2023 |
| 3 | कु० निकिता गुम्बर आ० श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह० बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.) | ग्राम भादा (ग्रा. पं. नवापारा) | जांजगीर | 590 | 5.000 | 19.06.2020 से 18.06.2023 |
| 4 | कु० निकिता गुम्बर आ० श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह० बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.) | नवापारा | जांजगीर | 1078 | 5.000 | 19.06.2020 से 18.06.2023 |
| 5 | श्री वैभव सलूजा, आ० श्री बलवंतराय सलूजा, निवासी 163 गोकुल ब्लांक, डिडवानिया रेसीडेंसी, डगनिया, रायपुर, तह० रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) | बोरसी | चांपा | 1 | 5.000 | 20.05.2022 से 19.05.2024 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

"प्रपत्र-ब"

| क्र० | अनुज्ञापितधारी का नाम | ग्राम | तहसील | रकबा (हे० में) | भण्डारण अनुज्ञापत्र जारी दिनांक | भण्डारण क्षमता घन मी० में | अवधि (वर्ष में) |
|-------------------------------|---|---------|---------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| जिला जांजगीर-चांपा | | | | | | | |
| 1 | श्रीमती कविता मिश्रा, पति श्री शैलेश पाण्डेय, निवासी अमोरा, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | बरबसपुर | नवागढ़ | 2.000 | 17.05.2021 | 10000 | 10 |
| 2 | श्री चन्द्रप्रकाश चंद्रवंशी, पिता श्री द्वारिका प्रसाद चंद्रवंशी, निवासी ग्राम भरतपुर, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम, छ०ग० | नवापारा | जांजगीर | 0.833 | 27.12.2021 | 10000 | 5 |
| 3 | श्री आनंद तिवारी, आ० श्री रामविलास तिवारी, निवासी जांजगीर, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | उदेबंद | बलौदा | 0.449 | 30.03.2022 | 15000 | 10 |
| 4 | श्री गजानंद प्रसाद कॅवट, पिता राजकुमार, निवासी करगीखुर्द, जिला बिलासपुर, छ०ग० | देवरी | पामगढ़ | 0.194 | 06.06.2022 | 12000 | 10 |
| वर्तमान में जिला सक्ती | | | | | | | |
| 5 | श्री दीपक कुमार जायसवाल, आ० श्री बाबूलाल जायसवाल, निवासी सोठी, तहसील चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | किकिरदा | जैजैपुर | 0.809 | 17.05.2021 | 5000 | 10 |
| 6 | श्री रामप्रकाश जायसवाल, पिता श्री रामजीयावन जायसवाल, निवासी वार्ड नं० 4, भवानी नगर सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ०ग० | करही | जैजैपुर | 0.460 | 24.03.2022 | 15000 | 10 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

“प्रपत्र-स”

| क्र. | शिकायत दिनांक | शिकायत कर्ता का नाम व पता | शिकायत स्थल का नाम | शिकायत विषय वस्तु | की गई कार्यवाही |
|------|---------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10.05.2021 | मौखिक शिकायत | ग्राम किकिरदा, तह0 जैजैपुर | खनिज रेत का अवैध भण्डारण | अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 26500/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 2 | 06.06.2021 | श्री मोहनदास पिता श्री महेशदास ग्राम केराकछार, तह0 बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) | ग्राम केराकछार, तहसील बलौदा | ग्राम पंचायत केराकछार तह0 बलौदा के खसरा नंबर 879 रकबा 5.000 हेक्टर क्षेत्र पर स्वीकृत रेत उत्खनिपट्टा जांच बाबत। | जांच में शिकायत निराधार पाया गया। प्रकरण दिनांक 23.12.2022 को विलोपित किया गया। |
| 3 | 14.06.2021 | माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा के मौखिक शिकायत | ग्राम देवरी, तहसील पामगढ़ | खनिज रेत का अवैध भण्डारण | स्वीकृत क्षमता से अतिरिक्त भण्डारण करने के कारण प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 50000/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 4 | 14.06.2021 | माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा के मौखिक शिकायत | ग्राम देवरी, तहसील पामगढ़ | खनिज रेत का अवैध भण्डारण | अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 50000/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 5 | 15.06.2021 | दैनिक समाचार पत्र | - | हसदेव नदी में कुदरी बैराज के अलावा हनुमानधारा के रेत घाट से भी अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। | जांच में शिकायत निराधार पाया गया। प्रकरण दिनांक 28.06.2021 को नस्तीबद्ध किया गया। |
| 6 | 15.07.2021 | मौखिक शिकायत | ग्राम भुईगांव, तहसील पामगढ़ | खनिज रेत का अवैध भण्डारण | अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 85000/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 7 | 09.08.2021 | श्री हेमंत कुमार पटेल जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) | ग्राम खुटलीपाली, तहसील डभरा | विकासखण्ड डभरा ग्राम पंचायत सकराली पारा खुटलीपाली में अवैध रेत खनन को रोक लगाये जाने बाबत। | शिकायत क्षेत्र में खनिज रेत के 07 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रु0 43400/- वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 8 | 28.08.2021 | मौखिक शिकायत | ग्राम भुईगांव, तहसील पामगढ़ | खनिज रेत का अवैध भण्डारण | अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 145000/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 9 | 29.05.2022 | उमेश कुमार पटेल, राजेन्द्र सिदार, सिरवनी, तहसील डभरा, जिला सक्ती, छ0ग0 (ऑनलाईन से प्राप्त जनशिकायत) | डभरा क्षेत्र | बालू का अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है। | शिकायत क्षेत्र में खनिज रेत के 07 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रु0 43400/- वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 10 | 18.07.2022 | श्री नरेश कुमार लहरे (ऑनलाईन से प्राप्त जनचौपाल शिकायत) | ग्राम करही, तहसील जैजैपुर | अवैध रूप से मशीन के द्वारा रेत उत्खनन बाबत। | अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 51600/- खनिज मद में जमा कराया गया। |
| 11 | 31.07.2022 | श्री गुलाबुद्दीन खान प्रदेश उपाध्यक्ष छ.ग. प्रदेश कांगेश कमेटी (ऑनलाईन प्राप्त जनचौपाल शिकायत) | ग्राम खपरीडीह तह0 बम्हनीडीह | अवैध रेतघाट एवं रेत भण्डारण करने की शिकायत के संबंध में। | शिकायत क्षेत्र में मौके पर नदी में उत्खनन कार्य बंद पाया गया एवं विधिवत खनिज रेत का भण्डारण अनुज्ञापति स्वीकृत होने से शिकायत निराधार पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। |

| क्र. | शिकायत दिनांक | शिकायत कर्ता का नाम व पता | शिकायत स्थल का नाम | शिकायत विषय वस्तु | की गई कार्यवाही |
|------|---------------|---|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 31.11.2022 | श्री प्रेमलाल कॅवट पिता श्री सरखाराम कॅवट ग्राम गतवा, तह0 चांपा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) (ऑनलाईन से प्राप्त जनशिकायत) | ग्राम गतवा तह0 बम्हनीडीह | हसदेव नदी घाट से रेत निकालने के संबंध में। | शिकायत क्षेत्र में खनिज रेत के 06 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रु. 37,200/- खनिज मद में जमा कराया गया। |



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 839) की जानकारी

“प्रपत्र”

| क्र. | आबंटित कोल ब्लॉक का नाम एवं जिला | आबंटिती कंपनी का नाम | भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा जारी वेस्टिंग ऑर्डर दिनांक | खनिपट्टा स्वीकृति एवं उत्खनन की जानकारी |
|------|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गारेपालमा-IV/1, रायगढ़ | मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड | 08.03.2021 (यथासंशोधित दिनांक 18.06.2021 एवं 23.07.2021) | राज्य शासन के आदेश दिनांक 05.01.2022 द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है एवं दिनांक 23.02.2022 से खनन प्रारंभ किया गया है। |
| 2 | गारेपालमा-IV/7, रायगढ़ | सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड | 08.03.2021 | राज्य शासन के आदेश दिनांक 18.10.2021 द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है एवं दिनांक 14.12.2021 से खनन प्रारंभ किया गया है। |
| 3 | गारेपालमा-IV/6, रायगढ़ | मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड | 10.10.2022 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |
| 4 | दुर्गापुर-II-सरिया, रायगढ़ | मेसर्स कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 02.03.2020 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |
| 5 | दुर्गापुर-II-तराईमार, रायगढ़ | मेसर्स कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 02.03.2020 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |
| 6 | झिगाडोर, सूरजपुर | छत्तीसगढ़ नेचुरल रिसोर्सेस प्रायवेट लिमिटेड | 18.11.2021 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |
| 7 | खरगांव, सूरजपुर | छत्तीसगढ़ नेचुरल रिसोर्सेस प्रायवेट लिमिटेड | 18.11.2021 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |
| 8 | भास्करपारा, सूरजपुर | मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | 18.11.2021 | खनिज रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है। |



अनुभाग अधिकारी
खनिज राशन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

परोशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 896) की जानकारी

प्रपत्र

रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक स्थित महाजेन्को कंपनी के खदान में आने वाले वन भूमि रकबा 214.869 हे. व्यपवर्तन प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नटवरपुर, बंगुरसिया एवं चक्रधरपुर राजस्व ग्राम में भूमि उपलब्ध करायी गई है। ग्रामवार, खसरावार – रकबा की जानकारी निम्नानुसार है :-

| प.ह.नं. एवं राजस्व ग्राम जहाँ वनखण्ड स्थित है | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हे.) में |
|---|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 34 नटवरपुर | 9 | 0.862 |
| | 11 | 1.501 |
| | 12 | 0.745 |
| | 13 | 2.096 |
| | 14 | 1.801 |
| | 15 | 0.757 |
| | 16 | 0.656 |
| | 17 | 0.652 |
| | 18 | 0.979 |
| | 19 | 3.439 |
| | 21 | 1.724 |
| | 22 | 1.040 |
| | 24 | 1.688 |
| | 144 | 1.210 |
| | 167 | 1.586 |
| | 165 | 1.882 |
| | 525 | 0.745 |
| | 528 | 1.651 |
| | 530 | 0.324 |
| | 533 | 1.165 |
| | 534 | 0.680 |
| | 472 | 1.485 |
| | 523 | 1.048 |
| | 470 | 0.356 |
| | 537 | 1.348 |
| | 563/1 | 9.000 |
| | 540 | 0.073 |
| | 193 | 5.735 |
| | 194/1 | 8.094 |
| | 194/2 | 6.750 |
| | 196 | 1.263 |
| | 197/1 | 1.960 |
| | 366 | 2.890 |
| | 378 | 4.387 |
| 388 | 4.679 | |
| 6/2 | 0.478 | |
| 52/1 | 3.889 | |
| 52/2 | 0.607 | |
| 54 | 0.660 | |
| 55 | 0.704 | |
| 56 | 1.956 | |
| 57 | 0.611 | |
| 61 | 0.510 | |
| 65/2 | 1.921 | |
| 60 | 1.955 | |
| 62 | 0.656 | |
| 64 | 1.374 | |
| 65/1 | 3.893 | |
| योग | 48 | 95.460 |

| | | |
|-----------------|----------|--------------|
| 33 बंगुरसिया | 97/10/ख | 1.214 |
| | 97/1/झ/2 | 0.202 |
| | 97/10/ज | 0.405 |
| | 97/21 | 1.595 |
| | 97/22 | 0.809 |
| योग | 5 | 4.225 |
| 33 चक्रधरपुर | 8 | 1.501 |
| | 74/ख | 0.400 |
| | 17 | 1.420 |
| | 18/1 | 0.486 |
| | 18/2 | 0.441 |
| | 18/3 | 1.104 |
| | 18/4 | 1.096 |
| | 18/5 | 1.096 |
| | 18/6 | 1.096 |
| | 20 | 1.384 |
| | 21 | 1.898 |
| | 22 | 0.291 |
| | 23 | 0.684 |
| | 24 | 0.510 |
| | 29 | 1.096 |
| | 30 | 0.611 |
| | 34/4 | 3.151 |
| | 35 | 0.656 |
| | 36/1/ग | 0.880 |
| | 37 | 0.559 |
| | 38/2 | 0.117 |
| | 38/3 | 1.214 |
| | 38/4 | 0.409 |
| | 38/5 | 0.809 |
| | 39 | 2.991 |
| | 43/8 | 0.584 |
| | 77 | 0.777 |
| | 49 | 0.267 |
| | 50 | 0.995 |
| | 51 | 2.497 |
| | 53/1 | 0.527 |
| | 53/2 | 0.822 |
| | 53/3 | 0.295 |
| | 54/1 | 0.093 |
| | 54/2 | 0.344 |
| | 54/3 | 0.251 |
| | 63/1 | 0.365 |
| | 63/2 | 0.793 |
| | 63/3 | 0.429 |
| | 87 | 1.360 |
| | 1/10 | 0.607 |
| 1/21 | 0.607 | |
| 3/1 | 0.765 | |
| 3/2 | 0.809 | |
| 4 | 0.862 | |
| 5/1 | 0.396 | |
| 5/2 | 1.012 | |
| 6/7 | 0.405 | |
| 6/13 | 0.405 | |
| 6/16 | 0.405 | |
| 10/1 | 0.835 | |
| 10/2 | 1.011 | |
| 11/1 | 1.188 | |
| 11/2 | 2.023 | |
| 11/3 | 0.405 | |
| 12/2 | 1.619 | |
| 12/3 | 2.023 | |
| 13/2 | 2.833 | |

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| | 13/3 | 2.833 |
| | 14/1 | 1.869 |
| | 14/2 | 2.000 |
| | 34/2 | 0.135 |
| | 34/3 | 1.335 |
| | 34/5 | 1.330 |
| | 36/1/क/2 | 1.263 |
| | 40 | 1.668 |
| | 43/2 | 0.405 |
| | 43/3 | 0.809 |
| | 43/4 | 0.809 |
| | 43/5 | 0.809 |
| | 43/6 | 0.405 |
| | 43/7 | 0.809 |
| | 43/9 | 0.809 |
| | 43/10 | 0.809 |
| | 55 | 0.214 |
| | 56 | 0.283 |
| | 58 | 1.578 |
| | 62 | 3.311 |
| | 86/1 | 1.589 |
| | 65/53/4 | 0.461 |
| | 1/1 | 6.475 |
| | 1/3 | 6.475 |
| | 1/4 | 1.886 |
| | 1/5 | 6.475 |
| | 41 | 1.230 |
| | 67/11 | 4.330 |
| | 67/9 | 4.000 |
| | 67/10 | 4.000 |
| | 83 | 0.271 |
| योग | 89 | 115.184 |
| महायोग | 142 | 214.869 |


 अनुभाग अधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोक्ष - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 250) की जानकारी

" प्रपत्र अ "

| क्र. | वनमण्डल का नाम | वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) |
|------|----------------|---------|-----------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य (10 मजदूर 12 माह हेतु) | 10.78 | 4.64 |
| 2 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य | 68.21 | 33.14 |
| 3 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | ऑरेंज एरिया ग्रीविंग स्टॉक (तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य) | 55.29 | 9.13 |
| 4 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | स्ट्राईक फोर्स वाहन का रखरखाव कार्य | 21.00 | 9.73 |
| 5 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | लेन्टाना उन्मूलन कार्य (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) | 105.56 | 51.06 |
| 6 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | नदीतट वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष | 36.74 | 23.16 |
| 7 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | फलदार वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष | 38.00 | 1.60 |
| 8 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | बौनी प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य (1.2 पावर ग्रिड 765 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन | 22.94 | 1.82 |
| 9 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | ब्रशबुड चेकडेम निर्माण कार्य | 3.54 | 0.00 |
| 10 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | लूजबोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य | 14.18 | 0.00 |
| 11 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | गोबियन संरचना निर्माण कार्य | 33.09 | 0.00 |
| 12 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | गल्ली प्लग निर्माण कार्य | 31.00 | 0.00 |
| 13 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | अर्दनडेम निर्माण कार्य | 6.90 | 0.00 |
| 14 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य | 44.10 | 0.00 |
| 15 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | स्टेगर्ड कंटूर ट्रेच निर्माण कार्य | 13.04 | 0.00 |

| क्र. | वनमण्डल का नाम | वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) |
|--------|----------------|---------|-----------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | कन्टीनियुअस कंटूर ट्रेच निर्माण कार्य | 12.90 | 0.00 |
| 17 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य | 49.25 | 0.00 |
| 18 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | स्टोन कन्टूर बंड निर्माण कार्य | 3.90 | 0.00 |
| 19 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | कांक्रिट ड्राईक निर्माण कार्य | 12.77 | 0.00 |
| 20 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्जस | 4.49 | 0.00 |
| 21 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | 1 प्रतिशत प्रोजेक्ट फार्मुलेशन, सुपरविजिशन आदि | 2.30 | 0.00 |
| 22 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत बोर सह पानी टंकी निर्माण कार्य | 4.50 | 0.00 |
| 23 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत बोर खनन सह पम्प फिटिंग कार्य | 3.60 | 0.00 |
| 24 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट | 9.11 | 0.00 |
| 25 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत चैनलिंग फेंसिंग कार्य | 33.21 | 0.00 |
| कुलयोग | | | | | 640.39 | 134.27 |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

| क्र. | वनमण्डल का नाम | वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | कुल स्वीकृत निर्माण कार्य | निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति | |
|--------|----------------|---------|-----------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | पूर्ण (संख्या में) | अपूर्ण (संख्या में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | ब्रशबुड चेकडेम निर्माण कार्य | 364 | 0 | 364 |
| 2 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | लूजबोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य | 319 | 0 | 319 |
| 3 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | गेवियन संरचना निर्माण कार्य | 33 | 0 | 33 |
| 4 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | गल्ली प्लग निर्माण कार्य | 277 | 0 | 277 |
| 5 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | अर्दनडेम निर्माण कार्य | 12 | 0 | 12 |
| 6 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य | 123 | 0 | 123 |
| 7 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | स्टेगर्ड कंटूर ट्रेच निर्माण कार्य | 7560 | 0 | 7560 |
| 8 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | कन्टीनियूअस कंटूर ट्रेच निर्माण कार्य | 2520 | 0 | 2520 |
| 9 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य | 8 | 0 | 8 |
| 10 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | स्टोन कन्टूर बंड निर्माण कार्य | 500 | 0 | 500 |
| 11 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | कॉक्रीट ड्राईक निर्माण कार्य | 2 | 0 | 2 |
| 12 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत बोर सह पानी टंकी निर्माण कार्य | 2 | 0 | 2 |
| 13 | धरमजयगढ़ | 2022-23 | कैम्पा मद | वन कॉलोनी में मूलभूत सुविधा अंतर्गत चैनलिंग फेंसिंग कार्य | 7 | 0 | 7 |
| कुलयोग | | | | | 11727 | 0 | 11727 |

113
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के वनमंडलों में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.02.2023 तक स्थलवार किए गए विभागीय कार्य उनकी लागत राशि का विवरण

| वर्ष | वन मण्डल का नाम | विभागीय कार्य | | लागत राशि (लाख में) |
|---------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | कार्य का नाम | स्थल का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-22 | नारायणपुर | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. / 2359 | 0.86 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी./ 2301 | 1.38 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2270 ए | 0.57 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2339 बी. | 0.34 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2340 बी. | 0.12 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2315 ए. | 0.10 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2315 बी. | 0.03 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2326 सी. | 0.26 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2334 ए. | 0.12 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2335 ए. | 0.04 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2335 बी. | 0.16 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2336 बी. | 0.15 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2338 सी. | 0.14 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2338 डी. | 0.09 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | आर एफ 2451 | 1.15 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2315 ए. | 0.20 |
| | | बिगडे वनों का सुधार प्रथम वर्ष | आर एफ 2156 | 1.84 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर एफ 2510 | 1.88 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर एफ 2161 | 0.33 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर एफ 2163 | 0.70 |
| | | मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क | नारायणपुर | 24.91 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी./2404 | 0.58 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2426 | 0.43 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2307 | 0.26 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2310 | 0.64 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2310 सी. | 0.02 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2337 | 0.73 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2514 | 1.83 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2197 | 1.39 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2167 | 1.24 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य प्रथम वर्ष | पी. / 2144 | 0.77 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2404 | 1.51 |

| वर्ष | वन मण्डल का नाम | विभागीय कार्य | | लागत राशि (लाख में) |
|---------|------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | कार्य का नाम | स्थल का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-22 | नारायणपुर | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2426 | 1.30 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2310 | 0.18 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2310 सी. | 0.07 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2514 | 5.48 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2197 | 4.17 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2167 | 1.49 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष | पी. / 2144 | 2.32 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2301 | 41.35 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2270 ए | 3.83 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2339 बी. | 10.09 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2340 बी. | 3.65 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2315 ए. | 2.94 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2326 सी. | 2.29 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2334 ए. | 3.57 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2335 ए. | 0.29 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2335 बी. | 0.90 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2336 बी. | 2.44 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2338 सी. | 1.43 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2338 डी. | 1.71 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | आर एफ 2541 | 1.30 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2212 ए. | 1.56 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | पी. 2156 | 27.01 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य द्वितीय वर्ष | पी. 2510 | 28.30 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य द्वितीय वर्ष | पी. 2161 | 4.94 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य द्वितीय वर्ष | पी. 2163 | 10.60 |
| | | | योग (नारायणपुर वन मण्डल) :- | 208.01 |
| | दक्षिण कोंडागांव | ए.एन.आर. कार्य प्रथम वर्ष | कूप/2 करनपुर पी.एफ 623 | 16.77 |
| | | ए.एन.आर. कार्य प्रथम वर्ष | कूप/2 धनपुर पी.एफ 626, 617 | 23.31 |
| | | ए.एन.आर. कार्य प्रथम वर्ष | कूप/2 मुनगापदर आर.एफ 580, 578 | 21.28 |
| | | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/1 आईडब्ल्यूसी इसलनार पी. 556 | 2.08 |
| | | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/1 आईडब्ल्यूसी करनपुर पी. 615 | 3.40 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/1 मोहलई पी 449 | 0.95 |
| | | प्रायोगिक असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य-(वाटर रिचार्ज पिट के साथ) तृतीय वर्ष | पी. 554 सोनाबाल | 2.25 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/3 मोहलई पी. 554 | 1.62 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/3 मोहलई ओ.ए. 548 | 0.06 |

| वर्ष | वन मण्डल का नाम | विभागीय कार्य | | लागत राशि (लाख में) |
|---------|------------------|--|--|---------------------|
| | | कार्य का नाम | स्थल का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-22 | दक्षिण कोंडागांव | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 मोहलई पी. 555 | 1.05 |
| | | मिश्रित वृक्षारोपण कार्य | कूप/2 मोहलई पी. 555 तृतीय वर्ष | 4.06 |
| | | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (प्रथम वर्ष) | कूप/2 बयानार आर.एफ. 860 | 20.12 |
| | | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (द्वितीय वर्ष) | कूप/1 बयानार पी.एफ. 894 | 2.99 |
| | | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (द्वितीय वर्ष) | कूप/1 धनसुली पी.एफ. 893 | 3.74 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत पक्का मुनारा निर्माण कार्य | परिक्षेत्र अंतर्गत | 0.40 |
| | | अग्नि सुरक्षा कार्य अंतर्गत 6 मी. चौ. लाईन कटाई सफाई | पी.एफ. 790 से 800 एवं 791 से 796 तथा 799 | 0.49 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 734 | 0.07 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 713 | 0.07 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 727 | 0.23 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 730 | 0.23 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य तृतीय वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 726 | 0.14 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य | कूप/2 माकड़ी, आर.एफ. 810 | 4.73 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य | कूप/1 भीरागांव, आर.एफ. 823 | 0.86 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य | कूप/1 भीरागांव, आर.एफ. 813 | 0.72 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/5 कड़ेनार, पी.एफ. 753 | 0.11 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/5 कड़ेनार, पी.एफ. 771 | 0.05 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/5 कड़ेनार, पी.एफ. 757 | 0.43 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/5 कड़ेनार, पी.एफ. 733 | 0.35 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/1 तातरी, आर.एफ. 817 | 4.42 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य प्रथम वर्ष | कूप/2 हासेल, पी.एफ. 637 | 12.23 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (फेंसिंग कार्य) | कूप/2 हासेल, पी.एफ. 637 | 14.60 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत पक्का मुनारा निर्माण कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 1.00 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत 06 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 0.03 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत 12 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 0.78 |
| | | अग्नि बचाव मद अंतर्गत 06 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 5.53 |

| वर्ष | वन मण्डल का नाम | विभागीय कार्य | | लागत राशि (लाख में) |
|---------|------------------|--|--|---------------------|
| | | कार्य का नाम | स्थल का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021-22 | दक्षिण कौंडागांव | अग्नि बचाव मद अंतर्गत 12 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 2.87 |
| | | सड़क एवं पुलों की दुरुस्ती मद अंतर्गत वनमार्ग मरम्मत कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 3.74 |
| | | | योग (दक्षिण कोण्डागांव) :- | 157.76 |
| | | | योग (2021-22) :- | 365.77 |
| 2022-23 | नारायणपुर | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2265 डी. | 0.18 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2340 | 0.26 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2342 ए. | 0.13 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2342 बी. | 0.08 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2265 ए. | 0.02 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2316 | 0.32 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2326 ए. | 0.26 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2336 ए. | 0.13 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | पी. 2337 डी. | 0.05 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | आर.एफ. 2519 | 1.58 |
| | | वन महोत्सव कार्यक्रम | बेनूर | 0.65 |
| | | वन महोत्सव कार्यक्रम | नारायणपुर(वनमहोत्सव) | 1.35 |
| | | मिनी बायोडायवर्सिटी पार्क द्वितीय वर्ष रख रखाव | नारायणपुर (मिनी बायोलोजिक पार्क द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य) | 7.00 |
| | | बांस वनों का पुनरोद्धार द्वितीय वर्ष | आर.एफ. 2174 | 17.96 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर.एफ. 2506 | 1.17 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर.एफ. 2508 | 1.61 |
| | | आर0डी0बी0एफ0 कार्य प्रथम वर्ष | आर.एफ. 2175 | 1.35 |
| | | | योग (नारायणपुर वन मण्डल) :- | 34.12 |
| | दक्षिण कौंडागांव | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/2 करनपुर पी.एफ 623 | 0.29 |
| | | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/2 धनपुर पी.एफ 626, 617 | 3.96 |
| | | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/2 मुनगापदर आर.एफ 580, 578 | 3.20 |
| | | ए.एन.आर. कार्य तृतीय वर्ष | कूप/1 आईडब्ल्यूसी इसलनार पी. 556 | 2.79 |
| | | ए.एन.आर. कार्य तृतीय वर्ष | कूप/1 आईडब्ल्यूसी करनपुर पी. 615 | 4.57 |
| | | ए.एन.आर. कार्य प्रथम वर्ष | कूप/2 एससीआई मुनगापदर आर.एफ 578 | 24.75 |
| | | मिश्रित वृक्षारोपण कार्य | कूप/2 मोहलई पी. 555 चतुर्थ वर्ष | 1.66 |
| | | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (द्वितीय वर्ष) | कूप/2 बयानार आर.एफ. 860 | 3.41 |
| | | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (तृतीय वर्ष) | कूप/1 बयानार पी.एफ. 894 | 4.01 |

| वर्ष | वन मण्डल का नाम | विभागीय कार्य | | लागत राशि (लाख में) |
|---------|-------------------|--|--|---------------------|
| | | कार्य का नाम | स्थल का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022-23 | दक्षिण कोण्डागांव | विदोहित काष्ठ कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (तृतीय वर्ष) | कूप/1 धनसुली पी.एफ. 893 | 5.02 |
| | | अग्नि सुरक्षा कार्य अंतर्गत 6 मी. चौ. लाईन कटाई सफाई | पी.एफ. 879, 880, 881 | 0.26 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 734 | 0.11 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 713 | 0.12 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 727 | 0.35 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 730 | 0.35 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य चतुर्थ वर्ष | कूप/2 कड़ेनार, ओ.ए. 726 | 0.21 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/4 कड़ेनार, ओ.ए. 733 | 10.45 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | कूप/4 लखापुरी, ओ.ए. 757 | 1.76 |
| | | भू-जल संरक्षण कार्य | कूप/2 माकड़ी, आर.एफ. 810 | 0.92 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य तृतीय वर्ष | कूप/1 तातरी, आर.एफ. 817 | 5.94 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य द्वितीय वर्ष | कूप/2 हासेल, पी.एफ. 637 | 4.56 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य प्रथम वर्ष | कूप/3 आईडब्ल्यूसी हासेल, पी.एफ. 783 | 13.33 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य प्रथम वर्ष | कूप/3 आईडब्ल्यूसी हासेल, आर.एफ. 524, 818 | 12.97 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (फेंसिंग कार्य) | कूप/3 आईडब्ल्यूसी हासेल, पी.एफ. 783 | 21.38 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य (फेंसिंग कार्य) | कूप/3 आईडब्ल्यूसी हासेल, आर.एफ. 524, 818 | 30.84 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत पक्का मुनारा निर्माण कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 1.46 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत 06 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 1.19 |
| | | अग्नि बचाव मद अंतर्गत 06 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 4.41 |
| | | अग्नि बचाव मद अंतर्गत 12 मी. अग्नि रेखा रखरखाव कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 6.16 |
| | | भवन मरम्मत अंतर्गत शासकीय भवनों का मरम्मत/पोताई कार्य | मर्दापाल परिक्षेत्र | 0.78 |
| | | | योग (दक्षिण कोण्डागांव) :- | 171.21 |
| | | | योग (2022-23) :- | 205.33 |
| | | | कुलयोग (2021-22 एवं 2022-23) :- | 571.09 |

अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)

छत्तीसगढ़, अटल नगर

२४/३

" ५५४-अ "

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के वनमंडलों में वर्तमान में होने वाले विभागीय कार्यों की जानकारी

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | वर्तमान में कितने विभागीय कार्य होने हैं उनके नाम | कार्य संख्या |
|---------|------------------|---|--------------|
| 2022-23 | नारायणपुर | बिगड़े वनों का सुधार प्रथम वर्ष | 5 |
| | | चेन्दरू पार्क निर्माण कार्य | 1 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार द्वितीय वर्ष | 5 |
| | | बांस वनों का पुनरोद्धार द्वितीय वर्ष | 1 |
| | | योग :- | 12 |
| | दक्षिण कोंडागांव | ए.एन.आर. कार्य तृतीय वर्ष अग्नि सुरक्षा कार्य | 2 |
| | | ए.एन.आर. कार्य द्वितीय वर्ष अग्नि सुरक्षा कार्य | 1 |
| | | बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष | 2 |
| | | प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य प्रथम वर्ष | 1 |
| | | पंचवर्षीय सीमांकन मद अंतर्गत पक्का मुनारा निर्माण कार्य | 48 |
| | | योग :- | 54 |
| | | योग (2022-23) :- | 66 |
| | | कुलयोग (2021-22 एवं 2022-23) :- | 66 |

अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)

छत्तीसगढ़, अटल नगर
५५४

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीशेष - ग्यारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 398) की जानकारी

प्रपत्र—“अ”

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का उद्देश्य

- (1) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन (संचार) से संबंधित अधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन कार्य हेतु विभागीय प्रावधान के अतिरिक्त तात्कालिक आवश्यकता के अनुक्रम में समुचित वित्त पोषण की व्यवस्था करना।
- (2) निर्मित अधोसंरचनाओं को बेहतर रख-रखाव एवं उन्नयन के माध्यम से जनसामान्य हेतु अधिकाधिक उपयोगी बनाने में संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को सलाह देना।
- (3) जन आकांक्षाओं के अनुरूप निर्मित अधोसंरचनाओं को बेहतर रख-रखाव एवं उन्नयन के कार्यों की त्वरित स्वीकृति करना।

—000—



अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-“ब”

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की वचुअल बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों का नाम व पदनाम

| क्रमांक | नाम | पदनाम |
|---------|-------------------------------|---|
| 01 | श्री चकधर सिंह सिदार | माननीय उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण |
| 02 | श्री मोहित राम | माननीय उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण |
| 03 | श्री ताम्रध्वज साहू | माननीय मंत्री, लोक निर्माण, गृह, जेल धार्मिक न्यास धर्मस्व, पर्यटन |
| 04 | डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम | माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा सहकारिता |
| 05 | श्री मोहम्मद अकबर | माननीय मंत्री, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विधि एवं विधायी कार्य |
| 06 | श्री कवासी लखमा | माननीय मंत्री, वाणिज्य कर (आबकारी) वाणिज्य एवं उद्योग |
| 07 | श्रीमती अनिला भेड़िया | माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण |
| 08 | श्री गुरु रुद्र कुमार | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग |
| 09 | श्री उमेश पटेल | माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण |
| 10 | श्री अमरजीत भगत | माननीय मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक सांख्यिकी, संस्कृति |
| 11 | श्री आशीष कुमार छाबड़ा | माननीय विधायक, बेमेतरा |
| 12 | श्री अनूप नाग | माननीय विधायक, अंतागढ़ |
| 13 | श्रीमती ममता चन्द्राकर | माननीय विधायक, पण्डरिया |
| 14 | श्री अमिताभ जैन | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन |
| 15 | श्री सुब्रत साहू | अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 16 | डॉ. आलोक शुक्ला | प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग |
| 17 | श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी | सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सदस्य सचिव, मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण |
| 18 | श्रीमती अलरमेलमंगई डी. | सचिव, वित्त विभाग |
| 19 | श्री डी.डी. सिंह | सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| 20 | श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले | सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग |
| 21 | श्री एस. भारतीदासन | विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी |
| 22 | श्री तीरथ प्रसाद लड़िया | उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय |
| 23 | श्री शिव कुमार ब्रम्हे | अनुभाग अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय |

---000---


अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र - "स"

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण अंतर्गत प्राप्त एवं विभाग को आबंटित राशि की
जानकारी
वित्तीय वर्ष 2021-2022

राशि लाख में

| क्रमांक | बजट शीर्ष | कुल प्रावधानित राशि | स्कूल शिक्षा विभाग को आबंटित राशि | स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्ययित राशि | जिस कार्य हेतु व्यय किया गया |
|---------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | राजस्व अनुभाग | | | | |
| 1 | 02-2052-090-6452-14-001- स्थापना अनुदान एव 012 अन्य अनुदान | 31555 | 14724.05 | 13858.12 | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं शालाओं के आकस्मिक व्यय हेतु। |
| 2 | 02-2052-090-6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान | 845 | 845 | 400 | "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021" अंतर्गत 5747 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। |
| | योग | 32400 | 15569.05 | 14258.12 | |
| | पूंजी अनुभाग | | | | |
| 3 | 02-800-0101-6452-45-001- पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण | 8000 | 0 | 0 | कोई व्यय नहीं किया गया। |
| | योग | 8000 | 0 | 0 | |
| | महायोग (1+2+3) | 40400 | 15569.05 | 14258.12 | |

वित्तीय वर्ष 2022-2023

दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में

राशि लाख में

| क्रमांक | बजट शीर्ष | कुल प्रावधानित राशि | स्कूल शिक्षा विभाग को आबंटित राशि | स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्ययित राशि | जिस कार्य हेतु व्यय किया गया |
|---------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | राजस्व अनुभाग | | | | |
| 1 | 02-2052-090-6452-14-001- स्थापना अनुदान एव 012 अन्य अनुदान | 32000 | 20455 | 18348.15 | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं शालाओं के आकस्मिक व्यय हेतु। |
| 2 | 02-2052-090-6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान | 400 | 400 | 400 | "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021" अंतर्गत 5578 विद्यार्थियों को राशि रुपये 4 करोड़ (चार करोड़) की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। |
| | योग | 32400 | 20855 | 18748.15 | |
| | पूंजी अनुभाग | | | | |
| 3 | 02-800-0101-6452-45-001- पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण | 8000 | 0 | 0 | कोई व्यय नहीं किया गया। |
| | योग | 8000 | 0 | 0 | |
| | महायोग (1+2+3) | 40400 | 20855 | 18748.15 | |


अनुभाग अधिकारी
सामाजिक प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
राज्य सरकार (छ.ग.)

परिशेष - बारह
परिवातत अतारांकत प्रश्न संख्या 5 (क्र. 439) की जानकारी

प्रपत्र

जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त योजनाओं की जानकारी

| क्र. | जिला | वर्ष | ग्राम की संख्या | योजना की संख्या | स्वीकृत लागत (रु. करोड़ में) |
|-------|--------|---------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रायगढ़ | 2020-21 | 317 | 402 | 161.20 |
| 2 | | 2021-22 | 669 | 816 | 612.15 |
| | | | समूह जल प्रदाय योजना | 4 | 265.03 |
| 3 | | 2022-23 | 421 | 631 | 457.53 |
| | | | समूह जल प्रदाय योजना | 2 | 189.62 |
| कुल - | | | 1407 | 1855 | 1685.53 |


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य ग्रामिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - तेरह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 605) की जानकारी

प्रपत्र अ

वर्तमान में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी

| क. | पदनाम | पदस्थापना आदेश दिनांक |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1 | परिवहन निरीक्षक | दिनांक 01.09.2022 |
| 2 | परिवहन निरीक्षक | दिनांक 01.09.2022 |
| 3 | परिवहन उप निरीक्षक | दिनांक 01.09.2022 |
| 4 | परिवहन प्रधान आरक्षक | दिनांक 01.09.2022 |
| 5 | परिवहन आरक्षक | दिनांक 01.09.2022 |


अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन नया रावपुर

प्रपत्र-व

| क्र. | अवधि | गाड़ियों की संख्या | राजस्व वसूली (रूपये में) |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | 2021-2022 | 48641 | 10,55,55,596/- |
| 2. | 2022-2023 (दिनांक 31.01.2023 तक) | 57346 | 12,35,19,099/- |



 अनुभाग अधिकारी
 परिवहन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर

परिशेष - चौदह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 843) की जानकारी

प्रपत्र

कार्य एजेंसी का विवरण

| क्र. | योजना में स्वीकृत कार्यो का विवरण | एजेंसी का नाम |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | इंटेकवेल कम पंप हाउस एवं 3.5 एम.एल.डी. जल शुद्धिकरण संयंत्र | मेसर्स सर्वापूर्ता कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. कोलकाता (पश्चिम बंगाल) |
| 2 | रॉ-वॉटर एवं क्लीयर वाटर सब स्टेशन | मेसर्स भारती इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव (छ.ग.) |
| 3 | रॉ-वॉटर पंप एवं क्लीयर वाटर पंप | मेसर्स आर.पी.जी. इन्फ्रास्ट्रचर्स जगदलपुर |
| 4 | रॉ-वाटर पंपिंगमेन एवं क्लीयर वाटर पंपिंगमेन | मेसर्स श्री राजेन्द्र कुमार पोद्दार, मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया |
| 5 | क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन | मेसर्स महामाया कंस्ट्रक्शन, रायपुर (छ.ग.) |
| 6 | जल वितरण नालिका | मेसर्स याना एसोसिएट, रायपुर (छ.ग.) |
| 7 | आर.सी.सी. एम.बी.आर एवं आर.सी.सी. उच्चस्तरीय जलागार | मेसर्स सुनील कुमार जजोदिया, बिलासपुर (छ.ग.) |
| 8 | धीरी समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत 24 ग्रामों में 28 नग सूचना फलक बोर्ड लगाने का कार्य। | गेरार्स आस्था कंस्ट्रक्शन, सुपेला, भित्ताई जिला-दुर्ग (छ.ग.) |


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - पन्द्रह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 883) की जानकारी

प्रपत्र

अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की जानकारी

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1) | राज्यपाल सचिवालय | 0 | 3 |
| | | छ.ग. लोक सेवा आयोग | 23 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-4) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5) | 22 | 7 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7) | कार्यालय आयुक्त विभागीय जांच | 3 | 0 |
| | | कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) | 5 | 0 |
| | | छ.ग. मानव अधिकार आयोग | 0 | 0 |
| | | छ.ग. लोक आयोग | 2 | 0 |
| | | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छ.ग. | 0 | 0 |
| | | एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. | 2 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण शाखा) | 0 | 0 | |
| सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) | 0 | 0 | | |

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या | |
|-----|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (लेखाशाखा) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (जनशिकायत निवारण) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग | 35 | 0 |
| 2 | संसदीय कार्य विभाग | 0 | 0 | |
| 3 | धार्मिक न्यास एवं धमस्व विभाग | 0 | 0 | |
| 4 | इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 73 | 52 | |
| 5 | संस्कृति विभाग | द.वे.भो. | 118 | 0 |
| | | आउट सोर्सिंग | 77 | |
| 6 | समाज कल्याण विभाग | 229 | 11 | |
| 7 | सार्वजनिक उपक्रम विभाग | 0 | 0 | |
| 8 | पर्यटन विभाग | द.वे.भो. | 25 | 1 |
| | | आउट सोर्सिंग | 213 | 0 |
| 9 | जल संसाधन विभाग | 908 | 1 | |
| 10 | गृह जेल विभाग | 0 | 0 | |
| 11 | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 0 | 7 | |
| 12 | जनसंपर्क विभाग | 168 | 6 | |
| 13 | उर्जा विभाग | 82 | 2685 | |
| 14 | ग्रामोद्योग विभाग | ग्रामोद्योग संचालनालय, हथकरघा प्रभाग | 7 | 0 |
| | | भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान | 9 | 9 |
| | | ग्रामोद्योग संचालनालय, रेशम प्रभाग | 7 | 0 |
| | | छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग | 52 | 0 |
| | | छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड | 0 | 0 |
| | | छ.ग. माटी कला बोर्ड | 0 | 0 |

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या | |
|-----|--|--|------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ | 278 | 10 | |
| 15 | लोक निर्माण विभाग | 6052 | 2 | |
| 16 | विमानन विभाग | 22 | 50 | |
| 17 | परिवहन विभाग | 74 | 1 | |
| 18 | बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग | 2 | 0 | |
| 19 | योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 74 | 44 | |
| 20 | खनिज साधन विभाग | 0 | 0 | |
| 21 | कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 4423 | 0 | |
| 22 | वन एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग | वन विभाग+औषधि पादप बोर्ड+संघ+निगम | 6606 | 113 |
| 23 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 10466 | 5426 | |
| 24 | आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग | 7744 | 22 | |
| 25 | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग | 1849 | 0 | |
| 26 | महिला एवं बाल विकास विभाग | 452 | 637 | |
| 27 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 5054 | 25738 | |
| 28 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 0 | 0 | |
| 29 | चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग | 0 | 451 | |
| 30 | पशुधन विकास विभाग | 0 | 183 | |

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या | |
|-----|---|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 31 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 0 | 0 | |
| 32 | आवास एवं पर्यावरण विभाग | 10 | 30 | |
| 33 | उच्च शिक्षा विभाग | 0 | 0 | |
| 34 | वित्त विभाग | 62 | 12 | |
| 35 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 0 | 8 | |
| 36 | कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | 254 | 375 | |
| 37 | मछली पालन विभाग | 0 | 0 | |
| 38 | श्रम विभाग | 4 | 19 | |
| 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 2149 | 8 | |
| 40 | सहकारिता विभाग | 24 | 1 | |
| 41 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | उद्योग संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालय | 19 | 0 |
| 42 | वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) | 14 | 1 | |
| 43 | वाणिज्यिक कर (आबकारी) | 8 | 0 | |
| 44 | वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) | 99 | 0 | |
| 45 | स्कूल शिक्षा विभाग | 2294 | 925 | |
| 46 | गृह (पुलिस) विभाग | नगर सेना, अग्निमिशन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ | 27 | 0 |
| | | भा.पु.से. तथा संचालनालय सैनिक कल्याण | 0 | 0 |
| | | संचालनालय लोक अभियोजन | 10 | 0 |
| | | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला | 16 | 8 |

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या |
|---------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | पुलिस मुख्यालय | 239 | 25 |
| 47 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | पुर्नवास आयुक्त कार्यालय | 0 |
| | | राहत आयुक्त कार्यालय | 0 |
| कुल योग | | 50385 | 36871 |


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)

परिशेष - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 919) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र. | जिला का नाम | वित्तीय वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत का विवरण | | | कार्य की अद्यतन स्थिति | |
|------|-------------|--------------|-----------|--|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि (लाख में) | खय राशि (लाख में) | पूर्ण (संख्या में) | अपूर्ण (संख्या में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | क्षतिपूर्व वृक्षारोपण रखरखाव कार्य | 16 | 24.35 | 4.80 | 16 | 0 |
| 2 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | नर्सरी विस्तार कार्य | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 3 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | फलदार वृक्षारोपण | 2 | 18.77 | 13.84 | 0 | 2 |
| 4 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | जागरूकता कार्यक्रम | 6 | 2.54 | 0.31 | 1 | 5 |
| 5 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | दैनिकीक फेंसिंग कार्य | 1 | 135.00 | 43.41 | 0 | 1 |
| 6 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | प्रवेश द्वार निर्माण | 1 | 1.75 | 0.00 | 0 | 1 |
| 7 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | वाटर हाईस्टींग स्ट्रक्चर | 1 | 44.06 | 24.33 | 0 | 1 |
| 8 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | जड़ू ट्रेच | 2488 | 4.47 | 0.00 | 0 | 2488 |
| 9 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | पुराने बास पैरा सफाई कार्य | 3 | 7.94 | 7.74 | 3 | 0 |
| 10 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | अतिवैदिकनशील क्षेत्र में (दैनिकीक फेंसिंग कार्य) | 2 | 183.38 | 0.00 | 0 | 2 |
| 11 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | हसदेव मदी नदीतट हेतु क्षेत्र तैयारी | 1 | 14.23 | 12.84 | 1 | 0 |
| 12 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | हसदेव नदी नदीतट रोपण कार्य | 1 | 2.57 | 2.26 | 1 | 0 |
| 13 | जाजगीर-चापा | 2021-22 | कैम्पा | लेपटना उच्चलन कार्य | 25 | 35.42 | 21.75 | 15 | 10 |

| क्र. | जिला का नाम | वित्तीय वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत का विवरण | | | कार्य की अद्यतन स्थिति | |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | पूर्ण (संख्या में) | अपूर्ण (संख्या में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | नया फायर लाईन निर्माण कार्य | 1 | 0.38 | 0.00 | 0 | 1 |
| 15 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | अग्नि सुरक्षा | 29 | 10.68 | 10.09 | 29 | 0 |
| 16 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | वन सुरक्षा पेट्रोलिंग पार्टिस | 4 | 12 | 10.73 | 4 | 0 |
| 17 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | संवैदन शील क्षेत्र में सुरक्षा | 10 | 9.64 | 5.84 | 10 | 0 |
| 18 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | ब्रशयुड चेकडेम निर्माण | 20 | 0.28 | 0.28 | 20 | 0 |
| 19 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | लूज बोल्डर चैक डेम निर्माण कार्य | 46 | 1.83 | 1.83 | 46 | 0 |
| 20 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | कंदूर ट्रेंच निर्माण कार्य | 16827 | 28.25 | 27.96 | 16652 | 175 |
| 21 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | वाटर अब्जर्प्शन टैंक निर्माण कार्य | 4278 | 26.93 | 25.94 | 4118 | 160 |
| 22 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | पोंड/डबरी/तालाब निर्माण कार्य | 3 | 37.12 | 0.00 | 0 | 3 |
| 23 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | सैवियन संरचना निर्माण कार्य | 4 | 3.91 | 0.00 | 0 | 4 |
| 24 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | चारागाह विकास कार्य | 4 | 23.64 | 1.61 | 0 | 4 |
| 25 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | जैव विविधता पंजी निर्माण कार्य | 250 | 287.5 | 0.00 | 0 | 250 |
| 26 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | वनरक्षक भवन निर्माण कार्य | 1 | 5.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 27 | जांजगीर-चांपा | 2021-22 | कैम्पा | सी.सी. रोड निर्माण | 2 | 9.91 | 3.85 | 2 | 0 |
| | | | | | 24028 | 1032.02 | 219.41 | 20918 | 3110 |
| योग : वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | | | 24028 | 1032.02 | 219.41 | 20918 | 3110 |

| क्र. | जिला का नाम | वित्तीय वर्ष | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत का विवरण | | | | कार्य की अद्यतन स्थिति | |
|------|---------------|---------------------------|-----------|--|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | पूर्ण (संख्या में) | अपूर्ण (संख्या में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 28 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव कार्य | 16 | 24.35 | 3.06 | 16 | 0 | |
| 29 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर | 1 | 39.69 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 30 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | हसादेवनदी नदीतट रोपण कार्य | 1 | 5.51 | 4.01 | 1 | 0 | |
| 31 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | नदीतट वृक्षारोपण रखरखाव कार्य | 1 | 1.83 | 1.22 | 1 | 0 | |
| 32 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | लेण्टाना उन्मूलन रखरखाव कार्य | 7 | 5.53 | 0.00 | 7 | 0 | |
| 33 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | स्ट्राईक फ़ोर्स वाहनों के रखरखाव कार्य | 1 | 1.28 | 1.26 | 1 | 0 | |
| 34 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | वन सुरक्षा पेट्रोलिंग पार्टिस | 4 | 12 | 8.13 | 4 | 0 | |
| 35 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण कार्य | 969 | 48.63 | 11.24 | 0 | 969 | |
| 36 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | गैबियन संरचना निर्माण कार्य | 49 | 60.04 | 0.00 | 0 | 49 | |
| 37 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | स्टेगर्ड कटूर / कंटिन्यूअस कटूर ट्रेंच निर्माण कार्य | 18698 | 48.13 | 0.00 | 0 | 18698 | |
| 38 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | वाटर अब्जर्प्शन टैंक निर्माण कार्य | 318 | 2.09 | 0.00 | 0 | 318 | |
| 39 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य | 13 | 61.23 | 0.00 | 0 | 13 | |
| 40 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | स्टोन कटूर बंड निर्माण कार्य | 5050 | 56.49 | 0.00 | 0 | 5050 | |

| क्र. | जिला का नाम | वित्तीय वर्ष | भद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत का विवरण | | | | कार्य की अद्यतन स्थिति | |
|---|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | कार्य संख्या | स्वीकृत राशि (लाख में) | व्यय राशि (लाख में) | पूर्ण (संख्या में) | अपूर्ण (संख्या में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | संवेदन शील क्षेत्र में सुरक्षा | 10 | 10.77 | 3.33 | 10 | 0 | |
| 42 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | फलदार वृक्षारोपण कार्य | 2 | 7.6 | 4.75 | 2 | 0 | |
| 43 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | सी.सी.रोड निर्माण कार्य | 1 | 7.08 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 44 | जांजगीर-चांपा | 2022-23 31/01/2023 तक) | कैम्पा | नाली निर्माण कार्य | 1 | 4.49 | 0.00 | 0 | 1 | |
| | | | | | 25142 | 396.74 | 37.00 | 42 | 25100 | |
| महायोग : जिला जांजगीर-चांपा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 दिनांक 31/01/2023 तक | | | | | 49170 | 1428.76 | 256.41 | 20960 | 28210 | |

13.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष - सत्रह

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 933) की जानकारी

प्रपत्र-अ

घरेलू नल कनेक्शन लाभान्वित ग्रामीण परिवारों की जानकारी

| क्र. | जिला | जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ से दिनांक 31.01.2023 तक ग्रामीण परिवारों को लक्षित घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | दिनांक 01-04-2019 की स्थिति में घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | लगाये गये घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | | | | कुल घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या | शेष घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या |
|------|---------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 (31-01-2023 तक) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | रायपुर | 184335 | 23786 | 6853 | 9647 | 23709 | 54509 | 118504 | 65831 |
| 2 | बलौदाबाजार | 297175 | 18870 | 2070 | 13608 | 13255 | 46710 | 94513 | 202662 |
| 3 | गरियाबांद | 153279 | 17688 | 3116 | 2331 | 11559 | 32522 | 67216 | 86063 |
| 4 | धमतरी | 155130 | 15754 | 12363 | 11061 | 30696 | 40710 | 110584 | 44546 |
| 5 | महासमुन्द | 238617 | 6924 | 4376 | 6979 | 20606 | 44258 | 83143 | 155474 |
| 6 | दुर्ग | 153476 | 15702 | 14366 | 9753 | 13688 | 30263 | 83772 | 69704 |
| 7 | बालोद | 176003 | 10535 | 2457 | 2185 | 12881 | 41742 | 69800 | 106203 |
| 8 | बेमेतरा | 175992 | 18714 | 2257 | 0 | 19281 | 35665 | 75917 | 100075 |
| 9 | राजनांदगांव | 294011 | 50248 | 1901 | 5228 | 27207 | 57067 | 141651 | 152360 |
| 10 | कबीधाम | 195335 | 4839 | 14086 | 0 | 22569 | 47025 | 88519 | 106816 |
| 11 | बिलासपुर | 249304 | 25017 | 1271 | 0 | 20584 | 29840 | 76712 | 172592 |
| 12 | जी.पी.एम. | 79450 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 12805 | 15635 | 63815 |
| 13 | मुंगेली | 168290 | 1952 | 1236 | 0 | 18563 | 47024 | 68775 | 99515 |
| 14 | कोरबा | 205380 | 8090 | 776 | 0 | 15000 | 20162 | 44028 | 161352 |
| 15 | जांजगीर-चांपा | 410050 | 31296 | 9261 | 0 | 27768 | 77477 | 145802 | 264248 |
| 16 | रायगढ | 342869 | 19658 | 2825 | 0 | 40065 | 41824 | 104372 | 238497 |
| 17 | सरगुजा | 183290 | 2071 | 816 | 0 | 13025 | 26706 | 42618 | 140672 |
| 18 | बलरामपुर | 186535 | 885 | 509 | 0 | 13274 | 27862 | 42530 | 144005 |
| 19 | सूरजपुर | 176383 | 3247 | 927 | 0 | 13437 | 26349 | 43960 | 132423 |

| क्र. | जिला | जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ से दिनांक 31.01.2023 तक ग्रामीण परिवारों को लक्षित घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | दिनांक 01-04-2019 की स्थिति में घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | लगाये गये घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | | | | | कुल घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या | शेष घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या |
|------|------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 (31-01-2023 तक) | वर्ष 2022-23 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | कोरिया | 133691 | 3208 | 388 | 0 | 11491 | 28250 | 43337 | 90354 | |
| 21 | जशपुर | 211728 | 6040 | 450 | 0 | 11747 | 34460 | 52697 | 159031 | |
| 22 | बस्तर | 164498 | 11926 | 7759 | 0 | 8338 | 33997 | 62020 | 102478 | |
| 23 | दन्तेवाडा | 51983 | 440 | 126 | 0 | 9178 | 17658 | 27402 | 24581 | |
| 24 | सुकमा | 68868 | 2634 | 1807 | 0 | 4279 | 13879 | 22599 | 46269 | |
| 25 | बीजापुर | 47090 | 1019 | 573 | 0 | 7308 | 17817 | 26717 | 20373 | |
| 26 | कोण्डागांव | 124482 | 2926 | 1314 | 323 | 7295 | 34261 | 46119 | 78363 | |
| 27 | कांकेर | 151402 | 8338 | 2327 | 442 | 22618 | 23370 | 57095 | 94307 | |
| 28 | नारायणपुर | 29364 | 3322 | 617 | 52 | 1702 | 6452 | 12145 | 17219 | |
| | योग | 5008010 | 315129 | 96827 | 61609 | 443953 | 950664 | 1868182 | 3139828 | |

Mud
अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अदल नगर

प्रपत्र-ब

'क' कार्यालय मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, रायपुर द्वारा जिलेवार जारी केन्द्रांश राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की वर्षवार जानकारी


(राशि रु. करोड़ में)

| क्र. | खंड कार्यालय का नाम | जिलेवार एवं वर्षवार जारी केन्द्रांश राशि, व्यय राशि, शेष राशि का विवरण | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) | |
| | | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | जल जीवन मिशन राज्य कार्यालय | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0042 | 0.1158 | 0.1200 | 0.0446 | 0.0754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | का.अं. खंड, रायपुर | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3611 | 11.0961 | 0.2651 | 42.3100 | 38.1395 | 4.1705 | 78.8489 | 77.4826 | 1.3664 | | |
| 3 | का.अं. खंड, बलौदा बाजार | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 | 10.1797 | 8.1025 | 2.0772 | 15.0815 | 13.4904 | 1.5911 | 61.4151 | 59.6262 | 1.7889 | | |
| 4 | का.अं. खंड, मरियाबंद | 0.6350 | 0.4662 | 0.1688 | 12.8184 | 11.9664 | 0.8520 | 15.7900 | 14.9172 | 0.8728 | 27.6898 | 27.4671 | 0.2228 | | |
| 5 | का.अं. खंड, महासमुंद्र | 0.4250 | 0.3086 | 0.1164 | 6.4871 | 3.1633 | 3.3238 | 31.7100 | 29.0754 | 2.6346 | 62.1235 | 61.8216 | 0.3019 | | |
| 6 | का.अं. खंड, धमतरी | 0.2419 | 0.2419 | 0.0000 | 8.1650 | 5.8293 | 2.3357 | 24.2280 | 21.2921 | 2.9359 | 55.2404 | 51.3893 | 3.8511 | | |
| 7 | का.अं. खंड, दुर्ग | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7986 | 1.6341 | 0.1645 | 8.9453 | 8.0829 | 0.8624 | 29.9409 | 27.3175 | 2.6234 | | |
| 8 | का.अं. खंड, बेमेतरा | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8244 | 5.2033 | 0.6211 | 24.4745 | 22.3867 | 2.0878 | 50.3502 | 47.4959 | 2.8543 | | |
| 9 | का.अं. खंड, बालेद | 0.2595 | 0.1103 | 0.1492 | 10.8775 | 7.9980 | 2.8795 | 10.3928 | 9.8343 | 0.5585 | 58.0154 | 56.7483 | 1.2671 | | |
| 10 | का.अं. खंड, राजनांदगांव | 0.3729 | 0.3414 | 0.0316 | 15.1681 | 11.8877 | 3.2803 | 30.9544 | 26.4132 | 4.5412 | 68.5672 | 67.4928 | 1.0744 | | |
| 11 | का.अं. खंड, कबीरधाम | 0.0869 | 0.0663 | 0.0207 | 10.7786 | 9.6547 | 1.1240 | 24.4890 | 22.2908 | 2.1982 | 45.4067 | 43.5198 | 1.8869 | | |
| 12 | का.अं. खंड, बिलासपुर | 0.1300 | 0.0608 | 0.0693 | 15.9539 | 13.6286 | 2.3253 | 14.8800 | 12.3625 | 2.5175 | 32.8507 | 31.5639 | 1.2868 | | |
| 13 | का.अं. खंड, मुंगेली | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0694 | 9.0367 | 3.0327 | 17.1588 | 14.8762 | 2.2826 | 41.9375 | 41.2939 | 0.6435 | | |
| 14 | का.अं. खंड, जाजगीर-बाग्पा | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 41.1474 | 36.6402 | 4.5072 | 51.8454 | 47.7624 | 4.0830 | 104.6182 | 98.3323 | 6.2859 | | |
| 15 | का.अं. खंड, कोरबा | 1.4650 | 0.4838 | 0.9813 | 8.1523 | 5.9485 | 2.2038 | 15.4219 | 14.4139 | 1.0080 | 21.7071 | 20.8951 | 0.8120 | | |
| 16 | का.अं. खंड, रायगढ़ | 1.5500 | 1.4741 | 0.0760 | 23.2847 | 16.7191 | 6.5657 | 32.9411 | 28.4707 | 4.4704 | 53.4243 | 49.1334 | 4.2909 | | |
| 17 | का.अं. खंड, गोरिया-पण्डा-मरवाही | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | का.अं. खंड, अम्बिकपुर | 1.4377 | 1.0562 | 0.3816 | 8.1254 | 7.0679 | 1.0575 | 21.4780 | 18.8365 | 2.6415 | 39.8333 | 25.9537 | 13.8796 | | |
| 19 | का.अं. खंड, बलरामपुर | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 6.2614 | 5.4085 | 0.8528 | 13.3125 | 12.8320 | 0.4806 | 27.1072 | 25.6705 | 1.4367 | | |
| 20 | का.अं. खंड, सूजपुर | 1.0908 | 0.6637 | 0.4272 | 10.0670 | 9.0090 | 1.0580 | 11.9466 | 11.3103 | 0.6363 | 35.3245 | 32.7913 | 2.5332 | | |
| 21 | का.अं. खंड, कोरिया | 1.1000 | 1.0430 | 0.0571 | 14.0700 | 8.8798 | 5.1903 | 28.3609 | 27.7780 | 0.5829 | 49.8740 | 43.9952 | 5.8788 | | |
| 22 | का.अं. खंड, नाशपुर | 0.4368 | 0.4368 | 0.0000 | 12.2650 | 12.0683 | 0.1967 | 26.0650 | 25.7293 | 0.3357 | 23.0146 | 18.7591 | 4.2555 | | |
| 23 | का.अं. खंड, जगदलपुर | 1.2480 | 1.2209 | 0.0272 | 3.0448 | 2.9677 | 0.0771 | 15.9700 | 15.4240 | 0.5460 | 16.0266 | 15.6332 | 0.3934 | | |
| 24 | का.अं. खंड, देतवाड़ा | 0.0811 | 0.0095 | 0.0716 | 1.6660 | 1.5156 | 0.1505 | 7.0261 | 6.9926 | 0.0335 | 16.4699 | 13.6301 | 2.8398 | | |
| 25 | का.अं. खंड, सुकमा | 0.4200 | 0.0000 | 0.4200 | 2.8128 | 2.5397 | 0.2731 | 5.7412 | 5.3014 | 0.4398 | 16.3743 | 16.2617 | 0.1126 | | |
| 26 | का.अं. खंड, बीजापुर | 0.2000 | 0.1381 | 0.0620 | 1.3719 | 1.2420 | 0.1300 | 10.5902 | 9.7246 | 0.8656 | 24.0946 | 23.6432 | 0.4514 | | |
| 27 | का.अं. खंड, कोण्डागांव | 0.6809 | 0.5552 | 0.1258 | 3.5853 | 3.4843 | 0.1011 | 9.9338 | 8.9318 | 1.0021 | 39.6245 | 39.4610 | 0.1635 | | |

(राशि रु. करोड़ में)

| क्र. | खंड कार्यालय का नाम | जिलेवार एवं वर्षवार जारी केन्द्रांश राशि, व्यय राशि, शेष राशि का विवरण | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|----------|
| | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) | | |
| | | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि | जारी राशि | व्यय राशि | शेष राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 28 | का.अ. खंड, नारायणपुर | 0.7200 | 0.7134 | 0.0066 | 1.7190 | 1.6480 | 0.0710 | 8.9800 | 7.8705 | 1.1095 | 18.6960 | 18.1389 | 0.5571 | | | |
| 29 | का.अ. खंड, काकेर | 1.3550 | 1.3550 | 0.0000 | 9.0008 | 8.7801 | 0.2207 | 26.6216 | 24.6586 | 1.9630 | 39.2568 | 38.2309 | 1.0359 | | | |
| | कुल | 14.8715 | 11.6796 | 3.1919 | 268.1756 | 223.1233 | 45.0523 | 546.7687 | 499.2422 | 47.5265 | 1147.6511 | 1081.9633 | 65.6878 | | | |

टीप: जिला में शेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त मुख्यालय द्वारा वापस ले लिया जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष में उपयोग हेतु जिला को जारी किया जाता है।


 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - अट्टारह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 943) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र.सं. | व्यक्ति का नाम | वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक संघर्षित वन प्रबंधन समितियों की संख्या | वित्तीय वर्ष | संघर्षित वन प्रबंधन समितियों को प्रदत्त धनराशि एवं कराये गए कार्य का विवरण | | | मूलभूत सुविधाओं हेतु विकास कार्य (बीजली, पानी, सड़क) ग्राम पर्यायों एवं अन्य विभागों द्वारा प्राप्त आवेदन की स्थिति | | | | | टिप्पणियाँ |
|---------|----------------|--|----------------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|---|----|------------|
| | | | | वृत्त का नाम | प्रदत्त धनराशि | कराये गए कार्य | प्राप्त आवेदन | निराकृत आवेदन | लक्षित आवेदन | लक्षित आवेदन का निष्कारण कर तक क्रिया कार्य | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | तालाब गहरीकरण कार्य | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | कच्चा |
| 2 | | | | | | संवर्धन | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | बनमंडल |
| 3 | | | 2020-21 | | 0.00 | सी.सी.रोड निर्माण 100 मी | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | कच्चा |
| 4 | | | | | | सांघुदायिक संर संघ निर्माण | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | अंशतः |
| 5 | | | | | | पुलनीकरण कार्य | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | वन प्राय |
| 6 | | | | | | पत्ती मुल्कीकरण कार्य | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | सही है। |
| 7 | | | | | 0.00 | 2020-21 कुल योग- | 60.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | 169.74 | सी.सी.रोड निर्माण | 34.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | | 2021-22 | | | तालाब गहरीकरण क्र.क्र. 114 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 293 | | | | मुल्कीकरण कार्य | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | सांघुदायिक सांस्कृतिक संघ निर्माण | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2021-22 कुल योग- | 48.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | | 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) | | | सुरक्षा कार्य | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | | | | | बोरखानन कार्य | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | | | | | सुरक्षा कार्य | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2022-23 कुल योग- | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक
(संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विरलेषण)

परिशेष - उन्निस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 948) की जानकारी

प्रपत्र अ

(राशि रु. लाख में)


| क्रमांक | वर्ष | योजना का नाम | ऋण | व्यवसाय | अनुदान |
|---------|---|--|-----------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2021-22 | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) | 3.00 | सेन्ट्रींग प्लेट | 1.050 |
| | | | 16.85 | फलाई एस ब्रिक्स | 5.8975 |
| | | | 25.00 | फलाईस ईट | 8.750 |
| | | | 3.00 | रेडीमेट वस्त्रोद्योग | 1.050 |
| | | | 0.50 | कालिन निर्माण | 0.175 |
| | | | 3.00 | इलेक्ट्रानिक मरम्मत | 0.750 |
| | | | 5.00 | सेन्ट्रींग प्लेट | 1.750 |
| | | | 5.26316 | ब्यूटी पार्लर | 1.84211 |
| | | | 3.00 | मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक रिपेरिंग | 1.050 |
| | | | 10.00 | जिम सेन्टर | 3.500 |
| | | | 22.00 | रबर प्रोडक्ट | 7.700 |
| | | | 10.00 | आटो वर्कशाप | 3.500 |
| | | | 10.00 | मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक रिपेरिंग | 3.500 |
| | | | 5.00 | रेडीमेट वस्त्रोद्योग | 1.250 |
| | | | 5.00 | इलेक्ट्रानिक मरम्मत | 1.750 |
| | | | 5.00 | आटो वर्कशाप | 1.750 |
| | | | 2.00 | फोटो कॉपी सेन्टर | 0.700 |
| | | | 2.00 | किराना एवं स्टेशनरी | 0.700 |
| | | | 2.00 | फोटो कॉपी सेन्टर | 0.700 |
| | | | 2.00 | फोटो कॉपी सेन्टर | 0.700 |
| 2.10526 | सेन्ट्रींग प्लेट | 0.73684 | | | |
| 2 | 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) | 2.00 | होटल | 0.700 |
| | | | 7.00 | मेडिकल पैथोलैब | 2.450 |
| | | | 10.00 | टेन्ट हाउस | 3.500 |
| | | | 10.00 | सेन्ट्रींग प्लेट | 3.500 |
| | | | 7.50 | सेन्ट्रींग प्लेट | 2.625 |
| | | | 5.00 | टेन्ट हाउस | 1.750 |
| | | | 10.00 | सेन्ट्रींग प्लेट | 3.500 |
| | | | 1.0526 | आटो वर्कशाप | 0.3684 |
| | | | 1.00 | किराना एवं स्टेशनरी | 0.350 |
| | | | 50.00 | मिनरल वाटर | 17.500 |
| | | | 10.00 | आटो वर्कशाप | 3.500 |
| | | | 2.00 | रेडीमेट वस्त्रोद्योग | 0.500 |
| | | | 25.00 | फलाई एस ब्रिक्स | 6.250 |
| | | | 6.00 | टेन्ट हाउस | 2.100 |
| | | | 5.00 | इलेक्ट्रिकल रिपेरिंग | 1.750 |
| | | | 3.00 | रेडीमेट वस्त्रोद्योग | 1.050 |
| | | | 25.00 | फलाई एस ब्रिक्स | 8.750 |
| | | | 5.00 | आटो वर्कशाप | 1.750 |
| | | | 5.00 | फोटो कापी कम्प्यूटर जाब वर्क | 1.750 |
| | | | 2.00 | रेडीमेट वस्त्रोद्योग | 0.700 |
| योग:- | | | 333.27102 | | 113.14485 |

अवर सचिव
उन्नीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग,
भदल नगर, रायपुर

प्रपत्र ब

(राशि रु. लाख में)

| क्रमांक | वर्ष | योजना का नाम | ऋण | व्यवसाय | अनुदान |
|---------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2021-22 | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (CMEGP) | 3.00 | वेकरी उद्योग | 1.050 |
| | | | 2.00 | हालर मिल एवं आटटा चक्की | 0.700 |
| | | | 0.50 | होटल | 0.175 |
| 2 | 2022-23 (दिनांक 31.01.2023 तक) | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (CMEGP) | 1.00 | सायकल मरम्मत | 0.35 |
| योग:- | | | 6.50 | | 2.275 |


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 ग्रामीण विकास विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारिशेष्ट - बीस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 966) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कोल वाशरी के संबंध में जानकारी

| क्र. | कोल वाशरी का नाम एवं पता | कोल वाशरी संचालन प्रारंभ दिनांक | कोल वाशरी संचालक का नाम | पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक | पर्यावरणीय स्वीकृतिस्थापना / संचालन सम्मति में/सम्मतिदी गई मुख्य शर्तें |
|------|---|---|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मेसर्स संभवी एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवागांव, गतौरी, तहसीलबिलासपुर, जिला बिलासपुर- | 01/05/2018 (क्षमता -0.96 मिलियन टन(वर्ष/ | 1. श्री अजय साह 2. श्री सत्यनारायण यादव | 05/10/2015 | जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने, गारलेण्ड ड्रेन एवं चेक डेम की स्थापना किये जाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने, वृक्षारोपण किये जाने, ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार उचित निपटान किये जाने की शर्तें दी गई हैं। |
| 2 | मेसर्स इंदरमणी कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-बेलतरा, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर | 02/04/2010 02/06/2014 (क्षमता विस्तार-1.2 मिलियन टन(वर्ष/ | 1. श्री अजय साह 2. श्री सत्यनारायण यादव | - 01/02/2010 | जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने, गारलेण्ड ड्रेन एवं चेक डेम की स्थापना किये जाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने, वृक्षारोपण किये जाने, ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार उचित निपटान किये जाने की शर्तें दी गई हैं। जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने, गारलेण्ड ड्रेन एवं चेक डेम की स्थापना किये जाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने, वृक्षारोपण किये जाने, ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार उचित निपटान किये जाने की शर्तें दी गई हैं। |
| 3 | मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्रामगतौरी, जिला-बिलासपुर | 01/09/2016 (क्षमता -14,40,000 टन(वर्ष/ | श्री शिखर अग्रवाल | 30/12/2010 | जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने, गारलेण्ड ड्रेन एवं चेक डेम की स्थापना किये जाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किये जाने, शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने, वृक्षारोपण किये जाने, ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार उचित निपटान किये जाने की शर्तें दी गई हैं। |


(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

दिनांक 01 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2023 की अवधि में प्रश्रुंकित कोलवाशरी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

| क्र. | कोल वाशरी का नाम एवं पता | शिकायत प्राप्ति दिनांक | निरीक्षण दिनांक | पाई गई स्थिति |
|------|---|------------------------|-----------------|--|
| 1- | मेसर्स संभवी एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्रामनवागांव-, गतौरी, तहसीलबिलासपुर-, जिला(ग.छ) बिलासपुर- | 28.11.2022 | 28/11/2022 | उद्योग का बाउण्ड्रीवाल कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त होना पाया गया, गारलेण्ड ड्रेन का उचित रखरखाव नहीं - किया जाना पाया गया, हाऊस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। |
| | | | 20/02/2023 | निरीक्षण दिवस उद्योग बंद पाया गया। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि को उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने के उपरांत ही पुनः उद्योग आरंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। |

(डी.आर.सोन्टपूर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशेष - इक्कीस
परिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 975) की जानकारी
"प्रपत्र"

| क्र. | खनिपट्टे धारी का नाम | कोयला खदान का नाम | स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में) | ग्राम/तहसील |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| जिला कोरबा | | | | |
| 1. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | सुराकछार | 5040.091 | सुराकछार/कटघोरा |
| 2. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | बलगी | | क्रबलगी/कटघोरा |
| 3. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | बांकी | | बांकी/कटघोरा |
| 4. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | रजगामार | 3486.577 | राजगामार/कोरबा |
| 5. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | मानिकपुर | 1899.440 | मानिकपुर/कोरबा |
| 6. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | ढेलवाडीह | 742.976 | ढेलवाडीह/कटघोरा |
| 7. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | सिंघाली | 862.266 | सिंघाली/कटघोरा |
| 8. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | बगदेवा | 1026.307 | बगदेवा/कटघोरा |
| 9. | एस.ई.सी.एल. कोरबा | सरईपाली | 311.655 | बुडबुड/पाली |
| 10. | एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा | कुसमुण्डा | 1631.953 | कुसमुण्डा/कटघोरा |
| 11. | एस.ई.सी.एल. गेवरा | गेवरा | 4184.486 | गेवरा/कटघोरा |
| 12. | एस.ई.सी.एल. दीपका | दीपका | 1999.363 | दीपका/कटघोरा |
| 13. | एस.ई.सी.एल. रानीअटारी | रानीअटारी | 350.000 | रानी अटारी/कोरबा |
| 14. | एस.ई.सी.एल. रानीअटारी | विजय वेस्ट | 425.000 | रानी अटारी/कोरबा |
| 15. | मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, जिला कोरबा | चोटिया | 1179.826 | चोटिया/पोंड़ी उपरोडा |
| जिला रायगढ़ | | | | |
| 1. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड | बरौंद | 1088.691 | बरौंद/घरघोड़ा |
| 2. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड | छाल | 1180.005 | छाल/धरमजयगढ़ |
| 3. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड | जामपाली | 559.149 | जामपाली/घरघोड़ा |
| 4. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड | बिजोरी | 266.015 | बिजोरी/घरघोड़ा |
| 5. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, | गारे पेलमा-IV/2-3 | 964.650 | डोंगामौहा, कोडकेल, सारसमाल, लिबरा एवं लमदरहा,/ तमनार |
| 6. | मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, | गारे पेलमा-IV/4 | 884.846 | कोडकेल, बनखेता एवं अन्य ग्राम/तमनार |
| 7. | मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमि. | गारे पेलमा-IV/8 | 474.703 | खम्हरिया, मीलूपारा, करवाही व अन्य,/तमनार |
| 8. | मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, | गारे पेलमा सेक्टर-III | 629.538 | ढोलनारा, बजरमुड़ा, करवाही, खम्हरिया एवं मिलूपारा/तमनार |

अनुभाग अधिकारी
खनिज रायन विभाग
मंगलसय, अटल नगर-492002

| क्र. | खनिपट्टे धारी का नाम | कोयला खदान का नाम | स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में) | ग्राम/तहसील |
|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड | तिलाईपाली | 2094.290 | अजीजगढ़, चोटीगुड़ा, रायकेरा, साल्हेपाली, तिलाईपाली, बिच्छीनारा, कुदुरमौहा, नयारामपुर, / घरघोड़ा |
| 10. | मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, | गारे पेलमा-IV/1 | 680.976 | डोंगामौहा, जांजगीर, धौराभाठा, नागरमुंडा एवं टपरंगा / तमनार |
| 11. | मेसर्स सारडा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड, | गारे पेलमा-IV/7 | 277.10 | करवाही सरईटोला, बजरमुंडा, ढोलनारा / तमनार |
| जिला सरगुजा | | | | |
| 1. | मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | परसा ईस्ट कांटे बासन | 2388.525 | परसा, केते, साल्ही, घाटबर्सा, हरिहरपुर एवं वनरेंज / उदयपुर |
| जिला सूरजपुर | | | | |
| 1. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, एरिया विश्रामपुर | कुम्दा 7/8 भूमिगत खदान | 499.000 | कमलापुर (अरसोता) / सूरजपुर |
| 2. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, एरिया विश्रामपुर | बलरामपुर भूमिगत खदान | 555.000 | बलरामपुर / सूरजपुर |
| 3. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, एरिया विश्रामपुर | आमगांव ओपन कास्ट परियोजना | 810.820 | आमगांव, साल्ही / रामानुजनगर |
| 4. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड एरिया विश्रामपुर | केतकी भूमिगत खदान | 548.650 | केतकी / सूरजपुर |
| 5. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड एरिया विश्रामपुर | रेहर भूमिगत खदान | 63.158 | रेहर, गेतरा / सूरजपुर |
| 6. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड एरिया विश्रामपुर | गायत्री भूमिगत खदान | 45.188 | गायत्री / सूरजपुर |
| 7. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, भटगांव क्षेत्र | भटगांव भूमिगत खदान | 1046.460 | भटगांव, दुग्गा, तेलगांव, कपसरा, बिसाही, बरौधी / भैयाथान |
| 8. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, भटगांव क्षेत्र | शिवानी भूमिगत खदान | 560.510 | बंशीपुर / प्रतापपुर |

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

| क्र. | खनिपट्टे धारी का नाम | कोयला खदान का नाम | स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में) | ग्राम/तहसील |
|--|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, भटगांव क्षेत्र | नवापारा भूमिगत खदान | 442.140 | गजाधर, लटोरी/सूरजपुर |
| 10. | साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, भटगांव क्षेत्र | (जगन्नाथपुर ओ.सी. परियोजना | 662.151 | जगन्नाथपुर, पम्पापुर तह. प्रतापपुर, चउरा, परसवारकला/राजपुर |
| जिला कोरिया | | | | |
| 1. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड बैकुण्ठपुर, | चरचा कालरी (यू.जी.) | 7000.807 | चरचा कालरी (यू.जी.) सीतापुर, रेजा कटगोड़ी (आ.वन)/सोनहत सरडी |
| 2. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड बैकुण्ठपुर, | कटकोना कालरी (यू.जी.) | 1130.929 | कटकोना 1, 2, 3, 4 (ये.जी.) कटकोना (आर.वन) / बैकुण्ठपुर |
| 3. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड बैकुण्ठपुर, | पाण्डवपारा कालरी | 1269.738 | पाण्डवपारा झिलमिली खोंड, सोरगा, टेमरी (आर.वन)(यू.जी.) / बैकुण्ठपुर |
| जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | | | | |
| 1. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, हसदेव, | वेस्ट झगराखांड (यू.जी.) | 2613.094 | वेस्ट झगराखांड (यू.जी.) साउथ वेस्ट झगराखांड बी.सीम पालकीमाड़ा खोगापानी, लेदरी, सोनहरी जंगल/ मनेन्द्रगढ़ |
| 2. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, | चिरमिरी कुरासिया कालरी | 457.539 | कुरासिया (यू.जी. /ओसी) भुकभुकी एवं चिरमिरी/मनेन्द्रगढ़ |
| 3. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड,चिरमिरी, | चिरमिरी कालरी (यू.जी./ओ.सी.) | 1359.744 | चिरमिरी (यू.जी. /ओसी)/मनेन्द्रगढ़ |
| 4. | मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, | चिरमिरी एन.सी. पी.एच. चिरमिरी कालरी (यू.जी.) | 1230.245 | बरतुंगा, चिरमिरी(यू.जी. /ओसी)/ मनेन्द्रगढ़ |



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002


परिशेष - बाईस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1003) की जानकारी

प्रपत्र

| बिंदानवागढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भेंट-मुलाकात दौरा कार्यक्रम में की गई घोषणाओं की जानकारी | |
|---|---|
| सं.क्र. | घोषणाओं का विवरण |
| 1 | कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल देवभोग में नवीन भवन का निर्माण । |
| 2 | बालक हायर सेकेण्ड्री स्कूल देवभोग के भवन का जीर्णोद्धार । |
| 3 | सीनापाली देवभोग में जिला सहकारी/ग्रामीण बैंक खोलने की घोषणा । |
| 4 | देवभोग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा । |
| 5 | विकासखण्ड मुख्यालय देवभोग में नया सर्वसुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण । |
| 6 | देवभोग कोष्टामुडा तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य । |
| 7 | आई.टी.आई. देवभोग का शहीद भोजराज टांडिल्य के नाम से नामकरण की घोषणा । |
| 8 | देवभोग झाखरपारा मार्ग बेलोट नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा । |
| 9 | ग्राम मुंगिया एवं झाखरपारा में पुल निर्माण की घोषणा । |
| 10 | झाखरपारा को उप तहसील बनाने की घोषणा । |
| 11 | ऋषि झरन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु राशि 30.00 लाख रुपये की घोषणा । |
| 12 | रीपा प्रोजेक्ट के तहत चिखली (गरियाबंद) मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की घोषणा |
| 13 | पुस्तकालय भवन निर्माण गरियाबंद |
| 14 | ग्राम पंटोरा ग्राम पंचायत कोदोबतर में 33/11 के व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना वि.ख. गरियाबंद |
| 15 | ग्राम दर्सीपारा-जैतपुरी-आमदी द मार्ग में पडने वाले सतीनाला में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण |
| 16 | ग्राम पंचायत इंदागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना वि.ख. मैनपुर |
| 17 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शोभा में भवन निर्माण की स्वीकृति वि.ख. मैनपुर |
| 18 | गरियाबंद विकासखण्ड के कचनाधुर्वा स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा |
| 19 | बम्हनीझोला से कोदोमाली सडक निर्माण एवं कोदोमाली में विद्युतीकरण वि.ख. मैनपुर |
| 20 | धुरवागुडी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल निर्माण |
| 21 | उरमाल में हायर सेकण्डरी स्कूल एवं हाई स्कूल भवन निर्माण |
| 22 | मैनपुरकला पहुंच मार्ग में मैनपुर नाला पर पुल निर्माण कार्य |
| 23 | राजापडाव -गौरगांव मार्ग में अडगडी नाला,बाघनाला, जरहीडीह नाला एवं शोभा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण |
| 24 | साहू समाज की मांग पर छात्रावास भवन निर्माण हेतु 25 लाख की घोषणा । |
| 25 | कोसरिया महारा समाज हेतु मोखागुडा ग्राम में सामाजिक भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गई । 20 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की गयी । |
| 26 | आदिवासी पैकरा, कंवर समाज, जिला गरियाबंद हेतु भैंसामुडा पंचायत के युवा कलाकारों के वाद्ययंत्र खरीदी के लिए 50,000 रुपये की घोषणा की गई । |


| | |
|----|---|
| 27 | सर्व सेन समाज हेतु ग्राम फुलकरा में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की गयी। |
| 28 | छ.ग. कलार समाज जिला - गरियाबंद द्वारा मांग करने पर समाज की मांग पर शासकीय कन्या हाई स्कूल गरियाबंद का नाम बहादुर कलारिन के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई |
| 29 | सिक्ख समाज की मांग पर लंगर हाल बनाने हेतु 07 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। |
| 30 | हल्बा समाज हेतु गरियाबंद जिले में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। |
| 31 | मसीह समाज हेतु कब्रिस्तान में बाउण्डीवाल के लिए राशि की मांग की गई। 8 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की गई। |
| 32 | मनवा कुर्मी समाज की मांग पर सामाजिक भवन में बोरिंग एवं बाउण्डीवाल निर्माण की घोषणा। |
| 33 | धोबी निर्मलकर समाज गरियाबंद हेतु ग्राम गरियाबंद के यादव पारा में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की गई। |
| 34 | छ.ग. बंजारा समाज के लिए बर्तन क्रय किये जाने हेतु 01 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 35 | पटारी आदिवासी समाज हेतु ग्राम बेहराबुड़ा में सामाजिक भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गयी 10 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 36 | मरार समाज, गरियाबंद हेतु सामाजिक भवन निर्माण हेतु राशि की मांग 15 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 37 | कबीर सत्संग संघ, के लिए गरियाबंद में सत्संग भवन निर्माण हेतु राशि की मांग 10 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 38 | सुन्नी मुस्लिम जमात गरियाबंद हेतु समाज के कब्रिस्तान में रोड़ निर्माण की मांग की गयी। 05 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 39 | सुन्नी मुस्लिम जमात गरियाबंद सामाजिक भवन निर्माण हेतु राशि मांग। 20 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 40 | रजा मुस्लिम जमात मैनपुर में सामाजिक भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गयी 15 लाख रुपये की घोषणा की गयी। |
| 41 | बिन्दानवागढ़ विधानसभा अंतर्गत 23 प्राथमिक शाला व 05 माध्यमिक शाला में कुल 29 अतिरिक्त कक्ष निर्माण। |


अनुभारा अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - तेईस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1015) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र. | अधिकारी का नाम एवं पदनाम | पदस्थापना का पद | कब से कार्यरत | पद विरुद्ध कब से कार्यरत | वेतन भत्ता आदि (प्रतिमाह) | प्रतिमाह अन्य सुविधाएं | प्रतिनियुक्ति अवधि कब-कब एवं कितनी अवधि के लिए वृद्धि | प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि के लिए शासन को प्राप्त प्रस्ताव |
|------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | श्री यशवंत शिलेदार | कार्यपालन अभियंता (विद्युत) | 01-04-2010 | कार्या. आदेश दिनांक 05.09.2020 द्वारा अधीक्षण अभियंता (विद्युत) का अतिरिक्त प्रभार | मूल वेतन 2,16,900 डीए 8,84,22 सीसीए 5,000 <u>एचआरए 39,042</u> 3,43,364 | वाहन | दिनांक 11.02.2020 द्वारा 06 माह की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की गई है। आदेश दिनांक 09.03.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। | दिनांक 23.05.2015, 07.07.2015, 09.12.2015, 26.11.2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा गया था। |
| 2 | श्री निर्मल कुमार जैन | सहायक अभियंता (सिविल) | 01-06-2011 | कार्या. आदेश दिनांक 27.08.2021 द्वारा कार्यपालन अभियंता (सिविल) का अतिरिक्त प्रभार | मूल वेतन 1,92,300 डीए 73,074 सीसीए 5,000 <u>एचआरए 34,614</u> 3,04,988 | वाहन | दिनांक 11.02.2020 द्वारा 06 माह की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की गई है। आदेश दिनांक 09.03.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। | दिनांक 23.05.2015, 07.07.2015, 09.12.2015, 26.11.2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा गया था। |
| 3 | श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | सहायक अभियंता (सिविल) | 09-05-2011 | कार्या. आदेश दिनांक 27.08.2021 द्वारा कार्यपालन अभियंता (सिविल) का अतिरिक्त प्रभार | मूल वेतन 1,43,100 डीए 54,378 सीसीए 5,000 <u>एचआरए 25,758</u> 2,28,236 | वाहन | दिनांक 11.02.2020 द्वारा 06 माह की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की गई है। आदेश दिनांक 09.03.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। | दिनांक 23.05.2015, 07.07.2015, 09.12.2015, 26.11.2019 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा गया था। |
| 4 | श्री प्रदीप मिश्रा | सहायक अभियंता (विद्युत) | 01-10-2018 | सहायक अभियंता (विद्युत) | मूल वेतन 90,200 डीए 34,276 सीसीए 5,000 <u>एचआरए 16236</u> 1,45,712 | वाहन | आदेश दिनांक 09.03.2023 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। | दिनांक 11.01.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 09.09.2022 के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था। |


(डी.आर.सोन्टाप)

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग


परिशेष - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1029) की जानकारी

प्रपत्र

| वर्ष 2021 से 01.02.2023 तक नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन | |
|--|---|
| सं.क्र. | घोषणाओं का विवरण |
| 1 | जिले के समस्त 104 ग्राम पंचायतों में स्थित देवगुड़ी का सौन्दर्यीकरण, वृक्षारोपण एवं उन्नयन |
| 2 | 100 घोटूल निर्माण, उन्नयन, वाद्ययंत्र प्रदाय (10 लाख प्रति घोटूल) |
| 3 | नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत बंधुआ तालाब का सौन्दर्यीकरण |
| 4 | नारायणपुर शहर में मंगल भवन निर्माण |
| 5 | नारायणपुर (बखरूपारा) से (खड़ीबहार) तक उच्चस्तरीय पुलिया सह सड़क, डिवाइडर एवं नाली निर्माण कार्य लंबाई - 2.30 कि.मी. |
| 6 | नारायणपुर-अंतागढ़ स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण (50 किमी) |
| 7 | गढ़बेंगाल (कुकुरनदी) पर स्टापडेम निर्माण |
| 8 | केरलापाल गोठान में कार्यरत सभी 15 महिला स्व सहायता समूह को अनुदान (प्रत्येक समूह को पचास हजार रुपये) |
| 9 | मलखंब अकादमी के लिए 100 सीटर आश्रम निर्माण |
| 10 | जिले में 100 घोटूल निर्माण/उन्नयन कार्य |
| 11 | छोटे डोंगर में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना |
| 12 | छोटे डोंगर में 18 गढ़ हल्बा समाज भवन का निर्माण |
| 13 | कोहकामेटा में सर्व समाज हेतु सामुदायिक भवन निर्माण |
| 14 | सोनपुर शा.मा.शा. का हाई स्कूल में उन्नयन |
| 15 | बेनूर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा की स्थापना |
| 16 | ओरछा में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु वॉटरहेड टैंक निर्माण |
| 17 | ओरछा विकासखण्ड मुख्यालय में सर्व सुविधायुक्त मिनि स्टेडियम का निर्माण |
| 18 | शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नाम स्व. श्री बद्रीनाथ बघेल पूर्व विधायक नारायणपुर के नाम से घोषित |
| 19 | ग्राम कन्हारगांव, कोहकामेटा, सोनपुर, गढ़बेंगाल एवं कुकड़ाझोर में 5 नवीन धान खरीदी केन्द्र। |
| 20 | ग्राम छोटेडोंगर में नवीन स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा। |
| 21 | ग्राम छोटेडोंगर में नवीन शासकीय आई टी आई स्थापना की घोषणा। |
| 22 | ग्राम तारागांव में लघु उद्वहन सिंचाई योजना की घोषणा। |
| 23 | ग्राम बडेजम्हरी के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की घोषणा। |
| 24 | ग्राम कन्हारगांव में शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा। |
| 25 | ग्राम छोटेडोंगर में 32 गढ़ हल्बा समाज के सामाजिक भवन की घोषणा। |
| 26 | ग्राम छोटेडोंगर में 84 परगना गोंड समाज के सामाजिक भवन की घोषणा। |
| 27 | ग्राम छोटेडोंगर में अबुझमाड़िया समाज के सामाजिक भवन की घोषणा। |
| 28 | ग्राम छोटेडोंगर में मरार समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति। |
| 29 | ग्राम छोटेडोंगर में यादव समाज हेतु सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति। |
| 30 | चांदागांव से सोनापाल होते हुए पानीगांव तक 5 किमी सड़क निर्माण पुलिया सहित |

| | |
|----|--|
| 31 | दंतेश्वरी मंदिर छोटेडोंगर में अतिरिक्त कक्ष एवं उन्नयन कार्य की घोषणा। |
| 32 | ग्राम छोटेडोंगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति। |
| 33 | नारायणपुर में 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल की घोषणा। |
| 34 | ग्राम बडगांव से धुरबेडा ताडोनार होते हुए नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 15 किमी सड़क निर्माण की घोषणा। |
| 35 | तेंदु पत्ता खरीदी से संग्राहकों को नगद भुगतान की घोषणा। |
| 36 | ग्राम मर्दापाल में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा। |
| 37 | ग्राम मर्दापाल उप तहसील से छोटे कुरुषनार सड़क निर्माण। |
| 38 | ग्राम कुधूर से तुमड़ीवाल मार्ग पर भंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण। |
| 39 | ग्राम मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की स्वीकृति। |
| 40 | सरपंच ग्राम पंचायत कड़ेनार द्वारा मांग ग्राम हड़ेली से कड़ेनार पक्की सड़क एवं पुलिया निर्माण |
| 41 | ग्राम मर्दापाल में मिनी स्टेडियम निर्माण। |
| 42 | ग्राम मर्दापाल के भैरम मंदिर में देवगुड़ी निर्माण। |
| 43 | तेन्दूपत्ता का नगद भुगतान |
| 44 | मर्दापाल मेढपाल मुख्य मार्ग चांगेर होते हुए ग्राम हंगवा डामरीकृत सड़क एवं पूल निर्माण |
| 45 | ग्राम हड़ेली से कुधूर सड़क एवं पूल निर्माण |


 अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1038) की जानकारी

गुरियाबंद जिले के उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व अंतर्गत तालाब निर्माण एवं छिन्दघांस उन्मूलन की जानकारी

| क्र. | योजना/ मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | कार्य स्थल | | मात्रा | आबट्टि राशि (रु.में) | व्यय राशि (रु.में) | शेष राशि (रु.में) | कार्य की स्थिति | |
|------|--|---|----------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | परिक्षेत्र | कमा कमांक | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | | | | | |
| 1 | 7459 वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास | लेंटाना/ छिन्दघांस / यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 3 | 22 हेक्ट | 221050 | 220363 | 687 | पूर्ण | |
| 2 | | लेंटाना/ छिन्दघांस / यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 4 | 30 हेक्ट | 301400 | 300495 | 905 | पूर्ण | |
| 3 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 73 | 17 हेक्ट | 132600 | 132158 | 442 | पूर्ण | |
| 4 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1209 | 15 हेक्ट | 108000 | 107640 | 360 | पूर्ण | |
| 5 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1216 | 15 हेक्ट | 108000 | 107640 | 360 | पूर्ण | |
| 6 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1227 | 20 हेक्ट | 144000 | 143520 | 480 | पूर्ण | |
| 7 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1206 | 20 हेक्ट | 144000 | 143520 | 480 | पूर्ण | |
| 8 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1159 | 30 हेक्ट | 345375 | 345314 | 61 | पूर्ण | |
| 9 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1197 | 40 हेक्ट | 460500 | 460439 | 61 | पूर्ण | |
| 10 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 828 | 40 हेक्ट | 460500 | 460158 | 342 | पूर्ण | |
| 11 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 786 | 40 हेक्ट | 460500 | 460158 | 342 | पूर्ण | |
| 12 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 9 | 30 हेक्ट | 345375 | 345068 | 307 | पूर्ण | |
| 13 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 19 | 30 हेक्ट | 345375 | 345068 | 307 | पूर्ण | |
| 14 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 15 | 20 हेक्ट | 230250 | 230250 | 0 | पूर्ण | |
| 15 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 31 | 15 हेक्ट | 172688 | 172534 | 154 | पूर्ण | |
| 16 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 32 | 30 हेक्ट | 345374 | 345068 | 306 | पूर्ण | |
| 17 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 30 | 20 हेक्ट | 230250 | 230250 | 0 | पूर्ण | |
| 18 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 24 | 15 हेक्ट | 172688 | 172534 | 154 | पूर्ण | |
| 19 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1232 | 40 हेक्ट | 460500 | 460193 | 307 | पूर्ण | |
| 20 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1237 | 40 हेक्ट | 460500 | 460193 | 307 | पूर्ण | |
| 21 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 34 | 25 हेक्ट | 195000 | 194691 | 309 | पूर्ण | |
| 22 | | छिन्दघांस उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 41 | 25 हेक्ट | 195000 | 194691 | 309 | पूर्ण | |
| 23 | 5090 जैव विविधता संरक्षण योजना | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1068 | 30 हेक्ट | 337500 | 337500 | 0 | पूर्ण | |
| 24 | | लेंटाना/ यूपिटोरियम/ बनतुलसा उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1084 | 20 हेक्ट | 225000 | 225000 | 0 | पूर्ण | |
| 25 | | छिन्द घांस उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1102 | 05 हेक्ट | 39000 | 39000 | 0 | पूर्ण | |
| 26 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 39 | 15 हेक्ट | 143520 | 143520 | 0 | पूर्ण | |
| 27 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 24 | 10 हेक्ट | 96000 | 95680 | 320 | पूर्ण | |
| 28 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 66 | 15 हेक्ट | 143520 | 143520 | 0 | पूर्ण | |
| 29 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 73 | 15 हेक्ट | 143520 | 143520 | 0 | पूर्ण | |
| 30 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 8 | 15 हेक्ट | 143520 | 143520 | 0 | पूर्ण | |
| 31 | राज्य कैम्पा मद | लेंटाना उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 992 | 30 हेक्ट | 287040 | 287040 | 0 | पूर्ण | |
| 32 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 894 | 30 हेक्ट | 287040 | 287040 | 0 | पूर्ण | |
| 33 | | लेंटाना उन्मूलन कार्य | कुल्हाडीघाट | 952 | 10 हेक्ट | 96000 | 95680 | 320 | पूर्ण | |

| क. | योजना/मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | | कार्य स्थल | | मात्रा | आबंटित राशि (रु.में) | व्यय राशि (रु.में) | शेष राशि (रु.में) | कार्य की स्थिति | |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | परिक्षेत्र | कक्ष क्रमांक | पूर्ण | अपूर्ण | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 74 | | लेन्ताना उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1096 | 50 हेक्टे | 478400 | 477950 | 450 | पूर्ण | | |
| 75 | | लेन्ताना उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1097 | 50 हेक्टे | 478400 | 477950 | 450 | पूर्ण | | |
| 76 | | लेन्ताना उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1151 | 40 हेक्टे | 383000 | 382719 | 281 | पूर्ण | | |
| 77 | | लेन्ताना उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1163 | 26 हेक्टे | 249000 | 248768 | 232 | पूर्ण | | |
| 78 | | लेन्ताना उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 896 | 30 हेक्टे | 197340 | 197340 | 0 | पूर्ण | | |
| 79 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 33 | 10 हेक्टे | 56810 | 56810 | 0 | पूर्ण | | |
| 80 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 30 | 50 हेक्टे | 284000 | 283452 | 548 | पूर्ण | | |
| 81 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1219 | 50 हेक्टे | 284000 | 283452 | 548 | पूर्ण | | |
| 82 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1221 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 83 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1242 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 84 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1241 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 85 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1210 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | | |
| 86 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1211 | 10 हेक्टे | 56810 | 56810 | 0 | पूर्ण | | |
| 87 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 74 | 10 हेक्टे | 56810 | 56810 | 0 | पूर्ण | | |
| 88 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 89 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | | |
| 89 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 73 | 10 हेक्टे | 56810 | 56810 | 0 | पूर्ण | | |
| 90 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 63 | 40 हेक्टे | 227000 | 226941 | 59 | पूर्ण | | |
| 91 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 63 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 92 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 16 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 93 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 13 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 94 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 2 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | | |
| 95 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 67 | 25 हेक्टे | 142000 | 141726 | 274 | पूर्ण | | |
| 96 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 18 | 25 हेक्टे | 142000 | 141726 | 274 | पूर्ण | | |
| 97 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 13 | 25 हेक्टे | 142000 | 141726 | 274 | पूर्ण | | |
| 98 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 80 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | | |
| 99 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 89 | 15 हेक्टे | 85000 | 84916 | 84 | पूर्ण | | |
| 100 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 89 | 30 हेक्टे | 170000 | 169533 | 467 | पूर्ण | | |
| 101 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 16 | 50 हेक्टे | 284000 | 283751 | 249 | पूर्ण | | |
| 102 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 4 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | | |
| 103 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 64 | 50 हेक्टे | 284000 | 283751 | 249 | पूर्ण | | |
| 104 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 11 | 50 हेक्टे | 284000 | 283751 | 249 | पूर्ण | | |
| 105 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | उत्तर उदती | 73 | 50 हेक्टे | 284000 | 283751 | 249 | पूर्ण | | |
| 106 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 952 | 20 हेक्टे | 114000 | 113620 | 380 | पूर्ण | | |
| 107 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 921 | 30 हेक्टे | 170430 | 170430 | 0 | पूर्ण | | |
| 108 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 929 | 30 हेक्टे | 170430 | 170430 | 0 | पूर्ण | | |
| 109 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 841 | 50 हेक्टे | 284050 | 284050 | 0 | पूर्ण | | |
| 110 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 833 | 50 हेक्टे | 284050 | 284050 | 0 | पूर्ण | | |
| 111 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1162 | 27 हेक्टे | 153000 | 152992 | 8 | पूर्ण | | |
| 112 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1195 | 27 हेक्टे | 153000 | 152992 | 8 | पूर्ण | | |
| 113 | | यूपिटोरियम उन्मूलन कार्य | तोरंगा | 1192 | 30 हेक्टे | 170000 | 169997 | 3 | पूर्ण | | |

राज्य कैम्पा मद

| क. | योजना/मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | कार्य स्थल | | मात्रा | आबंटित राशि (रु.में) | व्यय राशि (रु.में) | शेष राशि (रु.में) | कार्य की स्थिति | |
|-----|-------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | परिक्षेत्र | कक्ष क्रमांक | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 114 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 35 | 25 हेक्टे | 142000 | 141726 | 274 | पूर्ण | |
| 115 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 36 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | |
| 116 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 40 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | |
| 117 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 36 | 10 हेक्टे | 56810 | 56810 | 0 | पूर्ण | |
| 118 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 40 | 20 हेक्टे | 113620 | 113620 | 0 | पूर्ण | |
| 119 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 41 | 30 हेक्टे | 170000 | 169832 | 168 | पूर्ण | |
| 120 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1236 | 25 हेक्टे | 112000 | 111228 | 772 | पूर्ण | |
| 121 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1235 | 20 हेक्टे | 89700 | 89700 | 0 | पूर्ण | |
| 122 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1225 | 50 हेक्टे | 224000 | 223652 | 348 | पूर्ण | |
| 123 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 34 | 50 हेक्टे | 224000 | 223353 | 647 | पूर्ण | |
| 124 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 33 | 50 हेक्टे | 224000 | 223353 | 647 | पूर्ण | |
| 125 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | दक्षिण उदती | 24 | 50 हेक्टे | 224000 | 223353 | 647 | पूर्ण | |
| 126 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1226 | 50 हेक्टे | 224000 | 223652 | 348 | पूर्ण | |
| 127 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1228 | 40 हेक्टे | 179000 | 178802 | 198 | पूर्ण | |
| 128 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1234 | 40 हेक्टे | 179000 | 178802 | 198 | पूर्ण | |
| 129 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1227 | 35 हेक्टे | 157000 | 156975 | 25 | पूर्ण | |
| 130 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य | इदागाव | 1233 | 35 हेक्टे | 104700 | 104650 | 50 | पूर्ण | |
| 131 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | उत्तर उदती | 75 | 20 हेक्टे | 24600 | 24560 | 40 | पूर्ण | |
| 132 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | उत्तर उदती | 77 | 20 हेक्टे | 24600 | 24560 | 40 | पूर्ण | |
| 133 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | दक्षिण उदती | 69 | 20 हेक्टे | 12300 | 12280 | 20 | पूर्ण | |
| 134 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | दक्षिण उदती | 41 | 20 हेक्टे | 12300 | 12280 | 20 | पूर्ण | |
| 135 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | कुल्हाडीघाट | 897 | 30 हेक्टे | 18420 | 18420 | 0 | पूर्ण | |
| 136 | | लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | कुल्हाडीघाट | 944 | 30 हेक्टे | 18420 | 18420 | 0 | पूर्ण | |
| 137 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | दक्षिण उदती | 71 | 20 हेक्टे | 12300 | 12280 | 20 | पूर्ण | |
| 138 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | दक्षिण उदती | 36 | 20 हेक्टे | 12300 | 12280 | 20 | पूर्ण | |
| 139 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | इदागाव | 1206 | 10 हेक्टे | 6100 | 5833 | 267 | पूर्ण | |
| 140 | | यूपिटीरियम उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष | इदागाव | 1216 | 20 हेक्टे | 27600 | 27323 | 277 | पूर्ण | |
| | | | | | | 28272435 | 28250562 | 21873 | | |
| | | | | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 योग | | | | |
| | | | | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | | |
| 1 | 3943 वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास | सॉसर सेप तालाब निर्माण | कुल्हाडीघाट | 822 | 01 नग | 1000000 | 0 | 1000000 | प्रगति पर | |
| 2 | | सॉसर सेप तालाब निर्माण | कुल्हाडीघाट | 883 | 01 नग | 1000000 | 0 | 1000000 | प्रगति पर | |
| 3 | 6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास | तालाब निर्माण | कुल्हाडीघाट | 825 | 01 नग | 800000 | 0 | 800000 | प्रगति पर | |
| 4 | | तालाब निर्माण | तोरंगा | 1167 | 01 नग | 800000 | 0 | 800000 | प्रगति पर | |
| 5 | | लेन्टाना / यूपिटीरियम / बनतुलसा उन्मूलन | कुल्हाडीघाट | 923 | 20 हेक्टे | 213060 | 0 | 213060 | पूर्ण | |
| 6 | | तालाब निर्माण | इदागाव | 1242 | 01 नग | 800000 | 0 | 800000 | प्रगति पर | |
| 7 | 5090 जैव विविधता संरक्षण योजना | तालाब निर्माण | इदागाव | 1240 | 01 नग | 1200000 | 0 | 1200000 | प्रगति पर | |
| 8 | | तालाब निर्माण | दक्षिण उदती | 82 | 01 नग | 600000 | 0 | 600000 | प्रगति पर | |

| क. | योजना/मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | कार्य स्थल | | मात्रा | आबंटित राशि (रु.में) | व्यय राशि (रु.में) | शेष राशि (रु.में) | कार्य की स्थिति | |
|----|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | परिक्षेत्र | कम कमांक | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 49 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1137 | 1.5 हेक्टे | 4770 | 4770 | 0 | पूर्ण | |
| 50 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1163 | 2.5 हेक्टे | 7950 | 7950 | 0 | पूर्ण | |
| 51 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1162 | 3 हेक्टे | 9540 | 9540 | 0 | पूर्ण | |
| 52 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1157 | 2.5 हेक्टे | 7950 | 7950 | 0 | पूर्ण | |
| 53 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1151 | 3 हेक्टे | 9540 | 9540 | 0 | पूर्ण | |
| 54 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1192 | 3 हेक्टे | 9540 | 9540 | 0 | पूर्ण | |
| 55 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1077 | 40 हेक्टे | 127200 | 127200 | 0 | पूर्ण | |
| 56 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1086 | 60 हेक्टे | 190800 | 190800 | 0 | पूर्ण | |
| 57 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1096 | 50 हेक्टे | 159000 | 159000 | 0 | पूर्ण | |
| 58 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1097 | 50 हेक्टे | 159000 | 159000 | 0 | पूर्ण | |
| 59 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1151 | 40 हेक्टे | 127200 | 127200 | 0 | पूर्ण | |
| 60 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तोरंगा | 1163 | 26 हेक्टे | 82680 | 82680 | 0 | पूर्ण | |
| 61 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 896 | 30 हेक्टे | 38160 | 0 | 38160 | पूर्ण | |
| 62 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 75 | 20 हेक्टे | 12720 | 12561 | 159 | पूर्ण | |
| 63 | | लेन्टाना उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 77 | 20 हेक्टे | 12720 | 12561 | 159 | पूर्ण | |
| 64 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 33 | 10 हेक्टे | 14310 | 0 | 14310 | पूर्ण | |
| 65 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 30 | 50 हेक्टे | 71550 | 0 | 71550 | पूर्ण | |
| 66 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1219 | 50 हेक्टे | 71550 | 71550 | 0 | पूर्ण | |
| 67 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1221 | 30 हेक्टे | 42930 | 42930 | 0 | पूर्ण | |
| 68 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1242 | 30 हेक्टे | 42930 | 42930 | 0 | पूर्ण | |
| 69 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1241 | 30 हेक्टे | 42930 | 42930 | 0 | पूर्ण | |
| 70 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1210 | 20 हेक्टे | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 71 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदगाव | 1211 | 10 हेक्टे | 14310 | 0 | 14310 | पूर्ण | |
| 72 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 74 | 10 हेक्टे | 14310 | 0 | 14310 | पूर्ण | |
| 73 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 89 | 20 हेक्टे | 28461 | 28461 | 159 | पूर्ण | |
| 74 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 73 | 10 हेक्टे | 14310 | 0 | 14310 | पूर्ण | |
| 75 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 63 | 40 हेक्टे | 57240 | 31800 | 25440 | पूर्ण | |
| 76 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 63 | 30 हेक्टे | 42930 | 23850 | 19080 | पूर्ण | |
| 77 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 16 | 30 हेक्टे | 42930 | 42612 | 318 | पूर्ण | |
| 78 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 13 | 30 हेक्टे | 42930 | 42771 | 159 | पूर्ण | |
| 79 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 2 | 30 हेक्टे | 42930 | 42771 | 159 | पूर्ण | |
| 80 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 67 | 25 हेक्टे | 35775 | 0 | 35775 | पूर्ण | |
| 81 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 18 | 25 हेक्टे | 35775 | 35616 | 159 | पूर्ण | |
| 82 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 13 | 25 हेक्टे | 35775 | 35616 | 159 | पूर्ण | |
| 83 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 80 | 20 हेक्टे | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 84 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 89 | 15 हेक्टे | 21465 | 21465 | 0 | पूर्ण | |
| 85 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 89 | 30 हेक्टे | 42930 | 0 | 42930 | पूर्ण | |
| 86 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 16 | 50 हेक्टे | 71550 | 71232 | 318 | पूर्ण | |
| 87 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 4 | 20 हेक्टे | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 88 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 64 | 50 हेक्टे | 71550 | 39750 | 31800 | पूर्ण | |

राज्य कैम्पा मद

| क्र. | योजना/मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | कार्य स्थल | | मात्रा | आबंटित राशि (रु.में) | व्यय राशि (रु.में) | शेष राशि (रु.में) | कार्य की स्थिति | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | परिक्षेत्र | कक्ष कर्मांक | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 89 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 11 | 50 हेक्टर | 71550 | 71232 | 318 | पूर्ण | |
| 90 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | उत्तर उदती | 73 | 50 हेक्टर | 71550 | 0 | 71550 | पूर्ण | |
| 91 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 92 | 20 हेक्टर | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 92 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 921 | 30 हेक्टर | 42930 | 0 | 42930 | पूर्ण | |
| 93 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 929 | 30 हेक्टर | 42930 | 0 | 42930 | पूर्ण | |
| 94 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 841 | 50 हेक्टर | 71550 | 0 | 71550 | पूर्ण | |
| 95 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | कुल्हाड़ीघाट | 833 | 50 हेक्टर | 71550 | 0 | 71550 | पूर्ण | |
| 96 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तौरंगा | 1162 | 27 हेक्टर | 38637 | 38637 | 0 | पूर्ण | |
| 97 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तौरंगा | 1195 | 27 हेक्टर | 38637 | 38637 | 0 | पूर्ण | |
| 98 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | तौरंगा | 1192 | 30 हेक्टर | 42930 | 42930 | 0 | पूर्ण | |
| 99 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 35 | 25 हेक्टर | 35775 | 0 | 35775 | पूर्ण | |
| 100 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 36 | 30 हेक्टर | 42930 | 0 | 42930 | पूर्ण | |
| 101 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 40 | 20 हेक्टर | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 102 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 36 | 10 हेक्टर | 14310 | 0 | 14310 | पूर्ण | |
| 103 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 40 | 20 हेक्टर | 28620 | 0 | 28620 | पूर्ण | |
| 104 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 41 | 30 हेक्टर | 42930 | 0 | 42930 | पूर्ण | |
| 105 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1236 | 25 हेक्टर | 15900 | 15900 | 0 | पूर्ण | |
| 106 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1235 | 20 हेक्टर | 12720 | 0 | 12720 | पूर्ण | |
| 107 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1225 | 50 हेक्टर | 31800 | 0 | 31800 | पूर्ण | |
| 108 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 34 | 50 हेक्टर | 31800 | 0 | 31800 | पूर्ण | |
| 109 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 33 | 50 हेक्टर | 31800 | 0 | 31800 | पूर्ण | |
| 110 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | दक्षिण उदती | 24 | 50 हेक्टर | 31800 | 0 | 31800 | पूर्ण | |
| 111 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1226 | 50 हेक्टर | 31800 | 0 | 31800 | पूर्ण | |
| 112 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1228 | 40 हेक्टर | 25440 | 25440 | 0 | पूर्ण | |
| 113 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1234 | 40 हेक्टर | 25440 | 25440 | 0 | पूर्ण | |
| 114 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1227 | 35 हेक्टर | 22260 | 22260 | 0 | पूर्ण | |
| 115 | | यूपिटीरियम उन्मूलन द्वितीय वर्ष कार्य | इदागाव | 1233 | 35 हेक्टर | 22260 | 22260 | 0 | पूर्ण | |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 योग | | | | | | 12639659 | 5043162 | 7596497 | | |
| कुलयोग | | | | | | 40912094 | 33293724 | 7618370 | | |

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)

नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0

परिशेष - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1042) की जानकारी

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य की जानकारी

(राशि रुपये में)

| क. | वित्तीय वर्ष | जिला का नाम | योजना/ मद का नाम | स्वीकृत कार्य का नाम | स्थल का विवरण | | लंबाई किमी में | स्वीकृत राशि |
|--------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | | | | | परिक्षेत्र | स्थल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2021-22 | धमतरी | कैम्पा मद | वनमार्ग मिट्टी मुरुम उन्नयन कार्य | अरसीकन्हार | सौंदूर नहरनाली से काटाबांस | 03 किमी | 1950000 |
| 2 | | | | | | नवागांव से मौहाबाहरा | 1.30 किमी | 845000 |
| 3 | | | | | | संदबाहरा से रिसगांव | 03 किमी | 1950000 |
| 4 | | | | | | खल्लारी से चमैदा वनमार्ग | 03 किमी | 1950000 |
| 5 | | | | | | खल्लारी से चमैदा वनमार्ग | 03 किमी | 1950000 |
| 6 | | | | | | करही से जोरातराई वनमार्ग | 03 किमी | 1950000 |
| 7 | | | | | | लिखमा जंक्शन से एकटांग | 03 किमी | 1950000 |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 योग | | | | | | | | 12545000 |
| 1 | 2022-23 | धमतरी | कैम्पा मद | वनमार्ग मिट्टी मुरुम उन्नयन कार्य | रिसगांव | रिसगांव से जोरातराई | 02 किमी | 1300000 |
| 2 | | | | | सीतानदी | आधामाड़ी से बुड़ा | 02 किमी | 1300000 |
| 3 | | | | | अरसीकन्हार | गातामरी चौक से दौड़पंडरीपानी | 02 किमी | 1300000 |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 योग | | | | | | | | 3900000 |

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर अटल नगर, छ0ग0

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - सत्ताईस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 352) की जानकारी —

प्रपत्र

| क्र० | जिले का नाम | प्रदेश में अवैध निर्माणों के नियमितिकरण के कुल कितने प्रकरण जनवरी 2023 तक प्राप्त हुए हैं? | | | जनवरी, 2023 तक जुर्माने की कुल कितनी राशि सरकारी खजाने में जमा की गई? (राशि रुपये में) | | |
|--------|---------------------------|--|------------|-----------|--|------------|----------|
| | | आवासीय | गैर आवासीय | कुल आवेदन | आवासीय | गैर आवासीय | कुल योग |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | रायपुर | 2706 | 948 | 3654 | 1217991 | 1528532 | 2746523 |
| 2 | गरियाबंद | 56 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बिलासपुर | 438 | 110 | 548 | 573783 | 11789938 | 12363721 |
| 4 | मुंगेली | 42 | 22 | 64 | 219625 | 101772 | 321397 |
| 5 | गौरिला-पेण्ड्रा-मरवाही | 85 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | दुर्ग | 1514 | 461 | 1975 | 2041538 | 27049408 | 29090946 |
| 7 | बेमेतरा | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | कोरबा | 178 | 51 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | रायगढ़ | 79 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | बस्तर | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | कोंडागांव | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | नारायणपुर | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | बीजापुर | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | सुकमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | राजनांदगांव | 60 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | धमतरी | 59 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | सरगुजा | 33 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | बलरामपुर | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | सूरजपुर | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | कवर्धा | 49 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | जांजगीर-चांपा | 41 | 4 | 45 | 56814 | 0 | 56814 |
| 24 | सक्ती | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | जशपुर | 23 | 11 | 34 | 503245 | 633103 | 1136348 |
| 26 | कांकेर | 32 | 3 | 35 | 108950 | 1935575 | 2044525 |
| 27 | बालोद | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | कोरिया | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 30 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | बलौदाबाजार | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | महासमुंद | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दंतेवाड़ा | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| महायोग | | 5587 | 1771 | 7358 | 4721946 | 43038328 | 47760274 |


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - अट्टाईस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 441) की जानकारी


प्रपत्र- "अ"

वनरक्षक के वनमण्डलवार रिक्त पदों की जानकारी

| | वनमंडल/ कार्यालय का नाम | वनरक्षक के रिक्त पदों की संख्या |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | दुर्ग वनमण्डल | 9 |
| 2 | बालोद वनमण्डल | 14 |
| 3 | राजनांदगांव वनमण्डल | 65 |
| 4 | खैरागढ़ वनमण्डल | 89 |
| 5 | कवर्धा वनमण्डल | 101 |
| 6 | महासमुंद वनमण्डल | 47 |
| 7 | धमतरी वनमण्डल | 70 |
| 8 | उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद | 35 |
| 9 | रायपुर वनमण्डल | 0 |
| 10 | अनुसंधान/विस्तार वनमण्डल रायपुर | 16 |
| 11 | बलौदाबाजार वनमण्डल | 43 |
| 12 | गरियाबंद वनमण्डल | 32 |
| 13 | कार्य आयोजना वनमण्डल रायपुर | 2 |
| 14 | वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर | 1 |
| 15 | राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर | 1 |
| 16 | बस्तर वनमण्डल | 62 |
| 17 | दंतेवाड़ा वनमण्डल | 40 |
| 18 | अनुसंधान/विस्तार वनमण्डल जगदलपुर | 20 |
| 19 | सुकमा वनमण्डल | 36 |
| 20 | कार्य आयोजना वनमण्डल जगदलपुर | 2 |
| 21 | बीजापुर वनमण्डल | 9 |
| 22 | वन विद्यालय, जगदलपुर | 1 |
| 23 | इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर | 31 |
| 24 | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर | 11 |
| 25 | सरगुजा वनमण्डल | 32 |
| 26 | सूरजपुर वनमण्डल | 39 |
| 27 | बलरामपुर वनमण्डल | 53 |
| 28 | कोरिया वनमण्डल | 43 |

| | वनमंडल/ कार्यालय का नाम | वनरक्षक के रिक्त पदों की संख्या |
|---------------|---|---------------------------------|
| 29 | मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल | 39 |
| 30 | जशपुर वनमण्डल | 48 |
| 31 | गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर | 27 |
| 32 | कार्यआयोजना अम्बिकापुर | 2 |
| 33 | एलिफेंट रिजर्व सरगुजा | 53 |
| 34 | कार्य आयोजना वनमण्डल बिलासपुर | 1 |
| 35 | बिलासपुर वनमण्डल | 29 |
| 36 | अनु.एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर | 16 |
| 37 | मुंगेली वनमण्डल | 29 |
| 38 | मरवाही वनमण्डल | 24 |
| 39 | कोरबा वनमण्डल | 51 |
| 40 | कटघोरा वनमण्डल | 54 |
| 41 | जांजगीर-चांपा वनमण्डल | 11 |
| 42 | रायगढ़ वनमण्डल | 63 |
| 43 | धरमजयगढ़ वनमण्डल | 58 |
| 44 | अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी | 58 |
| 45 | केशकाल वनमण्डल | 20 |
| 46 | पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल | 34 |
| 47 | कार्य आयोजना वनमण्डल कांकेर | 6 |
| 48 | कांकेर वनमण्डल | 48 |
| 49 | दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल | 28 |
| 50 | नारायणपुर वनमण्डल | 30 |
| 51 | पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल | 52 |
| योग :- | | 1685 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.अराज.)

 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पारिशेष - उन्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 458) की जानकारी

“प्रपत्र”

| क्र० | व्यक्ति/एजेंसी का नाम | खनिज का नाम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हे० में) |
|---------------------------------------|---|--------------|---------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| वर्ष 2022 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) | | | | | |
| 1 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मुरुम | चांपा | 620/1, 848/1 | 44.767 |
| 2 | मेसर्स अशोक कुमार केजरीवाल, निवासी खरसिया, रायगढ़, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | जैजैपुर | 180/4 | 1.926 |
| 3 | मेसर्स हनुमान प्रसाद पाण्डेय, निवासी पिथमपुर, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | जांजगीर | 1275, 1454, 1238 | 1.573 |
| 4 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | चांपा | 508, 509, 82/क/1 | 31.460 |
| 5 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | चांपा | 1061, 182 | 8.074 |
| 6 | मेसर्स विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमि०, निवासी प्लाट नं.ए. 28 विद्यानगर नेहरू नगर वेस्ट, वार्ड 60 कातुल बोर्ड, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | पामगढ़ | 775/4, 839/7 | 1.296 |
| 7 | मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राइजेस प्रा० लिमि०, बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | अकलतरा | 379/1, 352/1 | 6.140, 15.050 |
| 8 | मेसर्स श्रीकिशन एण्ड कम्पनी प्रा० लिमि०, निवासी 4/12, द्वितीय तल, श्री टॉवर डॉ वर्मा, नरसिंग होम, शांति नगर रायपुर, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | सक्ती | 1653/1 | 14.868 |
| 9 | मेसर्स विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमि०, निवासी प्लाट नं.ए. 28 विद्यानगर नेहरू नगर वेस्ट, वार्ड 60 कातुल बोर्ड, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | पामगढ़ | 255/2 | 0.320 |
| 10 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी | चांपा | 1707/1, 1226 | 24.765, 1.437 |
| 11 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | चांपा | 1824 | 1.062 |
| 12 | मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्रा० लिमि०, रीवा रोड़ सतना, म०प्र०, वर्तमान पता बंसल आपाटमेंट टेमर रोड़, सक्ती, जिला सक्ती, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | सक्ती | 1653/1 | 14.868 |

| क्र० | व्यक्ति/एजेंसी का नाम | खनिज का नाम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हे० में) |
|------|---|--------------|---------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | मेसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्रा० लिमि०, रीवा रोड़ सतना, म०प्र०, वर्तमान पता बंसल आपाटमेंट टेमर रोड़, सक्ती, जिला सक्ती, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | सक्ती | 141 | 0.128 |
| 14 | मेसर्स मारुति नंदन कंस्ट्रक्शन, निवासी शिशु भवन इदगाह रोड़, बिलासपुर | मिट्टी/मुरुम | जांजगीर | 193/1 | 0.202 |
| 15 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री मनोज कुमार, निवासी बिलासपुर | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 503एम२, 1147, 1152, 263एम१, 504एम२, 582/1, 264/1 | 11.930 |
| 16 | मेसर्स मशीरा बिल्डकॉन, मस्तीद के पास वार्ड नं० 7, अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | अकलतरा | 1088/1 | 2.428 |
| 17 | मेसर्स पूरन चंद अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड़ अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | अकलतरा | 102 | 0.117 |
| 18 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, निवासी प्लॉट नं. 1462/3, हिन्दकोल वाशरी के पास, हरदी बाजार रोड़, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 3405 | 1.684 |
| 19 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, निवासी प्लॉट नं. 1462/3, हिन्दकोल वाशरी के पास, हरदी बाजार रोड़, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 1417/29 | 0.506 |
| 20 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, निवासी श्री शिव कुमार शर्मा, बी 502 स्काई लाईन इन्फ्रा एटमासफियर एपार्टमेंट राजकिशोर नगर लायला स्कूल रोड़ लिगियाडीह, जिला बिलासपुर, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 3291 | 0.404 |
| 21 | मेसर्स ओम०बी०के०डी० जेवी, शिवम, 07 जयविहार कालोनी, प्रथम तल, रायपुर, जिला रायपुर, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | अकलतरा | 270/1 | 11.416 |
| 22 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, निवासी प्लॉट नं. 1462/3, हिन्दकोल वाशरी के पास, हरदी बाजार रोड़, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 161/1 | 4.000 |
| 23 | मेसर्स जे०पी० एसोसिएट्स, बी३, 97 सिटी सेन्टर आईसीसी, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 735/1 | 7.195 |
| 24 | मेसर्स जी०आर० इन्फ्राप्रोजेक्टस लिमि०, निवासी प्लॉट नं. 1462/3, हिन्दकोल वाशरी के पास, हरदी बाजार रोड़, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, | मिट्टी/मुरुम | बलौदा | 484/1 | 0.567 |

| क्र० | व्यक्ति/एजेंसी का नाम | खनिज का नाम | ग्राम का नाम | तहसील | खसरा नंबर | रकबा (हे० में) |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वर्ष 2023 (01 जनवरी से 06 फरवरी तक) | | | | | | |
| 1 | मेसर्स विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमि०, निवासी प्लाट नं.ए. 28 विद्यानगर नेहरू नगर वेस्ट, वार्ड 60 कातुल बोर्ड, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छ०ग० | मिट्टी/ मुरुम | कोड़ाभाट, | पामगढ़ | 236 / 8, 236 / 12, 773 / 5 | 0.372, 0.105, 0.364 |
| 2 | मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमि०, अधिकृत श्री पीयूष मदान, मैनेजर, निवासी बेस कैम्प, ग्राम कोथारी, तहसील बरपाली, जिला कोरबा, छ०ग० | मिट्टी/ मुरुम | जाटा | चांपा | 508, 509, 82 / क / 1 | 31.460 |
| 3 | मेसर्स विजय कुमार शैलेन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा० लिमि०, निवासी प्लाट नं.ए. 28 विद्यानगर नेहरू नगर वेस्ट, वार्ड 60 कातुल बोर्ड, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग, छ०ग० | मिट्टी/ मुरुम | कोड़ाभाट, | पामगढ़ | 316 / 1 | 1.214 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

पारिशेष - तीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 558) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नल कनेक्शन उपलब्ध कराये गए गाँव की जिलेवार जानकारी

| क्र. | जिला का नाम | गाँव की संख्या | गाँव की संख्या जहाँ नल कनेक्शन उपलब्ध कराये गए | गाँव की संख्या जहाँ नल कनेक्शन कार्य पूर्ण हो गये हैं | गाँव की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण होना शेष है |
|------|-------------|----------------|--|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | रायपुर | 479 | 408 | 134 | 345 |
| 2 | बलौदाबाजार | 954 | 431 | 37 | 917 |
| 3 | गरियाबंद | 666 | 307 | 52 | 614 |
| 4 | धमतरी | 623 | 552 | 153 | 470 |
| 5 | महासमुन्द | 1117 | 554 | 81 | 1036 |
| 6 | दुर्ग | 385 | 275 | 71 | 314 |
| 7 | बालोद | 687 | 441 | 80 | 607 |
| 8 | बेमेतरा | 688 | 461 | 66 | 622 |
| 9 | राजनांदगांव | 1595 | 1196 | 115 | 1480 |
| 10 | कबीधाम | 957 | 624 | 49 | 908 |
| 11 | बस्तर | 614 | 191 | 14 | 600 |
| 12 | दंतेवाड़ा | 225 | 97 | 15 | 210 |
| 13 | बीजापुर | 563 | 197 | 34 | 529 |
| 14 | सुकमा | 398 | 163 | 0 | 398 |
| 15 | कौड़ागांव | 571 | 310 | 42 | 529 |
| 16 | कांकेर | 1066 | 477 | 63 | 1003 |


| क्र. | जिला का नाम | गाँव की संख्या | गाँव की संख्या जहाँ नल कनेक्शन उपलब्ध कराये गए | गाँव की संख्या जल कनेक्शन कार्य पूर्ण थे हैं | गाँव की संख्या जहाँ कार्य पूर्ण होना शेष है |
|-------|---------------|----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | नारायणपुर | 379 | 127 | 9 | 370 |
| 18 | बिलासपुर | 668 | 484 | 28 | 640 |
| 19 | जी.पी.एम. | 222 | 135 | 6 | 216 |
| 20 | मुंगेली | 674 | 305 | 24 | 650 |
| 21 | कोरबा | 703 | 248 | 15 | 688 |
| 22 | जांजगीर-चांपा | 880 | 552 | 26 | 854 |
| 23 | रायगढ | 1407 | 848 | 107 | 1300 |
| 24 | सरगुजा | 571 | 267 | 8 | 563 |
| 25 | बलरामपुर | 636 | 241 | 1 | 635 |
| 26 | सूरजपुर | 543 | 234 | 14 | 529 |
| 27 | कोरिया | 634 | 353 | 88 | 546 |
| 28 | जशपुर | 756 | 460 | 28 | 728 |
| योग - | | 19661 | 10938 | 1360 | 18301 |


 सुभाष अधिकारी
 स्वास्थ्य प्रान्तिकी विभाग,
 रायपुर, अटल नगर

जल जीवन मिशन योजना के लिये (दिनांक 04.03.2023 तक) कितनी राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, वर्षवार जानकारी का विवरण

(राशि रु. लाख में)

| क्र. | वर्ष | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट एलोकेशन | स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश राशि | | भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि | | | कॉलम क्रमांक 8 अनुसार प्राप्त राशि के विरुद्ध राज्य शासन से अनुपातिक अंशदान की राशि | राज्य शासन द्वारा विमुक्तिकरण पश्चात् वर्ष में प्रदत्त राशि (राज्यांश) | राज्य शासन द्वारा विमुक्तिकरण पश्चात् राज्यांश के अनुपातिक उपयोग हेतु उपलब्ध केन्द्रांश की राशि (केन्द्रांश) | कुल उपलब्ध राशि (कॉलम 10+11) |
|------|---------|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|-----------|---|--|--|------------------------------|
| | | | केन्द्रांश | राज्यांश | पूर्व वर्ष की अनाहरित राशि | वर्ष में जारी राशि | कुल राशि | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2019-20 | 20804.00 | 20804.00 | 20387.00 | 0.00 | 6581.96 | 6581.96 | 6485.00 | 2427.31 | 2427.31 | 4854.62 |
| 2 | 2020-21 | 44552.00 | 44552.00 | 43661.00 | 4847.82 | 33413.79 | 38261.61 | 36691.86 | 28394.73 | 29014.82 | 57409.55 |
| 3 | 2021-22 | 190896.00 | 190896.00 | 190637.00 | 9246.79 | 47723.90 | 56970.69 | 55652.16 | 54363.86 | 55682.39 | 110046.25 |
| 4 | 2022-23 | 222398.00 | 222398.00 | 216908.00 | 1288.30 | 166798.74 | 168087.04 | 164195.08 | 128711.70 | 131306.34 | 260018.04 |


 अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - इकतीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 613) की जानकारी


“प्रपत्र-अ”

1. वित्तीय वर्ष – 2021–22

| क्र० | विधानसभा का नाम | स्वीकृत कार्यों की संख्या | जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. करोड़ में) |
|------|-----------------|---------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | धमतरी | 62 | 8.20 |
| 2. | सिहावा | 37 | 6.36 |
| 3. | कुरुद | 27 | 3.78 |
| | योग :- | 126 | 18.34 |


2. वित्तीय वर्ष – 2022–23 (जनवरी, 2023 तक)

| क्र० | विधानसभा का नाम | स्वीकृत कार्यों की संख्या | जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. करोड़ में) |
|------|-----------------|---------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | धमतरी | 62 | 7.64 |
| 2. | सिहावा | 62 | 13.69 |
| 3. | कुरुद | 34 | 5.21 |
| | योग :- | 158 | 26.54 |


अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

"प्रपत्र-ब"

| क्र. | वित्तीय वर्ष | शासी परिषद की बैठक दिनांक | अनुमोदित कार्यों की संख्या | अनुमोदित राशि (रु. करोड़ में) | शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत कार्य | शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में) |
|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | 2021-22 | 24.12.2021 | 82 | 13.31 | 45 | 6.54 |
| 2. | 2022-23 (30 जनवरी, 2023 तक) | 17.08.2022 | 248 | 26.97 | 91 | 17.10 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज संचयन विभाग
 नया रायपुर छत्तीसगढ़

पारिशेष - बत्तीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 827) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021 एवं 2022 में आयोजित परीक्षाएं

| स. क्र. | परीक्षा का नाम | परीक्षा दिनांक |
|---------|--|-----------------------------|
| 1 | राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 | 15.01.2021 |
| 2 | राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2020 | 14.02.2021 |
| 3 | राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 | 15.03.2021 से 18.03.2021 |
| 4 | व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2020 | 22.03.2021 |
| 5 | राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2020 | 26.07.2021 से 29.07.2021 |
| 6 | कुलसचिव/ उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव | 26.08.2021 |
| 7 | सहायक संचालक जनसंपर्क, हिन्दी माध्यम | 26.08.2021 |
| 8 | रजिस्ट्रार (छत्तीसगढ़ राज्य के शास. महा. हेतु) | 26.08.2021 |
| 9 | पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ | 26.11.2021 |
| 10 | छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा-2020 | 05.12.2021 |
| 11 | सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी | 12.12.2021 |
| 12 | राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 | 13.02.2022 |
| 13 | सहायक संचालक, रेशम | 01.05.2022 |
| 14 | प्राचार्य वर्ग-1 एवं प्राचार्य वर्ग-2/ प्लेसमेंट अधिकारी/ सहायक संचालक (तकनीकी) | 01.05.2022 |
| 15 | सहायक संचालक | 01.05.2022 |
| 16 | साईटिफिक ऑफिसर (केमेस्ट्री) | 01.05.2022 |
| 17 | सहायक संचालक, हाथकरघा | 04.05.2022 |
| 18 | विधि अधिकारी | 04.05.2022 |

| स. क्र. | परीक्षा का नाम | परीक्षा दिनांक |
|---------|---|------------------|
| 19 | सहायक पंजीयक | 04.05.2022 |
| 20 | विधि अधिकारी | 04.05.2022 |
| 21 | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 25.06.2022 |
| 22 | राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021 | 26 से 29.06.2022 |
| 23 | खनि अधिकारी, सहायक भौमिकीविद् | 30.06.2022 |
| 24 | उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो) | 30.06.2022 |
| 25 | दन्त शल्य चिकित्सक | 15.07.2022 |
| 26 | होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी | 15.07.2022 |
| 27 | सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) | 15.07.2022 |
| 28 | निरीक्षक वाष्पयंत्र | 15.07.2022 |
| 29 | राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2021 | 28.08.2022 |
| 30 | फिजियोथेरेपिस्ट (शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय) | 15.09.2022 |
| 31 | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी | 15.09.2022 |
| 32 | भृत्य | 25.09.2022 |
| 33 | वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन) | 16.10.2022 |
| 34 | कैजुल्टी मेडिकल ऑफिसर | 16.10.2022 |



अनुभाग अधिकारी
मान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 832) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में बुनकर
समितियों को दिया गया अनुदान

| क्र. | समिति का नाम | राशि |
|------|---|-------|
| 1 | रानी दुर्गावती बुनकर सहकारी समिति मर्या. सांगिनकछार | 6.80 |
| 2 | श्री साईनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्या. भेड़ीकला | 0.75 |
| 3 | मैत्रायनी बुनकर सहकारी समिति मर्या. कन्हारपुरी | 6.80 |
| 4 | मां सफुरा बुन.सह.स.मर्या.मर्या. पेण्डी | 3.60 |
| 5 | मां शारदा बुनकर सहकारी समिति मर्या. उरईडबरी | 7.50 |
| 6 | मां शारदा बुनकर सहकारी समिति मर्या. उरईडबरी | 2.50 |
| 7 | कर्मामाता बुन.सह.स.मर्या.मर्या. लखोली | 2.50 |
| 8 | जय मां गढ़माता बुनकर सहकारी समिति मर्या. ठाकुरटोला | 6.80 |
| 9 | रानी दुर्गावती बुनकर सहकारी समिति मर्या. सांगिनकछार | 25.00 |
| 10 | आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बूचाटोला | 17.50 |
| 11 | श्री साई बुनकर सहकारी समिति मर्या. रेवाडीह | 5.00 |
| 12 | श्री परमेश्वरी महिला बुनकर सहकारी समिति मर्या. रामाटोला | 15.00 |
| 13 | मां शारदा बुनकर सहकारी समिति मर्या. उरईडबरी | 12.50 |
| 14 | साईनाथ बुन.सह.स.मर्या.मर्या. भेड़ीकला | 5.00 |
| 15 | छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्या. छुईखदान | 10.00 |
| 16 | छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्या. छुईखदान | 2.75 |
| 17 | छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्या. छुईखदान | 7.15 |
| 18 | दंतेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. सोनसायटोला | 2.50 |
| 19 | दंतेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्या. सोनसायटोला | 17.50 |
| 20 | नागेश्वरी बुन.सह.स.मर्या.नगपुरा | 7.10 |
| 21 | आस्था महिला बुन.सह.स.पाटन | 6.80 |
| 22 | दुर्ग जिला बुन.सह.स.दुर्ग | 6.80 |
| 23 | जय चण्डी बुन.सह.स.असोगा | 13.00 |
| 24 | कबीर कोसा बु.स.स.मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 25 | श्रीराम बु.स.स.मर्या. सिवनी | 19.96 |
| 26 | श्री जगन्नाथ बु.स.स.म. सिवनी | 2.70 |
| 27 | हसदेव बुन.सह. समिति मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 28 | हरेकृष्णा बु.स.स.म. चाम्पा | 3.60 |
| 29 | हरेकृष्णा बु.स.स.म. चाम्पा | 2.25 |
| 30 | जय कलेश्वर नाथ बु.स.स.मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 31 | महावीर बुन.सह. समिति मर्या. सारागांव | 3.60 |
| 32 | मां समलेश्वरी बु.स.स.मर्या. चाम्पा | 3.60 |

| | | |
|----|---|-------|
| 33 | मां परमेश्वरी बु.स.स.मर्या. पोडीशंकर | 19.85 |
| 34 | जाज्वलयदेव बु.स.स.मर्या. जांजगीर | 3.60 |
| 35 | पल्लवी बु.स.स. मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 36 | देवांगन विकास बु.स.स.म. केरा | 19.22 |
| 37 | गणेश बु.स.स.म. खम्हिया | 3.60 |
| 38 | जागृति बुन.सह. समिति मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 39 | छ0ग0 कोसा बु.स.स. मर्या. कुरदा | 6.80 |
| 40 | मां समलेश्वरी बु.स.स.मर्या. चाम्पा | 7.50 |
| 41 | मां शारदा बु.स.स. मर्या सिवनी | 5.00 |
| 42 | देवांगन विकास बु.स.स.मर्या. केरा | 15.00 |
| 43 | उजाला बु.स.स. मर्या. सिवनी | 3.60 |
| 44 | कबीर कोसा बु.स.स. मर्या. चाम्पा | 3.60 |
| 45 | छ0ग0 कोसा बु.स.स.मर्या. कुरदा | 6.80 |
| 46 | श्री दुर्गेश्वरी बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 47 | मां चौरा बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 48 | रामजी बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 49 | शिवशक्ति बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 50 | रामजी बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 51 | हरिहर बु.स.स.म. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 52 | मां काली बु.स.स.म. चन्द्रपुर | 2.25 |
| 53 | मां काली बु.स.स.म. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 54 | शिव शक्ति बु.स.स. मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 55 | मां चौरा बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 56 | श्री हरिहर बु.स.स.मर्या. चन्द्रपुर | 3.60 |
| 57 | मां भगवती महिला बु.स.स. मर्या. चुराघाटा | 13.60 |
| 58 | जय बजरंग बु.स.स.म. सोठी सक्ती | 3.60 |
| 59 | मां भगवती महिला बु.स.स. मर्या. चुराघाटा | 6.80 |
| 60 | जय दुर्गा बु.स.स.मर्या. पारागांव | 10.00 |
| 61 | चम्पेश्वर बु.स.स.मर्या. मंदलोर | 17.20 |
| 62 | अभिनव बु.स.स.मर्या. बिजनापुरी | 20.00 |
| 63 | प्रगति बु.स.स.मर्या. सुपेला | 16.46 |
| 64 | राजीव गांधी बुनकर सहकारी समिति मर्या. बेलमुण्डी | 3.60 |
| 65 | जागृति बुनकर सह. समि. मर्या. भंवरपुर | 7.50 |
| 66 | कुटेला बुनकर सह. समि. मर्या. कुटेला | 2.10 |
| 67 | कुटेला बुनकर सह. समि. मर्या. कुटेला | 5.00 |
| 68 | विरेंद्र बहादुर बुनकर सह. समि. मर्या. सल्डीह | 3.60 |
| 69 | महात्मा गांधी बुनकर सहकारी समिति डांगबुड़ा | 6.80 |
| 70 | महात्मा गांधी बुनकर सहकारी समिति डांगबुड़ा | 7.50 |
| 71 | आदिवासी बुनकर सहकारी समिति सुखरापारा | 16.80 |
| 72 | महिला बुनकर सहकारी समिति रायकेला | 10.40 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 73 | एकता बुनकर सहकारी समिति लेडुवा | 10.40 |
| 74 | मॉ समलेश्वरी बुनकर सहकारी समिति केशवनगर | 6.80 |
| 75 | हिंगलाजिन बुनकर स.स.मर्या. पाहुरबेल | 6.80 |
| 76 | महामाया बु.स.स.मर्या. छोटेदेवड़ा, | 7.50 |
| 77 | दंतेश्वरी बु.सह.स.मर्या. जगदलपुर | 16.80 |
| 78 | बुनकर सह.स. मर्या. सिरमुड़, | 15.00 |
| 79 | आदिवासी महि. बु.स.स.मर्या. कलचा, | 6.80 |
| 80 | महानदी बुन.सह.स.मर्या. चारामा | 25.40 |
| 81 | जय बगरूमदेव बुन.सह.स.मर्या. दसपुर, | 3.60 |
| 82 | चंदैनी बुढीमाता बु.स.मर्या छोटे सलना, | 13.60 |
| 83 | जय मां बंजारी बुन.सह.स. कोहंगाटाला | 13.60 |
| 84 | राजीव बुन.सह.स. भैंसबोड़ | 6.80 |
| 85 | मंगतूबाबा आदि. बुन.सह.स. कमकापार | 6.80 |
| 86 | मंगतूबाबा आदि. बुन.सह.स. कमकापार | 3.60 |
| 87 | जय मां दुर्गा बुन.सह.स. मर्या. देवरीबंगला | 6.80 |
| 88 | जय संतोषी मां बुन.सह.स.मर्या. कोहंगाटोला | 3.60 |
| 89 | जय संतोषी मां बुन.सह.स.मर्या. कोहंगाटोला | 20.00 |
| 90 | प्राथमिक बुनकर सह.स.मर्या. मोहंदीपाट | 22.50 |
| 91 | प्राथमिक बुनकर सह.स.मर्या. मोहंदीपाट | 2.50 |
| 92 | प्राथमिक बुनकर सह.स.मर्या. हथौद | 12.50 |
| 93 | मंगतूबाबा आदिवासी बुन.सह.स.मर्या. कमकापार | 10.00 |
| 94 | मंगतूबाबा आदिवासी बुन.सह.स.मर्या. कमकापार | 2.50 |
| 95 | हाथकरघा बुन.सह.स.मर्या. हथौद | 10.00 |
| 96 | प्राथमिक बुनकर सह.स.मर्या. हथौद | 2.50 |
| 97 | एकीकृत बुन.सह.स.मर्या. सुरेगांव | 5.00 |
| 98 | एकीकृत बुन.सह.स.मर्या. सुरेगांव | 2.50 |
| 99 | मेघा बुन.सह.स.मर्या. सियनमरा | 3.60 |
| 100 | राजीव बुन.सह.स. भैंसबोड़ | 3.60 |
| 101 | जय संतोषी बुन.सह.स. कोहंगाटोला | 3.80 |
| 102 | जय रानी मां बुन.सह.स. सेमरकोना | 3.80 |
| 103 | दुधली हाथ. बुन. सह.स. मर्या. बनगांव | 16.73 |
| 104 | मॉ गायत्री आदिवासी बुन. सह.स. चिपरा | 13.67 |
| 105 | नवयुवक बुनकर सहकारी समिति मर्या. खैरीडीह | 13.67 |
| 106 | गुरुघांसीदास महि.बुन.सह.स. नाहंदा | 2.50 |
| 107 | हाथकरघा बुन. सह. स. मर्या. हथौद | 7.50 |
| 108 | प्राथमिक बुन. सह. स. मर्या. हथौद | 5.00 |
| 109 | इंदिरा गांधी महिला बुन. सह. स. हथौद | 5.00 |
| 110 | इंदिरा गांधी महिला बुन. सह. स. हथौद | 2.50 |
| 111 | इंदिरा गांधी महिला बुन. सह. स. हथौद | 2.50 |
| 112 | एकीकृत बुन.सह.स. मर्या. सुरेगांव | 7.50 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 113 | जय शक्ति आदिवासी बुन.सह.स. मर्या. राघोनवांगांव | 12.50 |
| 114 | मंगतूबाबा बुन.सह.स.मर्या. कमकापार | 7.50 |
| 115 | श्री गौरी कोसा बुन.सह.स.मर्या.रक्सापाली | 50.00 |
| 116 | गांधी कोसा बुन.सह.स.मर्या. हीरापुर | 0.90 |
| 117 | गांधी कोसा बुन.सह.स.मर्या. हीरापुर | 1.32 |
| 118 | शीतला कोसा बुन.सह.स.मर्या. बेलादुला | 0.90 |
| 119 | बुनकर सहकारी संघ मर्या रायगढ | 1.95 |
| 120 | नेहरू कोसा बुन.सह.स.मर्या. मालीडीपा | 0.90 |
| 121 | श्री गौरी कोसा बुन.सह.स.मर्या.रक्सापाली | 3.25 |
| 122 | बजरंग बुन.सह.स.मर्या. पेण्ड्रावन | 3.60 |
| 123 | उन्नति बुन.सह.स.मर्या. पंचधार | 3.60 |
| 124 | उन्नति बुन.सह.स.मर्या. पंचधार | 6.80 |
| 125 | समलेश्वरी बुन.सह.स.मर्या. बेंगची | 7.50 |
| 126 | बजरंग बुन.सह.स.मर्या. पेण्ड्रावन | 25.00 |
| 127 | श्रद्धा महिला बुनकर सहकारी समिति लोफन्दी | 30.40 |
| 128 | महामाया बुनकर सहकारी समिति लखराम | 20.40 |
| 129 | सत्यनारायण बुनकर सहकारी समिति लोफन्दी | 5.00 |
| 130 | बजरंग बुनकर सहकारी समिति गनियारी | 15.66 |
| 131 | अरपा बुनकर सहकारी समिति रानीगांव | 12.50 |
| 132 | मौ नीरा बुनकर सहकारी समिति बाकीमोंगरा | 13.60 |
| 133 | लक्ष्मी कोसा बुनकर सहकारी समिति उमेरली | 13.60 |
| 134 | लक्ष्मी कोसा बुनकर सहकारी समिति उमेरली | 36.10 |
| 135 | सहारा बुनकर सहकारी समिति मुनगाडीह | 9.50 |
| 136 | मौ परमेश्वरी बुनकर सहकारी समिति छुरीकला | 6.80 |
| 137 | श्रीराम बुनकर सहकारी समिति उमत्रेली | 45.00 |
| 138 | जय ठाकुलदेव बु.स.स.म. टुण्डा | 3.60 |
| 139 | श्री राम बु.स.स.म. कटगी | 3.60 |
| 140 | महामाया बु.स.स.म. टुण्डा | 7.20 |
| 141 | सिद्धि विनायाक बु.स.स.म. रामपुर | 6.80 |
| 142 | जय गुरुदेव बु.स.स.म. पिसिद | 36.10 |
| 143 | आदर्श बु.स.स.मर्या. सरगीगुड़ा | 45.60 |
| 144 | चित्रगुप्त बु.स.स.मर्या. मुगझर | 7.20 |
| 145 | जय भवानी बु.स.स.मर्या. कम्हड़ईकला | 19.30 |
| 146 | शिवानी बु.स.स.मर्या. मोखगुड़ा | 21.40 |
| 147 | गोवर्धन बु.स.स.मर्या.सागोनबाड़ी | 6.80 |


 अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोन्नति विभाग
 न्यायलय, अदल नगर, रायपुर

बुनकर समितियों को अनुदान दिये जाने का मापदंड

1. समग्र हाथकरघा विकासा योजना :-

- कार्यशील प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति जिनमें हाथकरघा उद्योग की गतिविधियां तथा प्रबंध व्यस्थित रूप से चल रहा हो एवं जिनका अंकेक्षण हो रहा हो तथा सहायता प्राप्त होने पर अधिक प्रगति की संभावना हो।
- ऐसी समिति जो संचालक हाथकरघा छत्तीसगढ़ की अभिमत में सहायता प्राप्त होने पर हाथकरघा उद्योग में रोजगार के अवसर निर्माण करने में सक्षम हो।

2. हाथकरघा बुनकर वर्कशेड योजना :-

- सहायता प्राप्त करने वाले बुनकर कार्यशील प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति अथवा स्वयं सहायता समूह का कम से कम दो वर्ष से नियमित क्रियाशील सदस्य हो तथा जो वर्ष में कम से कम 180 दिन बुनाई कार्य करता हो।
- बुनकर सहकारी समिति में कार्यरत आवासहीन, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों को जिनका आवास बहुत ही छोटा, कच्चा और खपरैल हो, को सहायता दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

3. हाथकरघा अनुसंधान विकास कार्य योजना :- इस योजना में अनुसंधान एवं विकास करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदेश के कार्यशील बुनकर सहकारी समितियों/भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आदि के माध्यम से उनके द्वारा तैयार किये गये प्रोजेक्ट लागत के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।


 अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, राबपुर

पारिशेष्य - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 849) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(राशि करोड़ में)

प्रश्नांकित अवधि में लिये गये ऋणों का संस्थावार विवरण

| ऋण के स्रोत/संस्था का नाम | लिया गया ऋण | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | 1 दिसंबर 2018 से मार्च 2019 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) |
| भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार | 10,400.00 | 11,680.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | - |
| राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण | 557 | 970 | 935 | 1,104 | 420 |
| केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/विश्व बैंक से ऋण/जीएसटी ऋण/अन्य ऋण | 165 | 279 | 3,620 | 5,777 | 1,944 |
| योग- | 11,122 | 12,929 | 17,555 | 10,881 | 2,364 |

टीप- उक्त ऋणों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु विशेष सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) में प्रदत्त ऋण राशि क्रमशः 286 करोड़ रुपये, 423 करोड़ रुपये तथा 1333 करोड़ भी शामिल है।

प्रपत्र-ब

(राशि करोड़ में)

प्रश्रुंकित अवधि में वर्षवार ब्याज भुगतान का विवरण

| वर्ष | राशि |
|--------------------------------|----------|
| 1 दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक | 1771.94 |
| वर्ष 2019-20 | 4970.34 |
| वर्ष 2020-21 | 5633.11 |
| वर्ष 2021-22 | 6144.24 |
| वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) | 4233 |
| योग | 22752.63 |

पारिशेष - पेंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 862) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में स्थायी/अस्थायी कृषि पम्पो के लंबित आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी

| क्र. | विकासखण्ड का नाम | दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या | | | दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में विस्तार कार्य हेतु लंबित ओदनों में से 2022-23 हेतु जारी किये गये लक्ष्य में शामिल पंपों की संख्या | दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में विस्तार कार्य हेतु लंबित आवेदनों में से 2022-23 हेतु जारी किये गये लक्ष्य में शामिल पंपों के अतिरिक्त शेष पंपों की संख्या |
|------|------------------|---|-------------|----------------------|---|---|
| | | स्थायी कनेक्शन हेतु | | अस्थायी कनेक्शन हेतु | | |
| | | विस्तार कार्य हेतु | भुगतान हेतु | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3-6) |
| 1 | अंतागढ़ | 163 | 57 | 0 | 23 | 140 |
| 2 | कोयलीबेड़ा | 788 | 34 | 0 | 171 | 617 |
| | योग | 951 | 91 | 0 | 194 | 757 |


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 864) की जानकारी

“प्रपत्र”

वनमंडल भानुप्रतापपुर पूर्व एवं वनमंडल भानुप्रतापपुर पश्चिम अंतर्गत वर्ष 2021-22 से दिसम्बर 2022 तक विभिन्न मद अंतर्गत किए गए रोपित पौधों, हेक्टेयर, लागत राशि का परिक्षेत्रवार विवरण

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | मद का नाम | रकबा (हेक्ट. में) | रोपित पौधों की संख्या | व्यय राशि लाख में |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021-22 | पूर्व भानुप्रतापपुर | अंतागढ़ | कैम्पा मद | 89.348 | 87145 | 194.41 |
| 2021-22 | पूर्व भानुप्रतापपुर | दुर्गूकौदल | कैम्पा मद | 118.805 | 104298 | 295.91 |
| 2021-22 | पूर्व भानुप्रतापपुर | भानुप्रतापपुर | कैम्पा मद | 15.878 | 17500 | 18.10 |
| | योग (पूर्व भानुप्रतापपुर) :- | | | 224.031 | 208943 | 508.42 |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | कापसी सा. | 10-2406 | 1.000 | 400 | 0.80 |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | कोयलीबेड़ा | (2536) | 1.000 | 300 | 0.60 |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | पश्चिम परलकोट | पर्यावरण | 0.750 | 150 | 0.30 |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | पूर्व परलकोट | वानिकी योजना | 0.750 | 150 | 0.30 |
| | योग (पश्चिम भानुप्रतापपुर) :- | | | 3.500 | 1000 | 2.00 |
| | कुल योग (वित्तीय वर्ष 2021-22) :- | | | 227.531 | 209943 | 510.420 |
| 2022-23 | पूर्व भानुप्रतापपुर | दुर्गूकौदल | कैम्पा मद | 133.000 | 133000 | 408.03 |
| 2022-23 | पूर्व भानुप्रतापपुर | भानुप्रतापपुर | कैम्पा मद | 27.000 | 27000 | 74.75 |
| | योग (पूर्व भानुप्रतापपुर) :- | | | 160.000 | 160000 | 482.78 |
| 2022-23 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | कापसी सा. | कैम्पा मद | 105.000 | 49000 | 62.06 |
| 2022-23 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | पश्चिम परलकोट | कैम्पा मद | 40.000 | 30000 | 28.10 |
| | योग (पश्चिम भानुप्रतापपुर) :- | | | 145.00 | 79000 | 90.16 |
| | कुल योग (वित्तीय वर्ष 2022-23) :- | | | 305.000 | 239000 | 572.936 |
| | कुलयोग (वर्ष 2021-22 एवं 2022-23) :- | | | 532.531 | 448943 | 1083.356 |

टीप- 2022-23 की जानकारी दिनांक 31.12.2022 तक की है ।


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - सेंटोस

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 917) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

| पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी | |
|--|--|
| स.क्र. | निर्माण कार्यों की घोषणा की गई थी |
| 1 | ग्राम कोनार में सी.सी. रोड निर्माण |
| 2 | ग्राम कोनार में तालाब गहरीकरण कार्य |
| 3 | ग्राम मुलमुला में शा.पू.मा.शाला भवन का निर्माण |
| 4 | ग्राम कोसा में शा.प्राथमिक शाला भवन का निर्माण |
| 5 | ग्राम मेंहदी (हरदीपारा) में नवीन प्राथमिक शाला |
| 6 | ग्राम भैंसों में हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल |
| 7 | ग्राम केरा में मुक्तिधाम गौठान मार्ग में सी.सी रोड निर्माण |
| 8 | ग्राम सिंधुल में ग्राम पंचायत भवन निर्माण |
| 9 | ग्राम नगारीडीह में पंचायत भवन एवं अहाता निर्माण |
| 10 | ग्राम केसला में शासकीय प्राथमिक शाला भवन में अहाता निर्माण |
| 11 | धोबी समाज शिवरीनारायण के मांग पर बोर एवं किचन शेड की घोषणा |
| 12 | राहौद से रीवापार सड़क निर्माण की घोषणा |
| 13 | ठाकुर जगमोहन सिंह उपन्यासकार एवं शिवरीनारायण के प्रथम तहसीलदार के नाम पर पुस्तकालय खोलने की घोषणा |
| 14 | कुर्मी समाज के मांग पर कचंदा हाई स्कूल में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की घोषणा |
| 15 | कन्नौजिया कुर्मी समाज के शिवरीनारायण स्थित पुराने धर्मशाला के पुनः निर्माण के लिए 50 लाख स्वीकृति |
| 16 | ग्राम कोनार से कोसा सड़क निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत |
| 17 | ग्राम पामगढ़ में सामुदायिक भवन का निर्माण |
| 18 | ग्राम कोसा में सतनामी पारा के सामुदायिक भवन निर्माण |
| 19 | महानदी पर देवरहा घाट (सारंगढ़) से केरा घाट पूल निर्माण |
| 20 | ग्राम पंचायत देवरी में घाट पचरी निर्माण |
| 21 | कन्नौजिया यादव समाज के मांग पर खरौद में सामाजिक भवन हेतु 30 लाख रु की घोषणा |
| 22 | सिक्ख समाज धर्मशाला हेतु 20 लाख रु की घोषणा एवं रपटा घाट में अस्थि विसर्जन के आंगतुको के लिए भवन हेतु नगर पंचायत को निर्देशित किया गया |
| 23 | शिवरीनारायण में नायक बंजारा समाज हेतु भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपये की घोषणा |

| | |
|----|--|
| 24 | स्वर्णकार समाज के मांग पर धर्मशाला हेतु आर्थिक सहयोग रूपये 15 लाख की घोषणा की गई । |
| 25 | केशरवानी समाज शिवरीनारायण के मांग पर धर्मशाला जिर्णोद्धार हेतु रु. 20 लाख की घोषणा |
| 26 | देवांगन समाज के मांग पर नगर पंचायत राहौद के धर्मशाला में अतिरिक्त भवन हेतु 10 लाख रु. की घोषणा एवं केरा में मंगल भवन हेतु 10 लाख रु. की घोषणा |
| 27 | पटेल समाज की मांग पर ग्राम केसला तहसील शिवरीनारायण में शाकम्भरी आश्रम की स्थापना हेतु 10 लाख की घोषणा |
| 28 | सतनामी समाज की मांग पर नटराज चौक शिवरीनारायण में स्थित सतनाम भवन के जिर्णोद्धार हेतु 25 लाख की घोषणा (शिवरीनारायण बहुजन समाज संघ) |
| 29 | कॅवट समाज के मांग पर महंत कॉलेज के बगल में छात्रावास निर्माण हेतु 25 लाख की घोषणा की गई एवं गुहाराम निषाद के नाम चौक नाम कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने नगर पंचायत को निर्देशित किया गया |
| 30 | सतगुरु सेवा समिति की मांग पर सामुदायिक भवन हेतु 5 लाख रु. की घोषणा |




अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

| पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के स्वीकृत कार्यों की जानकारी | |
|--|---|
| स.क्र. | निर्माण कार्यों की घोषणा की गई थी |
| 1 | ग्राम कोनार में सी.सी. रोड निर्माण |
| 2 | ग्राम कोनार में तालाब गहरीकरण कार्य |
| 3 | ग्राम मुलमुला में शा.पू.मा.शाला भवन का निर्माण |
| 4 | ग्राम कोसा में शा.प्राथमिक शाला भवन का निर्माण |
| 5 | ग्राम मेंहदी (हरदीपारा) में नवीन प्राथमिक शाला |
| 6 | ग्राम भैंसों में हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल |
| 7 | ग्राम केरा में मुक्तिधाम गौठान मार्ग में सी.सी रोड निर्माण |
| 8 | ग्राम सिंघुल में ग्राम पंचायत भवन निर्माण |
| 9 | ग्राम नगारीडीह में पंचायत भवन एवं अहाता निर्माण |
| 10 | ग्राम केसला में शासकीय प्राथमिक शाला भवन में अहाता निर्माण |
| 11 | धोबी समाज शिवरीनारायण के मांग पर बोर एवं किचन शेड की घोषणा |
| 12 | राहौद से रीवापार सड़क निर्माण की घोषणा |
| 13 | ठाकुर जगमोहन सिंह उपन्यासकार एवं शिवरीनारायण के प्रथम तहसीलदार के नाम पर पुस्तकालय खोलने की घोषणा |
| 14 | कुर्मी समाज के मांग पर कचंदा हाई स्कूल में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की घोषणा |
| 15 | कन्नौजिया कुर्मी समाज के शिवरीनारायण स्थित पुराने धर्मशाला के पुनः निर्माण के लिए 50 लाख स्वीकृति |

| पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के अस्वीकृत कार्यों की जानकारी | |
|---|--|
| 1 | ग्राम कोनार से कोसा सड़क निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत |
| 2 | ग्राम पामगढ़ में सामुदायिक भवन का निर्माण |
| 3 | ग्राम कोसा में सतनामी पारा के सामुदायिक भवन निर्माण |
| 4 | महानदी भवन पर देवरहा घाट (सारंगढ़) से केरा घाट पूल निर्माण |
| 5 | ग्राम पंचायत देवरी में घाट पचरी निर्माण |
| 6 | कन्नौजिया यादव समाज के मांग पर खरौद में सामाजिक भवन हेतु 30 लाख रु की घोषणा |
| 7 | सिक्ख समाज धर्मशाला हेतु 20 लाख रु की घोषणा एवं रपटा घाट में अस्थि विसर्जन के आंगतुको के लिए भवन हेतु नगर पंचायत को निर्देशित किया गया |
| 8 | शिवरीनारायण में नायक बंजारा समाज हेतु भवन निर्माण हेतु 25 लाख रूपये की घोषणा |
| 9 | स्वर्णकार समाज के मांग पर धर्मशाला हेतु आर्थिक सहयोग रूपये 15 लाख की घोषणा की गई । |
| 10 | केशरवानी समाज शिवरीनारायण के मांग पर धर्मशाला जिर्णोद्धार हेतु रु. 20 लाख की घोषणा |
| 11 | देवांगन समाज के मांग पर नगर पंचायत राहौद के धर्मशाला में अतिरिक्त भवन हेतु 10 लाख रु. की घोषणा एवं केरा में मंगल भवन हेतु 10 लाख रु. की घोषणा |
| 12 | पटेल समाज की मांग पर ग्राम केसला तहसील शिवरीनारायण में शाकम्भरी आश्रम की स्थापना हेतु 10 लाख की घोषणा |
| 13 | सतनामी समाज की मांग पर नटराज चौक शिवरीनारायण में स्थित सतनाम भवन के जिर्णोद्धार हेतु 25 लाख की घोषणा (शिवरीनारायण बहुजन समाज संघ) |
| 14 | कैवट समाज के मांग पर महंत कॉलेज के बगल में छात्रावास निर्माण हेतु 25 लाख की घोषणा की गई एवं गुहाराम निषाद के नाम चौक नाम कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने नगर पंचायत को निर्देशित किया गया |
| 15 | सतगुरु सेवा समिति की मांग पर सामुदायिक भवन हेतु 5 लाख रु. की घोषणा |


अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 923) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र. | ग्राम का नाम | स्थल का नाम | विकास खण्ड | संयंत्र क्षमता सह विन्यास | संयंत्र स्थापना की तिथि | संयंत्र लागत (राशि रुपये में) | कार्यशील / अकार्यशील |
|------|----------------------|---|------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | बहेराडीह | आंगनबाड़ी क्र. 04 के पास | अभनपुर | 01 एच.पी.पंप क्षमता / 1200 वॉट क्षमता / 12 मीटर स्टेजिंग / 10000 लीटर वाटर स्टोरेज टैंक | 23-02-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 2 | हरदीडीह | रघु साहू घर के पास, शांती पारा | | | 21-02-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 3 | खरखराडीह (नवागांव क) | आंगनबाड़ी के पास | | | 29-11-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 4 | बिरोदा | गौठान बकतरा रोड़ | | | 07-03-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| | | हल्लू ध्रुव घर के पास, गोडपारा | | | 12-03-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 5 | भाटापारा (बेलर) | देवनाथ पाल घर के पास, बाजार चौक | | | 24-02-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| | | जयस्तंभ चौक | | | 26-02-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 6 | सारखी | सोनभवन भाटापारा | | | 06-03-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| | | आंगनबाड़ी क्र. 02 के पास, भाटापारा | | | 05-03-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 7 | परसदा (विद्यामंदिर) | साईं ट्रेडर्स के सामने, रवेली रोड | | | 25-06-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 8 | तर्री | दिलीप शर्मा घर के पास शिवचौक, डिपरापारा | | | 21-04-22 | 1480000.00 | कार्यशील |
| | | प्रहलाद यादव घर के पास, भाटापारा | | | 30-11-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 9 | जामगांव | बैशाखू राम सिन्हा घर के पास, भाटापारा | | | 29-08-21 | 1480000.00 | कार्यशील |
| 10 | भेलवाडीह | आंगनबाड़ी क्र. 02 के पास | 23-09-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| | | बाजार शेड के पास, भाटापारा | 24-09-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| 11 | गोतियारडीह | दाउलाल घर के पास, आवास पारा | 03-12-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| | | साहेबदास घर के पास | 04-12-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| 12 | चिपरीडीह | फूलनारायण घर के पास | 06-12-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| | | अशोक साहू घर के पास | 06-12-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| 13 | खिलोरा | आंगनबाड़ी क्र. 02 के पास | 14-12-21 | 1480000.00 | कार्यशील | | |
| 14 | झांकी | प्राथमिक शाला, झांकी | अभनपुर | 01 एच.पी.पंप क्षमता / 900 वॉट क्षमता / 06 मीटर स्टेजिंग / 5000 लीटर वाटर स्टोरेज टैंक | 29-09-22 | 456000.00 | कार्यशील |



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोक्षेष्ट - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क. 945) की जानकारी

प्रश्न-

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | वनमंडल का नाम | विकासखंड का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वर्ष | मद का नाम कैम्पा/विभागीय / अन्य | योजना का नाम | सड़क एवं स्थल का नाम | सड़क की लंबाई (मी.कि.मी.) में | स्वीकृत कार्य की स्थिति | |
|------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | - | 2021-22 दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक | कैम्पा मद | कैम्पा मद | निरंक | | | |
| 2 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पश्चिम | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | उपका से नेऊर, डब्ल्यू.बी. एम. सड़क निर्माण | 2 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 3 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पश्चिम | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पुटपुटा से पोलमी, डब्ल्यू.बी. एम. सड़क निर्माण | 2 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 4 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पश्चिम | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | नेऊर से पुटपुटा, डब्ल्यू.बी. एम. सड़क निर्माण | 2.10 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 5 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-1, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 6 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-2, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 7 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-3, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | वनमंडल का नाम | विकासखंड का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वर्ष | मद का नाम कैम्पा/विभागीय / अन्य | योजना का नाम | सड़क एवं स्थल का नाम | सड़क की लंबाई (मी.कि.मी.) में | स्वीकृत कार्य की स्थिति | |
|------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-4, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 9 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-5, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 10 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-6, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 11 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-7, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 1.00 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| 12 | पण्डरिया | कवर्धा | पण्डरिया | पण्डरिया पूर्व | 2022-23 (01.04.2022 से 31.01.2023 तक) | कैम्पा मद | कैम्पा मद | पोलमी से डालामौहा झिरिया भाग-8, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण | 0.500 कि.मी. | - | प्रगति पर |
| योग- | | | | | | | | | 13.600 कि.मी. | | |

6 2/3/23
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर

पारिशेष्य - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 949) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

जिला सरगुजा के अंतर्गत माह जनवरी 2023 की स्थिति में विद्यमान 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन की विकासखण्डवार एवं स्थलवार जानकारी

| स.क्र. | संभाग का नाम | विकासखंड का नाम | संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का नाम |
|--------|-----------------------------|-----------------|---|
| 1 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | नमनाकला |
| 2 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | बिश्नुपुर |
| 3 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | मुक्तिपारा |
| 4 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | इंडस्ट्रीयल एरिया, अम्बिकापुर |
| 5 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | महामाया |
| 6 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | लक्ष्मीपुर |
| 7 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | नया बस स्टैण्ड |
| 8 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | तकिया |
| 9 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | सरगवां |
| 10 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | चठिरमा |
| 11 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | परसा |
| 12 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | भिट्टीकला |
| 13 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | दरिमा |
| 14 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | साडवार |
| 15 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | नवानगर |
| 16 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | सुखरी |
| 17 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लखनपुर | लखनपुर |
| 18 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लखनपुर | कुन्नी |
| 19 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लखनपुर | लटोरी |
| 20 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | उदयपुर | उदयपुर |
| 21 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | उदयपुर | डांडगांव |
| 22 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | उदयपुर | खम्हरिया |
| 23 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | बतौली | बतौली |
| 24 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | बतौली | महेशपुर |
| 25 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | सीतापुर | सीतापुर |
| 26 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | सीतापुर | पेटला |
| 27 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | मैनपाठ | मैनपाठ |
| 28 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | मैनपाठ | खड्गवां |
| 29 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | मैनपाठ | काराबेल |
| 30 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लुण्डा | लुण्डा |
| 31 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लुण्डा | लमगांव |
| 32 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | लुण्डा | धौरपुर |

विद्यमान 132/33 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन

| स.क्र. | संभाग का नाम | विकासखण्ड का नाम | संचालित 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन का नाम |
|--------|-----------------------------|------------------|--|
| 1 | शहर संभाग, अम्बिकापुर | अम्बिकापुर | बिश्नुपुर (अम्बिकापुर) |
| 2 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | बतौली | बतौली |
| 3 | संचा/संधा संभाग, अम्बिकापुर | उदयपुर | उदयपुर |

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


प्रपत्र - "ब"

जिला सरगुजा के अंतर्गत माह जनवरी 2023 की स्थिति में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन की विकासखण्डवार एवं स्थलवार जानकारी

| स.क्र. | संभाग का नाम | विकासखंड का नाम | प्रस्तावित 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र का स्थान | पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता (एम. व्ही.ए.में) | कार्य की स्थिति | कार्यपूर्णता की संभावित तिथि |
|--------|-------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | संचा / संधा, अम्बिकापुर | लुण्ड्रा | बकनाकला | 3.15 | निविदा प्रक्रियाधीन | वर्ष 2023-24 |
| 2 | संचा / संधा, अम्बिकापुर | लुण्ड्रा | चंगोरी | 3.15 | निविदा प्रक्रियाधीन | वर्ष 2023-24 |
| 3 | संचा / संधा, अम्बिकापुर | लखनपुर | तुरना | 3.15 | दिनांक 03.02.2023 को कार्यादेश जारी | वर्ष 2023-24 |

प्रस्तावित 400/220/132 के.व्ही. सब स्टेशन

| स.क्र. | संभाग का नाम | विकासखंड का नाम | प्रस्तावित 400/220/132 के व्ही. सब स्टेशन का स्थान | पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता (एम. व्ही.ए.में) | कार्य की स्थिति | कार्यपूर्णता की संभावित तिथि |
|--------|-------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|
| 1 | संचा / संधा, अम्बिकापुर | लुण्ड्रा | लुण्ड्रा | - | निर्माण वर्ष 2025 के पश्चात किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। | वर्ष 2025 के पश्चात संभावित है। |


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - इकतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 953) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 25 वर्ष से अधिक अवधि के निम्नदाब के विद्युत लाईन हेतु किये गये कार्य

| क्र. | वितरण केन्द्र का नाम | ग्राम का नाम | निम्नदाब के कार्य | | | | मिड स्पॉन पोल |
|------|----------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------|--------|---------------|
| | | | तार बदलने का कार्य | | तारों की क्षमता वृद्धि | | |
| | | | संख्या | कि.मी. | संख्या | कि.मी. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | करहीमदर | लिमोरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| 2 | करहीमदर | नर्सा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 3 | करहीमदर | सोहपुर | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| 4 | करहीमदर | तमोरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 5 | गुरुर | धोबनपुरी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 6 | गुरुर | रमतारा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| 7 | गुरुर | कन्हारपुरी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| 8 | गुरुर | मोखा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 9 | गुरुर | खैरडिगी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 10 | गुरुर | सोनाईडोंगरी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| 11 | गुरुर | घनोरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 12 | गुरुर | छेडिया | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 13 | गुरुर | कोलिहामार बस्ती | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| 14 | गुरुर | घनेली | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 15 | गुरुर | बोदरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 16 | पुरुर | खुदनी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 17 | पुरुर | मिरीटोला | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 18 | पुरुर | भेजामैदानी | 0 | 0.00 | 1 | 0.60 | 10 |
| 19 | पुरुर | फागुनदाह | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 20 | पुरुर | दियावाती | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 4 |
| 21 | पुरुर | दुबचेरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 22 | पुरुर | नवागाव | 0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 0 |
| 23 | पुरुर | दर्सा | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 |
| 24 | पलारी | पेरपार | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 |
| 25 | पलारी | पलारी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 |
| 26 | पलारी | अरकार | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 |
| 27 | पलारी | अकलवासा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| 28 | पलारी | मोहारा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 |
| 29 | पलारी | कौसागौंदी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 30 | पलारी | गंगाशीपार | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 31 | पलारी | कंवर | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| 32 | पलारी | डोटोपार | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 33 | पलारी | सागली | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 |
| 34 | पलारी | देवकोट | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 |
| 35 | पलारी | भिरई | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| 36 | पलारी | बोहारा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 37 | पलारी | पडकीमाट | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| 38 | पलारी | जेवरतला | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 3 |
| 39 | पलारी | सियनमरा | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 40 | पलारी | पिकरीपार | 0 | 0.00 | 1 | 0.30 | 4 |
| 41 | पलारी | तिलखेरी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 42 | पलारी | अरमरीकला | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 |
| 43 | पलारी | पेण्डरवानी | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 |
| 44 | पलारी | खोरदो | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| 45 | पलारी | परसुली | 0 | 0.00 | 1 | 0.80 | 0 |
| 46 | झलमला | पाकुरमाट | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| योग | | | 0 | 0.00 | 7 | 3.45 | 228 |

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - ब्यालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क. 961) की जानकारी

प्रपत्र

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31/01/2023 तक जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत योजना की जानकारी ग्रामवार लागत सहित

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनान्तर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनान्तर्गत पूर्ण नल कनेक्शन की संख्या |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बड़ेबंदरी | 06/07/2021 | 160.80 | 444 | - | अपूर्ण | 270 |
| 2 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बफना | 06/07/2021 | 130.06 | 537 | - | अपूर्ण | 372 |
| 3 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | कुम्हसपारा | 07/10/2021 | 58.36 | 190 | - | अपूर्ण | 100 |
| 4 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | पलारी | 06/07/2021 | 134.51 | 321 | - | अपूर्ण | 231 |
| 5 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बम्हनी | 27/10/2021 | 199.28 | 722 | - | अपूर्ण | 865 |
| 6 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | चिपावंड | 27/10/2021 | 82.30 | 297 | - | अपूर्ण | 222 |
| 7 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | डोंगरीगुडा | 27/10/2021 | 197.87 | 521 | - | अपूर्ण | 114 |
| 8 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | करजी | 27/10/2021 | 113.06 | 348 | - | अपूर्ण | 193 |
| 9 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | कुसमा | 27/10/2021 | 145.01 | 534 | - | अपूर्ण | 352 |
| 10 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | संबलपुर | 27/10/2021 | 196.49 | 604 | - | अपूर्ण | 615 |
| 11 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | माकड़ी | 02/11/2021 | 212.30 | 435 | - | अपूर्ण | 429 |
| 12 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | मुलमुला | 27/10/2021 | 164.85 | 743 | - | अपूर्ण | 69 |
| 13 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | गिरोला | 27/10/2021 | 116.41 | 458 | - | अपूर्ण | 526 |
| 14 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | विलपुटी | 27/10/2021 | 184.77 | 467 | - | अपूर्ण | 280 |
| 15 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | काकड़बेड़ा | 27/10/2021 | 39.99 | 69 | - | अपूर्ण | 57 |
| 16 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | जरंडी | 19/11/2021 | 119.48 | 328 | - | अपूर्ण | 307 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (₹ लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनांतर्गत पूर्ण नव कनेक्शन की संख्या |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | ओण्डरी | 19/11/2021 | 69.12 | 234 | - | अपूर्ण | 204 |
| 18 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | सोडमा | 19/11/2021 | 87.72 | 334 | - | अपूर्ण | 334 |
| 19 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | केसवाही | 27/11/2021 | 191.34 | 510 | - | अपूर्ण | 547 |
| 20 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | ओटण्डा | 27/11/2021 | 192.48 | 397 | - | अपूर्ण | 299 |
| 21 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | सिरपुर | 27/11/2021 | 144.75 | 431 | - | अपूर्ण | 363 |
| 22 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | शामपुर | 13/12/2021 | 114.13 | 456 | - | अपूर्ण | 506 |
| 23 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | बाखरा | 15/12/2021 | 111.94 | 274 | - | अपूर्ण | 210 |
| 24 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | राजागांव | 13/12/2021 | 122.59 | 290 | - | अपूर्ण | 205 |
| 25 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | दहीकोगा | 15/12/2021 | 184.32 | 469 | - | अपूर्ण | 554 |
| 26 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | ठेमगांव | 13/12/2021 | 114.02 | 233 | - | अपूर्ण | 2 |
| 27 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | मुनगापट्टर | 30/12/2021 | 172.03 | 319 | - | अपूर्ण | 371 |
| 28 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | बनियागांव | 30/12/2021 | 278.93 | 1103 | - | अपूर्ण | 604 |
| 29 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | मारागांव | 30/12/2021 | 130.30 | 360 | - | अपूर्ण | 250 |
| 30 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | ईगरा | 30/12/2021 | 92.27 | 251 | - | अपूर्ण | 204 |
| 31 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | भगदेवा | 27/10/2021 | 169.97 | 296 | - | अपूर्ण | 296 |
| 32 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | कमला | 17/12/2021 | 115.02 | 263 | - | अपूर्ण | 273 |
| 33 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | मालाकोट | 27/10/2021 | 186.88 | 447 | - | अपूर्ण | 327 |
| 34 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | चिमडी | 17/12/2021 | 84.58 | 169 | - | अपूर्ण | 169 |
| 35 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | कुलझर | 17/12/2021 | 94.58 | 149 | - | अपूर्ण | 116 |
| 36 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डगांव | सिरसीबेड़ा | 17/12/2021 | 19.57 | 19 | - | अपूर्ण | 19 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनान्तर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनान्तर्गत पूर्ण नल कनेक्शन की संख्या |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | मथनीबेड़ा | 17/12/2021 | 17.53 | 18 | - | अपूर्ण | 18 |
| 38 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | माकड़ी | 30/12/2021 | 359.44 | 504 | - | अपूर्ण | 905 |
| 39 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | बीजापुर | 27/11/2021 | 91.39 | 250 | - | अपूर्ण | 271 |
| 40 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | बरकई | 27/11/2021 | 167.25 | 429 | - | अपूर्ण | 403 |
| 41 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | तोरंगा | 19/11/2021 | 96.48 | 322 | - | अपूर्ण | 217 |
| 42 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | बालोण्ड | 27/11/2021 | 165.36 | 496 | - | अपूर्ण | 285 |
| 43 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | माझीबोरण्ड | 13/12/2021 | 186.19 | 315 | - | अपूर्ण | 351 |
| 44 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | पल्ली | 27/10/2021 | 194.69 | 461 | - | अपूर्ण | 108 |
| 45 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | मालगांव | 30/12/2021 | 198.60 | 439 | - | अपूर्ण | 125 |
| 46 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | नगरी | 27/10/2021 | 74.02 | 153 | - | अपूर्ण | 0 |
| 47 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | कुकाडगारकापाल | 17/12/2021 | 198.60 | 490 | - | अपूर्ण | 175 |
| 48 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | चलका | 17/12/2021 | 133.40 | 172 | - | अपूर्ण | 40 |
| 49 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | चौडंग | 17/12/2021 | 87.54 | 95 | - | अपूर्ण | 68 |
| 50 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | काकड़गांव | 17/12/2021 | 96.51 | 136 | - | अपूर्ण | 0 |
| 51 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | पुसावंड | 17/12/2021 | 131.14 | 336 | - | अपूर्ण | 174 |
| 52 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बनसिरसी | 17/12/2021 | 29.29 | 34 | - | अपूर्ण | 34 |
| 53 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बडैबजौड़ा | 17/12/2021 | 159.38 | 293 | - | अपूर्ण | 207 |
| 54 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बालासार | 27/10/2021 | 77.99 | 159 | - | अपूर्ण | 0 |
| 55 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बनजुगानी | 17/12/2021 | 144.80 | 290 | - | अपूर्ण | 273 |
| 56 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बांसगांव | 17/12/2021 | 142.65 | 230 | - | अपूर्ण | 130 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनांतर्गत पूर्ण नल कनेक्शन की संख्या |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 57 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | कोदागांव | 17/12/2021 | 82.14 | 82 | - | अपूर्ण | 0 |
| 58 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | नेवता | 27/10/2021 | 149.18 | 325 | - | अपूर्ण | 238 |
| 59 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | रांधना | 27/11/2021 | 176.80 | 335 | - | अपूर्ण | 298 |
| 60 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | बखई | 16/02/2022 | 142.54 | 330 | - | अपूर्ण | 0 |
| 61 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | कावरा | 09/02/2022 | 131.32 | 217 | - | अपूर्ण | 0 |
| 62 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | पुसपाल | 09/02/2022 | 114.26 | 159 | - | अपूर्ण | 134 |
| 63 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | देवसरदुली | 09/02/2022 | 86.93 | 117 | - | अपूर्ण | 76 |
| 64 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | कोटवेल | 09/02/2022 | 83.83 | 112 | - | अपूर्ण | 82 |
| 65 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | उलेरा | 16/02/2022 | 193.72 | 292 | - | अपूर्ण | 0 |
| 66 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | करमरी | 16/02/2022 | 120.87 | 213 | - | अपूर्ण | 0 |
| 67 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | काटागांव | 27/11/2021 | 168.85 | 329 | - | अपूर्ण | 137 |
| 68 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | अनतपुर | 27/11/2021 | 217.57 | 443 | - | अपूर्ण | 0 |
| 69 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | मगोदा | 27/11/2021 | 185.84 | 373 | - | अपूर्ण | 61 |
| 70 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | तारगांव | 09/02/2022 | 87.65 | 149 | - | अपूर्ण | 115 |
| 71 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | गुल्शोरण्ड | 09/02/2022 | 123.24 | 233 | - | अपूर्ण | 0 |
| 72 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | भीरगांव.अ | 27/10/2021 | 152.08 | 234 | - | अपूर्ण | 0 |
| 73 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | चिचडांगरी | 17/12/2021 | 168.50 | 241 | - | अपूर्ण | 0 |
| 74 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | घोडागांव | 30/12/2021 | 285.71 | 411 | - | अपूर्ण | 305 |
| 75 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | पाला | 17/12/2021 | 151.65 | 153 | - | अपूर्ण | 85 |
| 76 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | छोटेबजोडा | 17/12/2021 | 98.77 | 154 | - | अपूर्ण | 0 |
| 77 | रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | करनपुर | 13/12/2021 | 131.43 | 318 | - | अपूर्ण | 93 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनान्तर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनान्तर्गत पूर्ण नल कनिक्शन की संख्या |
|------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 78 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | बुडरा | 09/02/2022 | 136.50 | 199 | - | अपूर्ण | 189 |
| 79 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | उमरगांव | 16/02/2022 | 177.49 | 347 | - | अपूर्ण | 0 |
| 80 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | सोनाबेड़ा | 16/02/2022 | 156.78 | 321 | - | अपूर्ण | 0 |
| 81 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | देवडोंगर | 09/02/2022 | 95.50 | 139 | - | अपूर्ण | 0 |
| 82 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | कोकोडी | 09/02/2022 | 160.16 | 237 | - | अपूर्ण | 221 |
| 83 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | छोटेसलना | 09/02/2022 | 135.08 | 312 | - | अपूर्ण | 0 |
| 84 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकड़ी | सोडसिक्नी | 09/02/2022 | 111.24 | 199 | - | अपूर्ण | 0 |
| 85 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | देवखरगांव | 06/06/2022 | 81.44 | 124 | - | अपूर्ण | 0 |
| 86 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | सितली | 06/06/2022 | 96.61 | 174 | - | अपूर्ण | 0 |
| 87 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | उमरगांव.अ | 06/06/2022 | 181.69 | 296 | - | अपूर्ण | 0 |
| 88 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | उमरगांव.ब | 06/06/2022 | 139.67 | 316 | - | अपूर्ण | 0 |
| 89 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | भीरगांव.ब | 06/06/2022 | 131.61 | 217 | - | अपूर्ण | 0 |
| 90 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | सातगांव | 20/06/2022 | 154.49 | 370 | - | अपूर्ण | 0 |
| 91 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | सिंगनपुर | 20/06/2022 | 157.03 | 197 | - | अपूर्ण | 0 |
| 92 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | बेडसिन्ही | 21/06/2022 | 80.97 | 202 | - | अपूर्ण | 0 |
| 93 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | फुकागिरोला | 21/06/2022 | 81.18 | 132 | - | अपूर्ण | 0 |
| 94 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | खडुका | 21/06/2022 | 108.08 | 182 | - | अपूर्ण | 182 |
| 95 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | धनपुर | 21/06/2022 | 108.02 | 205 | - | अपूर्ण | 205 |
| 96 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | लेमडी | 21/06/2022 | 124.47 | 91 | - | अपूर्ण | 72 |
| 97 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | बोलबोला | 21/06/2022 | 91.61 | 179 | - | अपूर्ण | 0 |
| 98 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | सुनागांव | 21/06/2022 | 162.16 | 271 | - | अपूर्ण | 0 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनान्तर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनान्तर्गत पूर्ण नाम कन्केशन की संख्या |
|------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 99 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | इसलनार | 22/06/2022 | 110.19 | 166 | - | अपूर्ण | 0 |
| 100 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | भोगाडी | 21/06/2022 | 98.59 | 146 | - | अपूर्ण | 0 |
| 101 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | काकडबेडा | 18/10/2022 | 46.74 | 70 | - | अपूर्ण | 57 |
| 102 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | अरनगुला | 25/06/2022 | 70.66 | 75 | - | अपूर्ण | 0 |
| 103 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | सईना | 25/06/2022 | 85.47 | 137 | - | अपूर्ण | 0 |
| 104 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | बिगला | 24/06/2022 | 110.29 | 171 | - | अपूर्ण | 0 |
| 105 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | गारे | 26/06/2022 | 140.50 | 225 | - | अपूर्ण | 52 |
| 106 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | लुभा | 26/06/2022 | 156.63 | 293 | - | अपूर्ण | 258 |
| 107 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | बेलोणडी | 26/06/2022 | 125.39 | 209 | - | अपूर्ण | 133 |
| 108 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | कोसाहरदुलो | 25/06/2022 | 158.31 | 242 | - | अपूर्ण | 0 |
| 109 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | ओडारगांव | 26/06/2022 | 140.09 | 208 | - | अपूर्ण | 0 |
| 110 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | भतया | 25/06/2022 | 77.45 | 91 | - | अपूर्ण | 0 |
| 111 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | हडीगांव | 24/06/2022 | 166.56 | 329 | - | अपूर्ण | 0 |
| 112 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | एरला | 24/06/2022 | 135.30 | 282 | - | अपूर्ण | 0 |
| 113 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | धारली | 25/06/2022 | 85.29 | 149 | - | अपूर्ण | 139 |
| 114 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | खुडी | 24/06/2022 | 95.64 | 116 | - | अपूर्ण | 1 |
| 115 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | भाटागांव | 25/06/2022 | 83.69 | 93 | - | अपूर्ण | 0 |
| 116 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | धनसूली | 22/06/2022 | 76.44 | 72 | - | अपूर्ण | 71 |
| 117 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | जरेबन्दरी | 22/06/2022 | 64.80 | 100 | - | अपूर्ण | 0 |
| 118 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | किर्बईबालेगा | 22/06/2022 | 178.49 | 347 | - | अपूर्ण | 191 |
| 119 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | बडेभिरावण्ड | 16/09/2022 | 112.44 | 196 | - | अपूर्ण | 0 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनान्तर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनान्तर्गत पूर्ण नल कर्मस्थल की संख्या |
|------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 120 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | लखनपुरी | 11/10/2022 | 33.60 | 54 | - | अपूर्ण | 0 |
| 121 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | सिधावण्ड | 05/07/2022 | 45.88 | 71 | - | अपूर्ण | 50 |
| 122 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | मोहलई | 16/09/2022 | 197.51 | 389 | - | अपूर्ण | 0 |
| 123 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | सुकरपाल | 16/09/2022 | 139.97 | 259 | - | अपूर्ण | 0 |
| 124 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | तमरावण्ड | 26/06/2022 | 140.25 | 318 | - | अपूर्ण | 0 |
| 125 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | तराईबेडा | 08/07/2022 | 101.13 | 129 | - | अपूर्ण | 0 |
| 126 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | हिरावण्डी | 05/07/2022 | 111.88 | 195 | - | अपूर्ण | 0 |
| 127 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | देउरवाल | 08/07/2022 | 161.09 | 188 | - | अपूर्ण | 0 |
| 128 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | भिरगांव | 25/06/2022 | 99.95 | 136 | - | अपूर्ण | 0 |
| 129 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | भिरगिण्डा | 08/07/2022 | 189.42 | 323 | - | अपूर्ण | 0 |
| 130 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | पिढापाल | 24/06/2022 | 149.28 | 229 | - | अपूर्ण | 0 |
| 131 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | उडीदगांव | 08/07/2022 | 181.57 | 236 | - | अपूर्ण | 0 |
| 132 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | कुरलबाहर | 08/07/2022 | 96.25 | 172 | - | अपूर्ण | 0 |
| 133 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | बडेघोडसोडा | 08/07/2022 | 138.79 | 256 | - | अपूर्ण | 39 |
| 134 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | बाडरा | 08/07/2022 | 147.54 | 228 | - | अपूर्ण | 1 |
| 135 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | नालाझर | 08/07/2022 | 94.87 | 151 | - | अपूर्ण | 0 |
| 136 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | छतोडी | 08/07/2022 | 114.45 | 235 | - | अपूर्ण | 0 |
| 137 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | किरमारी | 08/07/2022 | 98.49 | 216 | - | अपूर्ण | 0 |
| 138 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | सिवनी | 08/07/2022 | 69.14 | 87 | - | अपूर्ण | 0 |
| 139 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | केलगांव | 12/09/2022 | 128.38 | 227 | - | अपूर्ण | 0 |
| 140 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | वन वेसगांव | 12/09/2022 | 123.02 | 216 | - | अपूर्ण | 0 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत लक्ष्य | योजना की स्थिति | | योजनांतर्गत पूर्ण नल कनेक्शन की संख्या |
|------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 141 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | भिरिण्डा | 05/07/2022 | 60.04 | 77 | - | अपूर्ण | 0 |
| 142 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | छिनारी | 08/07/2022 | 164.28 | 211 | - | अपूर्ण | 0 |
| 143 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | देवगांव | 08/07/2022 | 124.88 | 187 | - | अपूर्ण | 0 |
| 144 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | गागरा | 08/07/2022 | 88.72 | 119 | - | अपूर्ण | 0 |
| 145 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | जोधरा | 08/07/2022 | 55.02 | 63 | - | अपूर्ण | 0 |
| 146 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | तोण्डी | 25/08/2022 | 198.76 | 400 | - | अपूर्ण | 0 |
| 147 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | बडगांव | 25/08/2022 | 96.09 | 130 | - | अपूर्ण | 1 |
| 148 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | बडेसौरगा | 25/08/2022 | 133.16 | 186 | - | अपूर्ण | 1 |
| 149 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | बडेकेनरा | 14/09/2022 | 457.55 | 1143 | - | अपूर्ण | 124 |
| 150 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | बागबेडा | 14/09/2022 | 316.91 | 339 | - | अपूर्ण | 1 |
| 151 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | हुक्काबेडापाथरी | 14/09/2022 | 157.70 | 177 | - | अपूर्ण | 0 |
| 152 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | करण्डी | 14/09/2022 | 260.74 | 384 | - | अपूर्ण | 0 |
| 153 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | मसोरा | 14/09/2022 | 456.53 | 1026 | - | अपूर्ण | 81 |
| 154 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | जोबा | 14/09/2022 | 322.18 | 637 | - | अपूर्ण | 0 |
| 155 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | कोटेलबेडा | 25/08/2022 | 31.19 | 3 | - | अपूर्ण | 0 |
| 156 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | अमरावती | 11/10/2022 | 111.55 | 235 | - | अपूर्ण | 0 |
| 157 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | मराबेडा | 22/06/2022 | 77.92 | 116 | - | अपूर्ण | 0 |
| 158 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | छोटेभिरावण्ड | 16/09/2022 | 110.93 | 193 | - | अपूर्ण | 0 |
| 159 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | राकेशबेडा | 24/06/2022 | 124.90 | 197 | - | अपूर्ण | 0 |
| 160 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकड़ी | तुरेबेडा | 05/07/2022 | 38.56 | 59 | - | अपूर्ण | 0 |
| 161 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डगांव | ईदागांव | 20/06/2022 | 76.36 | 94 | - | अपूर्ण | 0 |

| क्र० | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृत लागत (रु. लाख में) | स्वीकृत योजनावर्षतः | | योजना की स्थिति | | योजनावर्षतः पूर्ण नर करणों की संख्या |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | लक्ष्य | पूर्ण | पूर्ण | अपूर्ण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 162 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | कराठीअलवाड | 20/06/2022 | 64.50 | 82 | - | - | अपूर्ण | 0 |
| 163 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | कोण्डागांव | बुडाकसा | 17/12/2021 | 120.77 | 76 | - | - | अपूर्ण | 0 |
| 164 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2021-22 | माकडी | टेडसुण्डा | 09/02/2022 | 92.54 | 154 | - | - | अपूर्ण | 0 |
| 165 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | माकडी | बिन्जोली | 08/07/2022 | 162.77 | 312 | - | - | अपूर्ण | 0 |
| 166 | एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना | 2022-23 | कोण्डागांव | दुन्दुसारी | 20/06/2022 | 144.27 | 112 | - | - | अपूर्ण | 0 |
| योग | | | | | | | 22339.23 | 44916 | | | 18332 |

प्रपत्र

विशेष नियम एवं शर्तें

कार्य का नाम— कोरबा पश्चिम के 4x210 मे.वा. अंतर्गत झाबु एश ड्राईक से सिनोस्फियर का संग्रहण का कार्य (निविदा क्र. CEC/AU&PC/HTPS-KW/W/2021/58, Auction No. MSTC/RPR/CSPGCL-CIVIL-GEN-5/ RAIPUR/ 21-22/16606)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के राखड़ बांध से सिनोस्फियर संग्रहण एवं विक्रय की बोली हेतु कार्य का दायरा एवं अनुबंध की विशेष शर्तें :-

- 1) कार्य के दायरे में राखड़ बांध से सिनोस्फियर का संग्रहण/निकालने का कार्य/परिवहन सम्मिलित है।
- 2) बोली लगाने वाले को बोली लगाने के पहले राखड़ बांध में सिनोस्फियर की उपलब्ध क्षमता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा, इस कार्य हेतु कार्यस्थल प्रभारी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जावेगी।
- 3) उत्पन्न सिनोस्फियर की मात्रा 1 वर्ष की अवधि में लगभग 135 मिट्रिक टन होगी। उल्लेखित मात्रा अनुमानित है और मात्रा की कमी के संबंध में सफल बोलीकर्ता द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा एवं उल्लेखित मात्रा में किसी कमी के लिए कोई प्रतिपूर्ती/दावा नहीं किया जायेगा।
- 4) उल्लेखित मात्राएं केवल अस्थायी हैं क्योंकि सिनोस्फियर फलाई एश का उप-उत्पाद है जो कोयला दहन का उप-उत्पाद भी है, जो बिजली की मांग पर निर्भर करता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड हर समय सिनोस्फियर की उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।
- 5) बांधों की निलामी बांधों में उपलब्ध सिनोस्फियर की मात्रा या गुणवत्ता के किसी आश्वासन के बिना जहां है जैसा है के आधार पर की जायेगी।
- 6) बोली का प्रारंभ मूल्य जी.एस.टी. को छोड़कर रु. 48,00,000/- (रु. अड़तालीस लाख मात्र) है। बोलीदाता द्वारा 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
- 7) वह फर्म जो उच्चतम दर जो कि आरक्षित/प्रारंभ मूल्य के बराबर या उससे अधिक उद्धृत करती है उसे ठेका प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के झाबु एश ड्राईक से सिनोस्फियर संग्रहण एवं विक्रय का पूर्ण एकाधिकार सफल बोलीकर्ता का होगा। यदि उच्चतम बोली का मूल्य आरक्षित/प्रारंभ मूल्य से कम की स्थिति में बोली असफल मानी जावेगी।
- 8) बोलीकर्ता को बोली के पूर्व अमानत राशि एवज रु.1,92,000/- (रु. एक लाख बियानबे हजार मात्र) एम.एस.टी.सी. बॉयलर लॉगिन के माध्यम से जमा करना होगा।

- 9) अमानत राशि, सुरक्षा निधि जैसे सभी भुगतान केवल ई.एफ.टी. (एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.) द्वारा जमा किए जायेंगे। सुरक्षा निधि भुगतान अनुबंध के वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा। सुरक्षा निधि/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा सहायक प्रबंधक (केन्द्रीय लेखा ईकाई), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड रायपुर (पंजाब नेशनल बैंक खाता क्र 0399002100077680, आई.एफ.एस.सी.-PUNB0039900) में जमा होने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सुरक्षा निधि निलामी के 7 दिनों के अंदर जमा करना होगा। यद्यपि बोलीकर्ता द्वारा बैंक गॉरण्टी के रूप में सुरक्षा निधि जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि वापस कर दी जावेगी।

बैंक गॉरण्टी का निर्धारित प्रपत्र आशय पत्र जारी होने के बाद प्रदाय किया जावेगा। अमानत राशि और सुरक्षा निधि के अलावा एजेंसी को टी.सी.एस. अनुबंध के वार्षिक मूल्य (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) पर 1 प्रतिशत जमा करना होगा। अनुबंध का निष्पादन आशय पत्र जारी करने के 10 दिवस के भीतर करना होगा।

- 10) अनुबंध अवधि के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर एवं सभी किशतों के भुगतान के उपरांत ही सुरक्षा निधि वापस किया जावेगा।
- 11) एम.एस.टी.सी. पोर्टल पर ई.एम.डी. के साथ व्यक्तिगत एवं कंपनी के सभी विवरण देना होगा। साथ ही विशेष नियम एवं शर्तों की स्वीकृति सहमति देना होगा।
- 12) अनुबंध की अवधि कार्य स्थल प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी।
- 13) अनुबंध के निष्पादन और प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य स्थल हस्तानांतरण के उपरांत ही सिनोस्फियर संग्रह/उठाव कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
- 14) **भुगतान की शर्तें**— सभी चार किशतों का भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से देय होगा। ठेकेदार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा के पक्ष में भारत में अनुसूचित बैंक के द्वारा प्रदाय अपरावर्तितनिय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि भारतीय स्टेट बैंक, एच.टी.पी.एस. शाखा, आईएफएससी कोड— SBIN0007454 में देय होगा, को जमा करेगा, जो कि अनुबंध के कुल मूल्य के बराबर होगा। उपरोक्त लेटर ऑफ क्रेडिट अनुबंध की अवधि से एक महीने के बाद की अवधि तक मान्य होगा एवं हर समय अनुबंध के कूल मूल्य के बराबर राशि के लिए होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने और रख-रखाव से संबंधित सभी शुल्क ठेकेदार के खाते से देय होंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान निम्नलिखित अनुसार जारी किया जायेगा।

| क्रमांक | लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भुगतान | माह | भुगतान राशि |
|---------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01. | पहली किशत | कार्यादेश के एक माह के भीतर | कुल मूल्य का 20 प्रतिशत |
| 02. | दूसरी किशत | कार्यादेश के चार माह के भीतर | कुल मूल्य का 20 प्रतिशत |
| 03. | तीसरी किशत | कार्यादेश के सात माह के भीतर | कुल मूल्य का 30 प्रतिशत |
| 04. | चौथी किशत | कार्यादेश के दस माह के भीतर | कुल मूल्य का 30 प्रतिशत |

टिप्पणी :- लेटर ऑफ क्रेडिट के एवज में बैंक में दावा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

- अ. लाभार्थी (छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड) का प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि 4x210 मेगावाट, एच.टी.पी.एस., कोरबा पश्चिम के झाबू राखड़ बांध से सेनोस्फियर संग्रहण के एवज में दिनांक (दिन:महीना:साल) तक ईन्वॉइश की कीमत रूपये है।
- ब. लाभार्थी (छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड) द्वारा अनुबंध के तहत जारी की गई ईन्वॉइश जिसके एवज में लाभार्थी का दावा लंबति है।
- स. शुल्क – लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने एवं इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया में आने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
- द. प्रभारी अभियंता आवश्यक दस्तावेजों के साथ देय तिथि पर इसके भुगतान के लिए बैंक को दावा प्रस्तुत करेंगे
- 15) सामग्री को आवश्यक रूप से जैसा है जहां है के आधार पर उठाया जाना चाहिए। धातु/भवन सामग्री मिश्रित स्थिति में होने पर इन्हे अलग किया जा कर धातु/भवन सामग्री को अलग निर्धारित जगह पर रखा जाना चाहिए।
- 16) सेनोस्फियर के आलावा कोई अन्य सामग्री एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करते पाये जाने की स्थिति में एजेंसी को सी.एस.पी.जी.सी.एल. से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा एवं उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 17) संग्रहण/लिफ्टिंग जोन के क्षेत्र का चयन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विवेकाधीन होगा।
- 18) किसी भी बांध को चार्ज करने/रोकने के संबंध में संयंत्र की आवश्यकता सर्वोच्च होगी।
- 19) सफल बिडर विभिन्न अधिनियमों के तहत लागू सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि अपने कार्य बल के जोखिम और दायित्व, प्रचलित सभी कर और सभी शुल्क, आवश्यक लाईसेंस, क्लीयरेंसेस आदि।
- 20) एजेंसी के द्वारा ट्रक, मशीनरी मजदूर एवं उनके सुरक्षा उपकरणों, उपकरण अपने स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर लगाना होगा।
- 21) मजदूर, नियोजित व्यक्ति, मशीनरी एवं वाहन का संपूर्ण विवरण कार्यप्रभारी के निर्देशानुसार रखा जावेगा।
- 22) एजेंसी द्वारा मजदूरों और उपकरणों के लिए बीमा कवरेज लिया जायेगा।
- 23) श्रमिकों एवं उपकरणों की सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी कार्यरत एजेंसी की होगी।
- 24) राखड़ बांध संयंत्र परिसर के बाहर स्थित है। अतः नियोजित श्रमिकों, सामग्री एवं मशीन की सुरक्षा एवं संरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी सफल बिडर की होगी। इस कार्य के लिए ठेका की सामान्य शर्तें/अधिकृत अनुबंध शर्तों अंतर्गत उल्लेखित सुरक्षा मानक लागू होंगे।
- 25) सफल बिडर अनुबंध के तहत काम करने के लिए राखड़ बांध से प्रभावित भू-विस्थापितों को कार्य में वरीयता प्रदान करेगा।

- 26) एजेंसी केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा घोषित विनियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी, पी.एफ. और अन्य सुविधाओं का भुगतान सुनिश्चित करेगी। एजेंसी अपने कर्मचारियों को अन्य वैधानिक या गैर सांविधिक लाभ भी प्रदान करेगी। एजेंसी श्रम के सभी प्रावधानों का पालन करेगी। कार्यकर्ता को आकस्मिक ई.एस.आई.सी. पॉलिसी के तहत कवर किया जाना चाहिए। एजेंसी द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 27) एजेंसी अपने खर्च पर पर्यावरण मानकों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
- 28) सफल बोलीकर्ता राखड़ बांध में किसी भी प्रकार की संरचना (अस्थाई या स्थाई, श्रमिक झोपड़ी आदि) का निर्माण नहीं करेगा।
- 29) सफल बोलीकर्ता अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध/ ठेकेदार से जुड़े या शामिल किसी भी व्यक्ति की किसी भी गलती/दुर्घटना/चोट/मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की क्षतिपूर्ति करेगा।
- 30) सफल बोलीदाता ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो राखड़ बांध की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है या संयंत्र के संचालन और रखरखाव की आवश्यकता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- 31) कार्य आदेश जारी होने के बाद संग्रहित सामग्री की गुणवत्ता या मात्रा के विवाद संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 32) सफल बोलीकर्ता सिनोस्फियर के संग्रह और उठाने से पहले अपना जीएसटी और एम.एस.टी.सी. पंजीकरण छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत करेगा।
- 33) सफल बोलीकर्ता को सिनोस्फियर को तैराने के लिए बांध के जलस्तर को उपर उठाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 34) किसी भी स्थिति में रात के समय सिनोस्फियर के संग्रहण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 35) सफल बोलीदाता को सिनोस्फियर के संग्रहण के लिए राखड़ बांध में किसी भी मशीन के तैनाती के लिए लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- 36) भारी वाहनों का प्रवेश राखड़ बांध क्षेत्र एवं राखड़ बांध के एम्बेकमेंट में प्रतिबंधित रहेगा। बोरियों को हल्के वाहनों के द्वारा परिवहन हेतु कार्यप्रभारी द्वारा अनुमति दी जावेगी।
- 37) अगर राखड़ बांध या छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड संपत्ति या तीसरे पक्ष को सिनोस्फियर के संग्रहण के लिए एजेंसी द्वारा की गई गतिविधि के कारण कोई नुकसान होता है तो एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की क्षतिपूर्ति करेगी।
- 38) कार्याप्रभारी के अनुमति से झाड़ियों/खरपतवार/घास आदि को हटाने की अनुमति दी जावेगी और यह राखड़ बांध की सुरक्षा एवं संचालन प्रणाली को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- 39) राखड़ बांध की महत्वपूर्ण संरचनाएं रॉक टो, टो ड्रेन, पानी निकासी व्यवस्था, पाईप पेडेस्टल हैं। एजेंसी द्वारा सिनोस्फियर हार्वेस्टिंग गतिविधियों के दौरान संरचनाओं को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।

- 40) अनुबंध के सामान्य नियम एवं शर्तें हेतु सिविल कार्य के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की ठेका की सामान्य शर्तें लागू होंगी।
- 41) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड / एम.एस.टी.सी. के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 42) अप्रत्याशित घटना :-
- (अ) अप्रत्याशित घटना अर्थात् वे परिस्थितियां जो कि आपूर्तिकर्ता या खरीदार के नियंत्रण से परे होंगी और जो कि प्रभावित पार्टी की उचित देखभाल के बावजूद अपरिहार्य है। अप्रत्याशित घटना में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल होंगी:-
- (i) बाढ़, चक्रवात, बिजली, तुफान, ज्वार की लहर, तूफान टॉरनेडो, भूकंप, भूस्खलन, महामारी या भगवान के अन्य कृत्य।
- (ii) युद्ध (चाहे घोषित किया गया हो या नहीं), दंगा, गृहयुद्ध, नाकाबंदी, विद्रोह, आदि।
- (iii) इस अनुबंध की तिथि के बाद होने वाले अधिकार क्षेत्र वाले सरकारी साधन के अधिनियम किसी भी अदालती आदेश, कानून, कानून को लागू करना शामिल है। अध्यादेश, नियम, विनियमन या निर्देश जिसके प्रभाव से या किसी पार्टी के प्रदर्शन को रोका विलंबित या गैर-कानून बनाया जा सकता है। किसी भी पार्टी के शेरधारक या विक्रेता की क्षमता में सरकारी साधन इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए अप्रत्याशित घटना के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (ब) यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त (अ) के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण बिक्री आदेश के तहत अपने किसी भी दायित्वों को पूरा करने से रोका, बाधित या विलंबित किया जाता है, तो यह इस तरह की घटना के बारे में लिखित रूप में दूसरे को ऐसी घटना के घटित होने के चौदह (14) दिनांक के भीतर उसकी परिस्थितियां सूचित करेगा।
- (स) जिस पार्टी ने इस तरह का नोटिस दिया है, उसे अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन या समय समय पर प्रदर्शन से तब तक छूट दी जायेगी, जब तक कि उपरोक्त अप्रत्याशित घटना की प्रासंगिक घटना जारी रहती है और इस हद तक कि ऐसी पार्टी के प्रदर्शन को रोका, बाधित या विलंबित किया जाता है।
- (द) अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्ष या पक्ष बिक्री आदेश के अपने या उनके प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को कम करने और बिक्री आदेश के तहत अपने या अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे, लेकिन अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार ठेके को समाप्त करने के आपूर्तिकर्ता के पूर्वाग्रह के बिना।
- (ई) अप्रत्याशित घटना की किसी भी घटना के कारण किसी भी पक्ष द्वारा विलंब या गैर प्रदर्शन को बिक्री आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
- (फ) भारत सरकार/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये निषेध जिससे की अनुबंध के निष्पादित करना असंभव हो जाता है, अप्रत्याशित घटना के रूप में अप्रत्याशित घटना कहा जाएगा, तथा कोई भी पक्ष इस मामले को लेकर क्षतिपूर्ति या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- 43) अनुबंध की समीक्षा और समाप्ती- सिनोस्फियर हावैस्टिंग द्वारा वितरण/बिक्री के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पास यह अधिकारी भी सुरक्षित है कि वह ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में लिखित में एक (1) महिने का नोटिस देकर ठेके को समाप्त कर सकता है। एवं ऐसी स्थिति में ठेकेदार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
- 44) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:- अनुबंध से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल कोरबा, छ.ग. न्यायालय के अधिकार क्षेत्र होगा।
- 45) वरीयता का क्रम:-
- अनुबंध की विशेष शर्तें
 - अनुबंध की सामान्य शर्तें


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
भवन, नया गछापर, अटल नगर

पारोशेष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 969) की जानकारी

“प्रपत्र अ”

वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.23 तक स्थापनाकर्ता इकाईयों/संस्थाओं द्वारा स्थापित कराये गये सौर सिंचाई पंपों तथा सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना/क्रय हेतु अनुमोदित दरों का विवरण
सौर सिंचाई पंप की जानकारी—

| क्र. | स्थापनाकर्ता इकाई/संस्था का नाम | कार्य संख्या | कुल राशि (रु.) |
|------|--|--------------|----------------|
| 1 | मेसर्स ए.के. एसोसिएट्स | 55 | 16142156 |
| 2 | मेसर्स अदिति सोलर प्रा. लि. एण्ड दीपक इंटरप्राइजेस | 200 | 57684501 |
| 3 | मेसर्स अदिति सोलर प्रा. लि. | 78 | 24554626 |
| 4 | मेसर्स ए.आर. सेल्स एण्ड सर्विसेस | 9 | 2678283 |
| 5 | मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन | 40 | 13140369 |
| 6 | मेसर्स अरवेज एनर्जी प्रा. लि. | 1340 | 401999029 |
| 7 | मेसर्स ए.डी.आई. एप्लीयंसेस प्रा. लि. | 462 | 138512003 |
| 8 | मेसर्स अवनि ट्रेडर्स एण्ड किसान सोलर एजेंसी | 800 | 228054763 |
| 9 | मेसर्स अवनि ट्रेडर्स | 374 | 123099736 |
| 10 | मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 62 | 18233835 |
| 11 | मेसर्स क्लेरो एनर्जी | 238 | 72126885 |
| 12 | मेसर्स कोलोसल कामरसियल | 397 | 121476768 |
| 13 | मेसर्स कास्मों प्रोडक्ट्स | 48 | 16777534 |
| 14 | मेसर्स सी.आर.आई. पम्पस प्रा. लि. | 82 | 25867878 |
| 15 | मेसर्स डनसेना इलेक्ट्रोटेक | 6 | 2451252 |
| 16 | मेसर्स दीपक इंटरप्राइजेस | 53 | 17264029 |
| 17 | मेसर्स देव इलेक्ट्रीकल | 20 | 6765573 |
| 18 | मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी | 681 | 196089767 |
| 19 | मेसर्स डायनामिक इलेक्ट्रो पावर प्रा. लि. | 268 | 90515805 |
| 20 | मेसर्स इकोजेन साल्युशन्स प्रा. लि. | 613 | 184083812 |
| 21 | मेसर्स जी.के. एनर्जी मार्केटर्स प्रा. लि. | 351 | 105766478 |
| 22 | मेसर्स गणेश इलेक्ट्रीकल्स | 10 | 3000296 |
| 23 | मेसर्स गौतम सोलर प्रा. लि. | 602 | 172233194 |
| 24 | मेसर्स गोयल एजेन्सीस | 33 | 10313148 |
| 25 | मेसर्स ग्रीनवर्ल्ड सोलरवेयर (पी) लि. | 644 | 187709340 |
| 26 | मेसर्स ग्रीनफिनिटी पावरटेक प्रा. लि. | 32 | 10830839 |
| 27 | मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूबल पावर प्रा. लि. एण्ड सूरज इंटरप्राइजेस | 499 | 143355254 |
| 28 | मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूबल पावर प्रा. लि. | 61 | 18963632 |
| 29 | मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट्स एण्ड शिवा इंटरप्राइजेस | 437 | 130568095 |
| 30 | मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट्स | 258 | 85427384 |
| 31 | मेसर्स जे.बी. एसोसिएट्स | 32 | 11196479 |
| 32 | मेसर्स जैन एसोसिएट्स एण्ड इंटरप्राइजेस | 45 | 12812003 |
| 33 | मेसर्स कलिंगा ग्लोबल रिर्सोर्सेस | 10 | 3788402 |
| 34 | मेसर्स किसान सोलर एजेंसी | 97 | 33608554 |
| 35 | मेसर्स जून्ना सोलर सिस्टम्स प्रा. लि. | 347 | 94653965 |
| 36 | मेसर्स के.एस. इलेक्ट्रीकल्स | 21 | 5950916 |
| 37 | मेसर्स के.आर.सी. कंस्ट्रक्शन (पी) लि. एण्ड अमीगो एनर्जीस | 1514 | 421886912 |

| | | | |
|----|--|------|-----------|
| 38 | मेसर्स के.आर. कंस्ट्रक्शन्स | 12 | 3351979 |
| 39 | मेसर्स के.एस.एल. क्लीनटेक लि. एण्ड क्रति एग्री | 192 | 53409216 |
| 40 | मेसर्स के.वाय एनर्जी प्रा. लि. | 54 | 19025725 |
| 41 | मेसर्स लेम्बेन्सी सोलर | 92 | 29505611 |
| 42 | मेसर्स लक्ष्मी एजेंसी | 1178 | 369240122 |
| 43 | मेसर्स लक्ष्मी सोलर पावर सिस्टम प्रा. लि. | 69 | 23949409 |
| 44 | मेसर्स एम.बी. इंटरप्राइजेस | 20 | 7072670 |
| 45 | मेसर्स मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स | 10 | 2975870 |
| 46 | मेसर्स ओसवाल पम्पस | 6 | 2012553 |
| 47 | मेसर्स प्रतीक इन्फ्राटेक | 366 | 111927990 |
| 48 | मेसर्स एनकेजा इन्फ्रा डेवलपमेंट प्रा. लि. | 39 | 15110784 |
| 49 | मेसर्स रितेश कुमार बजाज | 53 | 15182112 |
| 50 | मेसर्स रुद्रा इलेक्ट्रीकल्स | 6 | 2451252 |
| 51 | मेसर्स श्री राधे ट्रेडिंग | 652 | 239233205 |
| 52 | मेसर्स अल्पेक्स सोलर प्रा. लि. एण्ड मेसर्स पर्ल इंडिया मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि. | 249 | 70771855 |
| 53 | मेसर्स माँ रेवा इंटरप्राइजेस | 40 | 12329033 |
| 54 | मेसर्स मीरा एण्ड सीको पम्पस प्रा. लि. | 488 | 148949641 |
| 55 | मेसर्स नविया टेक्नोलॉजिस एण्ड एम.बी. इंटरप्राइजेस | 295 | 82928728 |
| 56 | मेसर्स नविया टेक्नोलॉजिस | 243 | 84119822 |
| 57 | मेसर्स नोवसग्रीन एनर्जी सिस्टम प्रा. लि. एण्ड प्रोग्रेसिव एग्रीटेक | 1650 | 466328701 |
| 58 | मेसर्स नोवसग्रीन एनर्जी सिस्टम प्रा. लि. | 521 | 188096037 |
| 59 | मेसर्स पर्ल इंडिया मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि. | 48 | 15731712 |
| 60 | मेसर्स प्रिमियर एनर्जीस लि. | 857 | 273838010 |
| 61 | मेसर्स प्रिमियर पम्प इण्डस्ट्रीज | 142 | 48285340 |
| 62 | मेसर्स प्रिमियर पम्प इण्डस्ट्रीज एण्ड संकल्प पावर साल्युशन | 499 | 140617733 |
| 63 | मेसर्स प्रीज्मेटिक कार्पोरेशन | 67 | 19161769 |
| 64 | मेसर्स प्राग्रेसिव एग्रीटेक | 1467 | 526666400 |
| 65 | मेसर्स आर.आर. कंस्ट्रक्शन | 12 | 3332064 |
| 66 | मेसर्स पी.व्ही. पावर टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. एण्ड ए.बी.पी. स्कील सर्विस | 200 | 56875419 |
| 67 | मेसर्स रॉमेट साल्युशन्स | 1726 | 515892640 |
| 68 | मेसर्स आर.बी.पी. एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि. | 1675 | 530188702 |
| 69 | मेसर्स रेडसन सोलर एनर्जी प्रा. लि. | 165 | 50897619 |
| 70 | मेसर्स रिच फाईटोकेयर | 86 | 26385668 |
| 71 | मेसर्स रिजवी वेन्चर्स | 22 | 6895142 |
| 72 | मेसर्स रोटोमेग मोटर्स एण्ड कंट्रोलस प्रा. लि. | 1533 | 503394246 |
| 73 | मेसर्स ए.जी. इंटरप्राइजेस एण्ड कास्मो प्रोडक्ट्स | 250 | 71309500 |
| 74 | मेसर्स एस.जी. इंटरप्राइजेस | 112 | 35215979 |
| 75 | मेसर्स संकल्प पावर साल्युशन | 50 | 20580730 |
| 76 | मेसर्स साई बाबूजी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. एण्ड प्रतीक इन्फ्राटेक | 448 | 127884620 |
| 77 | मेसर्स शक्ति पम्पस (आई) लि. | 1184 | 359208697 |
| 78 | मेसर्स श्री शंकर मशीनरी स्टोर्स | 44 | 14907800 |
| 79 | मेसर्स सिंहाद्री इंटरप्राइजेस | 10 | 2975870 |
| 80 | मेसर्स सिद्धीविनायक सोलर साल्युशन्स प्रा. लि. | 14 | 4768686 |
| 81 | मेसर्स सायरस सोलर एनर्जी सिस्टम प्रा. लि. | 41 | 11405093 |
| 82 | मेसर्स सोलाबिज्ज एनर्जी एण्ड सर्विसेस प्रा. लि. | 60 | 17876532 |
| 83 | मेसर्स सोलर एक्वा साल्युशन | 50 | 16749653 |
| 84 | मेसर्स सोलर साल्युशन्स | 29 | 9331031 |
| 85 | मेसर्स सोलेक्सी इको पावर साल्युशन | 20 | 6437724 |

| | | | |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 86 | मेसर्स सोलेक्स एनर्जी लि. | 288 | 84584064 |
| 87 | मेसर्स स्पान पम्पस प्रा. लि. | 241 | 70877690 |
| 88 | मेसर्स स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स | 482 | 140255800 |
| 89 | मेसर्स सूरज इंटरप्राइजेस | 132 | 41652507 |
| 90 | मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल | 36 | 11148986 |
| 91 | मेसर्स सनग्रेस एनर्जी साल्युशन्स प्रा. लि. | 97 | 31751476 |
| 92 | मेसर्स स्वीचसोल सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस (ओ.पी.सी.) प्रा. लि. | 70 | 24658002 |
| 93 | मेसर्स तनय विद्युत (आई) प्रा. लि. | 60 | 22894284 |
| 94 | मेसर्स तनय विद्युत (आई) प्रा. लि. एण्ड आर.आर. कंस्ट्रक्शन | 143 | 40972067 |
| 95 | मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लि. | 246 | 82618800 |
| 96 | मेसर्स टॉपसन एनर्जी लि. | 160 | 46819208 |
| 97 | मेसर्स यूनीबायो एग्रीको इंडिया प्रा. लि. | 8 | 2380696 |
| 98 | मेसर्स यूनिक एसोसिएट्स एण्ड ग्रीन अर्थ सोलर | 890 | 271722521 |
| 99 | मेसर्स ऊर्जा टेक्नोलॉजिस | 58 | 20469272 |
| 100 | मेसर्स वसुंधरा सोलर साल्युशन्स | 78 | 22926367 |
| 101 | मेसर्स विवेकानन्द इन्ट्रेप्रेन्योर | 54 | 20244838 |
| 102 | मेसर्स व्ही.आर.जी. एनर्जी प्रा. लि. | 45 | 13112605 |
| 103 | मेसर्स व्ही.आर.जी. एनर्जी प्रा. लि. एण्ड श्री राघे ट्रेडिंग | 550 | 153797809 |
| 104 | मेसर्स व्ही.टेक इंजीनियर्स एण्ड श्री शंकर मशीनरी स्टोर्स | 96 | 27986216 |
| 105 | मेसर्स व्ही.टेक इंजीनियर्स | 14 | 5639359 |
| योग | | 31613 | 9710882756 |

सौर सिंचाई पंपों की स्थापना/क्रय हेतु निविदाओं के माध्यम से अनुमोदित दरों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22

(निविदा क्रमांक 515/CREDA/SPV-PUMPS/SSY-VI/2021 दिनांक 12.05.2021)

| क्रमांक | सोलर पम्प की क्षमता | सोलर पम्प का प्रकार | दर प्रति संयंत्र रूपये में (जी.एस.टी. सहित) |
|---------|---------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, डी.सी. सर्फेस पम्प | 260512 |
| 2 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, ए.सी. सर्फेस पम्प | 260512 |
| 3 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, डी.सी. सबमर्सिबल पम्प | 278173 |
| 4 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, ए.सी. सबमर्सिबल पम्प | 273758 |
| 5 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, डी.सी. सर्फेस पम्प | 384144 |
| 6 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, ए.सी. सर्फेस पम्प | 352132 |
| 7 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, डी.सी. सबमर्सिबल पम्प | 387456 |
| 8 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, ए.सी. सबमर्सिबल पम्प | 353236 |

वित्तीय वर्ष 2022-23

(निविदा क्रमांक 105235/CREDA/SPV IRRIGATION PUMPS/2022-23 दिनांक 27.07.2022)

| क्रमांक | सोलर पम्प की क्षमता | सोलर पम्प का प्रकार | दर प्रति संयंत्र रूपये में (जी.एस.टी. सहित) |
|---------|---------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, डी.सी. सर्फेस पम्प | 277672 |
| 2 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, ए.सी. सर्फेस पम्प | 277672 |
| 3 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, डी.सी. सबमर्सिबल पम्प | 297587 |
| 4 | 03 एच.पी. | 3000 वॉट, ए.सी. सबमर्सिबल पम्प | 292466 |
| 5 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, डी.सी. सर्फेस पम्प | 408542 |
| 6 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, ए.सी. सर्फेस पम्प | 376678 |
| 7 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, डी.सी. सबमर्सिबल पम्प | 413663 |
| 8 | 05 एच.पी. | 4800 वॉट, ए.सी. सबमर्सिबल पम्प | 376678 |

सोलर हाईमास्ट लाईट संयंत्र (09 मीटर ऊंचाई/900 वॉट सोलर माड्यूल क्षमता) की जानकारी-

| क्र. | स्थापनाकर्ता इकाई/संस्था का नाम | कार्य संख्या | कुल राशि (रु.) |
|------|---|--------------|----------------|
| 1 | मेसर्स चार्टर्ड इंजिनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग इन्टरप्राइजेस, बिलासपुर | 271 | 130692460 |
| 2 | मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी, अम्बिकापुर | 199 | 95969740 |
| 3 | मेसर्स गणेश इलेक्ट्रीकल्स एवं प्रोग्रेसिव एग्रोटैक, रायपुर | 595 | 286944700 |
| 4 | मेसर्स ग्रीनसोल रेन्यूएबल एनर्जी, रायपुर | 202 | 97416520 |
| 5 | मेसर्स काहो एण्ड अवनी ट्रेडर्स, रायपुर | 303 | 146124780 |
| 6 | मेसर्स किसान सोलर एण्ड सन-सा-लाईट, अम्बिकापुर | 250 | 120565000 |
| 7 | मेसर्स मदनानी इन्जीनियरिंग वर्क्स, रायपुर | 205 | 98863300 |
| 8 | मेसर्स एस.जी. इन्टरप्राइजेस एण्ड यूनिक एसोसिएट्स, रायपुर | 469 | 226179940 |
| 9 | मेसर्स श्री सिद्धी विनायक सोलर सोल्यूशन, रायपुर | 200 | 96452000 |
| 10 | मेसर्स सोलर एक्वा सोल्यूशन एण्ड सोलर सोल्यूशन, रायपुर | 401 | 193386260 |
| | योग | 3095 | 1492595700 |

सोलर हाईमास्ट लाईटों की स्थापना/क्रय हेतु निविदा के माध्यम से अनुमोदित दर का विवरण
(निविदा क्रमांक 12855 दिनांक 24.10.2019)

| क्रमांक | सोलर हाईमास्ट लाईट का विवरण | दर प्रति संयंत्र रूपये में (जी.एस.टी. सहित) |
|---------|---|--|
| 01 | 9मीटर ऊंचाई तथा 900 वॉट सोलर माड्यूल क्षमता | 482260 |

एकजाई जानकारी

| क्र | संयंत्र का प्रकार | स्थापनाकर्ता इकाई/संस्था की संख्या | स्थापित संयंत्र की संख्या | कुल स्थापना लागत राशि रूपये में |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01 | सौर सिंचाई पंप | 105 | 31613 | 9710882756 |
| 02 | सोलर हाईमास्ट लाईट संयंत्र | 10 | 3095 | 1492595700 |
| | कुल योग | 115 | 34708 | 11203478456 |

नोट-दोनों संयंत्रों में 04 स्थापनाकर्ता इकाई/संस्था का नाम एकसमान होने के कारण कुल स्थापनाकर्ता इकाईयों की संख्या 111 होगी।


उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र ब"

अनुबंध/क्रयादेश में दी गई समयावधि के पश्चात् विलंब से लगाये गये या प्रदाय/स्थापित किये गये सौर सिंचाई पंपों एवं सोलर हाईमास्ट लाईटों की संस्थावार तथा दिनवार जानकारी
सौर सिंचाई पंप की जानकारी

| क्र. | इकाई का नाम ↓ विलंब दिवसों की अवधि → | विलंब से स्थापित पम्पों की संख्या | | | | | कुल | विलंब अवधि हेतु की गई कार्यवाही |
|------|---|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|------|---|
| | | 0-30 दिवस | 30-60 दिवस | 60-90 दिवस | 90-120 दिवस | 120-150 दिवस | | |
| 1 | मेसर्स जी.के. एनर्जी मार्केटर्स प्रा. लि. | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | निविदा क्रमांक 515/CREDA/SPV-PUMPS/SSY-VI/2021 दिनांक 12.05.2021 तथा निविदा क्रमांक 105235/CREDA/SPV IRRIGATION PUMPS/2022-23 दिनांक 27.07.2022 अंतर्गत कार्य में विलंब किये जाने की स्थिति में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार पेनाल्टी अधिरोपित/कटौती कर कार्य के भुगतान की कार्यवाही की गई। |
| 2 | मेसर्स गौतम सोलर प्रा. लि. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट्स एण्ड शिवा इंटरप्राइजेस | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | मेसर्स जे.बी. एसोसिएट्स | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | मेसर्स जैन एसोसिएट्स एण्ड इंटरप्राइजेस | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | मेसर्स के.आर.सी. कंस्ट्रक्शन (पी) लि. एण्ड अमीगो एनर्जीस | 8 | 31 | 20 | 2 | 0 | 61 | |
| 7 | मेसर्स लक्ष्मी एजेंसी | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | मेसर्स मीरा एण्ड सीको पम्पस प्रा. लि. | 27 | 24 | 50 | 20 | 1 | 122 | |
| 9 | मेसर्स नविया टेक्नोलॉजिस एण्ड एम.बी. इंटरप्राइजेस | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | मेसर्स प्रिमियर एनर्जीस लि. | 84 | 68 | 54 | 35 | 0 | 241 | |
| 11 | मेसर्स पी.व्ही. पावर टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. एण्ड ए.बी.पी. स्कील सर्विस | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | |
| 12 | मेसर्स आर.बी.पी. एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि. | 37 | 40 | 8 | 5 | 3 | 93 | |
| 13 | मेसर्स रोटोमेग मोटर्स एण्ड कंट्रोलस प्रा. लि. | 97 | 97 | 32 | 68 | 41 | 335 | |
| 14 | मेसर्स सोलेक्स एनर्जी लि. | 2 | 34 | 19 | 2 | 4 | 61 | |
| 15 | मेसर्स तनय विद्युत (आई) प्रा. लि. एण्ड आर.आर. कंस्ट्रक्शन | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| योग | | 321 | 336 | 212 | 134 | 49 | 1052 | . |

सोलर हाईमास्ट लाईटों की जानकारी

| क्र. | इकाई का नाम ↓ | विलंब से स्थापित पम्पों की संख्या | | | | | | कुल | विलंब अवधि हेतु की गई कार्यवाही |
|---------|--|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| | विलंब दिवसों की अवधि → | 0-30 दिवस | 30-60 दिवस | 60-90 दिवस | 90-120 दिवस | 120-150 दिवस | 150-200 दिवस | | |
| 1 | मेसर्स गणेश इलेक्ट्रिकल एण्ड प्रोग्रेसिव एग्रीटेक, रायपुर | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | निविदा क्रमांक 12855, दिनांक 24.10.2019 अंतर्गत कार्य में विलंब किये जाने की स्थिति में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार पेनाल्टी अधिरोपित / कटौती कर कार्य के भुगतान की कार्यवाही की गई। |
| 2 | मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, बिलासपुर | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | |
| 3 | मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी, अम्बिकापुर | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 4 | मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | मेसर्स श्री सिद्धिविनायक सोलर सॉल्यूशन, रायपुर | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | मेसर्स मदनानी इंजीनियरिंग वर्क्स, रायपुर | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| कुल योग | | 75 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | |


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र स"

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की जानकारी

| क्रं. | स्थापना स्थल का नाम | विकासखण्ड | विधानसभा क्षेत्र | पूर्ण/अपूर्ण | अपूर्ण होने का कारण |
|-------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| 1 | ग्राम-पाँसरा, बड़े कुंआ के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 2 | ग्राम-पाँसरा, अटल चौक के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 3 | ग्राम-बैमा, शाक्ति चौक के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 4 | ग्राम- नगोई, महामाया मंदिर के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 5 | ग्राम- बिरकोना, पुल चौक के पास, वार्ड नं. 64 | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 6 | ग्राम- लखराम, बस स्टैण्ड के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 7 | ग्राम- सेमरताल, विवेकानंद चौक के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 8 | मंगला, बिलासपुर, दिनदयाल कॉलोनी, मंगला हनुमान मंदिर के पास | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 9 | बिलासपुर, दिनदयाल कॉलोनी वार्ड नं. 13 | बिल्हा | बेलतरा | पूर्ण | - |
| 10 | ग्राम-रानीगांव, पंचायत भवन के पास | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | 09 स्थलों पर कार्य प्रगतिरत है तथा कार्य पूर्णता की तिथि दिनांक 31.03.23 तक निर्धारित है |
| 11 | ग्राम-मदनपुर, बाड़ा चौक के पास | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 12 | ग्राम- सीस, कोसगाई दाई मंदिर के पास | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 13 | मंगला, बिलासपुर, गीतांजली पार्क, मंगलाख वार्ड नं. 14, बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 14 | मंगला, बिलासपुर, अभिषेक विहार, फेस-2 बी, वार्ड नं. 14, मंगला बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 15 | मंगला, बिलासपुर, बजरंग मंदिर के पास, बजरंग चौक, वार्ड नं. 14 मंगला, बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 16 | मंगला, बिलासपुर, महर्षि स्कूल के पास, मंगला, वार्ड नं. 14, बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 17 | मंगला, बिलासपुर, महामाया पार, वार्ड नं. 14, मंगला बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |
| 18 | खमतलाई, बिलासपुर, रानी दुर्गावती नगर खमतलाई, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड नं. 58, बिलासपुर | बिल्हा | बेलतरा | अपूर्ण | |



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 972) की जानकारी

“प्रपत्र-अ”

वित्तीय वर्ष 2020-21

| क्र. | जिले का नाम | शासी परिषद से अनुमोदन स्वीकृति उपरांत जारी की गई राशि (रु. करोड़ में) | शासी परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति पश्चात् जारी राशि (रु. करोड़ में) |
|------|------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रायपुर | 13.54 | 0.00 |
| 2 | बलौदाबाजार-भाटापारा | 28.58 | 0.00 |
| 3 | गरियाबंद | 0.36 | 0.00 |
| 4 | धमतरी | 6.08 | 2.68 |
| 5 | महासमुन्द | 4.99 | 0.45 |
| 6 | राजनांदगांव | 14.30 | 0.00 |
| 7 | कबीरधाम | 4.24 | 0.00 |
| 8 | दुर्ग | 49.83 | 0.00 |
| 9 | बेमेतरा | 5.52 | 0.00 |
| 10 | बालोद | 48.99 | 2.39 |
| 11 | बस्तर | 93.11 | 0.00 |
| 12 | नारायणपुर | 23.28 | 4.95 |
| 13 | उत्तर बस्तर कांकेर | 67.10 | 0.00 |
| 14 | कोण्डागांव | 28.26 | 2.02 |
| 15 | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 57.25 | 0.00 |
| 16 | सुकमा | 43.80 | 0.00 |
| 17 | बीजापुर | 31.73 | 0.00 |
| 18 | बिलासपुर | 22.53 | 0.00 |
| 19 | मुंगेली | 3.73 | 0.88 |
| 20 | कोरबा | 363.22 | 0.00 |
| 21 | जांजगीर-चाम्पा | 100.00 | 53.57 |
| 22 | रायगढ़ | 37.12 | 10.70 |
| 23 | जशपुर | 2.39 | 35.50 |
| 24 | सरगुजा | 7.96 | 2.04 |
| 25 | बलरामपुर-रामानुजगंज | 15.90 | 1.91 |
| 26 | सूरजपुर | 10.46 | 0.15 |
| 27 | कोरिया | 29.98 | 0.10 |
| 28 | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही | 9.55 | 0.00 |

वित्तीय वर्ष 2021-22

| क्र. | जिले का नाम | शासी परिषद से अनुमोदन स्वीकृति उपरांत जारी की गई राशि (रु. करोड़ में) | शासी परिषद से कार्योत्तर स्वीकृति पश्चात् जारी राशि (रु. करोड़ में) |
|------|------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रायपुर | 10.03 | 1.36 |
| 2 | बलौदाबाजार-भाटापारा | 33.33 | 0.00 |
| 3 | गरियाबंद | 0.85 | 0.42 |
| 4 | धमतरी | 6.84 | 5.92 |
| 5 | महासमुन्द | 19.67 | 0.77 |
| 6 | राजनांदगांव | 20.98 | 0.21 |
| 7 | कबीरधाम | 10.37 | 0.00 |
| 8 | दुर्ग | 66.00 | 0.00 |
| 9 | बेमेतरा | 6.74 | 0.00 |
| 10 | बालोद | 71.88 | 8.27 |
| 11 | बस्तर | 75.65 | 0.00 |
| 12 | नारायणपुर | 18.09 | 21.37 |
| 13 | उत्तर बस्तर कांकेर | 54.93 | 0.00 |
| 14 | कोण्डागांव | 40.10 | 1.43 |
| 15 | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 183.01 | 0.00 |
| 16 | सुकमा | 52.03 | 0.00 |
| 17 | बीजापुर | 110.46 | 0.00 |
| 18 | बिलासपुर | 31.89 | 0.00 |
| 19 | मुंगेली | 15.79 | 1.82 |
| 20 | कोरबा | 467.19 | 0.00 |
| 21 | जांजगीर-चाम्पा | 100.00 | 29.32 |
| 22 | रायगढ़ | 34.86 | 35.11 |
| 23 | जशपुर | 3.04 | 25.90 |
| 24 | सरगुजा | 17.63 | 3.09 |
| 25 | बलरामपुर-रामानुजगंज | 17.02 | 0.86 |
| 26 | सूरजपुर | 13.25 | 3.25 |
| 27 | कोरिया | 13.03 | 13.99 |
| 28 | गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही | 16.72 | 2.47 |


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर-492012

पारोशेष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 976) की जानकारी

प्रपत्र

| क्र० | जिले का नाम | अवैध प्लॉटिंग कर बेचने की प्राप्त शिकायत | | अवैध प्लॉटिंग में से कितनी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी | कितने लोगों पर एफ.आई.आर की गई है। |
|------|---------------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | शिकायत की संख्या | रकबा हेक्टेयर में | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | रायपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | गरियाबंद | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बिलासपुर | 53 | 25.714 | | 6 |
| 4 | मुंगेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | दुर्ग | 6 | 9.204 | 0 | 0 |
| 7 | बेमेतरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | कोरबा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | रायगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | बस्तर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | कोंडागांव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | नारायणपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | बीजापुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | सुकमा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | राजनांदगांव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | धमतरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | सरगुजा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | बलरामपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | सूरजपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | कवर्धा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | जांजगीर-चांपा | 4 | 0.323 | 0 | 0 |
| 24 | सक्ती | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | जशपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | कांकेर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | बालोद | 1 | 1.3581 | 0 | 0 |
| 28 | कोरिया | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | मनेंद्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर | 1 | 0.405 | लगभग 23 भूखण्ड | 1 |
| 30 | बलौदाबाजार | 221 | 98.0146 | 0 | 5 |
| 31 | सारंगढ़- बिलाईगढ़ | 8 | 6.782 | 0 | 0 |
| 32 | महासमुंद | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दंतेवाड़ा | 0 | 0 | 0 | 0 |

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पारोशेष्ट - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 977) की जानकारी

544.अ

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा लामांश राशि से फलदार पौधा क्रय का विवरण

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | प्रजाति का नाम | क्रय पौधा की संख्या | प्रति पौधा दर | राशि (रु.में) | प्रदायकर्ता का नाम |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2019-20 | | | | | | | | |
| 2020-21 | | | | | | | | |
| 2021-22 | पश्चिम भाद्रप्रतापपुर | कापसी सा. | पडरीपानी | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग | 8620 | | 1071660 | |
| | | | खैरकट्टा | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग | 8620 | | 1071660 | |
| | | | प्रतापपुर | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग | 8620 | | 1071660 | |

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | प्रजाति का नाम | क्रय पौधा की संख्या | प्रति पौधा दर | राशि (रु.में) | प्रदायकर्ता का नाम |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | कापसी सा. | महल | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग - | 8620 | | 1071660 | |
| | | | झाड़कट्टा | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग - | 8620 | | 1071660 | |
| | | | उरपापुर | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग - | 8620 | | 1071660 | |
| | | | रामपुर | आम | 1620 | 125 | 202500 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 1550 | 125 | 193750 | |
| | | | | जामुन | 280 | 122 | 34160 | |
| | | | | आवला | 1670 | 125 | 208750 | |
| | | | | अमरुद | 1200 | 123 | 147600 | |
| | | | | कटहल | 800 | 123 | 98400 | |
| | | | | नीबू | 500 | 123 | 61500 | |
| | | | | काजू | 1000 | 125 | 125000 | |
| | | | | योग - | 8620 | | 1071660 | |
| 2021-22 | पश्चिम भानुप्रतापपुर | कापसी सा. | बेरकोट | आम | 470 | 125 | 58750 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | अनार | 450 | 125 | 56250 | |
| | | | | जामुन | 80 | 122 | 9760 | |
| | | | | आवला | 485 | 125 | 60625 | |
| | | | | अमरुद | 350 | 123 | 43050 | |

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | प्रिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | प्रजाति का नाम | प्रति पौधा की संख्या | प्रति पौधा दर | राशि (रु.से) | प्रदायकर्ता का नाम | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|--|--|---------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 2021-22 | पश्चिम भागप्रतापपुर | कापसी सा. | बेरकोट | कटहल | 230 | 123 | 28290 | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर | | | | | | | |
| | | | | नींबू | 145 | 123 | 17835 | | | | | | | | |
| | | | | काजू | 290 | 125 | 36250 | | | | | | | | |
| | | | | योग - | | | | | 3500 | | 310810 | | | | |
| | | | | आम | 1315 | 125 | 164375 | | मरकाडुआ | | | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर | | | |
| | | | | अनार | 1260 | 125 | 157500 | | | | | | | | |
| | | | | जामुन | 227 | 122 | 27694 | | | | | | | | |
| | | | | आवला | 1356 | 125 | 169500 | | | | | | | | |
| | | | | अमरूद | 974 | 123 | 119802 | | | | | | | | |
| | | | | कटहल | 650 | 123 | 79950 | | | | | | | | |
| | | | | नींबू | 406 | 123 | 49938 | | | | | | | | |
| | | | | काजू | 812 | 125 | 101500 | | | | | | | | |
| | | | | योग - | | | | | | | | | 7000 | | 870259 |
| | | | | मुसरघाट | | | | | | | | | | 125 | 102500 |
| | | | | 2021-22 | दक्षिण कोण्डगांव | दहीकोगा | खण्डी | | आम | 820 | 125 | 102500 | नेचर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर | | |
| | | | | | | | | | अनार | 783 | 125 | 97875 | | | |
| | | | | | | | | | जामुन | 140 | 122 | 17080 | | | |
| | | | | | | | | | आवला | 844 | 125 | 105500 | | | |
| | | | | | | | | | अमरूद | 605 | 123 | 74415 | | | |
| | | | | | | | | | कटहल | 407 | 123 | 50061 | | | |
| | | | | | | | | | नींबू | 253 | 123 | 31119 | | | |
| | | | | | | | | | काजू | 506 | 125 | 63250 | | | |
| योग - | | | | | | | | 4358 | | 541800 | | | | | |
| आम | 751 | 125 | 93875 | | | | | स्वामी नर्सरी राजबेन्दरी (तेलगाना) कोपाबेड़ा नर्सरी कोण्डगांव | | | | | | | |
| अनार | 719 | 125 | 89875 | | | | | | | | | | | | |
| जामुन | 131 | 122 | 15982 | | | | | | | | | | | | |
| आवला | 775 | 125 | 96875 | | | | | | | | | | | | |
| अमरूद | 557 | 123 | 68511 | | | | | | | | | | | | |
| कटहल | 371 | 123 | 45633 | | | | | | | | | | | | |
| नींबू | 232 | 123 | 28536 | | | | | | | | | | | | |
| काजू | 464 | 125 | 58000 | | | | | | | | | | | | |
| योग - | | | | 4000 | | 497287 | | | | | | | | | |
| कुलयोग - | | | | 78198 | | 9731776 | | | | | | | | | |
| 2021-22 | दक्षिण कोण्डगांव | दहीकोगा | काजू | 1100 | 120 | 132000 | स्वामी नर्सरी राजबेन्दरी (तेलगाना) कोपाबेड़ा नर्सरी कोण्डगांव | | | | | | | | |
| | | | अमरूद | 400 | 7 | 2800 | | | | | | | | | |
| | | | सीताफल | 50 | 7 | 350 | | | | | | | | | |
| | | | कटहल | 30 | 7 | 210 | | | | | | | | | |
| | | | आवला | 30 | 7 | 210 | | | | | | | | | |
| 2021-22 | दक्षिण कोण्डगांव | दहीकोगा | लिची | 100 | 95 | 9500 | स्वामी नर्सरी राजबेन्दरी (तेलगाना) | | | | | | | | |
| | | | इमली | 50 | 85 | 4250 | | | | | | | | | |

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | प्रजाति का नाम | क्रय पौधा की संख्या | प्रति पौधा दर | राशि (रु. में) | प्रदायकर्ता का नाम |
|---------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021-22 | दक्षिण कोण्डगांव | दर्हकोगा | कसेला | आम | 1200 | 180 | 216000 | बीज संग्रहण एवं फल उद्यान उत्पादक सह. समिति कांकेर |
| | | | | गिलोय | 3740 | 6 | 22440 | वन प्रबंधन समिति बोधा |
| | | | | सतावर | 2260 | 6 | 13560 | कोपाकेड़ा नर्सरी कोण्डगांव |
| | | | | सतावर | 3000 | 6 | 18000 | |
| | | | | योग | 11960 | | 419370 | |
| | | माकड़ी | बागबड़ा | ईमली | 800 | 52 | 41600 | स्वामी नर्सरी राजमुन्दरी (तेलगाना) |
| | | | बेलगांव | आम ग्राफ्टेड | 400 | 350 | 140000 | |
| | | | मारागांव | आम | 638 | 350 | 223300 | |
| | | | | योग | 1838 | | 404900 | |
| | | नारगी | कारसिंग | आम | 50 | 350 | 17500 | प्रियतोष शर्मा कृषि फार्म ग्राम तामासिवनी रायपुर (छ.ग.) |
| | | | | अमरुद | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | बेल | 25 | 350 | 8750 | |
| | | | | योग | 125 | | 43750 | |
| | | मुलमुला | मालगांव | ईमली | 449 | 52 | 23348 | स्वामी नर्सरी राजमुन्दरी (तेलगाना) |
| | | | कुलझर | ईमली | 381 | 52 | 19812 | प्रियतोष शर्मा कृषि फार्म ग्राम तामासिवनी रायपुर (छ.ग.) |
| | | | मालगांव | आम | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | अमरुद | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | बेल | 25 | 350 | 8750 | |
| | | | निलजी | आम | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | अमरुद | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | बेल | 25 | 350 | 8750 | |
| | | | मालगांव | काजू | 279 | 120 | 33480 | स्वामी नर्सरी राजमुन्दरी (तेलगाना) |
| | | | | आम | 220 | 350 | 77000 | |
| | | | | योग | 1579 | | 241140 | |
| | | अमरावती | बेलगांव | आम | 50 | 350 | 17500 | प्रियतोष शर्मा कृषि फार्म ग्राम तामासिवनी रायपुर (छ.ग.) |
| | | | | अमरुद | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | बेल | 25 | 350 | 8750 | |
| | | | बीजापुर | आम | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | अमरुद | 50 | 350 | 17500 | |
| | | | | बेल | 25 | 350 | 8750 | |
| | | | | योग | 250 | | 87500 | |
| | | | | कुलवाण | 15752 | | 1196610 | |

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | प्रजाति का नाम | क्रय पौधा की संख्या | प्रति पौधा दर | राशि (रु. में) | प्रदायकर्ता का नाम |
|---------|----------------|-------------------|---|---|--|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021-22 | नारायणपुर | पश्चिम सोनपुर | तुरुषनार ब्रह्मदेड़ा पांगुड़ (गारपा) मंगबेड़ा कावाडी कोणे आमाडोडा | ग्रामटेड अमरुद जामुन अमरुद अनार जामुन अमरुद कटहल जामुन | 6000 5000 3600 4600 8910 9600 2300 6750 | 125 122 123 125 122 123 123 122 | 750000 610000 442800 575000 1087020 1180800 282900 823500 | नेवर केयर, व्ही.आई. पी. रोड रायपुर |
| | | | | योग | 46760 | | 5752020 | |
| | | | | प्रयोग | 140740 | | 16670406 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण)

पृष्ठ-ब

खरीदे गये पौधों का स्थलवार रोपण एवं वर्तमान में जीवित पौधों का विवरण

| वर्ष | वनमण्डल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | वन प्रबंधन समिति का नाम | कार्य विवरण | कक्षा क्रमांक/ खसरा क्र. | पौधा संख्या | जीवित संख्या | रिमांक |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 2019-20 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020-21 | | | | निरंक | | | | |
| 2021-22 | दक्षिण कोण्डगाव | दहीकोंगा | बनियागांव | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना | खसरा नं. 216,229/88/1 | 1760 | 1742 | सामूहिक राजस्व स्थल |
| | | | कसेला | ग्राप्टेड फलदार वृक्षारोपण (आम) | आ.ए.498 | 1200 | 1187 | वन क्षेत्र में |
| | | | बेलगांव | औष्णीय वृक्षारोपण | | 9000 | 8905 | |
| | | अमरावती | बेलगांव | अतिक्रमण क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण | आ.ए.फ.242 | 125 | 116 | |
| | | | बीजापुर | अतिक्रमण क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण | पी.एफ.399 | 125 | 101 | |
| | | माकड़ी | बागबिड़ा | ईमली पौधा रोपण | ग्राम बागबिड़ा के 35 ग्रामीण | 800 | 792 | निजी भूमि में |
| | | | बेलगांव | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना | खसरा नं.01/01 | 400 | 375 | सामूहिक राजस्व स्थल |
| | | | भारगांव | मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण | भारगांव | 638 | 530 | |
| | | नारंगी | कारसिंग | अतिक्रमण क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण | आ.ए.फ. 836 | 125 | 73 | वन क्षेत्र में |
| | | | मालगांव | ईमली पौधा रोपण | 06 ग्रामीण | 449 | 413 | निजी भूमि में |
| | | मुलमुला | कुलकर | ईमली पौधा रोपण | 24 ग्रामीण | 381 | 343 | |
| | | | मालगांव | फलदार वृक्षारोपण | ग्रामीणों के निजी भूमि | 125 | 110 | |
| | | | निलजी | फलदार वृक्षारोपण | ग्रामीणों के निजी भूमि | 125 | 112 | |
| | | | मालगांव | मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण | खसरा नं. 147/01 | 499 | 474 | सामूहिक राजस्व स्थल |
| | | | | योग :- | | 15752 | 15273 | |

टीप :- नारायणपुर एवं परिचम मानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत वन प्रबंधन समिति स्तर से क्रय पौधा हितग्राहियों को वितरण व हितग्राही द्वारा स्वयं पौधा रोपण किया गया है तथा पौधा रोपण हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति में जीवित पौधों की गणना नहीं की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण)

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक स्वीकृत कार्य (प्रश्नांश क,ख,ग)

| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|---------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|----|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाईप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | डभरा | साराडीह | रेट्रोफिटिंग योजना | 132.94 | 40 किली/ 12 मी | 6600 | 55 | - | हो | - | - | 31.03.2023 |
| 2 | डभरा | सकराली | रेट्रोफिटिंग योजना | 312.17 | 150 किली/ 12 मी | 15030 | 857 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 3 | डभरा | धुरकोट | एकल ग्राम योजना | 174.67 | 50 किली/ 12 मी | 8000 | 622 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 4 | डभरा | बारापीपर | रेट्रोफिटिंग योजना | 69.12 | - | 2500 | 265 | हो | - | - | - | - |
| 5 | डभरा | बालपुर | रेट्रोफिटिंग योजना | 104.04 | 40 किली/ 12 मी | 4000 | 214 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 6 | डभरा | चुरतेला | रेट्रोफिटिंग योजना | 89.94 | - | 4500 | 267 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 7 | डभरा | केनापाली | रेट्रोफिटिंग योजना | 49.77 | - | 3000 | 45 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 8 | डभरा | जवाली | रेट्रोफिटिंग योजना | 121.84 | 40 किली/ 12 मी | 5200 | 327 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 9 | डभरा | सखदा | रेट्रोफिटिंग योजना | 195.85 | 40 किली/ 12 मी | 8000 | 492 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 10 | डभरा | खैरगुड़ा | रेट्रोफिटिंग योजना | 112.05 | 50 किली/ 12 मी | 3100 | 210 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 11 | डभरा | कवली | एकल ग्राम योजना | 165.16 | 40 किली/ 12 मी | 7230 | 492 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 12 | डभरा | ठनगन | रेट्रोफिटिंग योजना | 116.34 | 40 किली/ 12 मी | 4000 | 286 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 13 | डभरा | रामभांठा | रेट्रोफिटिंग योजना | 126.43 | 40 किली/ 12 मी | 3200 | 435 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 14 | डभरा | देवरघटा | रेट्रोफिटिंग योजना | 182.65 | 40 किली/ 12 मी | 7000 | 401 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 15 | डभरा | बघौद | रेट्रोफिटिंग योजना | 157.08 | 40 किली/ 12 मी | 7000 | 336 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 16 | डभरा | पेण्डरूवां | रेट्रोफिटिंग योजना | 180.48 | 40 किली/ 12 मी | 7000 | 297 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 17 | डभरा | छुछुभांठा | रेट्रोफिटिंग योजना | 157.08 | 40 किली/ 12 मी | 7000 | 126 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 18 | डभरा | गोबरा | रेट्रोफिटिंग योजना | 170.06 | 40 किली/ 12 मी | 8000 | 189 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 19 | डभरा | खरकेना | रेट्रोफिटिंग योजना | 180.94 | 40 किली/ 12 मी | 7000 | 487 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 20 | डभरा | फरसवानी | रेट्रोफिटिंग योजना | 194.84 | 50 किली/ 12 मी | 9000 | 427 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 21 | डभरा | शंकरपाली | रेट्रोफिटिंग योजना | 169.25 | 60 किली/ 12 मी | 5500 | 180 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |
| 22 | डभरा | चराघाँठा (पटीडीह) | एकल ग्राम योजना | 101.54 | 50 किली/ 12 मी | 4830 | 190 | - | हो | - | - | 30.06.2023 |

| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|---------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाईप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 23 | डभरा | परसापाली | एकल ग्राम योजना | 85.2 | 40 किली/ 12 मी | 3630 | 163 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 24 | डभरा | टुण्डी | रेट्रोफिटिंग योजना | 367.47 | 110 किली/ 12 मी | 16150 | 631 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 25 | डभरा | किरारी | रेट्रोफिटिंग योजना | 387.05 | 90 किली/ 12 मी | 12000 | 468 | - | हैं | - | 30.08.2023 | |
| 26 | डभरा | सपोस | एकल ग्राम योजना | 229.74 | 160 किली/ 12 मी | 10000 | 673 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 27 | डभरा | पुरेना बूढ़ा | एकल ग्राम योजना | 109.68 | 45 किली/ 12 मी | 3723 | 269 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 28 | डभरा | निमोही | एकल ग्राम योजना | 93.51 | 40 किली / 12 मी | 4380 | 125 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 29 | डभरा | कुसुमझर | एकल ग्राम योजना | 97.14 | 70 किली/ 12 मी | 3836 | 274 | - | - | हाँ | 30.06.2023 | |
| 30 | डभरा | उपनी | एकल ग्राम योजना | 167.38 | 95 किली/ 15 मी | 5501 | 435 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 31 | डभरा | बरभांठा | एकल ग्राम योजना | 124.05 | 70 किली/ 12 मी | 5577 | 137 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 32 | डभरा | भेड़ीकोना | एकल ग्राम योजना | 104.47 | 50 किली/ 15 मी | 3271 | 203 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 33 | डभरा | छबारीपाली | एकल ग्राम योजना | 131.15 | 70 किली/ 15मी | 5740 | 239 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 34 | डभरा | गाड़ापाली | एकल ग्राम योजना | 124.54 | 60 किली/ 15 मी | 4307 | 252 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 35 | डभरा | फलियामुण्डा | एकल ग्राम योजना | 91.34 | 40 किली/ 12 मी | 3559 | 150 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 36 | डभरा | कांसा | एकल ग्राम योजना | 190.44 | 40 किली/ 12 मी | 8900 | 618 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 37 | डभरा | कटौद | रेट्रोफिटिंग योजना | 185.48 | 60 किली/ 12 मी | 9200 | 255 | - | - | हाँ | 30.06.2023 | |
| 38 | डभरा | नावापारा ड | एकल ग्राम योजना | 120 | 60 किली/ 12 मी | 4782 | 250 | - | - | हाँ | 30.06.2023 | |
| 39 | डभरा | बगौल | एकल ग्राम योजना | 118.99 | 60 किली/ 15 मी | 3196 | 263 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 40 | डभरा | लटेसरा | एकल ग्राम योजना | 138.89 | 40 किली/ 12 मी | 2700 | 364 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 41 | डभरा | कोसमंदा | एकल ग्राम योजना | 128.09 | 60 किली/ 15 मी | 4437 | 255 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 42 | डभरा | हरदीडीह | एकल ग्राम योजना | 105.82 | 40 किली/ 15 मी | 3750 | 156 | - | हैं | - | 30.06.2023 | |
| 43 | डभरा | गाड़ामोर | एकल ग्राम योजना | 110.66 | 40 किली/ 12 मी | 3250 | 133 | - | हैं | - | 30.08.2023 | |
| 44 | डभरा | खोरसिया | एकल ग्राम योजना | 112.2 | 40 किली/ 18 मी | 4073 | 173 | - | हैं | - | 30.08.2023 | |
| 45 | डभरा | पुरेनातेली | एकल ग्राम योजना | 86.27 | 40 किली/ 12 मी | 5556 | 51 | - | हैं | - | 30.08.2023 | |


| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|---------|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाइप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 46 | डभरा | बिलाईगढ़ प. | एकल ग्राम योजना | 79.88 | 40 किली / 12 मी | 3750 | 137 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 47 | डभरा | कबारीपाली | एकल ग्राम योजना | 163.4 | 70 किली/ 12 मी | 7560 | 298 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 48 | डभरा | बसंतपुर | एकल ग्राम योजना | 134.78 | 80 किली / 12 मी | 3756 | 327 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 49 | डभरा | चंदली | एकल ग्राम योजना | 118.08 | 70 किली/ 12 मी | 5157 | 199 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 50 | डभरा | सिरियागढ़ | एकल ग्राम योजना | 104.48 | 75 किली / 12 मी | 4016 | 246 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 51 | डभरा | बोरसी | एकल ग्राम योजना | 126.7 | 60 किली/ 12 मी | 6749 | 248 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 52 | डभरा | गिरगिरा | एकल ग्राम योजना | 117.56 | 60 किली/ 12 मी | 6206 | 274 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 53 | डभरा | कटेकोनी बड़े | एकल ग्राम योजना | 165.56 | 120 किली/ 12 मी | 8478 | 397 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 54 | डभरा | केकरामाठ | एकल ग्राम योजना | 153.52 | 90 किली/ 12 मी | 6650 | 367 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 55 | डभरा | सराईपाली धु | एकल ग्राम योजना | 94.99 | 40 किली/ 12 मी | 4744 | 183 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 56 | डभरा | उच्यपिण्डा | एकल ग्राम योजना | 101.76 | 40 किली / 12 मी | 5766 | 161 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 57 | डभरा | छुहीपाली | एकल ग्राम योजना | 149.77 | 80 किली/ 12 मी | 8842 | 255 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 58 | डभरा | ठाकुरपाली | एकल ग्राम योजना | 108.62 | 40 किली / 12 मी | 4180 | 250 | - | हो | - | 30.09.2023 | |
| 59 | डभरा | भजपुर | एकल ग्राम योजना | 99.56 | 50 किली/ 12 मी | 3891 | 199 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 60 | डभरा | सुखापाली | एकल ग्राम योजना | 158.84 | 90 किली/ 12 मी | 7495 | 312 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 61 | डभरा | मड़वा | एकल ग्राम योजना | 115.19 | 40 किली / 12 मी | 3950 | 256 | - | - | हो | 30.06.2023 | |
| 62 | डभरा | सिरौली | एकल ग्राम योजना | 103.24 | 40 किली/ 12 मी | 4510 | 227 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 63 | डभरा | धोबनीपाली | एकल ग्राम योजना | 94.91 | 40 किली/ 12 मी | 3470 | 186 | - | - | हो | 30.08.2023 | |
| 64 | डभरा | बाइदरहा | एकल ग्राम योजना | 138.71 | 90 किली/ 12 मी | 5928 | 403 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 65 | डभरा | तूकपाली | एकल ग्राम योजना | 80.79 | 40 किली/ 12 मी | 3766 | 127 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 66 | डभरा | घिवरा | एकल ग्राम योजना | 102.8 | 40 किली/ 12 मी | 3200 | 307 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 67 | डभरा | भेडापाली | एकल ग्राम योजना | 153.1 | 55 किली/ 12 मी | 5915 | 120 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 68 | डभरा | बिरहामांठा | एकल ग्राम योजना | 85.36 | 40 किली/ 12 मी | 2794 | 167 | - | - | हो | 30.06.2023 | |

| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|---------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाईप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 69 | डभरा | मिरौनी | एकल ग्राम योजना | 95.01 | 40 किली/ 12 मी | 3120 | 174 | - | - | हो | 30.06.2023 | |
| 70 | डभरा | खैराखुर्द | सोलर आधारित | 53.51 | - | 1000 | 89 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 71 | डभरा | मांजरखुर्द | एकल ग्राम योजना | 89.40 | 50 किली/ 12 मी | 3288 | 209 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 72 | डभरा | धौराभांठा | एकल ग्राम योजना | 127.76 | 50 किली/ 15 मी | 5886 | 163 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 73 | डभरा | कंवलझर | एकल ग्राम योजना | 131.58 | 50 किली/ 12 मी | 6300 | 177 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 74 | डभरा | खैरा | एकल ग्राम योजना | 155.39 | 40 किली/ 12 मी | 3420 | 268 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 75 | डभरा | बरतुंगा | एकल ग्राम योजना | 175.18 | 120 किली / 12 मी | 9268 | 453 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 76 | डभरा | बांधापाली | एकल ग्राम योजना | 100.48 | 40 किली / 12 मी | 4200 | 114 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 77 | डभरा | पलसदा | एकल ग्राम योजना | 90.82 | 40 किली / 12 मी | 2794 | 204 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 78 | डभरा | मौहापाली | एकल ग्राम योजना | 95.11 | 60 किली/ 12 मी | 3460 | 239 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 79 | डभरा | नवापारा-म | एकल ग्राम योजना | 133.78 | 60 किली/ 12 मी | 5003 | 256 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 80 | डभरा | हरदी | एकल ग्राम योजना | 107.26 | 40 किली/ 12 मी | 6280 | 132 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 81 | डभरा | बरहागुड़ा | एकल ग्राम योजना | 127.49 | 70 किली/ 12 मी | 6092 | 258 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 82 | डभरा | कूसमूल | एकल ग्राम योजना | 384.82 | 110 किली/ 15 मी | 17629 | 551 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 83 | डभरा | कटेकोनी छोटे | एकल ग्राम योजना | 221.31 | 110 किली/ 12 मी | 8366 | 454 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 84 | डभरा | पूटीडीह | एकल ग्राम योजना | 185.82 | 75 किली/ 15 मी | 7309 | 342 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 85 | डभरा | ढेकुनाभांठा | सोलर आधारित | 85.4 | - | 670 | 45 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 86 | डभरा | अमलीपाली | सोलर आधारित | 30.85 | - | 970 | 128 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 87 | डभरा | कानाकोट | सोलर आधारित | 32.47 | - | 1270 | 82 | - | - | हो | 30.09.2023 | |
| 88 | मालखरौदा | मुक्ता | रेट्रोफिटिंग योजना | 126.1 | 60 किली/12मी | 4800 | 395 | - | - | हो | 30.08.2023 | |
| 89 | मालखरौदा | बड़े पडरमुड़ा | एकल ग्राम योजना | 100.98 | - | 4430 | 301 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 90 | मालखरौदा | सिंघरा | रेट्रोफिटिंग योजना | 200.57 | 40 किली/12मी | 11650 | 605 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 91 | मालखरौदा | बंदोरा | रेट्रोफिटिंग योजना | 184.21 | 40 किली/12मी | 5900 | 506 | - | हो | - | 30.06.2023 | |

| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|---------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|-----|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाइप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 92 | मालखरौदा | चरोदा | रेट्रोफिटिंग योजना | 113.34 | 40 किली/12मी | 3330 | 180 | - | - | हैं | हैं | 30.08.2023 |
| 93 | मालखरौदा | सपिया | रेट्रोफिटिंग योजना | 166.85 | 60 किली/12मी | 4880 | 516 | - | - | हैं | हैं | 30.08.2023 |
| 94 | मालखरौदा | सकर्सी | रेट्रोफिटिंग योजना | 182 | 70 किली/12मी | 6530 | 629 | - | हैं | - | - | 30.08.2023 |
| 95 | मालखरौदा | कलमी | रेट्रोफिटिंग योजना | 128.67 | 60 किली/12मी | 4100 | 370 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 96 | मालखरौदा | आडिल | एकल ग्राम योजना | 173.92 | 110 किली/ 12 मी | 7200 | 392 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 97 | मालखरौदा | जमगहन | रेट्रोफिटिंग योजना | 125.9 | 40 किली/12मी | 5900 | 208 | - | - | हैं | हैं | 30.06.2023 |
| 98 | मालखरौदा | भांटा | एकल ग्राम योजना | 191.23 | 80 किली/ 12 मी | 8739 | 349 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 99 | मालखरौदा | आमनदूला | रेट्रोफिटिंग योजना | 159.19 | 60 किली/12मी | 6200 | 464 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 100 | मालखरौदा | चारपारा | एकल ग्राम योजना | 131.28 | 40 किली/ 12 मी | 3800 | 355 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 101 | मालखरौदा | नगासर | रेट्रोफिटिंग योजना | 121.4 | 40 किली/12मी | 3600 | 304 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 102 | मालखरौदा | बड़े मूडपार | रेट्रोफिटिंग योजना | 112.83 | 40 किली/12मी | 3600 | 347 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 103 | मालखरौदा | पोता | रेट्रोफिटिंग योजना | 185.95 | 90 किली/12मी | 5200 | 655 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 104 | मालखरौदा | फगूरम | रेट्रोफिटिंग योजना | 186.28 | 90 किली/12मी | 5930 | 539 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 105 | मालखरौदा | कटारी | रेट्रोफिटिंग योजना | 196.65 | 40 किली/12मी | 5010 | 247 | हैं | - | - | - | 30.06.2023 |
| 106 | मालखरौदा | सोनादूला | रेट्रोफिटिंग योजना | 118.26 | 40 किली/12मी | 3800 | 325 | हैं | - | - | - | - |
| 107 | मालखरौदा | मालखरौदा | रेट्रोफिटिंग योजना | 337.76 | 160 किली/12मी | 21100 | 511 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 108 | मालखरौदा | विखली | एकल ग्राम योजना | 111.02 | 40 किली/ 12 मी | 5015 | 175 | - | हैं | - | - | 30.09.2023 |
| 109 | मालखरौदा | किरारी | एकल ग्राम योजना | 143.15 | 70 किली/ 12 मी | 6415 | 247 | - | - | हैं | हैं | 30.09.2023 |
| 110 | मालखरौदा | भठोरा | एकल ग्राम योजना | 133.64 | 70 किली/ 12 मी | 6415 | 229 | - | - | हैं | हैं | 30.09.2023 |
| 111 | मालखरौदा | सारसकेला | एकल ग्राम योजना | 152.12 | 70 किली/ 12 मी | 7481 | 204 | - | - | हैं | हैं | 30.08.2023 |
| 112 | मालखरौदा | किरकार | एकल ग्राम योजना | 155.62 | 40 किली/ 12 मी | 3280 | 132 | - | - | हैं | हैं | 30.08.2023 |
| 113 | मालखरौदा | बोजसागर | एकल ग्राम योजना | 135.52 | 60 किली/ 12 मी | 3100 | 187 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |
| 114 | मालखरौदा | सतगढ़ | एकल ग्राम योजना | 116.14 | 40 किली/ 12 मी | 2784 | 178 | - | हैं | - | - | 30.06.2023 |

| संक्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|--------|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाईप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 115 | मालखरौदा | सकरी | एकल ग्राम योजना | 125.37 | 50 किली/ 12 मी | 2550 | 157 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 116 | मालखरौदा | सारसडोल | एकल ग्राम योजना | 113.48 | 40 किली/ 12 मी | 5230 | 161 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 117 | मालखरौदा | मोहतरा | एकल ग्राम योजना | 138.38 | 60 किली/ 12 मी | 5460 | 262 | - | - | हो | 30.06.2023 | |
| 118 | मालखरौदा | खरी | एकल ग्राम योजना | 154.23 | 40 किली/ 12 मी | 8500 | 140 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 119 | मालखरौदा | खेमड़ा | एकल ग्राम योजना | 158.5 | 70 किली/ 12 मी | 7807 | 261 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 120 | मालखरौदा | डिक्सी | एकल ग्राम योजना | 93.87 | 40 किली/ 12 मी | 3154 | 105 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 121 | मालखरौदा | बंजारी | एकल ग्राम योजना | 131.43 | 50 किली/ 15 मी | 4232 | 144 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 122 | मालखरौदा | चांटीपाली | एकल ग्राम योजना | 158.35 | 70 किली/ 12 मी | 4058 | 230 | - | - | हो | 31.08.2023 | |
| 123 | मालखरौदा | दिमानी | एकल ग्राम योजना | 146.87 | 60 किली/ 12 मी | 3354 | 220 | - | हो | - | 31.08.2023 | |
| 124 | मालखरौदा | सेरे | एकल ग्राम योजना | 194.73 | 110 किली/ 15 मी | 5196 | 243 | - | हो | - | 31.08.2023 | |
| 125 | मालखरौदा | बीरभांठा | एकल ग्राम योजना | 133.61 | 40 किली/ 12 मी | 3280 | 162 | - | - | हो | 31.08.2023 | |
| 126 | मालखरौदा | करौपाली | एकल ग्राम योजना | 144.71 | 40 किली/ 12 मी | 3980 | 174 | - | हो | - | 31.08.2023 | |
| 127 | मालखरौदा | परसा | एकल ग्राम योजना | 158.32 | 70 किली/ 12 मी | 7460 | 278 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 128 | मालखरौदा | लिमगांव | एकल ग्राम योजना | 145.12 | 60 किली/ 12 मी | 7612 | 262 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 129 | मालखरौदा | तौलीपाली | एकल ग्राम योजना | 122.75 | 40 किली/ 12 मी | 4660 | 137 | - | हो | - | 30.06.2023 | |
| 130 | मालखरौदा | दारीमड़ा | एकल ग्राम योजना | 97.59 | 50 किली/ 12 मी | 4195 | 171 | - | - | हो | 30.08.2023 | |
| 131 | मालखरौदा | गोरखपाली | एकल ग्राम योजना | 95.02 | 45 किली/ 12 मी | 3015 | 174 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 132 | मालखरौदा | दर्राभांठा | एकल ग्राम योजना | 141.5 | 55 किली/ 12 मी | 7115 | 229 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 133 | मालखरौदा | परसाडीह | एकल ग्राम योजना | 111.6 | 40 किली/ 12 मी | 5015 | 107 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 134 | मालखरौदा | बसतपुर | एकल ग्राम योजना | 94.06 | 40 किली/ 12 मी | 1900 | 143 | - | हो | - | 30.08.2023 | |
| 135 | मालखरौदा | बेल्हाभांठा | एकल ग्राम योजना | 143.88 | 40 किली/ 12 मी | 6415 | 120 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 136 | मालखरौदा | अण्डी | एकल ग्राम योजना | 63.75 | 45 किली/ 12 मी | 3030 | 209 | - | - | हो | 31.03.2024 | |
| 137 | मालखरौदा | झर्रा | एकल ग्राम योजना | 67.99 | 50 किली/ 12 मी | 3380 | 229 | - | - | हो | 31.03.2024 | |

| सं-क्र- | विकासखण्ड | ग्राम का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत राशि (लाख में) | स्वीकृत योजनांतर्गत प्रस्तावित | | | कार्य की स्थिति | | | पूर्ण करने की संभावित तिथि |
|------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | पानी टंकी | पाईप लाईन (मीटर में) | घरेलू नल कनेक्शन की संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | अप्रारंभ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 138 | मालखरौदा | अमेराडीह | एकल ग्राम योजना | 65.56 | 50 किली/ 12 मी | 3100 | 233 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 139 | मालखरौदा | कनईडीह | एकल ग्राम योजना | 91.65 | 40 किली/ 12 मी | 4415 | 130 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 140 | मालखरौदा | मोहंदीखुर्द | एकल ग्राम योजना | 101.24 | 70 किली/ 12 मी | 4670 | 102 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 141 | मालखरौदा | नवापारा | एकल ग्राम योजना | 147.46 | 60 किली/ 12 मी | 5230 | 296 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 142 | मालखरौदा | मंदागोढी | एकल ग्राम योजना | 260.71 | 90 किली/ 15 मी | 8725 | 427 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 143 | मालखरौदा | छपोरा | एकल ग्राम योजना | 237.22 | 100 किली/ 12 मी | 9530 | 478 | - | - | हो | 31.03.2024 |
| 144 | मालखरौदा | बिलाईगढ़ | सोलर आधारित | 60.19 | - | 2030 | 92 | - | - | हो | 30.09.2023 |
| योग | | | | 19938.56 | 135 | 793793 | 39347 | 3 | 91 | 50 | |


 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटक

पारिशेष्य - उन्चास

अतरांकैत प्रश्न संख्या 60 (क्र. 1016) की जानकारी

प्रपत्र

अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की जानकारी

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1) | राज्यपाल सचिवालय | 0 | 3 |
| | | छ.ग. लोक सेवा आयोग | 23 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-4) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5) | 22 | 7 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7) | कार्यालय आयुक्त विभागीय जांच | 3 | 0 |
| | | कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) | 5 | 0 |
| | | छ.ग. मानव अधिकार आयोग | 0 | 0 |
| | | छ.ग. लोक आयोग | 2 | 0 |
| | | राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छ.ग. | 0 | 0 |
| | | एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ.ग. | 2 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8) | 0 | 0 | |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण शाखा) | 0 | 0 | |
| सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) | 0 | 0 | | |

| क्र | विभाग का नाम | | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (लेखाशाखा) | | 0 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (जनशिकायत निवारण) | | 0 | 0 |
| | सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) | छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग | 35 | 0 |
| 2 | संसदीय कार्य विभाग | | 0 | 0 |
| 3 | धार्मिक न्यास एवं धमस्व विभाग | | 0 | 0 |
| 4 | इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | | 73 | 52 |
| 5 | संस्कृति विभाग | दै.वे.भो. | 118 | 0 |
| | | आउट सोर्सिंग | 77 | |
| 6 | समाज कल्याण विभाग | | 229 | 11 |
| 7 | सार्वजनिक उपक्रम विभाग | | 0 | 0 |
| 8 | पर्यटन विभाग | दै.वे.भो. | 25 | 1 |
| | | आउट सोर्सिंग | 213 | 0 |
| 9 | जल संसाधन विभाग | | 908 | 1 |
| 10 | गृह जेल विभाग | | 0 | 0 |
| 11 | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | | 0 | 7 |
| 12 | जनसंपर्क विभाग | | 168 | 6 |
| 13 | उर्जा विभाग | | 82 | 2685 |
| 14 | ग्रामोद्योग विभाग | ग्रामोद्योग संचालनालय, हथकरघा प्रभाग | 7 | 0 |
| | | भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान | 9 | 9 |
| | | ग्रामोद्योग संचालनालय, रेशम प्रभाग | 7 | 0 |
| | | छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग | 52 | 0 |
| | | छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड | 0 | 0 |
| | | छ.ग. माटी कला बोर्ड | 0 | 0 |

| क्र | विभाग का नाम | | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | | छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ | 278 | 10 |
| 15 | लोक निर्माण विभाग | | 6052 | 2 |
| 16 | विमानन विभाग | | 22 | 50 |
| 17 | परिवहन विभाग | | 74 | 1 |
| 18 | बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग | | 2 | 0 |
| 19 | योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | | 74 | 44 |
| 20 | खनिज साधन विभाग | | 0 | 0 |
| 21 | कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग | | 4423 | 0 |
| 22 | वन एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग | वन विभाग+औषधि पादप बोर्ड+संघ+निगम | 6606 | 113 |
| 23 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | | 10466 | 5426 |
| 24 | आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग | | 7744 | 22 |
| 25 | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग | | 1849 | 0 |
| 26 | महिला एवं बाल विकास विभाग | | 452 | 637 |
| 27 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | 5054 | 25738 |
| 28 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | | 0 | 0 |
| 29 | चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग | | 0 | 451 |
| 30 | पशुधन विकास विभाग | | 0 | 183 |

| क्र | विभाग का नाम | | अनियमित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 31 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | | 0 | 0 |
| 32 | आवास एवं पर्यावरण विभाग | | 10 | 30 |
| 33 | उच्च शिक्षा विभाग | | 0 | 0 |
| 34 | वित्त विभाग | | 62 | 12 |
| 35 | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | | 0 | 8 |
| 36 | कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | | 254 | 375 |
| 37 | मछली पालन विभाग | | 0 | 0 |
| 38 | श्रम विभाग | | 4 | 19 |
| 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | | 2149 | 8 |
| 40 | सहकारिता विभाग | | 24 | 1 |
| 41 | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | उद्योग संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालय | 19 | 0 |
| 42 | वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) | | 14 | 1 |
| 43 | वाणिज्यिक कर (आबकारी) | | 8 | 0 |
| 44 | वाणिज्यिक कर (जी. एस.टी) | | 99 | 0 |
| 45 | स्कूल शिक्षा विभाग | | 2294 | 925 |
| 46 | गृह (पुलिस) विभाग | नगर सेना, अग्निमिशन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ | 27 | 0 |
| | | भा.पु.से. तथा संचालनालय सैनिक कल्याण | 0 | 0 |
| | | संचालनालय लोक अभियोजन | 10 | 0 |
| | | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला | 16 | 8 |

| क्र | विभाग का नाम | अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या | संविदा कर्मचारियों की संख्या |
|-----|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | पुलिस मुख्यालय | 239 | 25 |
| 47 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | पुर्नवास आयुक्त कार्यालय | 0 |
| | | राहत आयुक्त कार्यालय | 0 |
| | कुल योग | 50385 | 36871 |


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)

परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क. 1025) की जानकारी

54

| वर्ष | परिक्षेत्र का नाम | मद का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण | भुगतान शेष | | भुगतान शेष होने का कारण |
|---------|-------------------|--|--|--------------|--------------------|------------|---------|---|
| | | | | | | मजदूरी | सामग्री | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021-22 | राजनांदगांव | 10-2406-0792 कर्मचारी कल्याण योजना | महिला कर्मचारियों के लिये मकान एवं बाथरूम, शौचालय निर्माण | 1500000 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | राजनांदगांव | | मोटर सायकल स्टैंड शेड निर्माण | 200000 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | राजनांदगांव | 10-2406-6723 संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण विकास योजना | पुरिया निर्माण कार्य | 1000000 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | राजनांदगांव | | पेयजल व्यवस्था | 250000 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना युरुम रोड 4 कि.मी. | 2600000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना आंकर हैड टैंक विध पम्प हाउस कंपेशिटी 6000 लिटर | 300000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना स्थापना चैनलिंग फेसिंग | 5772000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना ग्रीन हाउस विध फेन एण्ड पेड | 7478600 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना नेचुरल पेन्टीलेट रोड नेट | 1952700 | पूर्ण | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना ड्रेनेज सिस्टम 500 मी. | 1495000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपनी स्थापना युरुम रोड 2 कि.मी. | 1300000 | अप्रारंभ | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|----------|--------|--|----------|----------|---|---|--|
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना पाईप लाईन 1 कि.मी. | 1400000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना स्टर रूम 1 नग | 1000000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | परिक्षेत्र सहायक भवन अम्बागढ चौकी | 805000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य जैतगुडरा नाला | 4382042 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य कुंआ नाला | 11098614 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य कोटवाल नाला | 8252747 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | चौकी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य मुडपार नाला | 2333555 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | चौकी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य मुरार नाला | 4358609 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | चौकी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य डूमरपानी नाला | 10757668 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य दुलकी नाला | 5951490 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|----------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---|---|--|
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य करपनपानी नाला | 9340272 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बेलगाँव नाला | 6875795 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य कोहका नाला | 12104920 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य कौदल नाला | 7437749 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य तरेगाँव नाला | 11156237 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य सहपाल नाला | 16676599 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य तोडके नाला | 28290239 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बोडेगाँव नाला | 11874673 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|----------|--------|--|----------|-------|---|---|--|
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य घुपसाल नाला | 2207447 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य केकतीनार नाला | 5492846 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य अलकन्दार नाला | 14997700 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य मुजांल नाला | 14997016 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य खोलीनार नाला | 4802000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बिजेपार नाला | 7482549 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बेन्दाडी नाला | 10526582 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य कालटोला नाला | 2842596 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------|-------------|---|--|-----------|----------|---|---|--|
| 2021-22 | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बड़मूंग नाला | 3597422 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण माइका से जालवाही | 7550000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | चैनलिक फेसिंग वन परिसर जोब | 628000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | बाघनदी | कैम्पा | पेयजल व्यवस्था वन परिसर जोब | 691000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | राजनांदगांव | कैम्पा | पेयजल व्यवस्था आवासी परिसर डोंगरगांव | 691000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| 2021-22 | द.मानपुर | कैम्पा | पेयजल व्यवस्था आवासी परिसर सीतागांव | 691000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| | | | योग - | 255141667 | | | | |
| 2022-23 (15 फरवरी 2023 तक) | चौकी | 10-4406-4342 सड़के तथा मकान निर्माण | वनमंडलाधिकारी कार्यालय भवन | 9308000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| ----- | चौकी | 41-4406-4342 सड़के तथा मकान निर्माण | वनमंडलाधिकारी आवासीय भवन | 3755000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| ----- | राजनांदगांव | 10-2406-2536 पर्यावरण वानिकी | चिल्ड्रन पार्क | 500000 | पूर्ण | - | - | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------|----------|---|---|--|
| — | राजनांदगांव | 10-2406-2536 पर्यावरण वानिकी | पथ-वे निर्माण | 500000 | पूर्ण | — | — | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| — | चौकी | कैम्पा | डब्ल्यू बी.एम. मार्ग निर्माण वासडी से पाटन | 3020000 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | चौकी | कैम्पा | डब्ल्यू बी.एम. मार्ग निर्माण पाण्डरवानी से गोटाटोला | 755000 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | मोहला —मानपुर | कैम्पा | परिक्षेत्र कार्याभवन निर्माण कार्य | 2197000 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | मोहला —मानपुर | कैम्पा | परिक्षेत्र अधिकारी आवास. भवन निर्माण कार्य | 1532000 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | बाघनदी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य मासुलजोब नाला | 12089999 | पूर्ण | — | — | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| — | खुज्जी | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बीजा नाला | 5344323 | पूर्ण | — | — | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |
| — | राजनांदगांव | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य खम्हेश नाला | 4423650 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य बुकमरका नाला | 5057603 | अप्रारंभ | — | — | — |
| — | उ.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य परवीडीह नाला | 588402 | पूर्ण | — | — | कार्य प्रगति पर है, प्रगति के अनुरूप सामग्री एवं श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है, भुगतान शेष नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------|--------|--------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|
| --- | द.मानपुर | कैम्पा | भू-जल संरक्षण कार्य महका नाला | 31229078 | अप्रारंभ | - | - | - |
| --- | राजनांदगांव | कैम्पा | नाली निर्माण वन परिसर राजनांदगांव | 1483000 | अप्रारंभ | - | - | - |
| | | | योग - | 87093055 | | | | |
| | | | कुलयोग -- | 342234722 | | | | |

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.रा.)

पारोशेट - इन्क्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 1026) की जानकारी

प्रपत्र

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल हेतु सोलर पंपों (सोलर पेनल युक्त पानी टंकी) के स्थापना/निर्माण की स्थलवार जानकारी

| क्रं. | जिला का नाम | ग्राम का नाम | विकासखण्ड का नाम | परियोजना लागत राशि रुपये में | स्थापनाकर्ता इकाई/कम्पनी का नाम | कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण |
|-------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | नारायणपुर | सुलेगा (धौ.) | नारायणपुर | 980000 | मेसर्स अवनी ट्रेडर्स, रायपुर | पूर्ण |
| 2 | | सुलेगा (धौ.) | | 980000 | | पूर्ण |
| 3 | | तारागाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 4 | | तारागाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 5 | | तारागाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 6 | | तारागाँव | | 980000 | | पूर्ण |
| 7 | | तारागाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 8 | | फरसगाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 9 | | फरसगाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 10 | | फरसगाँव | | 1480000 | | पूर्ण |
| 11 | | केरलापाल | | 980000 | | पूर्ण |
| 12 | | केरलापाल | | 980000 | | पूर्ण |
| 13 | | केरलापाल | | 980000 | | पूर्ण |
| 14 | | लालसुहनार | | 1480000 | | पूर्ण |
| 15 | | लालसुहनार | | 1480000 | | पूर्ण |
| 16 | | कोचवाही | | 980000 | | पूर्ण |
| 17 | | कुकड़ाझोर | | 980000 | मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट, रायपुर | पूर्ण |
| 18 | | कुकड़ाझोर | | 980000 | | पूर्ण |
| 19 | | कुकड़ाझोर | | 980000 | | पूर्ण |
| 20 | | कुकड़ाझोर | | 980000 | | पूर्ण |
| 21 | | कोकोड़ी | | 980000 | मेसर्स नव्या टेक्नालॉजी, रायपुर | पूर्ण |
| 22 | | कोकोड़ी | | 980000 | | पूर्ण |
| 23 | | कोकोड़ी | | 980000 | | पूर्ण |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------------|-----------|---------|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| 24 | नारायणपुर | कोकोड़ी | नारायणपुर | 980000 | मेसर्स नव्या टेक्नालॉजी, रायपुर | पूर्ण | |
| 25 | | बोथा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 26 | | डुडमी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 27 | | डुडमी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 28 | | गोटाजम्हरी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 29 | | कस्तुरवाड़ | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 30 | | कोकोड़ी | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 31 | | बोथा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 32 | | बोथा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 33 | | बोथा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 34 | | डुडमी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 35 | | डुडमी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 36 | | गोटाजम्हरी | | 980000 | | पूर्ण | |
| 37 | | धौड़ाई | | 980000 | | पूर्ण | |
| 38 | | धौड़ाई | | 980000 | | पूर्ण | |
| 39 | | धनोरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 40 | | धनोरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 41 | | बाकुलवाही | | 980000 | | मेसर्स रेडसन् सोलर, रायपुर | पूर्ण |
| 42 | | बाकुलवाही | | 980000 | | | पूर्ण |
| 43 | | बाकुलवाही | | 980000 | | | पूर्ण |
| 44 | | बाकुलवाही | | 980000 | | | पूर्ण |
| 45 | | बाकुलवाही | | 980000 | | | पूर्ण |
| 46 | | कोगेरा | | 980000 | | मेसर्स सोलर एक्वा सोल्यूशन, रायपुर | पूर्ण |
| 47 | | कोगेरा | | 980000 | | | पूर्ण |
| 48 | | कोगेरा | | 980000 | | | पूर्ण |
| 49 | | कुम्हली | | 980000 | | मेसर्स सोलर सोल्यूशन, रायपुर | पूर्ण |
| 50 | | कुम्हली | | 980000 | | | पूर्ण |
| 51 | | कुम्हली | | 980000 | | | पूर्ण |
| 52 | | बोरगाँव | | 1480000 | | | पूर्ण |
| 53 | | बोरगाँव | | 980000 | | | पूर्ण |
| 54 | | नयापारा | | 1480000 | | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण |
| 55 | | स्कूलपारा | | 1480000 | | | पूर्ण |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------|-----------|---------|----------------------------------|-------|
| 56 | | कोस्तापारा | | 1480000 | | पूर्ण |
| 57 | | राऊड़पारा | | 1480000 | | पूर्ण |
| 58 | | सुपगाँव मंदिर के पास | | 1480000 | | पूर्ण |
| 59 | | गुलुमकोडो | | 1480000 | | पूर्ण |
| 60 | | गुलुमकोडो | | 1480000 | | पूर्ण |
| 61 | | मरदेल | | 1480000 | | पूर्ण |
| 62 | | मेटाडोगरी | | 1480000 | | पूर्ण |
| 63 | | मेटाडोगरी | | 1480000 | | पूर्ण |
| 64 | | पातुरबेड़ा | | 1480000 | | पूर्ण |
| 65 | | पातुरबेड़ा | | 1480000 | | पूर्ण |
| 66 | | बड़ेजम्हरी | | 980000 | | पूर्ण |
| 67 | | बड़ेजम्हरी | | 980000 | | पूर्ण |
| 68 | | ब्रेहीबेड़ा | | 980000 | | पूर्ण |
| 69 | | ब्रेहीबेड़ा | | 980000 | | पूर्ण |
| 70 | | देवगाँव | | 980000 | | पूर्ण |
| 71 | नारायणपुर | देवगाँव | नारायणपुर | 980000 | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण |
| 72 | | रेमावण्ड | | 980000 | | पूर्ण |
| 73 | | रेमावण्ड | | 980000 | | पूर्ण |
| 74 | | रेमावण्ड | | 980000 | | पूर्ण |
| 75 | | गोहड़ा | | 980000 | | पूर्ण |
| 76 | | गोहड़ा | | 980000 | | पूर्ण |
| 77 | | मलिंगनार | | 980000 | | पूर्ण |
| 78 | | मलिंगनार | | 980000 | | पूर्ण |
| 79 | | मलिंगनार | | 980000 | | पूर्ण |
| 80 | | कुढ़ारगाँव | | 980000 | | पूर्ण |
| 81 | | कुढ़ारगाँव | | 980000 | | पूर्ण |
| 82 | | नयापारा | | 980000 | | पूर्ण |
| 83 | | नयापारा | | 980000 | | पूर्ण |
| 84 | | नयापारा | | 980000 | | पूर्ण |
| 85 | | नयापारा | | 980000 | | पूर्ण |
| 86 | | कुलानार | | 980000 | | पूर्ण |
| 87 | | कुलानार | | 980000 | | पूर्ण |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 88 | नारायणपुर | कुलानार | नारायणपुर | 980000 | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण | |
| 89 | | पल्ली | | 980000 | | पूर्ण | |
| 90 | | उड़िदगॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 91 | | मड़ागड़ा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 92 | | मड़ागड़ा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 93 | | मड़ागड़ा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 94 | | खड़कागॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 95 | | माहका / आमासरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 96 | | छोटेसुहनार | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 97 | | छोटेसुहनार | | 980000 | | पूर्ण | |
| 98 | | मरदेल | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 99 | | रेमावण्ड | | 980000 | | पूर्ण | |
| 100 | | गोहड़ा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 101 | | गोहड़ा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 102 | | मलिंगनार | | 980000 | | पूर्ण | |
| 103 | | मलिंगनार | | 980000 | | पूर्ण | |
| 104 | | पल्ली | | 980000 | | पूर्ण | |
| 105 | | पल्ली | | 980000 | | पूर्ण | |
| 106 | | उड़िदगॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 107 | | उड़िदगॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 108 | | उड़िदगॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 109 | | खड़कागॉव | | 980000 | | पूर्ण | |
| 110 | | खैराभाट | | 980000 | | पूर्ण | |
| 111 | | माहका / आमासरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 112 | | बोरण्ड | | 980000 | | पूर्ण | |
| 113 | | बोरण्ड | | 980000 | | पूर्ण | |
| 114 | | बोरण्ड | | 980000 | | पूर्ण | |
| 115 | | बोरण्ड | | 980000 | | पूर्ण | |
| 116 | | मुरहापदर | | 980000 | | मेसर्स नव्या टेक्नालॉजी, रायपुर | पूर्ण |
| 117 | | मुरहापदर | | 980000 | | मेसर्स नव्या टेक्नालॉजी, रायपुर | पूर्ण |
| 118 | | बासिंग | | 1480000 | | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण |
| 119 | | बासिंग | | 980000 | | | पूर्ण |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 120 | नारायणपुर | बासिंग | ओरछा | 980000 | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण | |
| 121 | | बासिंग | | 980000 | | पूर्ण | |
| 122 | | बासिंग | | 980000 | | पूर्ण | |
| 123 | | कुंदला | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 124 | | कुंदला | | 980000 | | पूर्ण | |
| 125 | | कुंदला | | 980000 | | पूर्ण | |
| 126 | कोण्डागांव | करियाकाटा | कोण्डागांव | 1480000 | मेसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी रायपुर | पूर्ण | |
| 127 | | कोंगेरा | | 1480000 | मेसर्स रेडसन सोलर एनर्जी रायपुर | पूर्ण | |
| 128 | | कोंगेरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 129 | | कोंगेरा | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 130 | | कोंगेरा | | 980000 | | पूर्ण | |
| 131 | | मर्दापाल | | 1480000 | | मेसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी रायपुर | पूर्ण |
| 132 | | मर्दापाल | | 980000 | | | पूर्ण |
| 133 | | मर्दापाल | | 1480000 | पूर्ण | | |
| 134 | | सोनाबाल | | 1480000 | मेसर्स सोलर सोल्यूशन, रायपुर | पूर्ण | |
| 135 | | सोनाबाल | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 136 | | सोनाबाल | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 137 | | तोतर | | 1480000 | मेसर्स रेडसन सोलर एनर्जी रायपुर | पूर्ण | |
| 138 | | तोतर | | 980000 | | पूर्ण | |
| 139 | | कचोरा | | 1480000 | मेसर्स स्पान पंप प्रा.लि. रायपुर | पूर्ण | |
| 140 | | कचोरा | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 141 | | मयूरडोंगर | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 142 | | मयूरडोंगर | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 143 | | बस्तर | | नन्दपुरा | बस्तर | 1480000 | मेसर्स अवनी ट्रेडर्स, रायपुर |
| 144 | पखनाकोंगेरा | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 145 | नन्दपुरा | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 146 | बाकेल | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 147 | पिपलावण्ड | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 148 | पिपलावण्ड | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 149 | बाकेल | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 150 | बाकेल | | 1480000 | पूर्ण | | | |
| 151 | बोडनपाल | | 1480000 | पूर्ण | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|--------|
| 152 | बस्तर | सालेमेटा | बस्तर | 1480000 | मेसर्स अवनी ट्रेडर्स, रायपुर | पूर्ण | |
| 153 | | सालेमेटा | | 1480000 | | पूर्ण | |
| 154 | कोण्डागांव | करियाकाटा | कोण्डागांव | 1480000 | मेसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी रायपुर | अपूर्ण | |
| 155 | | मर्दापाल | | 980000 | | मेसर्स स्पान पंपस रायपुर | अपूर्ण |
| 156 | | तोतर | | 1480000 | | मेसर्स रेडसन सोलर एनर्जी रायपुर | अपूर्ण |
| 157 | नारायणपुर | कुकड़ाझोर | नारायणपुर | 980000 | मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट, रायपुर | अपूर्ण | |
| 158 | | बोधा | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 159 | | डुडमी | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 160 | | कुलानार | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 161 | | बोधा | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 162 | | बोधा | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 163 | | धनोरा | | 980000 | | अपूर्ण | |
| 164 | | कोगेरा | | 980000 | | मेसर्स सोलर एक्वा सोल्यूशन, रायपुर | अपूर्ण |
| 165 | | कोचवाही | | 980000 | | | अपूर्ण |
| 166 | | कस्तुरवाड़ | | 1480000 | | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर | अपूर्ण |
| 167 | | पल्ली | | 980000 | | | अपूर्ण |
| 168 | | पल्ली | | 980000 | | | अपूर्ण |
| 169 | | उड़िदगाँव | | 1480000 | | | अपूर्ण |
| 170 | | मड़ागड़ा | | 980000 | | | अपूर्ण |
| 171 | | खैराभाट | | 1480000 | | | अपूर्ण |
| 172 | पालकी | 980000 | मेसर्स स्पेशिलिटी प्रोडक्ट्स, रायपुर | अपूर्ण | | | |
| 173 | बस्तर | तुरपुरा | बस्तर | 1480000 | मेसर्स अवनी ट्रेडर्स, रायपुर | अपूर्ण | |
| 174 | | बकेल | | 1480000 | | अपूर्ण | |
| योग | | | | 200020000 | | | |

पारिशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 1027) की जानकारी

“प्रपत्र अ”

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रेडा विभाग द्वारा पिछले 02 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.02 2023 तक विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त राशि से किये गये कार्यों की जानकारी वित्तीय वर्ष 2020-21

| क्र. | जिले का नाम | राशि प्रदायकर्ता एजेंसी का नाम | कार्य का नाम एवं विवरण | कुल प्राप्त राशि (लाख में) | कुल स्वीकृत कार्य | पूर्ण कार्य की संख्या | अपूर्ण कार्य की संख्या |
|---------|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | नारायणपुर | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 12 स्थलों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 159.84 | 12 | 12 | 0 |
| 02 | बस्तर | जिला प्रशासन | 07 स्थलों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर पथप्रकाश हेतु स्ट्रीट लाईट स्थापना का कार्य | 80.22 | 07 | 07 | 0 |
| 03 | | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 159.69 | 13 | 11 | 02 |
| 04 | कोण्डागांव | जिला प्रशासन | बालक आश्रम खडपडी, जिला कोण्डागांव में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य | 5.54 | 01 | 01 | 0 |
| 05 | | जिला पंचायत | नरवा गरवा बाड़ी एवं चारागाह योजनान्तर्गत गौठानों/चारागाह में पेयजल एवं सिंचाई 01 नग सोलर पंप स्थापना का कार्य। | 0.21 | 01 | 01 | 0 |
| 06 | | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 06 स्थलों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 79.92 | 06 | 05 | 01 |
| कुल योग | | | | 485.42 | 40 | 37 | 03 |

वित्तीय वर्ष 2021-22

| क्र. | जिले का नाम | राशि प्रदायकर्ता एजेंसी का नाम | कार्य का नाम एवं विवरण | कुल प्राप्त राशि (लाख में) | कुल स्वीकृत कार्य | पूर्ण कार्य की संख्या | अपूर्ण कार्य की संख्या |
|------|-------------|---|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | नारायणपुर | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 129 स्थलों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना कार्य | 1223.28 | 129 | 113 | 16 |
| 02 | | सहायक आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग | ग्राम-छोटेडोगर (नाकापारा) में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लांट की स्थापना कार्य | 10.00 | 01 | 01 | 0 |
| 03 | | वनमण्डलाधिकारी वन विभाग | 05 नग सोलर पंपों की स्थापना कार्य | 10.77 | 05 | 05 | 0 |
| 04 | | स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग | कोल्ड चैन पाईट अंतर्गत 03 स्वास्थ्य केन्द्रों में सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य | 39.60 | 03 | 02 | 01 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|---|--|---------|-----|-----|----|
| 05 | बस्तर | परियोजना प्रशासक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग | 13 आश्रम/छात्रावसों में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर होम लाईट संयंत्र की स्थापना कार्य | 9.75 | 13 | 13 | 0 |
| 06 | कोण्डागांव | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 14 स्थलों पर जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना कार्य | 109.32 | 14 | 12 | 02 |
| 07 | | जिला पंचायत | नरवा गरवा बाड़ी एवं चारागाह योजनांतर्गत 15 नग गौठानों/चारागाह में पेयजल एवं अन्य उपयोग हेतु सोलर पंप स्थापना कार्य। | 3.75 | 15 | 15 | 0 |
| 08 | | पुलिस अधीक्षक | 03 पुलिस थाना/बैस कैम्पों में स्थापित सोलर पावर प्लांटों में नवीन बैटरी स्थापना कार्य। | 5.96 | 03 | 03 | 0 |
| कुल योग | | | | 1412.43 | 183 | 164 | 19 |

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.02.2023 तक

| क्र. | जिले का नाम | राशि प्रदायकर्ता एजेंसी का नाम | कार्य का नाम एवं विवरण | कुल प्राप्त राशि (लाख में) | कुल स्वीकृत कार्य | पूर्ण कार्य की संख्या | अपूर्ण कार्य की संख्या |
|---------|-------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 | नारायणपुर | वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग | 03 स्थलों में सिंचाई वृक्षारोपण अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना कार्य | 10.44 | 03 | 03 | 0 |
| 02 | | | चेदरू पार्क, गढ़बेगाल में सोलर पॉवर प्लांट तथा सोलर पंप की स्थापना का कार्य | 13.26 | 01 | 0 | 01 |
| 03 | | | 02 स्थल, ग्राम-परलभाट, बिंजली में सोलर पंप स्थापना का कार्य | 6.96 | 02 | 0 | 02 |
| 04 | | जिला प्रशासन (डी. एम.एफ.) | 100 मसाहती कृषकों को सिंचाई हेतु सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर पंपों की स्थापना का कार्य | 7.50 | 100 | 100 | 0 |
| 05 | | स्वच्छ भारत मिशन | 04 स्थल में शिक्षा परिसर, गंराजी, बालक आश्रम, छोटेडोगर, आश्रम छात्रावास, बेनूर एवं पोर्टा केबिन, ओरछा में सामुदायिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना | 25.42 | 04 | 0 | 04 |
| 06 | | सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास शाखा) | बालक आश्रम, धुरबेड़ा में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट की बैटरी बदलने हेतु | 1.655 | 01 | 0 | 01 |
| 08 | कोण्डागांव | जिला प्रशासन (एन.एम.डी.सी.) | स्वास्थ्य केन्द्र कुधूर में पी.डी.एन कार्य | 8.55 | 01 | 01 | 0 |
| 09 | | | स्वास्थ्य केन्द्र कुधूर में सोलर पावर प्लांट स्थापना कार्य | | 01 | 01 | 0 |
| कुल योग | | | | 73.785 | 113 | 105 | 08 |
| महायोग | | | | 1971.64 | 336 | 306 | 30 |

"प्रपत्र ब"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1027 के भाग 'ख' की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2020-21

| क्र. | जिले का नाम | अपूर्ण कार्य का विवरण | अपूर्ण कार्य की संख्या | निर्माणकर्ता/स्थापनाकर्ता इकाई का नाम |
|------|-------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 01 | बस्तर | जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 02 | मेसर्स अवनी ट्रेडर्स रायपुर |
| 02 | कोण्डागांव | जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 01 | मेसर्स नोवस ग्रिन एनर्जी रायपुर |
| योग | | | 03 | |

वित्तीय वर्ष 2021-22

| क्र. | जिले का नाम | अपूर्ण कार्य का विवरण | अपूर्ण कार्य की संख्या | निर्माणकर्ता/स्थापनाकर्ता इकाई का नाम |
|------|-------------|---|------------------------|--|
| 01 | नारायणपुर | जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 16 | मेसर्स स्पॉन पंप प्रा.लि. रायपुर - 06 नग मेसर्स स्पेशलिटी प्रोडक्टर्स, रायपुर - 01 नग, मेसर्स सोलर एक्वा सोल्यूशन, रायपुर - 02 नग, मेसर्स नव्या टेक्नालॉजी, रायपुर- 06 नग, मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट, रायपुर - 01 नग |
| 02 | | कोल्ड चैन फ्लूट अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र, कुतुल, वि.ख. ओरछा में सोलर पावर प्लांट की स्थापना। | 01 | मेसर्स आर.बी.पी. एनर्जी (ई.) प्रा.लि., रायपुर |
| 03 | कोण्डागांव | जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना का कार्य | 02 | मेसर्स स्पान पंपस रायपुर - 01 नग मेसर्स रेडसन सोलर एनर्जी रायपुर - 01 नग |
| योग | | | 19 | |

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.02.2023

| क्र. | जिले का नाम | अपूर्ण कार्य का विवरण | अपूर्ण कार्य की संख्या | निर्माणकर्ता/स्थापनाकर्ता इकाई का नाम |
|------|-------------|---|------------------------|---|
| 01 | नारायणपुर | चेदरू पार्क, गढ़बेगाल में सोलर पावर प्लांट तथा सोलर पंप की स्थापना का कार्य | 01 | मेसर्स के.आर.सी.कन्स्ट्रक्शन (पी) लि. एण्ड अमीगो एनर्जीस को सोलर पंप हेतु कार्यदेश जारी किया जा चुका है। सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु कार्यदेश लंबित है। |
| 02 | नारायणपुर | ग्राम-परलभाट, बिंजली में सोलर पंप की स्थापना कार्य | 02 | मेसर्स के.आर.सी.कन्स्ट्रक्शन (पी) लि. एण्ड अमीगो एनर्जीस को सोलर पंप हेतु कार्यदेश जारी किया जा चुका है। |

| | | | | |
|--------|-----------|--|----|--|
| 03 | नारायणपुर | शिक्षा परिसर, गंराजी, बालक आश्रम, छोटेडोगर, आश्रम छात्रावास, बेनूर एवं पोर्टा केबिन, ओरछा में सामुदायिक बायोगैस संयंत्र का स्थापना कार्य | 04 | मेसर्स शक्तिनाथ मिश्रा, रायपुर |
| 04 | | बालक आश्रम, धुरबेड़ा में स्थापित सोलर पॉवर प्लांट की बैटरी बदलने हेतु | 01 | मेसर्स नव्या टेक्नालाजिस एंड रिन्यूवेबल प्रा. लि. रायपुर |
| योग | | | 08 | |
| महायोग | | | 30 | |

b

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - तिरपन


अतारांकित प्रश्न संख्या 68 (क्र. 1033) की जानकारी

प्रपत्र

जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2023 तक शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृत/स्थापित हैण्डपंप की जानकारी

| क्र | वर्ष | कार्य का नाम | निर्धारित लक्ष्य | | स्वीकृत कार्य | भौतिक स्थिति | सफल नलकूप | स्थापित हैण्डपंप |
|---------|-----------|----------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | मद | लक्ष्य | | | | |
| 1 | 2021-2022 | नलकूप खनन कर हैण्डपंप | राज्यमद शाला | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 2 | | स्थापना एवं चबुतरा निर्माण कार्य | राज्यमद आंगनबाड़ी | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| कुल योग | | | | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 |
| 1 | 2022-2023 | नलकूप खनन कर हैण्डपंप | राज्यमद शाला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | स्थापना एवं चबुतरा निर्माण कार्य | राज्यमद आंगनबाड़ी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल योग | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

टिप :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा राज्यमद के तहत शाला एवं आंगनबाड़ी में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 1039) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक गरियाबंद जिले के अंतर्गत भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के दर्ज प्रकरणों, की गई कार्यवाही एवं डिमांड राशि वसूली की जानकारी

| क्रमांक | संभाग | बी.पी.क./अवैध कनेक्शन | चोरी से विद्युत उपयोगकर्ता का नाम | डिमांड राशि | भुगतान राशि | की गई कार्यवाही का विवरण | |
|---------|----------|-----------------------|---|-------------|-------------|---|---|
| | | | | | | प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रेषित पत्र का संदर्भ | स्पेशल कोर्ट |
| 1 | न.राजिम | 1002012808 | श्री महादेव ओगरे, तरौघाट | 65130.00 | 25000.00 | 35 / 02.05.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत |
| 2 | न.राजिम | 1003694256 | श्रीमति फगनी बाई सतनामी, तरौघाट | 33750.00 | 0.00 | 35 / 02.05.22 | |
| 3 | न.राजिम | अवैध | श्री मोती लाल मारकंडे, तरौघाट | 3950.00 | 0.00 | 35 / 02.05.22 | |
| 4 | न.राजिम | 1001349325 | श्री रोहित सतनामी रवेली | 35330.00 | 15000.00 | 25/20.04.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 5 | न.राजिम | 1002394549 | श्री रैनूराम सतनामी रवेली | 36290.00 | 21290.00 | 25/20.04.22 | |
| 6 | न.राजिम | 1007746253 | श्री नीलकंठ साहू रवेली | 39200.00 | 20000.00 | 25/20.04.22 | |
| 7 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत चैतरा | 64040.00 | 0.00 | 109/10.05.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत |
| 8 | न.राजिम | 1001534004 | श्री तिजराम साहू चैतरा | 25960.00 | 10000.00 | 112/10.05.22 | |
| 9 | न.राजिम | 1005828367 | श्रीराम साहू चैतरा | 20120.00 | 5000.00 | 111/10.05.22 | |
| 10 | न.राजिम | अवैध | श्री छबिराम साहू चैतरा | 29580.00 | 8000.00 | 113/10.05.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 11 | न.राजिम | 1008398659 | श्री जनकराम साहू चैतरा | 39700.00 | 10000.00 | 110/10.05.22 | |
| 12 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत चैतरा | 21350.00 | 0.00 | 140/25.05.22 | |
| 13 | न.राजिम | 1001947416 | श्री दाउलाल साहू चैतरा | 31930.00 | 24450.00 | 139/25.05.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत |
| 14 | न.राजिम | 1003222843 | श्री धनसिंग यादव रवेली | 27600.00 | 0.00 | 138/25.05.22 | |
| 15 | न.राजिम | 1002719660 | श्री प्यारेलाल निर्मलकर रवेली | 50690.00 | 50690.00 | 137/25.05.22 | |
| 16 | न.राजिम | अवैध | श्रीमति जोहतरौन बाई धृतलहर | 75860.00 | 0.00 | 204/16.06.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 17 | न.राजिम | 1001533983 | श्री चोवाराम सतनामी | 19940.00 | 19940.00 | 203/21.06.22 | |
| 18 | न.राजिम | 1001533347 | श्री अश्वनी साहू | 21470.00 | 21470.00 | 205/21.06.22 | |
| 19 | न.राजिम | 1003226598 | श्री पुरानिक राम साहू | 40770.00 | 40770.00 | 206/21.06.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 20 | न.राजिम | अवैध | श्री मुरलीराम साहू सेन्दर | 42480.00 | 5000.00 | 207/21.06.22 | |
| 21 | न.राजिम | 1006936995 | श्री देवानंद साहू सेन्दर | 41750.00 | 5000.00 | 235/30.06.22 | |
| 22 | न.राजिम | 1003226549 | श्री बुधराम सिन्हा सेन्दर | 12050.00 | 0.00 | 234/30.06.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 23 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत सेन्दर | 85390.00 | 0.00 | 237/30.06.22 | |
| 24 | न.राजिम | 1003226551 | श्री अजित कुमार वर्मा सेन्दर | 24930.00 | 13000.00 | 232/30.06.22 | |
| 25 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत सेन्दर | 85390.00 | 0.00 | 231/30.06.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 26 | न.राजिम | 1001536493 | श्री जीतराम साहू/भीखू बहेरापाल | 36510.00 | 15000.00 | 781/06.12.22 | |
| 27 | न.राजिम | 1001536489 | श्री खेल राम/भगत बहेरापाल | 20480.00 | 0.00 | 769/06.12.22 | |
| 28 | न.राजिम | 1001536583 | श्री सुरेश कुमार साहू/भानु बहेरापाल | 32330.00 | 0.00 | 768/06.12.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 29 | न.राजिम | 1004632511 | श्री तीजराम साहू/बृजराम बहेरापाल | 50150.00 | 18000.00 | 782/06.12.22 | |
| 30 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत बहेरापाल | 21440.00 | 0.00 | 765/06.12.22 | |
| 31 | न.राजिम | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत रवेली | 16110.00 | 0.00 | निरंक | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 32 | न.राजिम | 1001349500 | श्री सेउक राम साहू/धनसाय सहसपुर | 11090.00 | 11090.00 | 121/21.06.22 | |
| 33 | न.राजिम | 1001349474 | श्री मोहनलाल साहू उपयोगकर्ता लालू राम साहू सहसपुर | 84100.00 | 0.00 | 121/21.06.22 | |
| 34 | न.राजिम | 1007589384 | श्री तुला राम सेन/डेरहा राम सहसपुर | 59470.00 | 0.00 | 121/21.06.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 35 | न.राजिम | 1001349444 | उपयोगकर्ता गौतम साहू/धनसाय | 35880.00 | 10880.00 | 121/21.06.22 | |
| 36 | गरियाबंद | 1002489667 | श्री दोलेश्वर गजेन्द्र | 48065.00 | 48065.00 | निरंक | |
| 37 | न.राजिम | अवैध | श्री राजेन्द्र पारधी | 23500.00 | 9500.00 | 417/04.08.22 | विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रियाधीन |
| 38 | न.राजिम | अवैध | श्री हिरऊ साहू | 14920.00 | 0.00 | 416/04.08.22 | |
| 39 | गरियाबंद | अवैध | श्री गोविंद निषाद | 7460.00 | 7460.00 | निरंक | |
| 40 | गरियाबंद | अवैध | श्री संतोष निषाद | 7460.00 | 4400.00 | निरंक | |

उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

| | | | | | | |
|----|----------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 41 | गरियाबंद | अवैध | श्री बुधुराम हल्वा | 11190.00 | 11190.00 | निरंक |
| 42 | गरियाबंद | अवैध | श्री युवराज | 7460.00 | 0.00 | निरंक |
| 43 | गरियाबंद | अवैध | श्री भीखन धुव | 9940.00 | 0.00 | निरंक |
| 44 | गरियाबंद | अवैध | श्री रोशन लाल गोंड | 7460.00 | 7460.00 | निरंक |
| 45 | गरियाबंद | अवैध | श्री तामेश्वर धुव | 7460.00 | 7460.00 | निरंक |
| 46 | गरियाबंद | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत कोदाबतर | 9350.00 | 9350.00 | निरंक |
| 47 | गरियाबंद | अवैध | श्री सोमलाल धुव | 9940.00 | 9940.00 | निरंक |
| 48 | गरियाबंद | अवैध | श्री डुमेश्वर साहू | 4970.00 | 4970.00 | निरंक |
| 49 | गरियाबंद | अवैध | श्री माखन साहू | 4970.00 | 4970.00 | निरंक |
| 50 | गरियाबंद | अवैध | श्री बैराम साहू | 4970.00 | 4970.00 | निरंक |
| 51 | गरियाबंद | अवैध | श्री केंसर धुव | 2490.00 | 0.00 | निरंक |
| 52 | गरियाबंद | अवैध | श्री प्यारी लाल धुव | 7210.00 | 7210.00 | निरंक |
| 53 | गरियाबंद | अवैध | श्री हेम धुव | 7210.00 | 0.00 | निरंक |
| 54 | गरियाबंद | अवैध | श्रीमति अगन्तीन बाई | 4970.00 | 4970.00 | निरंक |
| 55 | गरियाबंद | अवैध | श्री विद्या धुव | 18020.00 | 0.00 | निरंक |
| 56 | गरियाबंद | अवैध | श्री पुरुषोत्तम सिन्हा | 25870.00 | 0.00 | निरंक |
| 57 | गरियाबंद | अवैध | श्री रामानंद यादव | 9240.00 | 9240.00 | निरंक |
| 58 | गरियाबंद | अवैध | श्री घुरवा राम गोंड | 6160.00 | 6160.00 | निरंक |
| 59 | गरियाबंद | 1007833153 | श्री इशाख अहमद कुरैसी | 10890.00 | 10890.00 | निरंक |
| 60 | गरियाबंद | अवैध | श्री देवेन्द्र साहू | 630.00 | 630.00 | निरंक |
| 61 | गरियाबंद | अवैध | श्री लोमश यादव | 360.00 | 360.00 | निरंक |
| 62 | गरियाबंद | अवैध | श्री घनश्याम यादव | 1020.00 | 1020.00 | निरंक |
| 63 | गरियाबंद | अवैध | श्री महेन्द्र गोंड | 620.00 | 620.00 | निरंक |
| 64 | गरियाबंद | अवैध | श्री टीकम धुव | 1010.00 | 1010.00 | निरंक |
| 65 | गरियाबंद | अवैध | श्री टीकम कुमार साहू | 340.00 | 340.00 | निरंक |
| 66 | गरियाबंद | अवैध | श्री पुरषोत्तम यादव | 340.00 | 340.00 | निरंक |
| 67 | गरियाबंद | अवैध | श्री अरविंद साहू ग्राम नवाडीह रक्सी | 17366.00 | 17366.00 | निरंक |
| 68 | गरियाबंद | अवैध | श्री आर.पी. सिंह ग्राम मेडकीडबरी | 5009.00 | 5000.00 | निरंक |
| 69 | गरियाबंद | अवैध | श्री भारत चन्द्राकर ग्राम दुल्ला | 8830.00 | 8830.00 | निरंक |
| 70 | गरियाबंद | अवैध | सरपंच ग्राम पंचायत बहेराबुड़ा | 28078.00 | 0.00 | निरंक |
| | | | योग | 1676988.00 | 553301.00 | |

विशेष न्यायालय में
प्रकरण प्रस्तुत करने
हेतु प्रक्रियाधीन

h

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क. 1043) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुकरेल एवं मगरलोड क्षेत्र के ग्रामों में विभाग द्वारा संचालित पेयजल

योजनाओं की जानकारी


| क्र. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | विकासखण्ड/ क्षेत्र का नाम | ग्राम की संख्या | क्रियाशील पेयजल योजनाओं की जानकारी | | | | | | | | | | | | रिमार्क |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|------|-----|-------------------|------|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|------------|-----|---------|
| | | | | हेडपंप | | | सिंगलफेस पावर पंप | | | स्थल जलप्रदाय योजना | | नलजल प्रदाय योजना | | सोतर योजना | | |
| | | | | कुल | चालू | बंद | कुल | चालू | बंद | चालू | बंद | चालू | बंद | चालू | बंद | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | सिहावा | क्षेत्र-कुकरेल (वि.ख.नगरी) | 47 | 471 | 444 | 27 | 121 | 121 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | |
| 2 | | मगरलोड | 89 | 1153 | 1104 | 49 | 177 | 181 | 4 | 37 | 0 | 15 | 0 | 27 | 1 | |
| योग:- | | | 136 | 1624 | 1548 | 76 | 302 | 298 | 4 | 51 | 0 | 20 | 0 | 43 | 1 | |

Surf
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब
सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुकरेल एवं मगरलोड क्षेत्र के ग्रामों में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु

स्वीकृत ग्रामों की अद्यतन जानकारी

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | विकासखण्ड/ क्षेत्र का नाम | ग्रामों की संख्या | प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त ग्रामों की संख्या | स्वीकृत ग्रामों में एफएचटीसी की संख्या | प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु.लाख में) | स्वीकृत ग्रामों की अद्यतन स्थिति | | | | स्वीकृत ग्रामों में पूर्ण एफएचटीसी की संख्या | रिमार्क |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|----------|-------|--|--|
| | | | | | | | निविदा प्रक्रियाधीन | कार्यदेश किन्तु कार्य अपारंभ | प्रगतिपत | पूर्ण | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | क्षेत्र-कुकरेल (वि.ख.नगरी) | 47 | 47 | 6100 | 3470.44 | 0 | 15 | 32 | 0 | 3367 | उक्त क्षेत्र के ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग / सिंगल विलेज/ सोलर योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। इन योजनाओं से ग्रामों के प्रत्येक घरों तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। |
| 2 | सिहावा | मगरलोड | 89 | 89 | 15133 | 7394.94 | 0 | 15 | 73 | 1 | 9291 | |
| | | कुल:- | 136 | 136 | 21233 | 10865.38 | 0 | 30 | 105 | 1 | 12658 | |


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 1045) की जानकारी

प्रपत्र

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों की प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की वितरण केन्द्रवार एवं वर्षवार जानकारी

| क्र. | संभाग का नाम | वितरण केन्द्र का नाम | अत्यधिक बिजली बिल की शिकायतों की | | | | शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| | | | गलत रिडिंग किये जाने के कारण | मीटर में गडबडी होने के कारण | अन्य कारण | कुल शिकायत | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| वर्ष 2021-22 | | | | | | | |
| 1 | दुर्ग | दारगांव | 281 | 95 | 20 | 396 | निराकृत |
| 2 | बेमेतरा | बेमेतरा (ग्रामीण) | 233 | 0 | 32 | 265 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | राका | 410 | 0 | 72 | 482 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | बेमेतरा (शहर) | 105 | 2 | 1672 | 1779 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | कारेसरा | 11 | 0 | 107 | 118 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| 3 | साजा | भिभौरी | 2 | 0 | 1 | 3 | उपरोक्तानुसार दो शिकायत संकलित रिडिंग के पाये गये जिनके मीटर की जांच कर स्लैब करते हुए नये विद्युत देयक जारी किये गये एवं एक शिकायत गलत आंसत खपत के थे जिसमें मीटर की जांच कर खपत के आधार पर देयक में सुधार कर नवीन देयक जारी किया गया । |
| योग | | | 1042 | 97 | 1904 | 3043 | |
| वर्ष 2022-22 (दिनांक 31.01.2023 तक) | | | | | | | |
| 1 | दुर्ग | दारगांव | 16 | 10 | 74 | 100 | निराकृत |
| 2 | बेमेतरा | बेमेतरा (ग्रामीण) | 199 | 0 | 26 | 225 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | राका | 671 | 0 | 85 | 756 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | बेमेतरा (शहर) | 120 | 0 | 709 | 829 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| | | कारेसरा | 7 | 0 | 38 | 45 | रिडिंग चेक कर बिल स्लैब किया गया । |
| 3 | साजा | देवरबीजा | 2 | 0 | 0 | 2 | उपरोक्तानुसार सभी शिकायत संकलित रिडिंग के पाये गये जिनके मीटर की जांच कर स्लैब करते हुए नये विद्युत देयक जारी किये गये । |
| | | भिभौरी | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| योग | | | 1016 | 10 | 932 | 1958 | |

b

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर